फरवरी, 2019
I.S.S.N. : 2457-0486

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

प्रस्तावित संपादक-मंडल

डा. जी. नारायण राजू,
सचिव, विधायी विभाग

डा. रीटा वशिष्ठ, अपर सचिव,
विधायी विभाग

श्री एस. आर. ढलेटा,
सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव एवं
विधायी परामर्शी, विधायी विभाग

डा. सुरेन्द्र कुमार शर्मा, प्रिन्सिपल,
विधि विभाग, डी आई आर डी, गुरु
गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय

श्री ए. के. अवस्थी,
सेवानिवृत्त प्रोफेसर एवं डीन
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

श्री एल. आर. सिंह,
प्रोफेसर एवं डीन इलाहाबाद
विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

श्री कृष्ण गोपाल अग्रवाल,
सेवानिवृत्त संपादक, वि.सा.प्र.

श्री अनुराग दीप,
एसोसिएट प्रोफेसर,
भारतीय विधि संस्थान

डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय,
प्रधान संपादक

श्री कमला कान्त,
संपादक

श्री अविनाश शुक्ला,
संपादक

श्री असलम खान,
संपादक

सहायक संपादक : श्री पुण्डरीक शर्मा

उप-संपादक : सर्वश्री महीपाल सिंह और जसवन्त सिंह

परामर्शदाता : सर्वश्री दयाल चन्द ग्रोवर, महमूद अली खां और विनोद कुमार आर्य

ISSN- 2457-0486

कीमत : डाक-व्यय सहित

एक प्रति : ₹ 125/-

वार्षिक : ₹ 1,300/-

© 2019 भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय

1. प्रकाशन नियंत्रक, भारत सरकार, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054.
2. प्रधान संपादक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा..... द्वारा मुद्रित ।

पी एल डी (पी. डी)-2-2019 आई.एस.एस.एन. 2457-0486

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

फरवरी, 2019 अंक - 2

प्रधान संपादक
डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय
संपादक
असलम खान

विधि साहित्य
प्रकाशन

(2019) 1 दा. नि. प.

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

Online selling of law Patrikas/Books is available on
Website ➡ https://bharatkosh.gov.in/product/product

विक्रय कार्यालय : 1. प्रकाशन नियंत्रक, भारत सरकार, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054.
2. सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 । दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in

संपादकीय

जैसा कि हम जानते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438 के अधीन अग्रिम जमानत का प्रावधान है । यह न्यायालय का वह आदेश है जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को किसी गैर-जमानतीय अपराध के संदेह के आधार पर उसकी गिरफ्तारी के पूर्व जमानत दे दी जाती है । जमानत का ऐसा आदेश पारित करते समय, न्यायालय शर्तें अधिरोपित कर सकता है । अग्रिम जमानत के इस प्रावधान की सिफारिश भारतीय विधि आयोग द्वारा 41वें प्रतिवेदन में की गई थी कि इसे दंड प्रक्रिया संहिता में सम्मिलित किया जाए । यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि अग्रिम जमानत के आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय अभियोजन पक्ष को भी नोटिस जारी करके सुनवाई का अवसर दे सकता है । लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन पारित आदेश एक संरक्षणात्मक आदेश है इसे अग्रिम जमानत का आदेश नहीं माना जा सकता है । धारा 482 के अधीन पारित आदेश का अभिप्राय अभियुक्त के विरुद्ध कोई प्रपीड़क कदम न उठाए जाने से है और इसका प्रयोग अभियुक्त की उपस्थिति को सुनिश्चित करने वाले कानून की उपेक्षा करने के लिए नहीं किया जा सकता । **आर. टी. रामचंद्रन और एक अन्य** बनाम **छत्तीसगढ़ राज्य और एक अन्य** (2019) 1 दा. नि. प. 131 वाला मामला इसका एक अच्छा उदाहरण है ।

हमारे देश में तेजाब फेंककर विकलांग बनाने या हत्या करने की घटनाएं भी सुनने में भी आती रहती हैं । कुछ वर्ष पूर्व तक इस संबंध में कोई सटीक कानून नहीं था, किन्तु जुलाई, 2013 में उच्चतम न्यायालय ने राज्य को तेजाब की बिक्री पर रोक लगाने और कड़े नियम बनाने के लिए निर्देश जारी किए थे । राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार तेजाब फेंकने की सबसे अधिक घटनाएं पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में पाई जा रही हैं । पूरे देश में, वर्ष 2015 में 222 और वर्ष 2014 में 203 मामले दर्ज किए गए थे जिनमें से वर्ष 2015 में उत्तर प्रदेश जैसे घनी आबादी वाले राज्य में 55 और पश्चिमी बंगाल में 39 और दिल्ली में 21, बिहार में 15 और

मध्य प्रदेश में 14 मामले दर्ज किए गए थे । हरियाणा जैसे छोटे राज्य में भी 10 और आंध्र प्रदेश में 14 मामले पाए गए । ऐसे मामलों पर अंकुश लगाने के लिए न्यायालयों को भी कड़ा रुख अपनाना चाहिए । इसका एक अच्छा उदाहरण **भोलू शाह** उर्फ **जमील शाह और एक अन्य** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** (2019) 1 दा. नि. प. 165 वाला मामला है ।

अधिकारिता के प्रश्न पर विचार करना भी पाठकों के लिए महत्वपूर्ण है । घटना महाराष्ट्र राज्य में घटित होती है और अभियुक्त महिला मेघालय राज्य में वास करती है । ऐसी स्थिति में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 और 482 के अधीन अल्पकालिक जमानत मंजूर करने की शक्ति उस न्यायालय को हो सकती जहां वह अभियुक्त महिला वास करती है । इसी स्थिति को **मैरी बीना मारक (श्रीमती)** बनाम **मेघालय राज्य** (2019) 1 दा. नि. प. 191 वाले मामले में बखूबी दर्शाया गया है ।

इस अंक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 को भी प्रकाशित किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त इसमें सामाजिक कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है । यह अंक विधि-विद्यार्थियों, वकीलों, न्यायाधीशों, विधि-अध्यापकों तथा विधि के ज्ञान में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए पर्याप्त रूप से लाभकारी है ।

इस अंक में अन्य ज्ञानवर्धक सामग्री भी है जिसका आप परिशीलन करें और अपने अमूल्य सुझावों से अवगत कराएं ।

असलम खान
संपादक

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

फरवरी, 2019

निर्णय-सूची

	पृष्ठ संख्या
आर. टी. रामचंद्रन और एक अन्य **बनाम** छत्तीसगढ़ राज्य और एक अन्य	131
जोगा सिंह **उर्फ** मुलख राज **बनाम** हिमाचल प्रदेश राज्य	272
नुरुध **बनाम** हिमाचल प्रदेश राज्य	208
प्रकाश चंद **बनाम** हिमाचल प्रदेश राज्य	240
भीम सिंह **बनाम** हिमाचल प्रदेश राज्य (देखिए - पृष्ठ संख्या 240)	
भोलू शाह **उर्फ** जमील शाह और एक अन्य **बनाम** मध्य प्रदेश राज्य	165
मैरी बीना मारक (श्रीमती) **बनाम** मेघालय राज्य	191
संजीव कुमार **बनाम** मध्य प्रदेश राज्य	147

संसद् के अधिनियम

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ	1 - 17

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)

– धारा 160, 438 और 482 – अग्रिम अल्पकालिक जमानत – उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय को, जिसकी अधिकारिता के भीतर व्यक्ति रहता है या जहां उसे गिरफ्तार किए जाने की आशंका है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के परन्तुक के निबंधनानुसार स्त्री के लिए, ऐसा स्थान जहां घटना घटित हुई, से जुड़े संबद्ध अधिकारिता वाले मामले में आवेदन करने के लिए अग्रिम अल्पकालिक जमानत मंजूर करने की शक्ति है ।

मैरी बीना मारक (श्रीमती) बनाम **मेघालय राज्य** 191

– धारा 438, 439 और 482 – जमानत आवेदन – संरक्षात्मक आदेश – गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करने वाले संरक्षात्मक आदेश को धारा 438 के अधीन पारित अग्रिम जमानत का आदेश नहीं माना जा सकता क्योंकि धारा 482 के अधीन पारित आदेश का विस्तार केवल इस सीमा तक है कि अभियुक्त के विरुद्ध कोई प्रपीड़क कदम न उठाया जाए, अतः धारा 482 के अधीन पारित आदेश का उपयोग अन्वेषक अभिकरण के समक्ष अभियुक्त की उपस्थिति को सुनिश्चित करने वाली कानूनी अपेक्षाओं की उपेक्षा करने के लिए नहीं किया जा सकता ।

आर. टी. रामचंद्रन और एक अन्य बनाम **छत्तीसगढ़ राज्य और एक अन्य** 131

– धारा 439 [सपठित स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 15] – जमानत याची – नियमित जमानत की ईप्सा किया जाना

पृष्ठ संख्या

– न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त व्यक्ति के बारे में जो पुलिस अभिरक्षा या न्यायिक अभिरक्षा में संदेह के आधार पर प्रतिप्रेषित किया गया है – उसके आवेदन पर विचार करते हुए मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाना अपेक्षित है – ऐसे अभियुक्त व्यक्ति की प्रतिष्ठा को बनाए रखने सहित कई कारण हैं, तथापि, गरीब व्यक्ति जो संविधान के अनुच्छेद 21 की अध्यपेक्षा के अधीन आता है – न्यायालयों को कैदखानों की अत्यधिक भीड़भाड़ जिससे सामाजिक और अन्य समस्याएं प्रकट होती हैं, अभियुक्त को जमानत देते समय ध्यान देना चाहिए ।

जोगा सिंह उर्फ **मुलख राज** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** 272

– धारा 439 [सपठित स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 15] – जमानत – जमानत का उद्देश्य विचारण में अभियुक्त की हाजिरी को निश्चित करना है और इस प्रश्न के समाधान के लिए उचित कसौटी लागू की जाती है कि क्या जमानत को मंजूर किया जाना चाहिए या इनकार किया जाना चाहिए – क्या यह संभव है कि पक्षकार अपने विचारण में हाजिर होगा – तब जमानत का सामान्य नियम लागू होगा न कि कारागार में रखने का – मामले में अभियुक्त-अपीलार्थी को जमानत मंजूर की जाती है ।

जोगा सिंह उर्फ **मुलख राज** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** 272

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)

– धारा 302 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम,

पृष्ठ संख्या

1872 की धारा 3 और 32] – हत्या – मृत्युकालिक कथन की चिकित्सीय साक्ष्य से संपुष्टि – पुरानी शत्रुता के कारण अभियुक्तों द्वारा मृतक पर तेजाब फेंका जाना – द्वितीय और तृतीय श्रेणी की दाह क्षतियों के कारण मृत्यु होना – मृतक की पीठ, आंखों, गर्दन, वक्ष और उदर से लेकर नाभि तक द्वितीय से तृतीय श्रेणी की दाह क्षतियां पाई गईं हैं जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हैं और इनकी पुष्टि मृत्युकालिक कथन से भी होती है, अतः हत्या के अपराध के लिए की गई अपीलार्थियों की दोषसिद्धि उचित है ।

भोलू शाह उर्फ **जमील शाह और एक अन्य** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** 165

– धारा 302 और 201 सपठित धारा 120ख [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 और 27] – हत्या और षड्यंत्र – पारिस्थितिक साक्ष्य – डण्डे की बरामदगी – यदि मामला प्रत्यक्ष साक्ष्य पर आधारित न होकर पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है और पारिस्थितिक साक्ष्य के मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा सभी आवश्यक परिस्थितियों को साबित किया गया है तथा पारिस्थितिक साक्ष्य की कड़ी जुड़ी हुई है, जिनसे अपीलार्थी-अभियुक्तों की दोषिता प्रकट होती है तो अपीलार्थी-अभियुक्तों को दोषसिद्ध किया जाना न्यायसंगत है ।

प्रकाश चंद बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** 240

– धारा 304 भाग 1 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 32] – हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध – मृत्युकालिक कथन – अभियुक्त

पृष्ठ संख्या

द्वारा मृतक को वेधित घाव पहुंचाकर उसकी मृत्यु कारित किया जाना – कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पीड़ित का मृत्युकालिक कथन अभिलिखित किया जाना – पीड़ित ने यह कथन किया है कि अभियुक्त ने गुप्ती से उसे क्षतियां पहुंचाईं और गुप्ती के टूट जाने पर दूसरे व्यक्ति से चाकू लेकर पुनः क्षतियां पहुंचाईं – यदि डाक्टर ने पीड़ित की परीक्षा करते हुए यह प्रमाणपत्र दिया है कि पीड़ित कथन अभिलिखित करते समय उपयुक्त मानसिक स्थिति में था और पीड़ित के हस्ताक्षर उसके कथन के नीचे पाए गए हैं और पीड़ित के मित्रों ने घटना की संपुष्टि की है जैसाकि मृत्युकालिक कथन और चिकित्सा साक्ष्य से यह इंगित होता है कि वेधित क्षतियों के परिणामस्वरूप मृतक की मानव वध मृत्यु हुई है तो अभियुक्त-अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया जाना उचित है ।

संजीव कुमार बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** 147

– धारा 304 भाग 1 और धारा 300 अपवाद 4 – हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध – गंभीर और अचानक प्रकोपन – अभियुक्त के बारे में यह अभिकथन किया जाना कि उसने पीड़िता की मृत्यु इसलिए कारित की क्योंकि पीड़ित अभियुक्त की बहन से छेड़छाड़ करता था – पीड़ित द्वारा अपने मृत्युकालिक कथन में यह कथन किया गया है कि अभियुक्त ने गुप्ती तथा चाकू से हमला करके पीड़ित को क्षति पहुंचाई – अभियुक्त की कार्रवाइयों से पूर्व-चिन्तन का संकेत नहीं मिलता है और हमला इस आरोप पर आवेश की तीव्रता में किया गया कि पीड़ित उसकी बहन को छेड़ता है – अभियुक्त का कार्य दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 के अंतर्गत आता है – अभियुक्त-अपीलार्थी की दोषसिद्धि को धारा 302 से धारा 304 भाग 1 में परिवर्तित

पृष्ठ संख्या

किया जाता है ।

संजीव कुमार बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** 147

साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1)

– धारा 32 – मृत्युकालिक कथन – विश्वसनीयता – दो चिकित्सकों की राय के अनुसार मृतक का कथन देते समय सचेत अवस्था में पाया जाना – मृतक को बोलने में असुविधा होना – मृतक बोल पाने, बात समझने और प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम था और उसने यह भी बताया कि उसे क्षतियां किस प्रकार, कहां और किस समय कारित हुई और इस संबंध में एक अन्य चिकित्सक द्वारा भी प्रमाणक अभिलिखित किया गया है, अतः, मृत्युकालिक कथन विश्वसनीय है और अपीलार्थियों की दोषसिद्धि पूर्णतया न्यायोचित है ।

भोलू शाह उर्फ **जमील शाह और एक अन्य** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** 165

स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61)

– धारा 20 – अभियुक्त-अपीलार्थी से विनिषिद्ध माल चरस की बरामदगी – यदि अभियुक्त-अपीलार्थी के सचेत कब्जे से विनिषिद्ध माल चरस की बरामदगी हुई है और अभियोजन साक्ष्य में न तो विभेद और न विसंगति प्रकट हुई है तथा अभियोजन पक्षकथन को सभी तात्विक पहलुओं पर समर्थन मिलता हो तो अभियुक्त-अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया जाना न्यायसंगत है ।

नुरुध बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** 208

पृष्ठ संख्या

– धारा 50 – अननुपालन – जहां मामले में अभियुक्त-अपीलार्थी के कब्जे में विनिषिद्ध माल चरस होने के बारे में पुलिस को पूर्व में सूचना न दी गई हो जब वे गश्त लगा रहे थे तथा अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा स्वयं पुलिस द्वारा अपनी तलाशी लेने को चुना है, इसलिए वर्तमान मामला ऐसा नहीं है जहां स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 का अनुपालन किया जाना हो – अत: अभियुक्त-अपीलार्थी की दोषसिद्धि उचित है ।

नुरुध बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** 208

आर. टी. रामचंद्रन और एक अन्य

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य और एक अन्य

तारीख 10 अगस्त, 2018

न्यायमूर्ति राजेन्द्र चंद्र सिंह सामंत

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 438, 439 और 482 – जमानत आवेदन – संरक्षात्मक आदेश – गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करने वाले संरक्षात्मक आदेश को धारा 438 के अधीन पारित अग्रिम जमानत का आदेश नहीं माना जा सकता क्योंकि धारा 482 के अधीन पारित आदेश का विस्तार केवल इस सीमा तक है कि अभियुक्त के विरुद्ध कोई प्रपीड़क कदम न उठाया जाए, अतः धारा 482 के अधीन पारित आदेश का उपयोग अन्वेषक अभिकरण के समक्ष अभियुक्त की उपस्थिति को सुनिश्चित करने वाली कानूनी अपेक्षाओं की उपेक्षा करने के लिए नहीं किया जा सकता ।

आवेदक सं. 1 आर. टी. रामचंद्रन शंकर शिक्षा सोसाइटी का अध्यक्ष और आवेदक सं. 2 एस. स्वामीनाथन सचिव हैं । प्रत्यर्थी सं. 2 जे. रविराज को वर्ष 2006 में सोसाइटी के कंप्यूटरों का वार्षिक अनुरक्षण संविदा दिया गया । उक्त संविदा का पर्यवसान वर्ष 2011 में किया गया । प्रत्यर्थी सं. 2 ने सोसाइटी के निर्वाचित निकाय के गठन के संबंध में फर्म और सोसाइटी रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ के समक्ष विवाद उठाया, जिसका निपटान 28 मार्च, 2013 के द्वारा किया गया । उक्त आदेश, और उसमें जारी निदेशों से व्यथित होकर आवेदक सं. 2 ने अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील की, जिसका निपटान 16 जनवरी, 2014 के आदेश द्वारा किया गया । आवेदक के काउंसेल का यह निवेदन है कि प्रत्यर्थी सं. 2 ने

अपनी शिकायत करते हुए, शंकर शिक्षा सोसाइटी, भिलाई के विरुद्ध इस न्यायालय के समक्ष 2014 की रिट याचिका (सिविल) सं. 428 फाइल की जिसमें याची अर्थात् प्रत्यर्थी सं. 2 के पक्ष में कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया । उसके पश्चात् प्रत्यर्थी सं. 2 ने आवेदकों के विरुद्ध विभिन्न झूठे अभिकथन करते हुए संबद्ध न्यायालय के समक्ष आपराधिक परिवाद फाइल किया । परिवाद मामले में पुलिस रिपोर्ट में यह उल्लेख है कि इसमें एक विवाद है और सोसाइटी और फर्म रजिस्ट्रार को मामले का संज्ञान लेने और इसके निपटाने का प्राधिकार है । फिर भी संबद्ध न्यायालय ने आवेदकों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 417 और 468 के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए संज्ञान लिया जिसके कारण आवेदकों को इस मामले में गिरफ्तार किए जाने की आशंका है क्योंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 468 के अधीन अपराध गैर जमानतीय प्रकृति का है । आवेदकों ने इस न्यायालय के समक्ष 2017 की दांडिक प्रकीर्ण मामला सं. 1039 फाइल किया जिसमें आदेश तारीख 11 अगस्त, 2017, आवेदकों को अंतरिम अनुतोष प्रदान करते हुए पारित किया गया कि सुनवाई की अगली तारीख तक उनके विरुद्ध कोई प्रपीड़क कदम न उठाया जाए जो अब तक जारी है । पहले आवेदकों ने 2017 की प्रकीर्ण दांडिक मामला (ए) सं. 398 में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अधीन आवेदन फाइल किया गया और इसे आवेदकों की ओर से वापस लिए जाने के रूप में 21 अगस्त, 2017 को निपटाया गया । उसके पश्चात् आवेदकों ने विचारण न्यायालय के समक्ष धारा 437 के अधीन आवेदन किया जिसे आदेश तारीख 23 अगस्त, 2017 द्वारा नामंजूर किया । आवेदकों ने जमानत का अनुरोध करते हुए न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए, किंतु उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया और इस न्यायालय के संरक्षात्मक आदेश के कारण निरोध में रखा गया । भारतीय दंड संहिता की धारा 417, 468/34 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए पुलिस थाना-भिलाई नगर, जिला दुर्ग में दर्ज 2007 के परिवाद सं. 2303 के संबंध में गिरफ्तार किए गए आवेदकों को नियमित जमानत मंजूर करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439 के अधीन यह प्रथम जमानत आवेदन फाइल किया गया । उच्च न्यायालय द्वारा याचिका मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 उस न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के उपसंजात के बारे में विनिर्दिष्ट नहीं करती । इसमें केवल यह उल्लेख है कि अपराधों के अभियुक्त और अभिरक्षा में किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ा जाए । उद्धृत सभी निवेदनों और निर्णयज्ञ विधियों पर सम्यक् विचार के पश्चात् जमानत मंजूर करने का अनुरोध करने के लिए न्यायालय के समक्ष आवेदक का अभ्यर्पण या उसके उपसंजात को अभिरक्षा नहीं समझा जा सकता और उस मामले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अधीन् आवेदन को संधार्य माना जाएगा । इस मामले के तथ्यों के अनुसार, यह स्पष्ट है और विवादित नहीं है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अधीन सीमित अवधि के लिए और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 और 439 के उपबधों के अधीन नियमित जमानत मंजूर करने की ईप्सा करने के लिए नियमित दंड न्यायालय में उन्हें निदेश देने वाला कोई आदेश नहीं है । ऐसा आदेश जो 2014 की रिट याचिका (सिविल) सं. 428 में आवेदकों के पक्ष में है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन केवल इस विस्तार तक कि उनके विरुद्ध कोई प्रपीड़क कदम न उठाया जाए, पारित किया गया है । इसे सलाउद्दीन अब्दुलसमद शेख वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय और प्रमोद कुमार मेहता वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय को ध्यान में रखते हुए संरक्षात्मक आवरण नहीं माना जा सकता और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 और 439 के अधीन पारित आदेश का मूलाधार, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन आवेदकों के पक्ष में पारित उस आदेश से बिल्कुल भिन्न है । इसी प्रकार, इस मामले में गिरफ्तारी से संरक्षण मंजूर करने वाले आदेश को अग्रिम जमानत का आदेश नहीं माना जा सकता और ऐसा आदेश दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437, 438 और 439 के उपबंधों के अधीन विचारण न्यायालय के अन्वेषक प्राधिकारी के समक्ष अभियुक्त व्यक्तियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कानूनी अपेक्षाओं की उपेक्षा नहीं कर सकता । इन कारणों से न्यायालय का यह मत है कि यद्यपि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन याचिका में गिरफ्तारी से आवेदकों को निरुद्ध करने वाला आदेश है किन्तु अग्रिम या नियमित जमानत की मंजूरी के लिए इस न्यायालय में आवेदन करने के आवेदकों

को दी गई किसी स्वतंत्रता के बिना यह नहीं कहा जा सकता है कि इस आदेश का प्रभाव आवेदकों के पक्ष में संरक्षात्मक आवरण का है । अभिलेख की सभी सामग्री और आवेदकों के विरुद्ध अभिकथन जो परिवाद मामले में किए गए हैं, पर सम्यक् विचार करने के पश्चात्, न्यायालय का यह मत है कि आवेदक नियमित जमानत पाने के पात्र है । तद्नुसार, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अधीन फाइल किया गया जमानत आवेदन मंजूर किया जाता है । (पैरा 15, 16, 18, 20 और 21)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2017] ए. आई. आर. 2017 एस. सी. 373 :
तेलंगाना राज्य बनाम **हबीब अब्दुल्ला जिलानी और अन्य** ; 7

[2014] (2014) 4 एस. सी. सी. 453 = ए. आई. आर. 2014 एस. सी. 1066 :
हेमा मिश्रा बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य** ; 19

[2007] (2007) 1 सी. जी. एल. जे. 470 :
प्रमोद कुमार मेहता और एक अन्य बनाम **छत्तीसगढ़ राज्य** ; 5

[2007] (2007) 4 एस. सी. सी. 434 :
डी. के. गणेश बाबू बनाम **पी. टी. मनोकरण और अन्य** ; 7

[2005] (2005) 1 एस. सी. सी. 608 :
सुनीता देवी बनाम **बिहार राज्य और एक अन्य** ; 7

[1996] (1996) 1 एस. सी. सी. 667 :
सलाउद्दीन अब्दुल समद शेख बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ; 6

[1981] [1981] 1 उम. नि. प. 696 = (1980) 2 एस. सी. सी. 559 = ए. आई. आर. 1980 एस. सी. 785 :
निरंजन सिंह और एक अन्य बनाम **प्रभाकर राजाराम खरोटे और अन्य** । 5

आरंभिक (दांडिक) अधिकारिता : 2018 का दांडिक मामला सं. 2882.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439 के अधीन जमानत आवेदन ।

आवेदकों की ओर से सर्वश्री मनोज परांजपे और पी. आर. पाटनकर

प्रत्यर्थियों की ओर से सर्वश्री अनूपम दुबे (उप शासकीय अधिवक्ता) और देवर्षी ठाकुर

आदेश

भारतीय दंड संहिता की धारा 417, 468/34 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए पुलिस थाना - भिलाई नगर, जिला दुर्ग में दर्ज 2007 के परिवाद सं. 2303 के संबंध में गिरफ्तार किए गए आवेदकों को नियमित जमानत मंजूर करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439 के अधीन यह प्रथम जमानत आवेदन फाइल किया गया ।

2. आवेदकों के विद्वान् काउंसेल का यह निवेदन है कि आवेदक सं. 1 आर. टी. रामचंद्रन शंकर शिक्षा सोसाइटी का अध्यक्ष और आवेदक सं. 2 एस. स्वामीनाथन सचिव हैं । प्रत्यर्थी सं. 2 जे. रविराज को वर्ष 2006 में सोसाइटी के कंप्यूटरों का वार्षिक अनुरक्षण संविदा दिया गया । उक्त संविदा का पर्यवसान वर्ष 2011 में किया गया । प्रत्यर्थी सं. 2 ने सोसाइटी के निर्वाचित निकाय के गठन के संबंध में फर्म और सोसाइटी रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ के समक्ष विवाद उठाया, जिसका निपटान 28 मार्च, 2013 के द्वारा किया गया । उक्त आदेश, और उसमें जारी निदेशों से व्यथित होकर आवेदक सं. 2 ने अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील की, जिसका निपटान 16 जनवरी, 2014 के आदेश (उपाबंध ए/7) द्वारा किया गया ।

3. आवेदक के काउंसेल का यह निवेदन है कि प्रत्यर्थी सं. 2 ने अपनी शिकायत करते हुए, शंकर शिक्षा सोसाइटी, भिलाई के विरुद्ध इस न्यायालय के समक्ष 2014 की रिट याचिका (सिविल) सं. 428 (उपाबंध ए/5) फाइल की जिसमें याची अर्थात् प्रत्यर्थी सं. 2 के पक्ष में कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया । उसके पश्चात् प्रत्यर्थी सं. 2 ने

आवेदकों के विरुद्ध विभिन्न झूठे अभिकथन करते हुए संबद्ध न्यायालय के समक्ष आपराधिक परिवाद फाइल किया । परिवाद मामले में पुलिस रिपोर्ट में यह उल्लेख है कि इसमें एक विवाद है और सोसाइटी और फर्म रजिस्ट्रार को मामले का संज्ञान लेने और इसके निपटाने का प्राधिकार है । फिर भी संबद्ध न्यायालय ने आवेदकों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 417 और 468 के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए संज्ञान लिया जिसके कारण आवेदकों को इस मामले में गिरफ्तार किए जाने की आशंका है क्योंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 468 के अधीन अपराध गैर जमानतीय प्रकृति का है ।

4. आवेदकों ने इस न्यायालय के समक्ष 2017 की दांडिक प्रकीर्ण मामला सं. 1039 फाइल किया जिसमें आदेश तारीख 11 अगस्त, 2017, उपाबंध ए/8 आवेदकों को अंतरिम अनुतोष प्रदान करते हुए पारित किया गया कि सुनवाई की अगली तारीख तक उनके विरुद्ध कोई प्रपीड़क कदम न उठाया जाए जो अब तक जारी है । पहले आवेदकों ने 2017 की प्रकीर्ण दांडिक मामला (ए) सं. 398 में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अधीन आवेदन फाइल किया गया और इसे आवेदकों की ओर से वापस लिए जाने के रूप में 21 अगस्त, 2017 को निपटाया गया । उसके पश्चात् आवेदकों ने विचारण न्यायालय के समक्ष धारा 437 के अधीन आवेदन किया जिसे आदेश तारीख 23 अगस्त, 2017 द्वारा नामंजूर किया । आवेदकों ने जमानत का अनुरोध करते हुए न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए, किंतु उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया और इस न्यायालय के संरक्षात्मक आदेश के कारण निरोध में रखा गया ।

5. आवेदकों के विद्वान् काउंसेल द्वारा आगे यह निवेदन किया गया कि बहस की तारीख अर्थात् 24 अप्रैल, 2018 को आवेदक इस न्यायालय के समक्ष मौजूद थे, जिसे अभिरक्षा समझा जाए क्योंकि आवेदकों ने स्वयं को इस न्यायालय के समक्ष पेश किया । **निरंजन सिंह और एक अन्य** बनाम **प्रभाकर राजाराम खरोटे और अन्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया गया जिसमें यह अभिनिर्धारित

---

[1] [1981] 1 उम. नि. प. 696 = (1980) 2 एस. सी. सी. 559 = ए. आई. आर. 1980 एस. सी. 785.

किया गया था कि व्यक्ति को न्यायिक अभिरक्षा में समझा जाएगा जब वह न्यायालय के समक्ष अभ्यर्पित करता है और उसके निदेशों का पालन करता है । यह निवेदन किया गया कि **प्रमोद कुमार मेहता और एक अन्य** बनाम **छत्तीसगढ़ राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय में, इस न्यायालय के खंड न्यायपीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि जब कोई व्यक्ति न्यायालय के समक्ष उपसंजात होता है तो वह भी अभिरक्षा है क्योंकि वह न्यायालय के विधिसम्मत प्राधिकार के अधीन है और आवेदकों के पक्ष में संरक्षात्मक आदेश के विद्यमानता के दौरान यह माना जाए कि वे मानित अभिरक्षा के अधीन हैं । अतः यह अनुरोध किया गया कि आवेदकों को नियमित जमानत दी जाए ।

6. राज्य के विद्वान् काउंसेल का यह निवेदन है कि आवेदकों द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अधीन फाइल यह आवेदन इस कारण भ्रामक है कि आवेदकों के पक्ष में कोई संरक्षात्मक आवरण नहीं है । संरक्षात्मक आवरण की अवधारणा पर **सलाउद्दीन अब्दुल समद शेख** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[2] वाले मामले मे विचार किया गया । जिसके अनुसार अभियुक्त व्यक्तियों को अग्रिम जमानत सीमित अवधि के लिए दी जाती है और उस अवधि के दौरान अभियुक्त व्यक्ति नियमित जमानत की मंजूरी के लिए संबद्ध न्यायालय के समक्ष आवेदन फाइल करने के लिए स्वतंत्र हैं । **प्रमोद कुमार मेहता** (पूर्वोक्त) वाले मामले में ऐसा कोई निदेश नहीं है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन संरक्षात्मक आदेश को संरक्षात्मक आवरण माना जा सकता है जैसा **सलाउद्दीन अब्दुल समर शेख** (पूर्वोक्त) वाले मामले में माना गया है । अतः आवेदन संधार्य नहीं है ।

7. प्रत्यर्थी सं. 2 के विद्वान् काउंसेल ने आवेदकों के विद्वान् काउंसेल द्वारा दिए गए निवेदन का विरोध किया और यह निवेदन किया कि आवेदकों द्वारा फाइल किया गया दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अधीन आवेदन संधार्य नहीं है क्योंकि आवेदक अभिरक्षा में नहीं है । **निरंजन सिंह** (पूर्वोक्त) वाले मामले में, अभिरक्षा की परिभाषा को **डी. के.**

---

[1] (2007) 1 सी. जी. एल. जे. 470.

[2] (1996) 1 एस. सी. सी. 667.

गणेश बाबू बनाम **पी. टी. मनोकरण और अन्य**[1] वाले मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विभेदित किया गया जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अधीन विचार करते समय न्यायालय गिरफ्तारी को निरुद्ध करने वाला कोई आदेश पारित नहीं करेगा । **प्रमोद कुमार मेहता** (पूर्वोक्त) वाले मामले में, इस न्यायालय के खंड न्यायपीठ ने **निरंजन सिंह** (पूर्वोक्त) वाले मामले में यथा परिभाषित अभिरक्षा के बिंदु को विभेदित किया जिसमें विनिर्दिष्टतः यह उल्लेख है कि **सलाउद्दीन अब्दुल समर शेख** (पूर्वोक्त) वाले मामले में, अधिकथित सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए संरक्षात्मक आवरण केवल दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अधीन विद्यमान है । **डी. के. गणेश बाबू** (पूर्वोक्त) और **सुनीता देवी** बनाम **बिहार राज्य और एक अन्य**[2] वाले मामलों का अवलंब लिया गया है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जब तक व्यक्ति अभिरक्षा में न हो, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अधीन जमानता का उसका आवेदन संधार्य नहीं है । **तेलंगाना राज्य** बनाम **हबीब अब्दुल्ला जिलानी और अन्य**[3] वाले मामले में, उच्चतम न्यायालय के निर्णय का भी अवलंब लिया गया है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन और भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के उपबंधों के अधीन गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण मंजूर करने की निन्दा की । अतः यह अनुरोध किया गया कि आवेदन खारिज किया जाए ।

8. जवाब में, आवेदकों के विद्वान् काउंसेल का यह निवेदन है कि आवेदक इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित थे और स्वयं को इस न्यायालय की अधिकारिता और निर्देशों के लिए प्रस्तुत किया । अतः, यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437(1) के अधीन अपेक्षा को पूरा करता है जिसमें विनिर्दिष्टतः यह उल्लेख है कि जब कोई व्यक्ति न्यायालय के समक्ष उपसंजात होता है तो उसे अभिरक्षा में समझा जाएगा और यह

---

[1] (2007) 4 एस. सी. सी. 434.

[2] (2005) 1 एस. सी. सी. 608.

[3] ए. आई. आर. 2017 एस. सी. 373.

निरंजन सिंह (पूर्वोक्त) वाले मामले में किए गए निर्वचन के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अधीन भी आता है । तत्पश्चात्, आवेदकों के पक्ष में विद्यमान संरक्षात्मक आदेश में भी यह दर्शित है कि वे उच्च न्यायालय के नियंत्रण और निर्देश के अधीन है जिसके कारण उन्हें अभिरक्षा में समझा जा सकता है । अतः आवेदन संधार्य है ।

9. दोनों पक्षकारों के काउंसेलों को सुना और मामला डायरी का परिशीलन किया ।

10. आवेदकों के विरुद्ध यह अभिकथित करते हुए प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा परिवाद किया गया कि आवेदक गलत तरीके से सोसाइटी के पदधारक के रूप में निर्वाचित कराने में लगे हैं और अवैध रूप से और अप्राधिकृत रूप से उक्त सोसाइटी के कारबार का संचालन कर रहे हैं । निचले न्यायालय ने आवेदकों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 417 और 468 के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए संज्ञान लिया और उक्त न्यायालय के समक्ष उनके उपसंजात के लिए नोटिस जारी किए गए । अतः यह मामला उद्भूत हुआ ।

11. अवधारण के लिए निम्नलिखित प्रश्न उद्भूत हुए :-

(1) क्या आवेदकों को **निरंजन सिंह** (पूर्वोक्त) वाले मामले में परिभाषित अभिरक्षा के अनुसार अभिरक्षा में समझा जाएगा ?

(2) क्या इस मामले की सुनवाई के समय इस न्यायालय के समक्ष आवेदकों के उपसंजात को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के प्रयोजनों के लिए अभिरक्षा में समझा जा सकता है ?

(3) क्या आवेदकों के पक्ष में संरक्षात्मक आदेश को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अधीन आवेदन का विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए संरक्षात्मक आवरण माना जा सकता है ?

12. **निरंजन सिंह** (पूर्वोक्त) वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने पैरा 7 में इस प्रकार अभिनिर्धारित किया :-

"7. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अर्थान्तर्गत कोई व्यक्ति अभिरक्षा में कब होता है ? वह तभी अभिरक्षा में होता है

जब कि वह इस कारण से विबाध्यता के अधीन हो कि या तो किसी अन्वेषण अभिकरण या अन्य पुलिस अथवा सम्बद्ध प्राधिकारी ने उसे रोका है या वह न्यायिक आदेश द्वारा प्रतिप्रेषित किए जाने पर न्यायालय के नियंत्रण में है अथवा उसने व्यक्तिगत उपस्थिति से स्वयं को न्यायालय की अधिकारिता के समक्ष पेश कर दिया है या उसके आदेशों को मान लिया है । इस बारे में कोई वास्तविक निष्कर्ष निकालने के लिए कि जो व्यक्ति न्यायालय के नियंत्रण में होता है या प्रपीड़क शक्ति रखने वाले किसी अधिकारी के भौतिक नियंत्रण में होता है वह धारा 439 के प्रयोजन के लिए अभिरक्षा में होता है, किसी शाब्दिक निपुणता या नजीरों के बाहुल्य की आवश्यकता नहीं है । शाब्दिक दृष्टि से यह शब्द लचीला है किन्तु इसका केन्द्रीय भाव यह है कि विधि ने उस व्यक्ति पर नियंत्रण पा लिया है । ये वकरोक्तिपूर्ण शब्द या अस्पष्ट अभिव्यक्तियां जो कि कभी-कभी न्यायालय में सुनाई पड़ती हैं कि 'पुलिस ने किसी व्यक्ति को अनौपचारिक अभिरक्षा में ले लिया है किन्तु गिरफ्तार नहीं किया है', 'उसे पूछताछ के लिए निरुद्ध रखा है किन्तु उसे औपचारिक अभिरक्षा में नहीं लिया है' और ऐसी ही अन्य अलंकारिक अभिव्यक्तियां विधि की स्पष्टवक्तता के साथ अनुचित अपवंचन होती हैं । हमें इस मामले में इस संदिग्ध पहलू पर विस्तारपूर्वक विचार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारा यह समाधान हो गया है कि अभियुक्त सेशन न्यायाधीश के समक्ष व्यक्तिगत रूप से हाजिर हुए थे और इस प्रकार जमानत मंजूर करने की अधिकारिता उत्पन्न हो गई थी ।"

13. **प्रमोद कुमार मेहता** (पूर्वोक्त) वाले मामले में इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने पैरा 23 में इस प्रकार अभिनिर्धारित किया :-

"23. निर्णायक प्रश्न यह है कि कब कोई व्यक्ति दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अर्थान्तर्गत अभिरक्षा में है ? जब वह अन्वेषक अभिकरण या अन्य पुलिस या सहबद्ध प्राधिकारी द्वारा धारित होने के कारण विबाध्यता में है या न्यायिक आदेश द्वारा प्रतिप्रेषित किए जाने वाले न्यायालय के नियंत्रणाधीन है या स्वयं को

न्यायालय की अधिकारिता के अधीन सौंप दिया है और भौतिक उपस्थिति द्वारा उसके आदेशों का पालन किया है । इस बारे में कोई वास्तविक निष्कर्ष निकालने के लिए कि जो व्यक्ति न्यायालय के नियंत्रण में होता है या प्रपीड़क शक्ति रखने वाले किसी अधिकारी के भौतिक नियंत्रण में होता है, वह धारा 439 के प्रयोजन के लिए अभिरक्षा में होता है, किसी शाब्दिक निपुणता या नजीरों के बाहुल्य की आवश्यकता नहीं है । न्यायालय ने आगे यह अभिनिर्धारित किया कि वह न केवल जब पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करती है और न्यायिक प्रतिप्रेषण या अन्य अभिरक्षा प्राप्त करती है, तभी अभिरक्षा में हो सकता है । उसे न्यायिक अभिरक्षा में होना कहा जा सकता है जब वह न्यायालय के समक्ष अभ्यर्पित करता है और उसके निदेशों का पालन करने के लिए प्रस्तुत करता है ।"

14. इस प्रकार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 और 439 के अधीन उपबंधों का कोई अन्तर किए बिना यह स्पष्ट उद्घोषणा है क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 में यह उपबंध है कि जब कोई व्यक्ति न्यायालय के समक्ष उपसंजात होता है उस दशा में न्यायालय को उसके नियमित जमानत को मंजूर करने पर विचार करने की अधिकारिता होगी किन्तु इस उपबंध की उपधारा (1) में स्पष्टतः यह विनिर्दिष्ट है कि ऐसा न्यायालय जहां अभियुक्त व्यक्ति उपसंजात होता है, उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय नहीं होना चाहिए ।

15. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 उस न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के उपसंजात के बारे में विनिर्दिष्ट नहीं करती । इसमें केवल यह उल्लेख है कि अपराधों के अभियुक्त और अभिरक्षा में किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ा जाए । **निरंजन सिंह** (पूर्वोक्त) वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने दोनों धाराओं के बीच कई अन्तर किए और उस विनिश्चय के अनुसार सेशन न्यायालय के समक्ष अभियुक्त व्यक्तियों के उपसंजात को भी अभिरक्षा के रूप में समझा जाएगा जिसका उल्लेख **निरंजन सिंह** (पूर्वोक्त) वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पैराग्राफ 8 और 9 में किया गया है :-

"8. धारा 439 के संदर्भ में 'अभिरक्षा' से (यह अवलोकित किया

जाना है कि हम धारा 438 के अधीन अग्रिम जमानत के संबंध में विचार नहीं कर रहे हैं ।) अभियुक्त पर शारीरिक नियंत्रण या कम से कम न्यायालय में अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति तथा न्यायालय की अधिकारिता और आदेशों को मानना अभिप्रेत है ।

9. कोई व्यक्ति केवल उसी अभिरक्षा में नहीं हो सकता है जब कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है, उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करती है और न्यायिक अथवा अन्य अभिरक्षा के लिए उसका प्रतिप्रेषण मंजूर करवा लेती है । उस समय भी उसे न्यायिक अभिरक्षा में कहा जा सकता है जबकि वह न्यायालय के समक्ष स्वयं को प्रस्तुत करे और उसके निदेशों को मान ले । इस मामले में पुलिस अधिकारियों ने मजिस्ट्रेट के समक्ष जमानत के लिए आवेदन किया था जिसने जमानत मंजूर करने से इनकार कर दिया था किन्तु फिर भी अभियुक्तों ने मजिस्ट्रेट के समक्ष स्वयं को पेश किए बिना सेशन न्यायालय में समावेदन करने के लिए रोक आदेश अभिप्राप्त कर लिया था । मजिस्ट्रेट का यह निदेश पूर्णतया विधिविरुद्ध था और हो सकता है कि इसके कारण अभियुक्त दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के सिद्धान्तों को प्रवंचित करने में समर्थ हो गए हों । यदि इस मामले में अभियुक्तों ने स्वयं को सेशन न्यायालय के समक्ष पेश न कर दिया होता तो हमने अधीनस्थ मजिस्ट्रेट द्वारा अपनाए गए इस ढंग के बारे में, जिससे कि आज्ञापक उपबन्धों की अवहेलना हुई थी, घोर आपत्ति की होती है । इस प्रकार सेशन न्यायालय ने जमानत के आवेदन पर विचार करने की अधिकारिता अर्जित कर ली थी । वह जमानत लेने से इनकार कर सकता था और अभियुक्तों को अभिरक्षा में प्रतिप्रेषित कर सकता था किन्तु उसके द्वारा उल्लिखित परिस्थितियों में कारणों से उसने अपनी अधिकारिता का प्रयोग जमानत मंजूर करने के पक्ष में किया था । उच्च न्यायालय ने उन शर्तों में कुछ शर्तें और जोड़ दी थीं जिनके अधीन जमानत मंजूर की जानी थी और यह उल्लेख किया था कि अभियुक्तों ने न्यायालय की अभिरक्षा में स्वयं को प्रस्तुत कर दिया है । अतः हम इस आधार पर आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं । यदि परिस्थितियां

भिन्न होतीं तो हमने जमानत का आदेश रद्द कर दिया होता । हम स्पष्ट रूप से यह कथित कर दें कि यदि यह बात हमारे पर छोड़ दी गई होती तो हमने जमानत मंजूर न की होती किन्तु अनुच्छेद 136 के अधीन कार्यवाही करते समय हम यह महसूस करते हैं कि हमें दो निचले न्यायालयों द्वारा प्रयुक्त विवेकाधिकार में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए ।"

16. **प्रमोद कुमार मेहता** (पूर्वोक्त) वाले मामले में इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने **निरंजन सिंह** (पूर्वोक्त) वाले मामले में अधिकथित मत का अनुसरण किया । **डी. के. गणेश बाबू** (पूर्वोक्त) वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस मत को विभेदित नहीं किया जो **निरंजन सिंह** (पूर्वोक्त) वाले मामले में अभिनिर्धारित किया गया था । इसी प्रकार **सुनीता देवी** (पूर्वोक्त) वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि **निरंजन सिंह** (पूर्वोक्त) वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि **निरंजन सिंह** (पूर्वोक्त) वाले मामले के विनिश्चय को ध्यान में रखते हुए कोई संदेह नहीं हो सकता है कि जब तक व्यक्ति अभिरक्षा में नहीं है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अधीन आवेदन संधार्य नहीं होगा जो **निरंजन सिंह** (पूर्वोक्त) वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित मत की पुष्टि करता है । अतः उद्धृत सभी निवेदनों और निर्णयज्ञ विधियों पर सम्यक् विचार के पश्चात् जमानत मंजूर करने का अनुरोध करने के लिए न्यायालय के समक्ष आवेदक का अभ्यर्पण या उसके उपसंजात को अभिरक्षा नहीं समझा जा सकता और उस मामले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अधीन आवेदन को संधार्य माना जाएगा । यह प्रश्न सं. 1 और 2 का उत्तर है ।

17. आवेदकों के पक्ष में विद्यमान् संरक्षात्मक आवरण के प्रश्न पर विचार करना है और उत्तर देना है । **सलाउद्दीन अब्दुलसमद शेख** (पूर्वोक्त) वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के उपबंधों के अधीन अग्रिम जमानत मंजूर करते समय सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय ऐसी जमानत मंजूर करते समय उसके समक्ष उपस्थित साक्ष्य के आधार पर मामले पर

विचार करते समय नियमित न्यायालय की अधिकारिता की उपेक्षा नहीं करेगा क्योंकि सामान्यतः अग्रिम जमानत उस प्रक्रम पर मंजूर की जाती है जब अन्वेषण पूरा नहीं हुआ है । उच्चतम न्यायालय का यह मत गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षात्मक आवरण की अवधारणा प्रदान करता है । यह इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा **प्रमोद कुमार मेहता** (पूर्वोक्त) वाले मामले में विमर्शित किया गया है कि संरक्षात्मक आवरण अवधि के भीतर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अधीन फाइल किया गया जमानत आवेदन, उक्त आवेदन के विचाराधीन होने की दशा में संरक्षात्मक अवधि की समाप्ति पर भी संधार्य है ।

18. इस मामले के तथ्यों के अनुसार, यह स्पष्ट है और विवादित नहीं है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अधीन सीमित अवधि के लिए और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 और 439 के उपबधों के अधीन नियमित जमानत मंजूर करने की ईप्सा करने के लिए नियमित दंड न्यायालय में उन्हें निदेश देने वाला कोई आदेश नहीं है । ऐसा आदेश जो 2014 की रिट याचिका (सिविल) सं. 428 में आवेदकों के पक्ष में है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन केवल इस विस्तार तक कि उनके विरुद्ध कोई प्रपीड़क कदम न उठाया जाए, पारित किया गया है । इसे **सलाउद्दीन अब्दुलसमद शेख** (पूर्वोक्त) वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय और **प्रमोद कुमार मेहता** (पूर्वोक्त) वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय को ध्यान में रखते हुए संरक्षात्मक आवरण नहीं माना जा सकता और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 और 439 के अधीन पारित आदेश का मूलाधार, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन आवेदकों के पक्ष में पारित उस आदेश से बिल्कुल भिन्न है ।

19. उच्चतम न्यायालय ने **हेमा मिश्रा** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य**[1] वाले मामले के पैरा 22 में इस प्रकार अभिनिर्धारित किया :-

> "22. मैंने इस स्थिति का भी सामना किया कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट या आरोपपत्र को अभिखंडित करने की चुनौती की परीक्षा

[1] (2014) 4 एस. सी. सी. 453 = ए. आई. आर. 2014 एस. सी. 1066.

करते समय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा रिट की खारिजी पर, क्या उच्च न्यायालय विनिर्दिष्ट अवधि के लिए या विचारण के पूरा होने तक गिरफ्तारी के विरुद्ध आगे अनुतोष प्रदान कर सकता है । इस न्यायालय ने उड़ीसा राज्य **बनाम** मदन गोपाल रुंगटा [ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 12] वाले मामले में संविधान के अनुच्छेद 226 की व्याप्ति पर विचार करते हुए इस प्रकार अभिनिर्धारित किया –

> '..... अनुच्छेद 226 का उपयोग आवेदन के एकमात्र और अंतिम अनुतोष के रूप में अन्तरिम अनुतोष देने के प्रयोजन के लिए नहीं किया जा सकता । यहां केवल सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के उपबंधों को प्रवंचित करने के लिए ही निदेश दिए गए थे और ..... वह अनुच्छेद 226 की व्याप्ति के भीतर नहीं थे । अन्तरिम अनुतोष मुख्य अनुतोष के सहायक या अनुषंग के रूप में ही मंजूर किए जा सकते हैं जो वाद या कार्यवाही में उसके अधिकारों के अंतिम अवधारण पर पक्षकार को उपलब्ध हों । यदि न्यायालय की यह राय थी कि यदि याचियों को अन्य सुलभ या पर्याप्त अन्य उपचार न हो तो उसे मामले के गुणागुण पर अन्वेषण की कार्यवाही आरम्भ करनी चाहिए और यह विनिश्चित करना चाहिए कि क्या याची यह स्थापित करने में सफल रहे कि उनके किसी विधिक अधिकार का अतिलंघन हुआ है जो उन्हें परमादेश, रिट या इसी तरह के किसी अन्य निदेश का हकदार बनाता है; और ऐसे अवधारण के लम्बित रहने तक उनके पास यथास्थिति बनाए रखने के लिए उपयुक्त अन्तरिम आदेश होना चाहिए । किन्तु जब न्यायालय पक्षकारों के अधिकारों पर विनिश्चय करने से इनकार किया और व्यक्ततः यह अभिनिर्धारित किया कि उनका अन्वेषण सिविल वाद में और ठीक ढंग से किया जाना चाहिए तो ऐसे वाद के संस्थित किए जाने को सुकर बनाने के प्रयोजन के लिए वह संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन अस्थायी व्यादेश की प्रकृति का निदेश जारी नहीं कर सकता

..... अनुच्छेद 226 की भाषा ऐसी कार्रवाई की अनुज्ञा नहीं देती ।'"

20. इसी प्रकार, इस मामले में गिरफ्तारी से संरक्षण मंजूर करने वाले आदेश को अग्रिम जमानत का आदेश नहीं माना जा सकता और ऐसा आदेश दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437, 438 और 439 के उपबंधों के अधीन विचारण न्यायालय के अन्वेषक प्राधिकारी के समक्ष अभियुक्त व्यक्तियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कानूनी अपेक्षाओं की उपेक्षा नहीं कर सकता । अतः इन कारणों से मेरा यह मत है कि यद्यपि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन याचिका में गिरफ्तारी से आवेदकों को निरुद्ध करने वाला आदेश है किन्तु अग्रिम या नियमित जमानत की मंजूरी के लिए इस न्यायालय में आवेदन करने के आवेदकों को दी गई किसी स्वतंत्रता के बिना यह नहीं कहा जा सकता है कि इस आदेश का प्रभाव आवेदकों के पक्ष में संरक्षात्मक आवरण का है । अतः इस बिन्दु पर प्रश्न सं. 3 का निष्कर्ष तद्नुसार निकाला जाता है ।

21. अभिलेख की सभी सामग्री और आवेदकों के विरुद्ध अभिकथन जो परिवाद मामले में किए गए हैं, पर सम्यक् विचार करने के पश्चात्, मेरा यह मत है कि आवेदक नियमित जमानत पाने के पात्र हैं । तद्नुसार, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अधीन फाइल किया गया जमानत आवेदन मंजूर किया जाता है ।

22. यह निदेश दिया जाता है कि आवेदकों को संबद्ध न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने पर और उनमें से प्रत्येक द्वारा 25,000/- रुपए की रकम के व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही राशि की एक प्रतिभू के साथ संबद्ध विचारण न्यायालय के समाधान पर तथा जब कभी उनकी उपस्थिति का निदेश दिया जाए, के साथ जमानत पर छोड़ा जाए । यदि संबद्ध विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में आवेदक/आवेदकों द्वारा कोई त्रुटि की जाती है तो जमानत मंजूर करने वाला यह आदेश स्वतः रद्द हो जाएगा ।

रिट याचिका मंजूर की गई ।

पा.

संजीव कुमार

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

तारीख 6 फरवरी, 2018

न्यायमूर्ति एस. के. गंगेले और न्यायमूर्ति श्रीमती अंजुली पालो

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 304 भाग 1 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 32] – हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध – मृत्युकालिक कथन – अभियुक्त द्वारा मृतक को वेधित घाव पहुंचाकर उसकी मृत्यु कारित किया जाना – कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पीड़ित का मृत्युकालिक कथन अभिलिखित किया जाना – पीड़ित ने यह कथन किया है कि अभियुक्त ने गुप्ती से उसे क्षतियां पहुंचाईं और गुप्ती के टूट जाने पर दूसरे व्यक्ति से चाकू लेकर पुनः क्षतियां पहुंचाईं – यदि डाक्टर ने पीड़ित की परीक्षा करते हुए यह प्रमाणपत्र दिया है कि पीड़ित कथन अभिलिखित करते समय उपयुक्त मानसिक स्थिति में था और पीड़ित के हस्ताक्षर उसके कथन के नीचे पाए गए हैं और पीड़ित के मित्रों ने घटना की संपुष्टि की है जैसाकि मृत्युकालिक कथन और चिकित्सा साक्ष्य से यह इंगित होता है कि वेधित क्षतियों के परिणामस्वरूप मृतक की मानव वध मृत्यु हुई है तो अभियुक्त-अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया जाना उचित है ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 304 भाग 1 और धारा 300 अपवाद 4 – हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध – गंभीर और अचानक प्रकोपन – अभियुक्त के बारे में यह अभिकथन किया जाना कि उसने पीड़िता की मृत्यु इसलिए कारित की क्योंकि पीड़ित अभियुक्त की बहन से छेड़छाड़ करता था – पीड़ित द्वारा अपने मृत्युकालिक कथन में यह कथन किया गया है कि अभियुक्त ने गुप्ती तथा चाकू से हमला करके पीड़ित को क्षति पहुंचाई – अभियुक्त की कार्रवाइयों से पूर्व-चिन्तन का संकेत नहीं मिलता है और हमला इस आरोप पर आवेश की तीव्रता में किया गया कि पीड़ित उसकी बहन को

छेड़ता है – अभियुक्त का कार्य दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 के अंतर्गत आता है – अभियुक्त-अपीलार्थी की दोषसिद्धि को धारा 302 से धारा 304 भाग 1 में परिवर्तित किया जाता है ।

संक्षेप में अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि मृतक योगेश घटना के दिन अर्थात् तारीख 24 सितंबर, 1993 को कोचिंग कक्षा पढ़ने के लिए गया था, उसके पास एक लड़का आया और उसे यह बताया कि अपीलार्थी ने मिलने के लिए उसे अपने पास बुलाया है । इसके पश्चात्, मृतक कक्षा से बाहर आया और अपीलार्थी और एक लड़के ने योगेश (मृतक) से पूछताछ की कि रात्रि में क्या घटित हुआ था । मृतक ने यह उत्तर दिया कि अपीलार्थी की माता के साथ बातचीत हुई थी । इसके पश्चात्, अपीलार्थी ने उससे पूछा कि वह कौन लड़की है । मृतक ने उत्तर दिया कि जो कुछ तुम सोच रहे हो वह उचित नहीं है । इसके पश्चात्, अपीलार्थी ने मृतक के शरीर पर चाकू से क्षतियां पहुंचाईं और वह घटनास्थल से भाग गया । मृतक को अस्पताल में भर्ती किया गया जहां उसकी मृत्यु हो गई थी । अपीलार्थी ने मृतक की हत्या कर दी क्योंकि मृतक ने उसकी बहन से छेड़खानी की थी । रिपोर्ट दर्ज करने के पश्चात्, पुलिस ने मामले में अन्वेषण किया और आरोप पत्र फाइल किया । विचारण के दौरान अपीलार्थी ने अपने दोषी होने से इनकार किया और निर्दोषिता का अभिवाक् किया । विचारण न्यायालय ने हत्या के अपराध कारित किए जाने के लिए अपीलार्थी को दोषी ठहराया और आजीवन कारावास का दंड अधिनिर्णीत किया । अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा अपनी दोषसिद्धि और दंडादेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील फाइल की गई । अपील भागतः मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – वर्तमान मामले में, मृतक का मृत्युकालिक कथन कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किया गया था । मृत्युकालिक कथन प्रदर्श पी-16 है । पूर्वोक्त मृत्युकालिक कथन में, मृतक ने यह कथन किया है कि अपीलार्थी ने गुप्ती से उसे क्षति पहुंचाई थी और जब गुप्ती मुड़ गई तो उसने एक दूसरे व्यक्ति से चाकू लिया था तथा चाकू से उस पर प्रहार किया । डा. ने यह अभिप्रमाणित किया है कि मृतक मृत्युकालिक कथन करने के लिए उपयुक्त था । (प्रदर्श पी-18) मृतक का

कथन है, जिसे अन्वेषक अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया गया था और कथन में मृतक के हस्ताक्षर हैं । देहाती नालसी में यह उल्लेख किया गया है कि जब मैं कक्षा में उपस्थित था, एक लड़का मेरे पास आया और मुझे यह बताया कि जय किशोर मुझे बुला रहा है । मैं कक्षा से बाहर पहुंचा । अपीलार्थी संजीव वहां पर मौजूद था उसने मुझसे पूछा कि रात्रि में क्या घटित हुआ था । मैंने उसे बताया कि आपकी माता के साथ बातचीत हुई थी और आप इस बारे में अन्यथा सोच रहे हैं । इसके पश्चात् उसने मुझसे पूछा कि वह कौन लड़की थी । मैंने उसे बताया कि आप उचित ढंग से नहीं सोच रहे हैं और इसके पश्चात्, अपीलार्थी ने मेरे पेट और छाती पर क्षतियां कारित की थीं । मैं नीचे गिर गया था और मेरे दोस्त मुझे अस्पताल ले गए थे । अपीलार्थी ने चाकू से क्षतियां कारित की थीं और उसने मुझसे कहा था कि मैंने उसकी बहन से छेड़छाड़ की थी । मृतक का मृत्युकालिक कथन प्रदर्श पी-16 है जिसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किया गया था । मृतक के कथन पर मर्ग आधारित है । मर्ग (प्रदर्श पी-18) पर मृतक के हस्ताक्षर हैं । अन्वेषक अधिकारी ने उसे सत्यापित किया है । इससे अलग राजेश कनोंजिया (अभि. सा. 3) जो मृतक का मित्र है और घटना के समय पर मौजूद था और वह स्वाभाविक साक्षी है, उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि उसने यह देखा था कि अपीलार्थी और मृतक के बीच झगड़ा हुआ था और जब वह वापस लौटा, अपीलार्थी घटनास्थल से दौड़ रहा था । अभि. सा. 3 का साक्ष्य यह है कि जिसने इस तथ्य को साबित किया है कि अपीलार्थी घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद था और उसकी मृतक से लड़ाई हो रही थी । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने यह देखा था कि अपीलार्थी घटनास्थल से भाग रहा था । डा. अरूण कुमार (अभि. सा. 11) जिन्होंने मृतक के शव का शवपरीक्षण किया, ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि मृतक के शरीर पर दो वेधित घाव उसकी जानकारी में आए और ये क्षतियां मृतक की मृत्यु होने के लिए पर्याप्त थीं । देहाती नालसी घटना के तुरन्त पश्चात् अर्थात् 15 मिनट के भीतर दर्ज की गई थी और इस पर मृतक के स्वयं के हस्ताक्षर हैं । मृतक के मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श पी-16) के अनुसार अपीलार्थी और एक लड़का घटनास्थल पर मौजूद थे और उसे किसी दूसरे लड़के द्वारा

बुलाया गया था । अपीलार्थी ने मृतक से यह कहा कि रात्रि में क्या घटित हुआ था । मृतक ने यह उत्तर दिया कि अपीलार्थी की माता से उसकी बातचीत हुई थी तब अपीलार्थी ने उस लड़की के बारे में पूछताछ की और तब अपीलार्थी ने गुप्ती से प्रहार किए, गुप्ती के मुड़ जाने पर उसने एक दूसरे लड़के से चाकू लेकर उस पर क्षतियां कारित कीं । मृतक के शरीर पर गुप्ती से कोई क्षति नहीं दिखी थी । मृत्युकालिक कथन से सुरक्षित रूप से यह अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि अपीलार्थी ने किसी दूसरे लड़के से चाकू लिया था और उसने मृतक पर दो प्रहार कारित किए थे । इस तथ्य से यह सिद्ध हुआ है कि मामले में कोई पूर्व-चिन्तन नहीं था और कार्य आवेग की तीव्रता में हुआ था क्योंकि अपीलार्थी को यह आशंका थी कि मृतक ने उसकी बहन से छेड़छाड़ की थी । इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि उसने क्रूरता की रीति में कार्य किया था । पूर्वोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, हमारी यह राय है कि अपीलार्थी द्वारा किया गया अपराध दंड संहिता की धारा 304 भाग 1 के अधीन आता है । (पैरा 16, 17, 18, 21 और 22)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2017] (2017) 3 एस. सी. सी. 247 = ए. आई. आर. 2017 एस. सी. 1150 : **अर्जुन और एक अन्य** बनाम **छत्तीसगढ़ राज्य** ; 3, 20

[2008] (2008) 15 एस. सी. सी. 590 = ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 331 : **अरुमुगम** बनाम **राज्य, मार्फत पुलिस निरीक्षक तमिलनाडु** ; 21

[1989] (1989) 2 एस. सी. सी. 217 = ए. आई. आर. 1989 एस. सी. 1094 : **सुरेन्द्र कुमार** बनाम **संघीय राज्यक्षेत्र चंडीगढ़** । 20

अपीली दांडिक अधिकारिता : 2095 की दांडिक अपील सं. 485.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से सर्वश्री सुरेन्द्र सिंह ज्येष्ठ अधिवक्ता जिनकी सहायता ए. के. दूबे द्वारा की गई

प्रत्यर्थी की ओर से श्री ए. एन. गुप्ता सरकारी अधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एस. के. गंगेले ने दिया ।

न्या. गंगेले – अपीलार्थी ने 1993 के सेशन विचारण सं. 298 में तृतीय अपर सेशन न्यायाधीश, औसंगाबाद द्वारा तारीख 28 फरवरी, 1995 के निर्णय के विरुद्ध यह अपील फाइल की है । विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध कारित किए जाने के लिए दोषी है और उसे 5,000/- रुपए जुर्माने के दंड सहित आजीवन कारावास का दंड अधिनिर्णीत किया गया था ।

2. संक्षेप में अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि मृतक योगेश घटना के दिन अर्थात् तारीख 24 सितंबर, 1993 को कोचिंग कक्षा पढ़ने के लिए गया था, उसके पास एक लड़का आया और उसे यह बताया कि अपीलार्थी ने मिलने के लिए उसे अपने पास बुलाया है । इसके पश्चात्, मृतक कक्षा से बाहर आया और अपीलार्थी और एक लड़के ने योगेश (मृतक) से पूछताछ की कि रात्रि में क्या घटित हुआ था । मृतक ने यह उत्तर दिया कि अपीलार्थी की माता के साथ बातचीत हुई थी । इसके पश्चात्, अपीलार्थी ने उससे पूछा कि वह कौन लड़की है । मृतक ने उत्तर दिया कि जो कुछ तुम सोच रहे हो वह उचित नहीं है । इसके पश्चात्, अपीलार्थी ने मृतक के शरीर पर चाकू से क्षतियां पहुंचाईं और वह घटनास्थल से भाग गया । मृतक को अस्पताल में भर्ती किया गया जहां उसकी मृत्यु हो गई थी । अपीलार्थी ने मृतक की हत्या कर दी क्योंकि मृतक ने उसकी बहन से छेड़खानी की थी । रिपोर्ट दर्ज करने के पश्चात्, पुलिस ने मामले में अन्वेषण किया और आरोप पत्र फाइल किया । विचारण के दौरान अपीलार्थी ने अपने दोषी होने से इनकार किया और निर्दोषिता का अभिवाक् किया । विचारण न्यायालय ने हत्या

के अपराध कारित किए जाने के लिए अपीलार्थी को दोषी ठहराया और आजीवन कारावास का दंड अधिनिर्णीत किया ।

3. अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल ने यह दलील दी है कि अभियुक्त को हत्या के अपराध कारित किए जाने के लिए सिद्धदोष किए जाने हेतु कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है । विचारण न्यायालय ने मृतक के मृत्युकालिक कथन का अवलंब लेकर गलती की है । ज्येष्ठ काउंसेल द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि अनुकल्प रूप में यद्यपि, अभियोजन का साक्ष्य को स्वीकार किया जाता है क्योंकि अपीलार्थी द्वारा किया गया अपराध दंड संहिता की धारा 304 भाग 1 के अधीन आता है । पूर्वोक्त दलील के समर्थन में विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल ने **अर्जुन और एक अन्य** बनाम **छत्तीसगढ़ राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया ।

4. विचारण न्यायालय ने मृतक के मृत्युकालिक कथन का अवलंब लिया जिसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा लेखबद्ध किया गया और राजेश कनौजिया अभि. सा. 3 के साक्ष्य को भी लेखबद्ध किया गया ।

5. संदीप कुमार तिवारी (अभि. सा. 1) ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि लगभग 9.30 बजे प्रातः एक लड़का उसकी कक्षा में आया और मृतक उसके साथ चला गया था और उक्त लड़का कक्षा से बाहर था और 10 मिनट पश्चात् मैंने 'मेरी हत्या कर दी', 'हत्या कर दी' आवाज सुनी । इसके पश्चात्, मैं और दूसरे लड़के घटनास्थल पहुंचे और हमने यह देखा कि मृतक योगेश घटनास्थल पर पड़ा हुआ है और उसके वक्ष से रक्त टपक रहा था । उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया था ।

6. संजीव तोमर (अभि. सा. 2) ने भी उन्हीं तथ्यों का अभिसाक्ष्य दिया है कि एक लड़का मृतक को बुलाने आया और मृतक उसके साथ कक्षा से बाहर चला गया और 10 मिनट पश्चात्, हमारी जानकारी में यह आया कि वहां पर झगड़ा हुआ था और जब हम वहां गए तो उसने यह देखा कि मृतक घटनास्थल पर बेहोश पड़ा हुआ था ।

---

[1] (2017) 3 एस. सी. सी. 247 = ए. आई. आर. 2017 एस. सी. 1150.

7. राजेश कनौंजिया (अभि. सा. 3) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि मृतक मेरा दोस्त था । और वह कक्षा में कोचिंग की क्लास ले रहा था । तारीख 24 सितंबर, 1993 को लगभग 9.00 बजे प्रात: जब मैं कोचिंग लेने के पश्चात् नीचे आया तब मेरी जानकारी में यह आया कि वर्तमान अपीलार्थी ने मृतक के साथ झगड़ा किया था । इसके पश्चात्, मैं संदीप तिवारी सर को बुलाने गया जब मैं वापस लौटा तो मैंने देखा कि मृतक जमीन पर पड़ा हुआ था और उसके शरीर से रक्त टपक रहा था । अपीलार्थी घटनास्थल से भाग गया था । इसके पश्चात्, मैं और मृतक की माता मृतक को अस्पताल ले गए थे जहां मृतक ने अपनी माता से यह कहा कि अपीलार्थी ने उसकी हत्या की है, वह गंभीर था । इसके पश्चात्, मैं अपने घर पर पहुंचा ।

8. चंद्रेश (अभि. सा. 4) को पक्षद्रोही घोषित किया गया । बाला (अभि. सा. 5) जो अभिग्रहण का साक्षी है । राजन सिंह (अभि. सा. 7) ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि मैंने अपने घर में यह सूचना प्राप्त की कि मृतक की अपीलार्थी और अन्य लड़कों द्वारा हत्या की गई है । पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा (प्रदर्श पी-7) तैयार किया और मैंने उस पर हस्ताक्षर किया ।

9. भवानी प्रसाद (अभि. सा. 8) ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि मैं अस्पताल गया था । अशोक कुमार (अभि. सा. 9) ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि उसकी जानकारी में यह आया कि मृतक की अपीलार्थी द्वारा हत्या की गई है । ओम प्रकाश भट्ट (अभि. सा. 13) जो राजस्व निरीक्षक के पद पर है, ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि मैंने घटनास्थल का नक्शा तैयार किया जो प्रदर्श-14 है और मैंने उस पर हस्ताक्षर किए हैं ।

10. डा. अरूण कुमार (अभि. सा. 11) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि मैंने मृतक की परीक्षा की । उसने मुझे यह बताया था कि किसी व्यक्ति ने मृतक पर चाकू से क्षतियां कारित की थीं । मैंने मृतक के शरीर पर दो वेधित घाव देखे थे । मैंने एक्सरे की राय दी ।

11. डा. एम. एल. बत्रा (अभि. सा. 10) ने मृतक का शवपरीक्षण किया । उन्होंने यह अभिसाक्ष्य दिया कि मैंने मृतक के शरीर पर

निम्नलिखित क्षतियां देखी :-

1. वक्ष पर एक वेधित घाव जो उरोस्थि के बाएं बार्डर के समीप, (पांचवें) अन्तरापर्शुक स्पेस के केन्द्र में 1.5 से. मी. लंबा × 0.5 से. मी. चौड़ा, अण्डाकार फिश माउथ स्पेस उपान्तों पर स्पष्ट रूप से 4 से. मी. गहरी कटी हुई थी और चारों ओर रक्त के थक्के थे ।

2. वक्ष के दाहिने और एक वेधित घाव जो 9वीं अन्तरापर्शुक स्पेस जो नजदीक है जो अण्डाकार फिस माउथ आकार पर 1.5 से. मी. लम्बा × 0.5 से. मी. चौड़ा है, उपान्त पर 3 से. मी. गहराई तक स्पष्ट रूप से कटा है, चारों ओर रक्त के थक्के हैं ।

उन्होंने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि हृदय और यकृत के निलय पर क्षतियां थीं । मृतक की उसके द्वारा भोगी गई क्षतियों के कारण मृत्यु हुई थी । क्षतियां प्रकृति में मृत्यु-पूर्व थीं । नुकीले धारदार आयुध से क्षतियां की गईं थीं, वे चाकू द्वारा कारित हो सकती थीं ।

12. अतर सिंह चौहान (अभि. सा. 15) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 24 सितंबर, 1993 को मैं तहसीलदार के पद पर पुलिस थाना इतरासी तैनात था मुझसे योगेश पुत्र राम गोपाल सोपारा के मृत्युकालिक कथन अभिलिखित करने के लिए अनुरोध किया गया था । मैं जन सेवा रुगनालामा इतरासी गया जहां योगेश (मृतक) मृत्युकालिक कथन करने की उपयुक्त स्थिति में था । मैंने मृतक का मृत्युकालिक कथन अभिलिखित किया जो (प्रदर्श पी-16) है । तारीख 24 सितंबर, 1993 को प्रातः 10 बजे मृत्युकालिक कथन अभिलिखित किया गया था और इसके 18 मिनट पश्चात् उसकी मृत्यु हो गई थी । योगेश (मृतक) ने अपने मृत्युकालिक कथन में यह कहा है कि अपीलार्थी संजीव ने गुप्ती से उस पर क्षतियां कारित की थीं । उसने घटना के कारण के बारे में मुझे नहीं बताया ।

13. संजय महतो (अभि. सा. 16) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि मैं कोचिंग क्लास में उपस्थित था और मेरी जानकारी में झगड़ा होने की बात आई, तथापि, मुझे यह पता नहीं है कि मृतक की किसने हत्या की

थी ।

14. खेमराज (अभि. सा. 17) भारसाधक थाना गृह अधिकारी ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि तारीख 24 सितंबर, 1993 को मैंने दूरभाष से यह सूचना प्राप्त की कि किसी व्यक्ति ने योगेश को चाकू से क्षतियां पहुंचाईं । मैं अस्पताल गया जहां योगेश को भर्ती किया गया था, इसके पश्चात् योगेश की सूचना पर मैंने देहाती नालसी अभिलिखित की जो प्रदर्श पी-18 है और मैंने उस पर हस्ताक्षर किया । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि योगेश ने मुझे यह बताया कि वह अपनी ट्यूशन क्लास में उपस्थित होने के लिए गया था जहां एक लड़के ने बुलाया और मैं कक्षा से बाहर पहुंचा और अपीलार्थी द्वारा मुझ पर क्षतियां कारित की गई थीं । अध्यापक और छात्र मुझे अस्पताल ले गए थे । मैंने मृतक का कथन अभिलिखित किया जो प्रदर्श पी-16 है । इसके पश्चात्, मैंने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की जो प्रदर्श पी-19 है और उस पर मैंने हस्ताक्षर किए । मैंने मृतक के शव का पंचनामा तैयार किया जो प्रदर्श पी-9 है । मैंने घटनास्थल का नक्शा तैयार किया जो प्रदर्श पी-6 है । पटवारी ने घटनास्थल का नक्शा तैयार किया जो प्रदर्श पी-14 है । मैंने तारीख 24 सितंबर, 1993 को घटनास्थल से सादी मिट्टी और लाल मिट्टी अभिगृहीत की जिसके लिए अभिग्रहण ज्ञापन प्रदर्श पी-5 तैयार किया गया और मैंने उस पर हस्ताक्षर किया है । अपीलार्थी के लिए गिरफ्तारी ज्ञापन (प्रदर्श पी-21) द्वारा तैयार किया गया था और उसके संगम ज्ञापन (प्रदर्श पी-3) द्वारा अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श पी-4) के माध्यम से चाकू अभिगृहीत किया गया । मैंने दोनों दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं । मैंने अभिगृहीत वस्तुओं को न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजा है । मैंने संजीव कुमार, राजेश्वर, योगेश, संजय महतो, नर्मदा प्रसाद महतो, संजय तोमर, रोशन लाल, रमेश और शंकर लाल के कथन अभिलिखित किए । इसके पश्चात्, आरोप पत्र फाइल किया गया ।

15. विधि का सुस्थापित सिद्धांत यह है कि मृत्युकालिक कथन साक्ष्य में ग्राह्य है और मृत्युकालिक कथन पर दोषसिद्धि आधारित हो सकती है यदि इससे न्यायालय को विश्वास मिलता है । **पवन कुमार**

बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले के पैरा 25, 26, 27 में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है जो मृत्युकालिक कथन की ग्राह्यता के बारे में है :-

"27. अतबीर **बनाम** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार (2010) 9 एस. सी. सी. 1 = ए. आई. आर. 2010 एस. सी. 3437 वाले मामले में न्यायालय ने पूर्वोक्त निर्णयों का उल्लेख करने के पश्चात् मृत्युकालिक कथन की ग्राह्यता के बारे में निम्नलिखित दिशा निर्देश अधिकथित किया है -

22. पूर्वोक्त विनिश्चयों का विश्लेषण करने पर स्पष्टतया यह दर्शित होता है कि -

(i) मृत्युकालिक कथन दोषसिद्धि का एकमात्र आधार हो सकता है यदि इससे न्यायालय को पूर्ण विश्वास मिलता है ।

(ii) न्यायालय का यह समाधान होना चाहिए कि मृतक कथन करने के समय पर उपयुक्त मानसिक स्थिति में था और कि वह सिखाया-पढ़ाया या काल्पनिक नहीं होना चाहिए ।

(iii) जहां न्यायालय का यह समाधान होता है कि कथन सही और स्वैच्छिक है, तो यह बिना किसी संपुष्टि के दोषसिद्धि का आधार हो सकता है ।

(iv) विधि के पूर्ण नियम के रूप में यह अभिकथित नहीं किया जा सकता है कि मृत्युकालिक कथन दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है जब तक कि इसकी संपुष्टि न कर दी जाए । नियम में संपुष्टि की अध्यपेक्षा मात्र प्रज्ञा का नियम है ।

(v) यहां मृत्युकालिक कथन में संदेह हो, इस पर साक्ष्य की संपुष्टि के बिना कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए ।

(vi) मृत्युकालिक कथन जो दुर्बलता से ग्रसित है इस प्रकार मृतक बेहोशी की हालत में था और कोई कथन कभी भी

---

[1] (2017) 7 एस. सी. सी. 780 = ए. आई. आर. 2017 एस. सी. 2459.

नहीं कर सकता है जो दोषसिद्धि का आधार नहीं हो सकता ।

(vii) मृत्युकालिक कथन के मात्र कारण से घटना के सभी ब्यौरे प्रकट नहीं होते हैं इसे अस्वीकार नहीं किया जाता है ।

(viii) यद्यपि यह संक्षिप्त कथन है, इसे त्यक्त नहीं किया जाना चाहिए ।

(ix) जब प्रत्यक्षदर्शी साक्षी से यह पुष्टि होती है कि मृतक मृत्युकालिक कथन करने के लिए उपयुक्त और होशोहवास स्थिति में नहीं था तब चिकित्सा राय अभिभावी नहीं हो सकती है ।

(x) यदि सावधानीपूर्वक समीक्षा करने के पश्चात् न्यायालय का यह समाधान है कि किसी ऐसे प्रयास से सच्चाई और स्वतंत्र रूप से यह बात प्रकट होती है कि मृतक ने मिथ्या कथन किया है और यदि यह संगत है तो इसे दोषसिद्धि का आधार बनाने के लिए कोई विधिक बाधा प्रकट नहीं होगी, यद्यपि, उसकी कोई संपुष्टि न हुई हो ।

28. **गुलजारी लाल** ए. आई. आर. 2016 एस. सी. 795 वाले मामले में, न्यायालय ने मृतक द्वारा किए गए कथन का अवलंब लेकर दोषसिद्धि की अभिपुष्टि की और **लक्ष्मण** ए. आई. आर. 2002 एस. सी. 2973 वाले मामले में कथित सिद्धांतों पर आधारित जिसे हैड कांस्टेबल द्वारा अभिलिखित किया गया था । उक्त मामले का विश्लेषण करने पर इस प्रकार है –

'23. इस न्यायालय द्वारा विधि की स्थिति के निर्देश में, हम इस कारण से मृतक के मृत्युकालिक कथन की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाने का कोई कारण नहीं पाते हैं कि हैड कांस्टेबल मनफुल सिंह (अभि. सा. 7) द्वारा उसका कथन अभिलिखित करने के समय पर उसने यह निष्कर्ष निकाला कि मृतक घटना के बारे में अपना कथन करने में मानसिक रूप से ठीक था । इसके अतिरिक्त, हैड कांस्टेबल मनफुल सिंह (अभि. सा. 7) का साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत होता है और

उसे निचले न्यायालयों द्वारा स्वीकार किया गया है । उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया मत में कोई दुर्बलता नहीं होती है । यह एक आदेश है ।

24. उच्च न्यायालय द्वारा की गई दोषसिद्धि महा सिंह (मृतक) द्वारा किए गए कथनों पर भी आधारित नहीं है बल्कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी दरिया सिंह (अभि. सा. 1) के बिखरे हुए साक्ष्य पर भी और स्वतंत्र साक्षी राजेन्द्र सिंह (अभि. सा. 11) के कथन पर भी आधारित है ।'

29. पूर्वोक्त नजीरों की कसौटी पर हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि मृत्युकालिक कथन का निरादर करने का कोई कारण नहीं पाते हैं । हैड कांस्टेबल ने अभिलखित किया जैसाकि मृतक द्वारा वृत्तांत दिया गया है और मृतक ने अभियुक्त के बारे में कुछ शब्दों को भी लिखा है । उक्त बातों को डा. अभि. सा. 10 की मौजूदगी में अभिलिखित किया गया है जिन्होंने उस पर अपने हस्ताक्षर भी किए थे । उपयुक्तता का प्रमाणपत्र की विधि में अपेक्षा नहीं है । विचारण न्यायालय ने जली हुई क्षतियों की अनदेखी की है । यह टिप्पण करना सही है कि इस बारे में कोई पूर्ण नियम नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति जो 80 प्रतिशत जली हुई क्षतियों से ग्रसित हो । मृत्युकालिक कथन नहीं दे सकता है । विजय पाल **बनाम** राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार) (2015) 4 एस. सी. सी. 749 = ए. आई. आर. 2015 एस. सी. 1495 वाले मामले में न्यायालय ने मृतक द्वारा किए गए मृत्युकालिक कथन के बारे में निवेदन को रद्द कर दिया जिसे सौ प्रतिशत जली हुई क्षतियां हुई थी और उसमें यह कहा गया है –

'22. इस प्रकार, विधि में पूर्णतया यह स्पष्ट है कि यदि मृत्युकालिक कथन पूर्णतया विश्वसनीय है और उसे अभिलेख पर किसी तरह भी नहीं लाया गया है कि अभियुक्त ऐसी दशा में था कि वह साक्षी के समक्ष मृत्युकालिक कथन नहीं कर सकता था, उस बात को त्यक्त करना किसी तरह भी न्यायसंगत नहीं है । वर्तमान मामले में अभि. सा. 1 मृतक के घर की ओर तुरंत गया था और उसने उसे बताया

था कि उसके पति ने उस पर मिट्टी का तेल उड़ेल दिया था । अपीलार्थी द्वारा यह अभिवाक् किया गया कि उसे मिथ्या रूप से फंसाया गया है क्योंकि उसका पैसा ससुरालियों के पास जमा था और वे पैसा वापस नहीं कर रहे थे, इस बात में वास्तविक रूप से कुछ भी सच्चाई प्रकट नहीं होती है और इस प्रभाव का कोई सुझाव भी प्रकट नहीं हुआ ।

23. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि जब मृतक को सौ प्रतिशित दाह क्षतियां हुई थीं तब वह अपने भाई को कोई कथन नहीं कर सकती । इस बारे में हम माफाभाई नगरभाई रावल **बनाम** गुजरात राज्य, (1992) 4 एस. सी. सी. 69 = ए. आई. आर. 1992 एस. सी. 2186 वाले मामले के विनिश्चय का उल्लेख लाभदायक समझते हैं जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया कि कोई व्यक्ति जो 99 प्रतिशत दाह क्षतियां से ग्रसित है तो उसे मृत्युकालिक कथन करने के प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से समर्थ समझा जा सकता । न्यायालय ने उक्त मामले में यह राय व्यक्त की जब तक उसमें कोई अन्तर्निहित या प्रकट कमी विद्यमान नहीं है तब विचारण न्यायालय को डा. की राय को प्रतिस्थापित नहीं करना चाहिए । मामले के तथ्यों के प्रकाश में मृत्युकालिक कथन अवलंब लेने के योग्य पाया गया था ।'"

16. वर्तमान मामले में, मृतक का मृत्युकालिक कथन कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किया गया था । मृत्युकालिक कथन प्रदर्श पी-16 है । पूर्वोक्त मृत्युकालिक कथन में, मृतक ने यह कथन किया है कि अपीलार्थी ने गुप्ती से उसे क्षति पहुंचाई थी और जब गुप्ती मुड़ गई तो उसने एक दूसरे व्यक्ति से चाकू लिया था तथा चाकू से उस पर प्रहार किया । डा. ने यह अभिप्रमाणित किया है कि मृतक मृत्युकालिक कथन करने के लिए उपयुक्त था । (प्रदर्श पी-18) मृतक का कथन है, जिसे अन्वेषक अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया गया था और कथन में मृतक के हस्ताक्षर हैं । देहाती नालसी में यह उल्लेख किया गया है कि जब मैं कक्षा में उपस्थित था, एक लड़का मेरे पास आया और मुझे यह बताया कि जय किशोर मुझे बुला रहा है । मैं कक्षा से बाहर पहुंचा ।

अपीलार्थी संजीव वहां पर मौजूद था उसने मुझसे पूछा कि रात्रि में क्या घटित हुआ था । मैंने उसे बताया कि आपकी माता के साथ बातचीत हुई थी और आप इस बारे में अन्यथा सोच रहे हैं । इसके पश्चात् उसने मुझसे पूछा कि वह कौन लड़की थी । मैंने उसे बताया कि आप उचित ढंग से नहीं सोच रहे हैं और इसके पश्चात्, अपीलार्थी ने मेरे पेट और छाती पर क्षतियां कारित की थीं । मैं नीचे गिर गया था और मेरे दोस्त मुझे अस्पताल ले गए थे । अपीलार्थी ने चाकू से क्षतियां कारित की थीं और उसने मुझसे कहा था कि मैंने उसकी बहन से छेड़छाड़ की थी ।

17. मृतक का मृत्युकालिक कथन प्रदर्श पी-16 है जिसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किया गया था । मृतक के कथन पर मर्ग आधारित है । मर्ग (प्रदर्श पी-18) पर मृतक के हस्ताक्षर हैं । अन्वेषक अधिकारी ने उसे सत्यापित किया है । इससे अलग राजेश कनोंजिया (अभि. सा. 3) जो मृतक का मित्र है और घटना के समय पर मौजूद था और वह स्वाभाविक साक्षी है, उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि उसने यह देखा था कि अपीलार्थी और मृतक के बीच झगड़ा हुआ था और जब वह वापस लौटा, अपीलार्थी घटनास्थल से दौड़ रहा था । अभि. सा. 3 का साक्ष्य यह है कि जिसने इस तथ्य को साबित किया है कि अपीलार्थी घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद था और उसकी मृतक से लड़ाई हो रही थी । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने यह देखा था कि अपीलार्थी घटनास्थल से भाग रहा था ।

18. डा. अरूण कुमार (अभि. सा. 11) जिन्होंने मृतक के शव का शवपरीक्षण किया, ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि मृतक के शरीर पर दो वेधित घाव उसकी जानकारी में आए और ये क्षतियां मृतक की मृत्यु होने के लिए पर्याप्त थीं । देहाती नालसी घटना के तुरन्त पश्चात् अर्थात् 15 मिनट के भीतर दर्ज की गई थी और इस पर मृतक के स्वयं के हस्ताक्षर हैं ।

19. पूर्वोक्त साक्ष्य के आधार पर हमारी यह राय है कि विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करके ठीक ही किया है कि अपीलार्थी ने मृतक योगेश की हत्या की थी ।

20. अपीलार्थी ने कौन सा अपराध किया था । **अर्जुन और एक**

अन्य बनाम **छत्तीसगढ़ राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया जो इस प्रकार है :–

> "19. विचार के लिए यह प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या दंड संहिता की धारा 300 के अधीन अपीलार्थियों की दोषसिद्धि कायम योग्य है जैसाकि पूर्व में चर्चा की गई, साक्ष्य से स्पष्टतया यह सिद्ध होता है कि जब अयोध्या प्रसाद और अन्य साक्षी पेड़ों को काट रहे थे तो उनके बीच बोलचाल में कुछ गरमाहट हुई जिसके परिणामस्वरूप, उक्त वाक्तकलह के दौरान अपीलार्थी ने मृतक पर हमला कर दिया । इस प्रकार, यह घटना अचानक लड़ाई के कारण घटित हुई जिस पर हमारा यह मत है कि यह अपराध दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 के अन्तर्गत आता है ।
>
> 20. इस अपवाद (4) का अवलंब लेने पर जिसमें यह अध्यपेक्षा की गई है कि सुरेन्द्र कुमार **बनाम** संघीय राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ (1989) 2 एस. सी. सी. 217 = ए. आई. आर. 1989 एस. सी. 1094 वाले मामले में यह अधिकथित किया गया है जिसमें निम्नलिखित बातों का स्पष्टीकरण दिया गया है –
>
> > '7. इस अपवाद का अवलंब लेने पर 4 अध्यपेक्षाओं का समाधान होना चाहिए अर्थात् (i) मामले में अचानक लड़ाई हुई थी ; (ii) कोई पूर्व चिन्तन प्रकट नहीं हुआ था ; (iii) कार्य आवेग की तीव्रता में किया गया था ; और (iv) हमलावर ने कोई असम्यक् फायदा या क्रूरता की रीति में कार्य नहीं किया था । झगड़े का कारण सुसंगत नहीं है और न यह सुसंगत है कि किसने प्रकोपन या हमले की कार्यवाही प्रारंभ की थी । घटना के दौरान कारित किए गए घावों की संख्या निश्चायक कारक नहीं है परन्तु जो कुछ महत्वपूर्ण है यह है कि घटना अचानक और बिना पूर्व चिन्तन के घटी थी तथा अपराधी द्वारा क्रोध में रहकर कार्य किया जाना चाहिए । निस्संदेह, अपराधी को कोई असम्यक् फायदा नहीं लेना चाहिए था और न ही क्रूरता की रीति में कार्य नहीं करना चाहिए था । जहां

[1] (2017) 3 एस. सी. सी. 247 = ए. आई. आर. 2017 एस. सी. 1150.

अचानक लड़ाई झगड़ा होता है, कोई व्यक्ति आवेग प्रकट करते हुए आयुध उठा लेता है जिसे हाथ में रखकर क्षतियां कारित करता है जिसमें से एक घातक क्षति साबित होती है तब वह व्यक्ति इस अपवाद का फायदा लेने का हकदार है बशर्ते उसने क्रूरता पूर्वक कार्य नहीं किया है .....।

21. अरुमुगम **बनाम** राज्य, मार्फत पुलिस निरीक्षक तमिलनाडु (2008) 15 एस. सी. सी. 590 = ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 331 वाले मामले में विधि की प्रतिपादना का समर्थन किया गया है कि दंड संहिता की धारा 300 का अपवाद 4 की परिस्थितियों के अधीन जिसका अवलंब लिया जा सकता है यदि मृत्यु कारित हुई है तो उसका स्पष्टीकरण दिया गया है जो इस प्रकार है –

9..... '18. अपवाद 4 की सहायता से उसका अवलंब तब लिया जा सकता है यदि मृत्यु कारित हुई हो (क) बिना पूर्व चिन्तन के ; (ख) अचानक लड़ाई झगड़ा ; (ग) अपराधी द्वारा बिना कोई असम्यक् फायदा या क्रूरता का कार्य या अप्रायिक रीति में कार्य किया जाना ; और (घ) लड़ाई झगड़े में व्यक्ति की हत्या की जानी चाहिए तब मामला अपवाद 4 के अन्तर्गत लाएगा और सभी संघटक जिनका इसमें उल्लेख किया गया है, पाए जाने चाहिए । यह भी उल्लेख किया गया है कि 'लड़ाई' जो दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 के अन्तर्गत घटित हुई है, उसको दंड संहिता, 1860 में परिभाषित नहीं किया गया है । इसमें लड़ाई झगड़ा भी हुआ था । आवेग की तीव्रता में यह अपेक्षित है कि इसमें शांत होने के लिए कोई समय उपलब्ध नहीं होना चाहिए और इस मामले में पक्षकारों ने मौखिक वाक्तकलह के कारण प्रारंभ में ही क्रोधित होकर कार्य किया है । झगड़ा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच समाधान है चाहे उनके पास कोई आयुध हो या नहीं । यह भी संभव नहीं है कि इस बारे में कोई सामान्य नियम विरूपित किया गया है जिसे अचानक

लड़ाई झगड़ा किया जाना समझा जाएगा । तथ्य का यह भी प्रश्न है कि क्या अचानक लड़ाई झगड़ा या प्रत्येक मामले के तथ्यों को उस पर साबित किया जाना आवश्यक नहीं होना चाहिए । अपवाद 4 को लागू करने के लिए यह दर्शित करना पर्याप्त नहीं है कि अचानक झगड़ा हुआ था और कोई पूर्व चिन्तन नहीं था । इससे यह भी दर्शित होना चाहिए कि अपराधी ने असम्यक् फायदा नहीं लिया है या क्रूरता या अप्रायिक रीति में कार्य किया है । असम्यक् फायदा की अभिव्यक्ति जैसाकि उपबंध में उपयोग में लाया गया है, इससे 'अऋजु फायदा' अभिप्रेत है ।'

22. अभि. सा. 6 के वृत्तांत के अनुसार अभियुक्त और प्रत्यक्षदर्शी साक्षी जिनमें अन्य साक्षी भी विहित है जिनके हाथों में आयुध थे परन्तु घटनाओं का क्रम में केवल साक्षियों द्वारा यह दर्शित करने के लिए वृत्तांत दिया गया है कि अचानक लड़ाई झगड़े की घटना के क्रम में आयुध प्रयोग किए गए थे । कोई पूर्व चिन्तन नहीं था । क्षतियां जो शवपरीक्षण रिपोर्ट से परिलक्षित हैं, उनसे यह संकेत मिलता है कि अपीलार्थियों ने 'असम्यक् फायदा नहीं लिया है' या क्रूरता की रीति में कार्य नहीं किया है या दंड संहिता की धारा 300 अपवाद 4 इस तथ्य की स्थिति में लागू होता है । घटना अचानक लड़ाई झगड़े के कारण घटित हुई थी । इस प्रकार, अपीलार्थी दंड संहिता की धारा 300 का अपवाद 4 के अधीन फायदा पाने के हकदार हैं ।"

उच्चतम न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि दंड संहिता की धारा 300 का अपवाद 4 का अवलंब लेने के लिए न्यायालय का यह समाधान होना चाहिए कि अचानक लड़ाई झगड़ा हुआ था और मामले में कोई पूर्व चिन्तन नहीं होना चाहिए और कार्य आवेग की तीव्रता में हुआ था । हमलावर ने कोई असम्यक् फायदा नहीं लिया था या क्रूरता की रीति में कार्य नहीं किया था ।

21. मृतका के मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श पी-16) के अनुसार अपीलार्थी और एक लड़का घटनास्थल पर मौजूद थे और उसे किसी

दूसरे लड़के द्वारा बुलाया गया था । अपीलार्थी ने मृतक से यह कहा कि रात्रि में क्या घटित हुआ था । मृतक ने यह उत्तर दिया कि अपीलार्थी की माता से उसकी बातचीत हुई थी तब अपीलार्थी ने उस लड़की के बारे में पूछताछ की और तब अपीलार्थी ने गुप्ती से प्रहार किए, गुप्ती के मुड़ जाने पर उसने एक दूसरे लड़के से चाकू लेकर उस पर क्षतियां कारित कीं । मृतक के शरीर पर गुप्ती से कोई क्षति नहीं दिखी थी । मृत्युकालिक कथन से सुरक्षित रूप से यह अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि अपीलार्थी ने किसी दूसरे लड़के से चाकू लिया था और उसने मृतक पर दो प्रहार कारित किए थे । इस तथ्य से यह सिद्ध हुआ है कि मामले में कोई पूर्व चिन्तन नहीं था और कार्य आवेग की तीव्रता में हुआ था क्योंकि अपीलार्थी को यह आशंका थी कि मृतक ने उसकी बहिन से छेड़छाड़ की थी । इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि उसने क्रूरता की रीति में कार्य किया था ।

22. पूर्वोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, हमारी यह राय है कि अपीलार्थी द्वारा किया गया अपराध दंड संहिता की धारा 304 भाग 1 के अधीन आता है ।

23. परिणामतः, अपीलार्थी द्वारा फाइल की गई अपील भागतः मंजूर की जाती है । दंड संहिता की धारा 302 के अधीन विचारण न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत दोषसिद्धि और दंडादेश को अपास्त किया जाता है । अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 304 भाग 1 के अधीन दंडनीय अपराध किए जाने के लिए दोषसिद्ध किया जाता है । अभिलेख के अनुसार, अपीलार्थी तारीख 24 सितंबर, 1994 से 11 फरवरी, 2002 तक जेल में था । उसने 10 वर्ष का दंड जेल के अंदर पूरा किया है और इस मामले में लघुकरण को सम्मिलित करते हुए अपीलार्थी को अधिनिर्णीत दंडादेश जो पहले ही उसके द्वारा भोगा जा चुका है । अपीलार्थी जमानत पर है और उसके जमानत बंधपत्र उन्मोचित किए जाते हैं ।

अपील भागतः मंजूर की गई ।

आर्य

भोलू शाह उर्फ जमील शाह और एक अन्य

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

तारीख 2 मई, 2018

न्यायमूर्ति संजय यादव और न्यायमूर्ति अशोक कुमार जोशी

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 और 32] – हत्या – मृत्युकालिक कथन की चिकित्सीय साक्ष्य से संपुष्टि – पुरानी शत्रुता के कारण अभियुक्तों द्वारा मृतक पर तेजाब फेंका जाना – द्वितीय और तृतीय श्रेणी की दाह क्षतियों के कारण मृत्यु होना – मृतक की पीठ, आंखों, गर्दन, वक्ष और उदर से लेकर नाभि तक द्वितीय से तृतीय श्रेणी की दाह क्षतियां पाई गईं हैं जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हैं और इनकी पुष्टि मृत्युकालिक कथन से भी होती है, अतः हत्या के अपराध के लिए की गई अपीलार्थियों की दोषसिद्धि उचित है ।

साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) – धारा 32 – मृत्युकालिक कथन – विश्वसनीयता – दो चिकित्सकों की राय के अनुसार मृतक का कथन देते समय सचेत अवस्था में पाया जाना – मृतक को बोलने में असुविधा होना – मृतक बोल पाने, बात समझने और प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम था और उसने यह भी बताया कि उसे क्षतियां किस प्रकार, कहां और किस समय कारित हुईं और इस संबंध में एक अन्य चिकित्सक द्वारा भी प्रमाणक अभिलिखित किया गया है, अतः, मृत्युकालिक कथन विश्वसनीय है और अपीलार्थियों की दोषसिद्धि पूर्णतया न्यायोचित है ।

संक्षेप में अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार हैं कि तारीख 5 जून, 1999 को वकील खान रात्रि लगभग 9 बजे लक्ष्मीनारायण (अभि. सा. 1) के घर पर था, तब दो अपीलार्थी गुड्डू और गोपाल वहां पहुंचे और

उन्होंने टहलने जाने के लिए उसे अपने साथ ले लिया और जब वकील खान गुड्डू और गोपाल के साथ नारद बाबा के मंदिर के सामने पैदल चलते हुए पहुंचा वहां पर उन्हें अन्य अपीलार्थी भोलू और छोटू खान मिले । अपीलार्थी भोलू और छोटू खान ने वकील खान से कहा कि वह बहुत बड़ा दादा (बदमाश) बन रहा है, इसके पश्चात् अपीलार्थी गोपाल और गुड्डू ने अन्य अपीलार्थियों को सचेत किया और इसके पश्चात् छोटू और भोलू ने, जिनके हाथों में तेजाब के डिब्बे थे, वकील खान के ऊपर उन डिब्बों में से तेजाब फेंका जो वकील खान के ऊपर गिरा । वकील खान के चिल्लाने पर लक्ष्मीनारायण (अभि. सा. 1) और चक्की के पास खड़े हुए कुछ अन्य व्यक्ति वहां आए और इसके पश्चात् अपीलार्थी वहां से भाग गए । वकील खान को लक्ष्मीनारायण (अभि. सा. 1) द्वारा पुलिस थाना माधोगंज उसी दिन 9.30 बजे अपराह्न में ले जाया गया जहां पर आहत वकील खान ने चारों अपीलार्थियों के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 20) दर्ज कराई जिसमें यह उल्लेख किया गया कि अपीलार्थियों की उसके साथ पहले से शत्रुता चली आ रही है । वकील खान की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 20) के आधार पर, जिसे कांस्टेबल देवेन्द्र सिंह (अभि. सा. 11) द्वारा अभिलिखित किया गया था, मामला दर्ज किया गया और वकील खान को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया । तारीख 5 जून, 1999 को अस्पताल में डा. अरुण रघुवंशी (अभि. सा. 6) ने वकील खान का मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श पी. 9) लगभग 10.30 बजे अभिलिखित किया और आहत वकील को अस्पताल में भर्ती कराया गया । उपचार के दौरान तारीख 13 जून, 1999 को 8.50 बजे अपराह्न में वकील खान की अस्पताल में ही मृत्यु हो गई और इस संबंध में डा. हर्षवर्धन द्वारा पुलिस थाना माधोगंज को सूचना दी गई जिस पर रघुबीर सिंह बधोरिया (अभि. सा. 7) ने मर्ग रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 14) अभिलिखित की । इसके पश्चात् मृत्युसमीक्षा की गई और मर्ग-जांच भी की गई । शव को शवपरीक्षण के लिए भेज दिया गया और डा. पूरनलाल गुप्ता (अभि. सा. 10) ने तारीख 14 जून, 1999 को शवपरीक्षण किया और शवपरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 19) तैयार की ।

अन्वेषण के अधीन वीरेन्द्र सिंह तोमर (अभि. सा. 8) ने अगले दिन प्रातःकाल अर्थात् तारीख 6 जून, 1999 को लक्ष्मीनारायण के बताए अनुसार स्थल नक्शा (प्रदर्श पी. 1) तैयार किया और प्लास्टिक के दो छोटे डिब्बे अभिगृहीत किए जिनमें थोड़ा तेजाब पड़ा हुआ था और इस संबंध में अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श पी. 2) तैयार किया और इस साक्षी ने आहत वकील खान, लक्ष्मीनारायण, आनंदी बाई और राजकुमार के कथन भी अभिलिखित किए । इस मामले का शेष अन्वेषण ओ. पी. सगोरिया (अभि. सा. 5) द्वारा किया गया । अपीलार्थियों को गिरफ्तार किया गया । अभिगृहीत की गई वस्तुओं को न्यायालयिक प्रयोगशाला, सागर परीक्षण के लिए भेजा गया जिसके साथ पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर द्वारा तारीख 30 अगस्त, 1999 का पत्र भी भेजा और इसके पश्चात् प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्राप्त की गई । औपचारिक अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, ग्वालियर के समक्ष आरोप पत्र फाइल किया गया जिन्होंने इस मामले को सेशन न्यायाधीश, ग्वालियर को सुपुर्द कर दिया और सेशन न्यायालय ने इस मामले को ऊपर उल्लिखित विचारण न्यायालय के लिए स्थानांतरित कर दिया । प्रत्येक अपीलार्थी ने उसके विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302 के अधीन विचारण न्यायालय द्वारा विरचित आरोप से इनकार किया है । विचारण न्यायालय के समक्ष 11 अभियोजन साक्षियों की परीक्षा कराई गई है । अपीलार्थियों ने विचारण न्यायालय के समक्ष यह प्रतिरक्षा ली है कि उन्हें इस मामले में मिथ्या आलिप्त किया गया है । नूरजहां (अभि. सा. 3) अर्थात् मृतक वकील खान की पत्नी सहित पांच प्रतिरक्षा साक्षियों की परीक्षा कराई गई है । सुनवाई के पश्चात् विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी गुड्डू और गोपाल को दंड संहिता की धारा 302/34 और अपीलार्थी भोलू शाह और छोटू को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध किया है । इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलें फाइल कीं । अपीलें खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – डा. पूरन लाल गुप्ता (अभि. सा. 10) के साक्ष्य और शवपरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श पी.19) से यह स्पष्ट हो जाता है कि वकील

खान के शव का शवपरीक्षण तारीख 14 जून, 1999 को 12.30 बजे अपराह्न में आरंभ किया गया था और यह पता चला कि मृतक वकील खान की पीठ, आंखों, गर्दन के सामने की ओर, वक्ष और उदर से लेकर नाभि तक द्वितीय से लेकर तृतीय श्रेणी की जली हुई क्षतियां पाईं गई थीं जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थीं । डा. पूरन लाल गुप्ता (अभि. सा. 10) के साक्ष्य को प्रतिपरीक्षा के दौरान सारभूत रूप से चुनौती नहीं दी गई है । अतः, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह साबित हो गया है कि वकील खान की मृत्यु तारीख 5 जून, 1999 को तेजाब फेंके जाने के कारण आई क्षतियों से हुई है जो कि मानव वध है । तारीख 5 जून, 1999 को 9.30 बजे अपराह्न में पुलिस थाना माधोगंज में वकील खान द्वारा उसके जीवनकाल में ही प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 20) में ही प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसे हैड कांस्टेबल देवेन्द्र सिंह (अभि. सा. 11) द्वारा लिखा गया था । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में भी यह उल्लेख किया गया है कि शिकायतकर्ता वकील खान लक्ष्मीनारायण के साथ पुलिस थाना माधोगंज गया था और शिकायतकर्ता ने उसे (लक्ष्मीनारायण) को अपना जीजा बताया किन्तु अभिकथित प्रत्यक्षदर्शी साक्षी लालाराम (अभि. सा. 2) और साबू शाह (अभि. सा. 3) और बब्बन (अभि. सा. 4) ने अपने साक्ष्य में अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है और वे पक्षद्रोही घोषित किए गए हैं । अभियोजन पक्षकथन के अनुसार घटना के पूर्व वकील खान को दो अपीलार्थियों अर्थात् गुड्डू और गोपाल द्वारा लक्ष्मीनारायण के घर से बाहर लाया गया था और घटना के तुरन्त बाद लक्ष्मीनारायण (अभि. सा. 1) और उसकी माता आनंदी बाई (प्रतिरक्षा साक्षी 1) घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने वकील खान को वीरपुर में स्थित नारद बाबा के मंदिर के सामने पड़ा हुआ देखा किन्तु लक्ष्मीनारायण (अभि. सा. 1) ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया और उसे भी पक्षद्रोही घोषित किया गया क्योंकि इस साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि घटना के समय वह अपनी नाई की दुकान पर था और उसने अपनी दुकान पर यह सुना कि वकील खान, जो कालीन बुनने का काम करता है, पर तेजाब फेंका गया है । लक्ष्मीनारायण (अभि. सा. 1) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि यह घटना नारद बाबा के

बगीचे और हनुमानजी के मंदिर के सामने लगभग 7.30 बजे अपराह्न में घटित हुई थी किन्तु उसके समक्ष सरपंच शांतिदेवी (अभि. सा. 5) ने पुलिस को सूचना दी थी, अतः, पुलिस घटनास्थल पर आई और वकील खान को अस्पताल ले गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया । लक्ष्मीनारायण (अभि. सा. 1) ने यद्यपि ने स्थल नक्शा (प्रदर्श पी. 1) और अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श पी. 2), जो अगले दिन प्रातःकाल अन्वेषण के दौरान तैयार किए गए थे, पर किए गए अपने हस्ताक्षरों की शनाख्त की है किन्तु उसने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि ये दस्तावेज उसकी मौजूदगी में तैयार नहीं किए गए थे और न ही उसके सामने किसी वस्तु को अभिगृहीत किया गया था किन्तु इस साक्षी ने अपने अभिसाक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि घटना के दिन 9 बजे अपराह्न के पश्चात् वह अपने घर पर मौजूद था । इस संबंध में, अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल द्वारा उन तथ्यों पर बल दिया गया है जो प्रतिरक्षा साक्षियों के साक्ष्य में रखे गए हैं किन्तु सरपंच शांति देवी (अभि. सा. 5) ने भी अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से यह अभिसाक्ष्य दिया है कि पुलिस थाना माधोगंज को टेलीफोन से संसूचना देने के पश्चात् जब वह घटनास्थल पर पहुंची, तब वकील खान कराहते हुए कह रहा था कि उसके मुंह में तेजाब चला गया है और वह अपनी जान बचाने की मदद मांग रहा था । सरपंच शांति देवी के पति श्यामलाल (प्रतिरक्षा साक्षी 4) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अपनी पत्नी द्वारा टेलीफोन पर सूचना प्राप्त करने के पश्चात् पुलिस थाना माधोगंज से पुलिस घटनास्थल पर 15 से 20 मिनट के बीच पहुंच गई । मोहन सिंह (प्रतिरक्षा साक्षी 2) ने अपनी मुख्य परीक्षा के पैरा 2 में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि लगभग 8 बजे अपराह्न में जब वह अपनी दुकान बंद कर रहा था, तब वकील खान चिल्लाता और रोता हुआ आया और नंदलाल और रमेश के मकान के दरवाजे के सामने गिर गया और उस समय उसके गले से आवाज नहीं निकल पा रही थी और वह स्पष्ट नहीं बोल पा रहा था किन्तु मोहन ने यह स्वीकार किया है कि उसके आटे की चक्की नारद बाबा के मंदिर के निकट स्थित है और मोहन सिंह (अभि. सा. 2) ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 5 में स्पष्ट रूप से यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वकील खान लक्ष्मीनारायण (अभि. सा. 1) के घर पर कालीन बुनने का काम

करता है और इसलिए वह वकील खान और लक्ष्मीनारायण को जानता है । मोहन सिंह (प्रतिरक्षा साक्षी 2) ने अपने कथन के पैरा 6 में यह उल्लेख किया है कि वकील खान की चीख सुनकर वह उसकी ओर दौड़ा । यह बात मोहन सिंह (प्रतिरक्षा साक्षी 2) के सम्पूर्ण साक्ष्य से भी स्पष्ट है कि लक्ष्मीनारायण (अभि. सा. 1) अपना कथन अभिलिखित किए जाने के समय पर सच्चाई को छिपाने का प्रयास कर रहा था क्योंकि यह बात प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 20) से भी स्पष्ट है कि वह वकील खान के साथ रिपोर्ट दर्ज कराने पुलिस थाने गया था और इस साक्षी ने स्वयं पैरा 6 में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि आहत वकील खान ने स्वयं उन व्यक्तियों के संबंध में अपना कथन पुलिस को दिया है जिन्होंने उसके ऊपर तेजाब फेंका था । इन परिस्थितियों में, वकील खान द्वारा उसके जीवित रहने के दौरान दर्ज कराई गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 20) पर संदेह नहीं किया जा सकता । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 20) से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी गुड्डु और गोपाल वकील खान को लक्ष्मीनारायण के घर से बाहर टहलने के लिए ले गए थे और वे नारद बाबा के मंदिर के निकट गए जहां पर उन्हें अन्य दो अपीलार्थी भोलू और छोटू मिले और कुछ कहासुनी के पश्चात् गुड्डु और गोपाल ने अन्य अपीलार्थियों से तेजी से काम करने को कहा, इसके पश्चात् भोलू और छोटू ने अपने साथ लिए हुए दो छोटे बर्तनों से तेजाब फेंका । अगले दिन प्रातःकाल ये बर्तन (डिब्बे) अन्वेषण अधिकारी उप निरीक्षक वीरेन्द्र सिंह द्वारा अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श पी. 2) के अनुसार कब्जे में लिए गए । ओ. पी. सगोरिया (अभि. सा. 5) के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि पुलिस अधीक्षक के पत्र के साथ अभिगृहीत की गई वस्तुओं को न्यायालयिक प्रयोगशाला, सागर भेजा गया और न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 21) से यह स्पष्ट है कि एक बर्तन में 44 प्रतिशत की सांद्रता वाला गंधक का तेजाब था । यह सुस्थापित है कि केवल मृत्युकालिक कथन के आधार पर और अन्य साक्ष्य से संपुष्टि किए बिना दोषसिद्धि की जा सकती है । डा. अरुण रघुवंशी (अभि. सा. 6) के संपूर्ण साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि तारीख 5 जून, 1999 को 11 बजे अपराह्न से वकील खान की दशा बिगड़ने लगी थी और द्वितीय मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श पी. 9) में अभिकथित विरोधाभास या अन्तर का आना

वकील खान की बिगड़ती हुई स्थिति का परिणाम है जो कि 9.30 बजे अपराह्न में अर्थात् प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 20) के दर्ज किए जाने के पश्चात् की स्थिति है । उपरोक्त के आलोक में दोनों मृत्युकालिक कथनों के बीच अभिकथित अन्तर या विरोधाभास स्पष्ट किए गए हैं । लक्ष्मीनारायण (अभि. सा. 1) और उसकी माता आनंदी बाई तथा कुछ अन्य साक्षियों के सम्पूर्ण साक्ष्य से भी स्पष्ट हो जाता है कि यह घटना वकील खान के साथ वीरपुर में स्थित नारद बाबा के मंदिर के सामने घटित हुई है । इसलिए, विचारण न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट अनेक प्रोद्धरणों के आलोक में वकील खान का मृत्युकालिक कथन विश्वसनीय और विश्वासप्रद प्रतीत होता है । यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने मृतक के मृत्युकालिक कथनों का अवलंब लेने में कोई त्रुटि नहीं की है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 20) के रूप में प्रथम मृत्युकालिक कथन में स्पष्ट रूप से उल्लिखित अपीलार्थियों की भिन्न-भिन्न भूमिका को देखते हुए, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी भोलू और छोटू को दंड संहिता की धारा 302 और अपीलार्थी गुड्डू और गोपाल को दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन दोषसिद्ध किया है । (प्रदर्श पी. 20) से यह स्पष्ट हो जाता है कि गुड्डू और गोपाल ने वकील खान को लक्ष्मीनारायण के घर से अपने साथ लिया था और उसे उस स्थान पर ले गए जहां पर अन्य दो अपीलार्थी अर्थात् भोलू और छोटू पहले से तेजाब के साथ तैयार थे और गुड्डू तथा गोपाल ने अन्य अपीलार्थियों से तेजी से हमला करने को कहा, इसके पश्चात् वकील खान पर तेजाब फेंका गया जिससे चारों अपीलार्थियों का सामान्य आशय होने का प्रमाण मिलता है । (पैरा 9, 10, 11, 19, 21, 22 और 23)

डा. अरुण रघुवंशी (अभि. सा. 6) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 5 जून, 1999 को जब वह जे. ए. एच. अस्पताल, ग्वालियर में पुरुष शल्य-चिकित्सा वार्ड में आर. एस. ओ. के रूप में तैनात था, तब आहत वकील खान को आपातकालीन कक्ष में लाया गया तब उसने आहत वकील खान का कथन अभिलिखित किया क्योंकि उस समय वकील खान बोल पाने, बात समझने और प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम था और अभि. सा. 6 ने वकील खान से कई प्रश्न पूछे और उसने वकील खान द्वारा दिए गए उत्तर अभिलिखित किए और उस समय वकील

खान ने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया और साथ ही उसने यह भी बताया कि उसे ये क्षतियां किस प्रकार, कहां और किस समय कारित हुई हैं, इसके पश्चात् वकील खान ने उत्तर दिया कि चार व्यक्ति अर्थात् छोटे, भोलू, गुड्डू और गोपाल उसके घर आए और उसे वीरपुर की छोटी पहाड़ी पर ले गए जो भैरो बाबा के मंदिर के निकट है और इन चारों व्यक्तियों ने मंदिर के निकट उस पर तेजाब फेंका है, इसलिए उसे ये क्षतियां कारित हुई हैं । डा. रघुवंशी (अभि. सा. 6) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वकील खान द्वारा दिया गया कथन (प्रदर्श पी. 9) उसने (अभि. सा. 6) अपने हाथ से लिखा है और कथन अभिलिखित करने के पश्चात् उसने आहत वकील खान के अंगूठे की छाप भी लगवाई । डा. रघुवंशी (अभि. सा. 6) ने अस्पताल के उपचार-पत्र (प्रदर्श पी. 11 और प्रदर्श पी. 12) तथा बेड-हैड टिकट (प्रदर्श पी. 3) पर किए गए अपने हस्ताक्षरों की शनाख्त की है और उसने बेड-हैड टिकट पर वकील खान द्वारा लगाए गए अंगूठे की छाप की भी शनाख्त की है । (प्रदर्श पी. 9) से यह पता चलता है कि तारीख 5 जून, 1999 को कथन अभिलिखित किए जाने के आरंभ में 10.30 बजे अपराह्न का समय डाला गया है और कथन अभिलिखित किए जाने के अंत में डा. अरुण रघुवंशी (अभि. सा. 6) ने अपने हस्ताक्षर किए हैं और इन हस्ताक्षरों के नीचे 10.35 बजे का समय विशेष रूप से डाला गया है । कथन प्रश्नोत्तर रूप में अभिलिखित किया गया है जिसमें डा. रघुवंशी (अभि. सा. 6) द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं और वकील खान द्वारा उन प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं । यह भी स्पष्ट है कि वकील खान का कथन अभिलिखित किए जाने के कार्य को आरंभ करने के पूर्व, डा. रघुवंशी (अभि. सा. 6) ने अपना प्रमाणन अभिलिखित किया है कि इस समय वकील खान पूर्णतया सचेत है, होश में है और किसी भी ओषधि के प्रभाव में नहीं है और न ही किसी व्यक्ति द्वारा दी गई गई धमकी के प्रभाव में है और इसलिए उसे कथन देने के लिए ठीक अवस्था में पाया गया है । (प्रदर्श पी. 9) पर डा. प्रकाश किरार द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं और उसके नीचे डा. रघुवंशी (अभि. सा. 6) ने अपने प्रमाणन पर हस्ताक्षर किए हैं कि रोगी अपना कथन अभिलिखित किए जाने के दौरान पूरी तरह होश में था और अभि. सा. 6 ने अपने इस प्रमाणन पर तारीख और समापन के समय का उल्लेख करते हुए हस्ताक्षर किए हैं । इसी प्रकार, डा. अरुण रघुवंशी (अभि. सा.

6) के साक्ष्य में दिए गए तथ्यों पर अधिक बल दिया गया है क्योंकि इस साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 5 जून, 1999 को 11 बजे अपराह्न में अभिलिखित (प्रदर्श डी. 3) में उसने स्वयं यह लिखा था कि वकील खान बोलने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर रहा था और अपना मुंह जलने की शिकायत कर रहा था और निरन्तर उल्टी कर रहा था किन्तु उसके साक्ष्य (प्रदर्श पी. 3) से यह स्पष्ट है कि ऊपर उल्लिखित पत्र (प्रदर्श डी. 3) 11 बजे अपराह्न में अभिलिखित किया गया था जबकि तारीख 5 जून, 1999 को मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श पी. 9) 10.30 अपराह्न से 10.35 अपराह्न के बीच अभिलिखित किया गया था । डा. अरुण रघुवंशी (अभि. सा. 6) ने अपने हाथ से लिखे हुए आर. एस. ओ. टिप्पण (प्रदर्श पी. 10) को साबित किया है जो पांच अलग-अलग पत्रकों (शीटें) पर लिखा हुआ है और पहले पत्रक पर रोगी के अस्पताल में भर्ती होने का समय 10.30 बजे अपराह्न लिखा हुआ है और (प्रदर्श पी. 10) ने भी उसके द्वारा यह अभिलिखित किया गया है कि रोगी ने यह शिकायत की है कि उपरोक्त चारों व्यक्ति अर्थात् चारों अपीलार्थी उसके घर आए थे और वे उसे वीरपुर पहाड़ी पर मंदिर के निकट ले गए और वहां उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया और वहां से भाग गए । पांच पत्रकों वाले इस टिप्पण के पहले पत्रक के अन्त में यह स्पष्ट किया गया है कि अस्पताल में भर्ती के समय रोगी बेहोश नहीं था, न ही उसके शरीर से रक्त बह रहा था और न ही उसे बोलने में या निगलने में कोई दुविधा हो रही थी और इसके पश्चात् (प्रदर्श पी. 2) के दूसरे पत्रक पर यह अभिलिखित किया गया है कि रोगी सचेत है, पूरी तरह अवबुद्ध है और प्रश्नों के उत्तर दे रहा है । इसी पत्रक पर स्पष्ट रूप से यह लिखा हुआ है कि रोगी की कुल मिलाकर दशा औसत है । उसकी हृदय गति 90 मिनट प्रति मिनट और रक्त दाब 130/76 पाया गया । ड्यूटी पर तैनात ई. एन. टी. विभाग के आर. एस. ओ. को डा. अरुण रघुवंशी द्वारा लिखित पत्र (प्रदर्श डी. 3) में यह अभिलिखित किया गया है कि रोगी गला जलने के कारण बोलने में कठिनाई व्यक्त कर रहा है और उसे बुरी तरह उल्टियां भी हो रही हैं । इसलिए, ई. एन. टी. विशेषज्ञ को सूचना दी गई और रोगी के उपचार के लिए बुलाया गया । यदि मृत्युकालिक कथन लिखने के पश्चात् रोगी 11 बजे अपराह्न में बोलने में कठिनाई व्यक्त कर रहा था तब यह नहीं माना जा सकता है कि

10.30 बजे अपराह्न में रोगी की दशा एक समान थी । यह ध्यान में रखना चाहिए कि रोगी द्वारा बोलने में होने वाली कठिनाई की शिकायत का अर्थ यह नहीं है कि वह बोलने में पूर्ण रूप से असमर्थ था । (पैरा 15, 16 और 18)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[1996] (1996) जे. आई. जे. 634 एस. सी. :
मध्य प्रदेश राज्य बनाम **मोहनलाल और अन्य** । 22

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2002 की दांडिक अपील सं. 51.
(इसके साथ दो अन्य अपीलों की भी सुनवाई की गई)

1999 के सेशन विचारण मामला सं. 311 में नवें अपर सेशन न्यायाधीश, ग्वालियर द्वारा तारीख 10 जनवरी, 2002 को पारित आक्षेपित निर्णय के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से सर्वश्री मधुकर कुलश्रेष्ठ और अतुल गुप्ता

प्रत्यर्थी की ओर से श्री जे. एम. साहनी (लोक अभियोजक)

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति अशोक कुमार जोशी ने दिया ।

न्या. जोशी – दांडिक अपील सं. 51/2002 में पारित एक ही निर्णय द्वारा ऊपर उल्लिखित तीनों दांडिक अपीलों का विनिश्चय किया जा रहा है क्योंकि ये तीनों अपीलें 1999 के सेशन विचारण मामला सं. 311 में नवें अपर सेशन न्यायाधीश, ग्वालियर द्वारा तारीख 10 जनवरी, 2002 को पारित आक्षेपित निर्णय से उद्भूत हैं जिनमें उक्त आक्षेपित आदेश को चुनौती दी गई है । आक्षेपित निर्णय द्वारा अपीलार्थी भोलू और छोटू को भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 302 और अपीलार्थी गुड्डू एवं गोपाल को दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन दोषसिद्ध किया गया है और प्रत्येक अपीलार्थी को

आजीवन कारावास तथा 1,000/- रुपए के जुर्माने जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर अतिरिक्त कारावास भोगने के लिए दंडादिष्ट किया गया है ।

2-3. संक्षेप में अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार हैं कि तारीख 5 जून, 1999 को वकील खान रात्रि लगभग 9 बजे लक्ष्मीनारायण (अभि. सा. 1) के घर पर था, तब दो अपीलार्थी गुड्डू और गोपाल वहां पहुंचे और उन्होंने टहलने जाने के लिए उसे अपने साथ ले लिया और जब वकील खान गुड्डू और गोपाल के साथ नारद बाबा के मंदिर के सामने पैदल चलते हुए पहुंचा वहां पर उन्हें अन्य अपीलार्थी भोलू और छोटू खान मिले । अपीलार्थी भोलू और छोटू खान ने वकील खान से कहा कि वह बहुत बड़ा दादा (बदमाश) बन रहा है, इसके पश्चात् अपीलार्थी गोपाल और गुड्डू ने अन्य अपीलार्थियों को सचेत किया और इसके पश्चात् छोटू और भोलू ने, जिनके हाथों में तेजाब के डिब्बे थे, वकील खान के ऊपर उन डिब्बों में से तेजाब फेंका जो वकील खान के ऊपर गिरा । वकील खान के चिल्लाने पर लक्ष्मीनारायण (अभि. सा. 1) और चक्की के पास खड़े हुए कुछ अन्य व्यक्ति वहां आए और इसके पश्चात् अपीलार्थी वहां से भाग गए ।

4. वकील खान को लक्ष्मीनारायण (अभि. सा. 1) द्वारा पुलिस थाना माधोगंज उसी दिन 9.30 बजे अपराह्न में ले जाया गया जहां पर आहत वकील खान ने चारों अपीलार्थियों के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 20) दर्ज कराई जिसमें यह उल्लेख किया गया कि अपीलार्थियों की उसके साथ पहले से शत्रुता चली आ रही है । वकील खान की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 20) के आधार पर, जिसे कांस्टेबल देवेन्द्र सिंह (अभि. सा. 11) द्वारा अभिलिखित किया गया था, मामला दर्ज किया गया और वकील खान को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया । तारीख 5 जून, 1999 को अस्पताल में डा. अरुण रघुवंशी (अभि. सा. 6) ने वकील खान का मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श पी. 9) लगभग 10.30 बजे अभिलिखित किया और आहत वकील को अस्पताल में भर्ती कराया गया । उपचार के दौरान तारीख 13 जून, 1999 को 8.50 बजे अपराह्न में वकील खान की अस्पताल में ही मृत्यु हो गई और इस संबंध में डा.

हर्षवर्धन द्वारा पुलिस थाना माधोगंज को सूचना दी गई जिस पर रघुबीर सिंह बधोरिया (अभि. सा. 7) ने मर्ग रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 14) अभिलिखित की । इसके पश्चात् मृत्युसमीक्षा की गई और मर्ग-जांच भी की गई । शव को शवपरीक्षण के लिए भेज दिया गया और डा. पूरनलाल गुप्ता (अभि. सा. 10) ने तारीख 14 जून, 1999 को शवपरीक्षण किया और शवपरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 19) तैयार की ।

5. अन्वेषण के अधीन वीरेन्द्र सिंह तोमर (अभि. सा. 8) ने अगले दिन प्रातःकाल अर्थात् तारीख 6 जून, 1999 को लक्ष्मीनारायण के बताए अनुसार स्थल नक्शा (प्रदर्श पी. 1) तैयार किया और प्लास्टिक के दो छोटे डिब्बे अभिगृहीत किए जिनमें थोड़ा तेजाब पड़ा हुआ था और इस संबंध में अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श पी. 2) तैयार किया और इस साक्षी ने आहत वकील खान, लक्ष्मीनारायण, आनंदी बाई और राजकुमार के कथन भी अभिलिखित किए । इस मामले का शेष अन्वेषण ओ. पी. सगोरिया (अभि. सा. 5) द्वारा किया गया । अपीलार्थियों को गिरफ्तार किया गया । अभिगृहीत की गई वस्तुओं को न्यायालयिक प्रयोगशाला, सागर परीक्षण के लिए भेजा गया जिसके साथ पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर द्वारा तारीख 30 अगस्त, 1999 का पत्र भी भेजा और इसके पश्चात् प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्राप्त की गई । औपचारिक अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, ग्वालियर के समक्ष आरोप पत्र फाइल किया गया जिन्होंने इस मामले को सेशन न्यायाधीश, ग्वालियर को सुपुर्द कर दिया और सेशन न्यायालय ने इस मामले को ऊपर उल्लिखित विचारण न्यायालय के लिए स्थानांतरित कर दिया ।

6. प्रत्येक अपीलार्थी ने उसके विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302 के अधीन विचारण न्यायालय द्वारा विरचित आरोप से इनकार किया है । विचारण न्यायालय के समक्ष 11 अभियोजन साक्षियों की परीक्षा कराई गई है । अपीलार्थियों ने विचारण न्यायालय के समक्ष यह प्रतिरक्षा ली है कि उन्हें इस मामले में मिथ्या आलिप्त किया गया है । नूरजहां (अभि. सा. 3) अर्थात् मृतक वकील खान की पत्नी सहित पांच प्रतिरक्षा साक्षियों की परीक्षा कराई गई है । सुनवाई के पश्चात् विचारण न्यायालय ने

अपीलार्थी गुड्डू और गोपाल को दंड संहिता की धारा 302/34 और अपीलार्थी भोलू शाह और छोटू को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध किया है ।

7. अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल ने दृढ़तापूर्वक यह दलील दी है कि विचारण न्यायालय के समक्ष अभिकथित सभी प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है और दो मृत्युकालिक कथनों के आधार पर, जिनमें से एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 20) जो वकील खान द्वारा ही दर्ज कराई गई थी और एक अन्य मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श पी. 9) जो डा. अरुण रघुवंशी (अभि. सा. 6) द्वारा अभिलिखित किया गया था, प्रत्येक अपीलार्थी को इस अपराध का दोषी पाया है किन्तु इन दोनों मृत्युकालिक कथनों के बीच इन बातों को लेकर महत्वपूर्ण अन्तर और विरोधाभास हैं कि कितने अपीलार्थी वकील खान को अपने साथ लेकर गए थे और वे किसके घर से उसे लेकर गए थे और कितने अभियुक्तों ने उस पर तेजाब फेंका था । यह भी दलील दी गई है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 20) में ही वकील खान द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि उसके मुंह में तेजाब चला गया था और प्रतिरक्षा साक्षियों के साक्ष्य के अनुसार घटना के पश्चात् वकील खान बोलने की स्थिति में नहीं था । अतः, विचारण न्यायालय ने ऐसे विरोधाभासी मृत्युकालिक कथनों का अवलंब लेने में त्रुटि की है । यह भी दलील दी गई है कि अभियोजन पक्षकथन के अनुसार वकील खान की अपीलार्थियों के साथ पहले से शत्रुता चली आ रही थी और साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि वकील खान पहले से दोषसिद्ध चला आ रहा था और उसे मुन्ना खान **उर्फ** मोहम्मद अली की हत्या करने के अपराध के लिए दंडादिष्ट भी किया गया था और अभिकथित प्रत्यक्षदर्शी साक्षी साबू शाह (अभि. सा. 3) ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने ऊपर उल्लिखित मुन्ना खान के छोटे भाई अकबर को घटना के तत्काल पश्चात् घटनास्थल पर घटना के दौरान भागते हुए देखा था । अतः, सभी अपीलार्थियों के काउंसेल द्वारा यह निवेदन किया गया है कि सभी अपीलार्थियों द्वारा फाइल की गई अपीलें मंजूर की जानी चाहिए

और उन्हें दोषमुक्त किया जाना चाहिए ।

8. इसके प्रतिकूल राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् लोक अभियोजक ने विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित आक्षेपित दोषसिद्धि और दंडादेश का समर्थन किया है क्योंकि सरपंच शान्ति देवी (प्रतिरक्षा साक्षी 5) और प्रतिरक्षा पक्ष के अन्य ने भी यह अभिसाक्ष्य दिया है कि घटना के तत्काल पश्चात् घटनास्थल पर ही वकील खान बोलने की स्थिति में था और ऊपर उल्लिखित मृत्युकालिक कथनों में कोई भी सारभूत अन्तर या विरोधाभास नहीं है, इसलिए सभी अपीलों को खारिज किए जाने की प्रार्थना की गई है ।

9. डा. पूरन लाल गुप्ता (अभि. सा. 10) के साक्ष्य और शवपरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 19) से यह स्पष्ट हो जाता है कि वकील खान के शव का शवपरीक्षण तारीख 14 जून, 1999 को 12.30 बजे अपराह्न में आरंभ किया गया था और यह पता चला कि मृतक वकील खान की पीठ, आंखों, गर्दन के सामने की ओर, वक्ष और उदर से लेकर नाभि तक द्वितीय से लेकर तृतीय श्रेणी की जली हुई क्षतियां पाईं गई थीं जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थीं ।

10. डा. पूरन लाल गुप्ता (अभि. सा. 10) के साक्ष्य को प्रतिपरीक्षा के दौरान सारभूत रूप से चुनौती नहीं दी गई है । अतः, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह साबित हो गया है कि वकील खान की मृत्यु तारीख 5 जून 1999 को तेजाब फेंके जाने के कारण आई क्षतियों से हुई है जो कि मानव वध है ।

11. तारीख 5 जून, 1999 को 9.30 बजे अपराह्न में पुलिस थाना माधोगंज में वकील खान द्वारा उसके जीवनकाल में ही प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 20) में ही प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसे हैड कांस्टेबल देवेन्द्र सिंह (अभि. सा. 11) द्वारा लिखा गया था । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में भी यह उल्लेख किया गया है कि शिकायतकर्ता वकील खान लक्ष्मीनारायण के साथ पुलिस थाना माधोगंज गया था और शिकायतकर्ता ने उसे (लक्ष्मीनारायण) को अपना जीजा बताया किन्तु अभिकथित प्रत्यक्षदर्शी साक्षी लालाराम (अभि. सा. 2) और साबू शाह

(अभि. सा. 3) और बब्बन (अभि. सा. 4) ने अपने साक्ष्य में अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है और वे पक्षद्रोही घोषित किए गए हैं । अभियोजन पक्षकथन के अनुसार घटना के पूर्व वकील खान को दो अपीलार्थियों अर्थात् गुड्डू और गोपाल द्वारा लक्ष्मीनारायण के घर से बाहर लाया गया था और घटना के तुरन्त बाद लक्ष्मीनारायण (अभि. सा. 1) और उसकी माता आनंदी बाई (प्रतिरक्षा साक्षी 1) घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने वकील खान को वीरपुर में स्थित नारद बाबा के मंदिर के सामने पड़ा हुआ देखा किन्तु लक्ष्मीनारायण (अभि. सा. 1) ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया और उसे भी पक्षद्रोही घोषित किया गया क्योंकि इस साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि घटना के समय वह अपनी नाई की दुकान पर था और उसने अपनी दुकान पर यह सुना कि वकील खान, जो कालीन बुनने का काम करता है, पर तेजाब फेंका गया है । लक्ष्मीनारायण (अभि. सा. 1) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि यह घटना नारद बाबा के बगीचे और हनुमानजी के मंदिर के सामने लगभग 7.30 बजे अपराह्न में घटित हुई थी किन्तु उसके समक्ष सरपंच शांतिबाई (अभि. सा. 5) ने पुलिस को सूचना दी थी, अतः, पुलिस घटनास्थल पर आई और वकील खान को अस्पताल ले गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया । लक्ष्मीनारायण (अभि. सा. 1) ने यद्यपि ने स्थल नक्शा (प्रदर्श पी. 1) और अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श पी. 2), जो अगले दिन प्रातःकाल अन्वेषण के दौरान तैयार किए गए थे, पर किए गए अपने हस्ताक्षरों की शनाख्त की है किन्तु उसने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि ये दस्तावेज उसकी मौजूदगी में तैयार नहीं किए गए थे और न ही उसके सामने किसी वस्तु को अभिगृहीत किया गया था किन्तु इस साक्षी ने अपने अभिसाक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि घटना के दिन 9 बजे अपराह्न के पश्चात् वह अपने घर पर मौजूद था ।

12. लक्ष्मीनारायण (अभि. सा. 1) ने स्वयं यह अभिसाक्ष्य दिया है कि आहत वकील खान ने स्वयं पुलिस को उन व्यक्तियों के नाम बताए थे जिन्होंने उस पर तेजाब फेंका था । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह अभिसाक्ष्य दिया है कि घटना के पश्चात् वह घटनास्थल पर पहुंचा और उसने वकील खान को क्षतिग्रस्त अवस्था में पड़ा हुआ पाया

और उस समय वकील खान ने उसे और वहां मौजूद अन्य व्यक्तियों को यह बताया कि किसी ने उस पर तेजाब फेंका है और वहां से भाग गया है तथा उन व्यक्तियों द्वारा पूछे जाने पर वकील खान ने उत्तर दिया कि अंधेरे के कारण वह उस व्यक्ति को नहीं पहचान सका जिसने उस पर तेजाब फेंका था । लक्ष्मीनारायण के सम्पूर्ण साक्ष्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसने कुल मिलाकर विरोधाभासी तथ्यों का उल्लेख किया है किन्तु उसके साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि घटना के तत्काल पश्चात् वकील खान बोल रहा था और उससे पूछे गए प्रश्नों के जवाब भी दे रहा था ।

13. अभिकथित प्रत्यक्षदर्शी साक्षी (जिन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया है) अर्थात् लालाराम (अभि. सा. 2) और बब्बन (अभि. सा. 4) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उनके समक्ष कोई घटना घटित नहीं हुई और वे वकील खान को नहीं जानते हैं किन्तु लालाराम (अभि. सा. 2) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अगले दिन प्रातःकाल उसे यह सूचना मिली कि हनुमानजी के मंदिर के निकट एक व्यक्ति ने किसी व्यक्ति पर तेजाब फेंक दिया है किन्तु अन्य अभिकथित प्रत्यक्षदर्शी साक्षी जिसे पक्षद्रोही घोषित किया गया है अर्थात् साबू शाह (अभि. सा. 3) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि घटना के समय वह बब्बन (अभि. सा. 4) के साथ गोल पहाड़ी क्षेत्र से अपने घर जा रहा था, तब उसने देखा कि एक लड़का वकील खान पर तेजाब का बर्तन उंड़ेलकर भाग रहा है किन्तु चूंकि यह घटना रात्रि में घटित हुई थी इसलिए वह तेजाब फेंकने वाले व्यक्ति को नहीं देख सका किन्तु इस साक्षी ने यह स्पष्ट किया है कि घटना के पश्चात् वकील खान बेचैनी से तड़प रहा था और वहां पर भीड़ इकट्ठी हो गई । अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल ने साबू शाह (अभि. सा. 3) की प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों पर अधिक बल दिया है कि घटना के पश्चात् उसने अकबर को भागते हुए देखा था और अकबर ने वकील खान पर तेजाब फेंका है क्योंकि वकील खान का अकबर के बड़े भाई मुन्ना खान **उर्फ** मोहम्मद अली की हत्या कारित करने के लिए पहले ही दंड संहिता की धारा 302 के अधीन विचारण किया जा चुका था और उसकी दोषसिद्धि भी की गई थी । साबू शाह (अभि. सा. 3) के सम्पूर्ण साक्ष्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसी बात को लेकर इस साक्षी ने अपनी मुख्य

परीक्षा और प्रतिपरीक्षा में पूर्णतया भिन्न तथ्यों का उल्लेख किया है, इसलिए प्रतिपरीक्षा के दौरान दिया गया उसका यह साक्ष्य मुख्य परीक्षा के दौरान दिए गए अपने ही साक्ष्य से मेल नहीं खाता है कि अकबर ने वकील खान पर तेजाब फेंका था ।

14. हैड कांस्टेबल देवेन्द्र सिंह (अभि. सा. 11) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 5 जून, 1999 को जब वह पुलिस थाना माधोगंज में मोहर्रिर के पद पर कार्यरत था, तब उसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 20) लिखी थी जिसे शिकायतकर्ता वकील खान ने चारों वर्तमान अपीलार्थियों के विरुद्ध दर्ज कराई थी और वकील खान ने उस पर अपने अंगूठे की छाप लगाई थी और उसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर भी किए थे और इस प्रकार मामला दर्ज किया गया । धीरेन्द्र सिंह (अभि. सा. 11) के साक्ष्य के अनुसार आहत शिकायतकर्ता वकील खान अपने जीजा लक्ष्मीनारायण (नाई) के साथ पुलिस थाना माधोगंज आया था । इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा के दौरान वही दोहराया है जिसका उल्लेख शिकायतकर्ता द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 20) में किया गया था । अपीलार्थियों के विद्वान काउंसेल द्वारा यह दलील दी गई है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 20), धीरेन्द्र सिंह (अभि. सा. 11) द्वारा मृत्युकालिक कथन अभिलिखित करने के लिए आवश्यक पुलिस मैनुअल के उपबंधों के अनुसरण में अभिलिखित नहीं की गई है । यह उल्लेखनीय है कि धीरेन्द्र सिंह (अभि. सा. 11) ने आहत शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अभिलिखित की है और उस समय उसने मृत्युकालिक कथन अभिलिखित नहीं किया था । इसलिए, प्रथमदृष्ट्या यह दलील देना व्यर्थ और अर्थहीन है कि अभि. सा. 11 ने पुलिस मैनुअल के नियमों का पालन मृत्युकालिक कथन अभिलिखित करने में नहीं किया है । इसके पश्चात्, उसी दिन अर्थात् तारीख 5 जून, 1999 को अस्पताल में डा. अरुण रघुवंशी (अभि. सा. 6) द्वारा एक अन्य मृत्युकालिक कथन अभिलिखित किया गया था । इसलिए, शिकायतकर्ता द्वारा दी गई सूचना के आधार पर धीरेन्द्र सिंह (अभि. सा. 11) द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट लिखने से संबंधित साक्ष्य संदिग्ध नहीं हो सकता ।

15. डा. अरुण रघुवंशी (अभि. सा. 6) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 5 जून, 1999 को जब वह जे. ए. एच. अस्पताल, ग्वालियर में पुरुष शल्य-चिकित्सा वार्ड में आर. एस. ओ. के रूप में तैनात था, तब आहत वकील खान को आपातकालीन कक्ष में लाया गया तब उसने आहत वकील खान का कथन अभिलिखित किया क्योंकि उस समय वकील खान बोल पाने, बात समझने और प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम था और अभि. सा. 6 ने वकील खान से कई प्रश्न पूछे और उसने वकील खान द्वारा दिए गए उत्तर अभिलिखित किए और उस समय वकील खान ने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया और साथ ही उसने यह भी बताया कि उसे ये क्षतियां किस प्रकार, कहां और किस समय कारित हुई हैं, इसके पश्चात् वकील खान ने उत्तर दिया कि चार व्यक्ति अर्थात् छोटे, भोलू, गुड्डू और गोपाल उसके घर आए और उसे वीरपुर की छोटी पहाड़ी पर ले गए जो भैरो बाबा के मंदिर के निकट है और इन चारों व्यक्तियों ने मंदिर के निकट उस पर तेजाब फेंका है, इसलिए उसे ये क्षतियां कारित हुई हैं । डा. रघुवंशी (अभि. सा. 6) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वकील खान द्वारा दिया गया कथन (प्रदर्श पी. 9) उसने (अभि. सा. 6) अपने हाथ से लिखा है और कथन अभिलिखित करने के पश्चात् उसने आहत वकील खान के अंगूठे की छाप भी लगवाई । डा. रघुवंशी (अभि. सा. 6) ने अस्पताल के उपचार-पत्र (प्रदर्श पी. 11 और प्रदर्श पी. 12) तथा बेड-हैड टिकट (प्रदर्श पी. 3) पर किए गए अपने हस्ताक्षरों की शनाख्त की है और उसने बेड-हैड टिकट पर वकील खान द्वारा लगाए गए अंगूठे की छाप की भी शनाख्त की है ।

16. प्रदर्श पी. 9 से यह पता चलता है कि तारीख 5 जून, 1999 को कथन अभिलिखित किए जाने के आरंभ में 10.30 बजे अपराह्न का समय डाला गया है और कथन अभिलिखित किए जाने के अंत में डा. अरुण रघुवंशी (अभि. सा. 6) ने अपने हस्ताक्षर किए हैं और इन हस्ताक्षरों के नीचे 10.35 बजे का समय विशेष रूप से डाला गया है । कथन प्रश्नोत्तर रूप में अभिलिखित किया गया है जिसमें डा. रघुवंशी (अभि. सा. 6) द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं और वकील खान द्वारा उन प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं । यह भी स्पष्ट है कि वकील खान का कथन

अभिलिखित किए जाने के कार्य को आरंभ करने के पूर्व, डा. रघुवंशी (अभि. सा. 6) ने अपना प्रमाणन अभिलिखित किया है कि इस समय वकील खान पूर्णतया सचेत है, होश में है और किसी भी ओषधि के प्रभाव में नहीं है और न ही किसी व्यक्ति द्वारा दी गई गई धमकी के प्रभाव में है और इसलिए उसे कथन देने के लिए ठीक अवस्था में पाया गया है । (प्रदर्श पी. 9) पर डा. प्रकाश किरार द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं और उसके नीचे डा. रघुवंशी (अभि. सा. 6) ने अपने प्रमाणन पर हस्ताक्षर किए हैं कि रोगी अपना कथन अभिलिखित किए जाने के दौरान पूरी तरह होश में था और (अभि. सा. 6) ने अपने इस प्रमाणन पर तारीख और समापन के समय का उल्लेख करते हुए हस्ताक्षर किए हैं ।

17. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 20) में शिकायतकर्ता द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि दो अपीलार्थी गुड्डू और गोपाल घटना के पूर्व उसके जीजा लक्ष्मीनारायण के घर से उसे लेकर गए जबकि डा. रघुवंशी (अभि. सा. 6) द्वारा प्रदर्श पी. 9 में यह अभिलिखित किया गया है कि चारों अपीलार्थी अर्थात् छोटे, भोलू, गुड्डू और गोपाल उसके घर आए और उसे बुलाकर वीरपुर की पहाड़ी पर मंदिर के निकट ले गए और चारों अपीलार्थियों ने वहां पर उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया, इस कारण वह जल गया, जबकि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 20) में शिकायतकर्ता वकील खान द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि केवल दो अपीलार्थी गुड्डू और गोपाल उसे टहलने जाने के लिए घर से बुलाकर ले गए थे और मंदिर के निकट वे अन्य दो अपीलार्थियों अर्थात् भोलू और छोटू से मिले वहां पर निकट ही खड़े हुए थे और थोड़ी बातचीत के पश्चात् केवल भोलू और छोटू ने दो बर्तनों से उसके ऊपर तेजाब उंड़ेल दिया । यह दलील दी गई है कि इन दोनों मृत्युकालिक कथनों में जो दो भिन्न-भिन्न व्यक्तियों द्वारा अभिलिखित किए गए हैं, सारभूत विरोधाभास है, फिर भी विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी भोलू और छोटू को धारा 302 के अधीन और अन्य दो अपीलार्थियों अर्थात् गुड्डू और गोपाल को दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन दोषसिद्ध किया है । विवक्षित रूप से यह प्रतीत होता है कि विद्वान् विचारण न्यायालय ने मृत्युकालिक कथन को, जो प्रथम

इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 20) के रूप में हैड कांस्टेबल द्वारा अभिलिखित किया गया है, को अधिक महत्व दिया है ।

18. इसी प्रकार, डा. अरुण रघुवंशी (अभि. सा. 6 के साक्ष्य में दिए गए तथ्यों पर अधिक बल दिया गया है क्योंकि इस साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 5 जून, 1999 को 11 बजे अपराह्न में अभिलिखित (प्रदर्श डी. 3) में उसने स्वयं यह लिखा था कि वकील खान बोलने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर रहा था और अपना मुंह जलने की शिकायत कर रहा था और निरन्तर उल्टी कर रहा था किन्तु उसके साक्ष्य (प्रदर्श पी. 3) से यह स्पष्ट है कि ऊपर उल्लिखित पत्र (प्रदर्श डी. 3) 11 बजे अपराह्न में अभिलिखित किया गया था जबकि तारीख 5 जून, 1999 को मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श पी. 9) 10.30 अपराह्न से 10.35 अपराह्न के बीच अभिलिखित किया गया था । डा. अरुण रघुवंशी (अभि. सा. 6) ने अपने हाथ से लिखे हुए आर. एस. ओ. टिप्पण (प्रदर्श पी. 10) को साबित किया है जो पांच अलग-अलग पत्रकों (शीटें) पर लिखा हुआ है और पहले पत्रक पर रोगी के अस्पताल में भर्ती होने का समय 10.30 बजे अपराह्न लिखा हुआ है और (प्रदर्श पी. 10) ने भी उसके द्वारा यह अभिलिखित किया गया है कि रोगी ने यह शिकायत की है कि उपरोक्त चारों व्यक्ति अर्थात् चारों अपीलार्थी उसके घर आए थे और वे उसे वीरपुर पहाड़ी पर मंदिर के निकट ले गए और वहां उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया और वहां से भाग गए । पांच पत्रकों वाले इस टिप्पण के पहले पत्रक के अन्त में यह स्पष्ट किया गया है कि अस्पताल में भर्ती के समय रोगी बेहोश नहीं था, न ही उसके शरीर से रक्त बह रहा था और न ही उसे बोलने में या निगलने में कोई दुविधा हो रही थी और इसके पश्चात् प्रदर्श पी. 2 के दूसरे पत्रक पर यह अभिलिखित किया गया है कि रोगी सचेत है, पूरी तरह अवबुद्ध है और प्रश्नों के उत्तर दे रहा है । इसी पत्रक पर स्पष्ट रूप से यह लिखा हुआ है कि रोगी की कुल मिलाकर दशा औसत है । उसकी हृदय गति 90 मिनट प्रति मिनट और रक्त दाब 130/76 पाया गया । ड्यूटी पर तैनात ई. एन. टी. विभाग के आर. एस. ओ. को डा. अरुण रघुवंशी द्वारा लिखित पत्र (प्रदर्श डी. 3) में यह अभिलिखित किया गया है कि रोगी

गला जलने के कारण बोलने में कठिनाई व्यक्त कर रहा है और उसे बुरी तरह उल्टियां भी हो रही हैं । इसलिए, ई. एन. टी. विशेषज्ञ को सूचना दी गई और रोगी के उपचार के लिए बुलाया गया । यदि मृत्युकालिक कथन लिखने के पश्चात् रोगी 11 बजे अपराह्न में बोलने में कठिनाई व्यक्त कर रहा था तब यह नहीं माना जा सकता है कि 10.30 बजे अपराह्न में रोगी की दशा एक समान थी । यह ध्यान में रखना चाहिए कि रोगी द्वारा बोलने में होने वाली कठिनाई की शिकायत का अर्थ यह नहीं है कि वह बोलने में पूर्ण रूप से असमर्थ था ।

19. इस संबंध में, अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल द्वारा उन तथ्यों पर बल दिया गया है जो प्रतिरक्षा साक्षियों के साक्ष्य में रखे गए हैं किन्तु सरपंच शांति देवी (अभि. सा. 5) ने भी अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से यह अभिसाक्ष्य दिया है कि पुलिस थाना माधोगंज को टेलीफोन से संसूचना देने के पश्चात् जब वह घटनास्थल पर पहुंची, तब वकील खान कराहते हुए कह रहा था कि उसके मुंह में तेजाब चला गया है और वह अपनी जान बचाने की मदद मांग रहा था । सरपंच शांति देवी के पति श्यामलाल (प्रतिरक्षा साक्षी 4) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अपनी पत्नी द्वारा टेलीफोन पर सूचना प्राप्त करने के पश्चात् पुलिस थाना माधोगंज से पुलिस घटनास्थल पर 15 से 20 मिनट के बीच पहुंच गई । मोहन सिंह (प्रतिरक्षा साक्षी 2) ने अपनी मुख्य परीक्षा के पैरा 2 में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि लगभग 8 बजे अपराह्न में जब वह अपनी दुकान बंद कर रहा था, तब वकील खान चिल्लाता और रोता हुआ आया और नंदलाल और रमेश के मकान के दरवाजे के सामने गिर गया और उस समय उसके गले से आवाज नहीं निकल पा रही थी और वह स्पष्ट नहीं बोल पा रहा था किन्तु मोहन ने यह स्वीकार किया है कि उसके आटे की चक्की नारद बाबा के मंदिर के निकट स्थित है और मोहन सिंह (अभि. सा. 2) ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 5 में स्पष्ट रूप से यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वकील खान लक्ष्मीनारायण (अभि. सा. 1) के घर पर कालीन बुनने का काम करता है और इसलिए वह वकील खान और लक्ष्मीनारायण को जानता है । मोहन सिंह (प्रतिरक्षा साक्षी 2) ने अपने कथन के पैरा 6 में यह उल्लेख किया है कि वकील

खान की चीख सुनकर वह उसकी ओर दौड़ा । यह बात मोहन सिंह (प्रतिरक्षा साक्षी 2) के सम्पूर्ण साक्ष्य से भी स्पष्ट है कि लक्ष्मीनारायण (अभि. सा. 1) अपना कथन अभिलिखित किए जाने के समय पर सच्चाई को छिपाने का प्रयास कर रहा था क्योंकि यह बात प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 20) से भी स्पष्ट है कि वह वकील खान के साथ रिपोर्ट दर्ज कराने पुलिस थाने गया था और इस साक्षी ने स्वयं पैरा 6 में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि आहत वकील खान ने स्वयं उन व्यक्तियों के संबंध में अपना कथन पुलिस को दिया है जिन्होंने उसके ऊपर तेजाब फेंका था । इन परिस्थितियों में, वकील खान द्वारा उसके जीवित रहने के दौरान दर्ज कराई गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 20) पर संदेह नहीं किया जा सकता ।

20. आनंदीबाई (प्रतिरक्षा साक्षी 1) ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि घटना के पूर्व वकील खान काम करने के लिए उसके घर आ रहा था और घटना वाले दिन सायंकाल वकील खान उसके घर आया और उसने उसके पुत्र दशरथ से मालूम किया कि वह अगले दिन काम पर आए या नहीं और पांच मिनट बाद वकील खान आनंदीबाई के घर से चला गया, इसके पश्चात् लगभग 8 बजे अपराह्न में संतोष कुशवाहा ने आनंदीबाई को बताया कि उस वकील खान पर तेजाब फेंक दिया है जो उसके घर काम करने आता है, इसके पश्चात् आनंदीबाई नारद बाबा के बगीचे में पुलिस के साथ गई क्योंकि उसी समय पुलिस कर्मी उसके घर के सामने से गुजर रहे थे, इसके पश्चात् पुलिस ने मैटाडोर मंगाई और आनंदीबाई भी आहत वकील खान के साथ पहले तो पुलिस थाना माधोगंज और उसके पश्चात् माधो डिस्पेंसरी गई और वहां से जे. ए. अस्पताल गई जहां पर वकील खान को भर्ती करा दिया । यद्यपि आनंदीबाई ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उस समय वकील खान बोलने की स्थिति में नहीं था क्योंकि उसके मुंह में तेजाब चला गया था किन्तु अपनी प्रतिपरीक्षा में आनंदीबाई ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि लक्ष्मीनारायण उसका दामाद है और उसने पुलिस को कोई भी कथन नहीं दिया है जबकि लक्ष्मीनारायण (अभि. सा. 1) और आनंदीबाई (प्रतिरक्षा साक्षी 1) के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि उसका

पति बद्रीप्रसाद लक्ष्मीनारायण का पिता है । इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि आनंदीबाई लक्ष्मीनारायण की माता है आनंदीबाई ने स्वयं को लक्ष्मीनारायण की सास के रूप में प्रस्तुत किया है । आनंदीबाई ने अपने कथन के पैरा 4 में पहले तो यह अभिसाक्ष्य दिया है कि जब वकील खान उसके घर आया, तब लक्ष्मीनारायण उसके घर पर नहीं था किन्तु इसी पैरे की अन्तिम पंक्ति में आनंदीबाई ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वह लक्ष्मीनारायण के साथ आहत वकील खान को आटो-रिक्शा से लेकर पुलिस थाना माधोगंज गई थी । अन्तिम पंक्ति में इस साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वकील खान लक्ष्मीनारायण को अपना जीजा बता रहा था । आनंदीबाई ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह स्वीकार किया है कि जब आहत वकील खान को घटनास्थल से उठाकर ले जाया जा रहा था, लक्ष्मीनारायण आनंदीबाई के साथ था । अन्वेषण अधिकारी ओ. पी. सगोरिया (अभि. सा. 5) के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि उसने अन्वेषण के दौरान आनंदीबाई (प्रतिरक्षा साक्षी 1) का कथन अभिलिखित किया है कि किन्तु आनंदीबाई (अभि. सा. 1) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि पुलिस ने उसका कथन अभिलिखित नहीं किया था । इस प्रकार, आनंदीबाई (प्रतिरक्षा साक्षी 1) के सम्पूर्ण अभिसाक्ष्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि वह अपने पुत्र लक्ष्मीनारायण (अभि. सा. 1) की भांति सच्चाई छिपाने का प्रयास कर रही है ।

21. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श 20) से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी गुड्डू और गोपाल वकील खान को लक्ष्मीनारायण के घर से बाहर टहलने के लिए ले गए थे और वे नारद बाबा के मंदिर के निकट गए जहां पर उन्हें अन्य दो अपीलार्थी भोलू और छोटू मिले और कुछ कहासुनी के पश्चात् गुड्डू और गोपाल ने अन्य अपीलार्थियों से तेजी से काम करने को कहा, इसके पश्चात् भोलू और छोटू ने अपने साथ लिए हुए दो छोटे बर्तनों से तेजाब फेंका । अगले दिन प्रातःकाल ये बर्तन (डिब्बे) अन्वेषण अधिकारी उप निरीक्षक वीरेन्द्र सिंह द्वारा अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श पी. 2) के अनुसार कब्जे में लिए गए । ओ. पी. सगोरिया (अभि. सा. 5) के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि पुलिस अधीक्षक के पत्र के साथ अभिगृहीत की गई वस्तुओं को न्यायालयिक प्रयोगशाला, सागर भेजा गया और

न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 21) से यह स्पष्ट है कि एक बर्तन में 44 प्रतिशत की सांद्रता वाला गंधक का तेजाब था ।

22. यह सुस्थापित है कि केवल मृत्युकालिक कथन के आधार पर और अन्य साक्ष्य से संपुष्टि किए बिना दोषसिद्धि की जा सकती है । डा. अरुण रघुवंशी (अभि. सा. 6) के संपूर्ण साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि तारीख 5 जून, 1999 को 11 बजे अपराह्न से वकील खान की दशा बिगड़ने लगी थी और द्वितीय मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श पी. 9) में अभिकथित विरोधाभास या अन्तर का आना वकील खान की बिगड़ती हुई स्थिति का परिणाम है जो कि 9.30 बजे अपराह्न में अर्थात् प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 20) के दर्ज किए जाने के पश्चात् की स्थिति है । **मध्य प्रदेश राज्य** बनाम **मोहनलाल और अन्य**[1] वाले मामले में निर्णय के पैरा 9 में उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्न मत व्यक्त किया गया है :–

> अभि. सा. 15 के उपरोक्त कथन से मामला इस प्रकार दिखाई देता है कि हमला किया जाना और मांगीलाल पर तेजाब का फेंका जाना मांगीलाल के मिर्च के खेत में झोंपड़ी के बाहर घटित हुआ है वह भी मांगीलाल को उसकी झोंपड़ी से बाहर खींचकर लाने के पश्चात् । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट स्वयं मृतक द्वारा दर्ज कराई गई है जिससे मामले की परिस्थिति का पता चलता है । अतः, प्रदर्श पी. 15 में मृतक को घसीटने और उस पर हमला करने का उल्लेख न किए जाने का मूल्यांकन विद्वान अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा ठीक ही किया गया है कि मृतक की बिगड़ती हुई स्थिति के कारण इस तरह का लोप कथन में आ सकता है और ऐसा लोप घातक नहीं है । हमारी राय में उच्च न्यायालय ने मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित मृतक के स्वेच्छया दिए गए कथन को बिना किसी आधार के त्यक्त करके पूर्णतया गलती की है । मृतक द्वारा दिए गए मृत्युकालिक कथन, जिसे मजिस्ट्रेट (अभि. सा. 10) द्वारा अभिलिखित किया गया था और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट जो अपनी

---

[1] 1996 जे. आई. जे. 634 एस. सी.

मृत्यु से पहले मृतक द्वारा दर्ज कराई गई थी और अब्दुल रहमान (अभि. सा. 1) के साक्ष्य, जिसे मृतक ने घटना के तत्काल पश्चात् घटना के बारे में बताया था, पर विचार करने के पश्चात् हमारे मन में कोई संदेह नहीं रह जाता है कि कथन प्रदर्श पी. 15 सत्य है और स्वेच्छया दिया गया है और यह मृतक द्वारा उस समय दिया गया था जब उसकी मानसिक स्थिति ठीक थी और उसे सिखाए-पढाए जाने की कोई गुंजाइश नहीं थी और इस प्रकार अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष भलीभांति इसका अवलंब ले सकता है । इसके अतिरिक्त, मृतक के शरीर पर हमले से और तेजाब से कारित पाई गई क्षतियों की संख्या की संपुष्टि उक्त मृत्युकालिक कथन के साथ होती है ।

23. उपरोक्त प्रोद्धरण के आलोक में उपरोक्त दो मृत्युकालिक कथनों के बीच अभिकथित अन्तर या विरोधाभास स्पष्ट किए गए हैं । लक्ष्मीनारायण (अभि. सा. 1) और उसकी माता आनंदीबाई तथा कुछ अन्य साक्षियों के सम्पूर्ण साक्ष्य से भी स्पष्ट हो जाता है कि यह घटना वकील खान के साथ वीरपुर में स्थित नारद बाबा के मंदिर के सामने घटित हुई है । इसलिए, विचारण न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट अनेक प्रोद्धरणों के आलोक में वकील खान का मृत्युकालिक कथन विश्वसनीय और विश्वासप्रद प्रतीत होता है । यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने मृतक के मृत्युकालिक कथनों का अवलंब लेने में कोई त्रुटि नहीं की है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 20) के रूप में प्रथम मृत्युकालिक कथन में स्पष्ट रूप से उल्लिखित अपीलार्थियों की भिन्न-भिन्न भूमिका को देखते हुए, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी भोलू और छोटू को दंड संहिता की धारा 302 और अपीलार्थी गुड्डू और गोपाल को दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन दोषसिद्ध किया है । प्रदर्श पी. 20 से यह स्पष्ट हो जाता है कि गुड्डू और गोपाल ने वकील खान को लक्ष्मीनारायण के घर से अपने साथ लिया था और उसे उस स्थान पर ले गए जहां पर अन्य दो अपीलार्थी अर्थात् भोलू और छोटू पहले से तेजाब के साथ तैयार थे और गुड्डू तथा गोपाल ने अन्य अपीलार्थियों से

तेजी से हमला करने को कहा, इसके पश्चात् वकील खान पर तेजाब फेंका गया जिससे चारों अपीलार्थियों का सामान्य आशय होने का प्रमाण मिलता है ।

24. हमारी सुविचारित राय है कि विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य का सूक्ष्मता से परिशीलन किया है और उपरोक्त रूप में प्रत्येक अपीलार्थी को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट करने में कोई त्रुटि नहीं की है । भिन्न-भिन्न अपीलार्थियों द्वारा फाइल की गई तीनों अपीलों में कोई सार नहीं है ।

25. परिणामतः, सभी अपीलार्थियों द्वारा फाइल की गई तीनों अपीलें खारिज की जाती हैं और विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित प्रत्येक अपीलार्थी की दोषसिद्धि और दंडादेश की पुष्टि की जाती है । जिन अपीलार्थियों को जेल भेजे जाने का आदेश निलंबित कर दिया गया था, उन्हें अपना शेष दंड भोगने के लिए विचारण न्यायालय के समक्ष तत्काल अभ्यर्पण करने का निदेश दिया जाता है । जो अपीलार्थी कारावास भोग रहे हैं, उन्हें संबद्ध जेल अधीक्षक के माध्यम से अपनी अपीलों के परिणाम से संसूचित किया जाए ।

26. विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए संपत्ति के निपटारे से संबंधित अभिलेख की भी पुष्टि की जाती है । इस निर्णय की एक प्रति के साथ विचारण न्यायालय का अभिलेख अनुपालन और संसूचना के लिए वापस भेजा जाता है ।

अपील खारिज की गई ।

अस.

मैरी बीना मारक (श्रीमती)

बनाम

मेघालय राज्य

तारीख 31 दिसम्बर, 2018

मुख्य न्यायमूर्ति मोहम्मद याकूब मीर

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 160, 438 और 482 – अग्रिम अल्पकालिक जमानत – उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय को, जिसकी अधिकारिता के भीतर व्यक्ति रहता है या जहां उसे गिरफ्तार किए जाने की आशंका है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के परन्तुक के निबंधनानुसार स्त्री के लिए, ऐसा स्थान जहां घटना घटित हुई, से जुड़े संबद्ध अधिकारिता वाले मामले में आवेदन करने के लिए अग्रिम अल्पकालिक जमानत मंजूर करने की शक्ति है ।

याची के विद्वान् काउंसेल की यह दलील है कि याची दनकदोपग्रे ग्राम, न्यू पूरा, वेस्ट दारोहिल्स की महिला निवासी है और इसके पास तीन अवयस्क बच्चे हैं जो तूरा में पढ़ाई कर रहे हैं, को गलत फंसाया गया है । याची गृहिणी होने के कारण स्वयं को पुणे, महाराष्ट्र जाने को समर्थ बनाने की व्यवस्था करने के लिए कुछ समय की अपेक्षा करती है और अग्रिम जमानत की मंजूरी के लिए महाराष्ट्र राज्य के सक्षम न्यायालय के समक्ष उसे आवेदन करने के लिए एक मास की अवधि के अल्पकालिक जमानत की ईप्सा करती है । विद्वान् अपर लोक अभियोजक का यह निवेदन है कि घटना बनवाड़ी पुलिस थाना, पुणे शहर, महाराष्ट्र की अधिकारिता के भीतर हुई अतः इस न्यायालय को कोई अधिकारिता नहीं है । विचारार्थ पहला प्रश्न यह है कि क्या यह न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 और 482 के अधीन शक्तियों का अवलंब ले सकता है जब घटना महाराष्ट्र राज्य में हुई है । याची ने भारतीय दंड संहिता की धारा 419 और 420 तथा सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम की धारा 66(घ) के अधीन बनवाड़ी पुलिस थाना

मामला सं. 4791/2018 के संबंध में गिरफ्तारी की आशंका व्यक्त करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के साथ पठित धारा 438 के अधीन यह याचिका फाइल की । उच्च न्यायालय द्वारा याचिका मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – अवधारण के लिए प्रश्न यह है कि क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 और 482 के अधीन शक्तियों का अवलंब लेने के लिए न्यायालय की अधिकारिता का विनिश्चय घटनास्थल, अभियुक्त के निवास का स्थान या वह स्थान जहां अभियुक्त को गिरफ्तार किए जाने की आशंका है, के आधार पर किया जाए । प्रत्येक मामले में अधिकारिता का प्रश्न अपने निजी तथ्यों पर निर्भर होता है अर्थात् यह कहें कि यदि अपराध विभिन्न स्थानों में किया गया एक सतत् अपराध है किन्तु मामला एक स्थान पर दर्ज किया गया है तो ऐसी स्थिति में घटनास्थल ऐसा सभी स्थल हो सकता है जहां आंशिक घटना हुई इस प्रकार ऐसी स्थिति में न्यायालय की अधिकारिता ऐसे स्थल तक सीमित नहीं हो सकती जहां मामला दर्ज किया गया । अतः, ऐसी स्थिति में अभियुक्त ऐसे न्यायालय की अधिकारिता के भीतर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 या 482 के अधीन शक्तियों का अवलंब ले सकता है जिसकी अधिकारिता के भीतर घटना या आंशिक घटना घटी । संक्षेप में, अधिकारिता घटना के स्थल पर निर्भर है न कि ऐसा स्थल जहां अभियुक्त रहता है या ऐसा स्थल जहां अभियुक्त को गिरफ्तार किए जाने की आशंका है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 में यह वर्णित है कि जब अन्वेषण चौबीस घंटे के भीतर पूरा नहीं होता है तो अभियुक्त को मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करना होगा । यदि ऐसा मजिस्ट्रेट जिसे व्यक्ति अग्रेषित किया गया है, को मामले का विचारण करने की कोई अधिकारिता नहीं है, तो वह पन्द्रह दिनों से अनधिक अवधि के लिए अभियुक्त का निरोध प्राधिकृत कर सकता है और यदि उसे मामले का विचारण करने या विचारण के लिए इसे सुपुर्द करने की कोई अधिकारिता नहीं है और आगे निरोध को अनावश्यक समझता है तो उसे अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के पास अभियुक्त को अग्रेषित करना चाहिए । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 निःसंदेह अधिकारिता न रखने वाले

मजिस्ट्रेट को पन्द्रह दिनों से अनधिक अवधि के लिए अभियुक्त का निरोध प्राधिकृत करने के लिए सशक्त करती है । वहां से धागा जोड़ते हुए याची के विद्वान् काउंसेल का यह निवेदन है कि यद्यपि इस न्यायालय को कोई अधिकारिता नहीं है फिर भी वह अल्पकालिक जमानत मंजूर कर सकता है । अभिरक्षा के अभियुक्त के हित को सुरक्षित करने के लिए निवेदन सुसंगत है यदि अन्वेषण चौबीस घंटे के भीतर पूरा नहीं होता है तो उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए । कथित कारणों और विधि को ध्यान में रखते हुए न्यायालय यह अभिनिर्धारित करता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 और 482 के अधीन प्रयोग किए जाने वाली शक्ति उच्च न्यायालय या ऐसे सेशन न्यायालय के पास है जिसकी अधिकारिता के भीतर घटना या घटना का भाग घटित हुआ । तथापि, पात्र मामलों में गैर-जमानती अपराधों से संबंधित गिरफ्तारी पूर्व अल्पकालिक जमानत की मंजूरी के लिए उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय की शक्ति, जिसकी अधिकारिता के भीतर व्यक्ति रहता है या स्थान जहां उसके गिरफ्तार होने की आशंका है, अनुज्ञेय है क्योंकि इस प्रकार बाधित नहीं है । अतः अभियुक्त उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय जिसकी अधिकारिता के भीतर वह रहता है या स्थान जहां उसके गिरफ्तार होने की आशंका है, की अधिकारिता का अवलंब ले सकता है तथापि, गिरफ्तारी-पूर्व अल्पकालिक जमानत की मंजूरी नैमित्तिक विषय नहीं हो सकता । अपराध की जघन्यता सहित सम्पूर्ण परिस्थिति पर विचार किया जाना चाहिए । याची गारो हिल्स का निवासी होने के कारण इस न्यायालय की राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर रहता है अतः विधि और पूर्वोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए गुणागुण के अधीन रहते हुए अल्पकालिक जमानत की मंजूरी पर विचार किया जाना चाहिए जिससे कि याची दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 या 482 के अधीन अनुतोष प्राप्त करने के लिए सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में समर्थ हो सके । याचिका में वर्णित याची का यह पक्षकथन है कि दो व्यक्तियों को याची के खाता सं. का उपयोग कर वित्तीय संव्यवहार के संबंध में पुणे में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है । याची की ननद अर्थात् श्रीमती क्रिशतना एम.

मारक में मार्च, 2018 में इस वादे के साथ कि उसे शीघ्र लौटा देगी, याची से ए. टी. एम. कार्ड, पासबुक और चैक एस. बी. आई., ए. सी. सं. 37052981771 लिया था जिसे वापस नहीं किया गया और यह अभिकथन है कि ननद द्वारा दुरुपयोग किया गया जिसके परिणामस्वरूप मामला पुणे में दर्ज किया गया । याची तीन अवयस्क बच्चों की माता होने के कारण अन्वेषण अधिकारी को सहयोग देने के लिए तैयार है और गिरफ्तारी-पूर्व जमानत की रियायत के लिए सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में आवेदन करने के लिए कुछ समय चाहती है । अन्वेषक अधिकारी (अपराध) बनवाड़ी पुलिस थाना, पुणे शहर, महाराष्ट्र ने मामले के दर्ज होने के बारे में याची को सूचित करते हुए और बनवाड़ी पुलिस थाने में तारीख 27 अगस्त, 2018 को प्रातः 11.00 बजे मामले में आगे अन्वेषण करने के लिए उसकी उपस्थिति की अपेक्षा करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के अधीन समन जारी किया । व्यतिक्रम की दशा में, यह माना जाएगा कि याची को कुछ नहीं कहना है और इस प्रकार विधिक कार्रवाई की जाएगी । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के अधीन जारी समन है, जिसके आधार पर याची को गिरफ्तार किए जाने की आशंका है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के निबंधनानुसार मामले का अन्वेषण कर रहा पुलिस अधिकारी ऐसे किसी व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा कर सकेगा जिसे मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित होना प्रतीत होता है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के परन्तुक में यह उल्लेख है कि किसी पुरुष से (जो पन्द्रह वर्ष से कम आयु का है या 65 वर्ष से अधिक आयु का है या महिला या मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति) ऐसे स्थान से भिन्न किसी स्थान पर हाजिर होने की, जिसमें ऐसा पुरुष व्यक्ति या महिला रहती है, अपेक्षा नहीं की जाएगी । स्वीकार्यतः याची एक स्त्री होते हुए, से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के निबंधनानुसार अन्वेषण में पुणे हाजिर होने के लिए नहीं कहा जा सकता । अन्वेषक अधिकारी के समक्ष याची के हाजिर होने की आखिरी तारीख 27 अगस्त, 2018 थी जो बीत चुकी है । अल्पकालिक जमानत मंजूर करने का उद्देश्य व्यक्ति को सक्षम अधिकारिता वाले संबद्ध न्यायालय में आवेदन करने के

लिए व्यवस्था करने हेतु समर्थ बनाना है । (पैरा 7, 10, 19, 20, 21, 22, 23 और 24)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2014] दांडिक याचिका सं. 1322/2014 आदेश तारीख 3.4.2014 :
श्रीमती शरवारी अल्लाधारु बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य** ; 15

[2014] प्रकीर्ण जमानत आवेदन सं. 11470/2013 आदेश तारीख 4.12.2013 :
राहुल अग्रवाल बनाम **राजस्थान राज्य** ; 5

[2008] प्रकीर्ण आवेदन सं. 9578/2008 आदेश तारीख 21.7.2008 :
तरुण ईश्वरदास जगयासी बनाम **गुजरात राज्य** ; 5

[1990] आई. एल. आर. 1990 दिल्ली 203 = 1991 क्रिमिनल ला जर्नल 950 (दिल्ली) :
प्रीतम सिंह बनाम **पंजाब राज्य** ; 5

[1988] 1988 (2) ए. एल. डी. क्रिमिनल 924 :
शैलेश जायसवाल बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य और अन्य**; 5

[1981] [1981] 1 उम. नि. प. 1231 = (1980) 2 एस. सी. सी. 565 = ए. आई. आर. 1980 एस. सी. 1632 :
श्री गुरबख्श सिंह सिब्बिया बनाम **पंजाब राज्य** ; 18

[1980] 1980 क्रिमिनल ला जर्नल 1174 (दिल्ली) :
कैप्टन सतीश कुमार शर्मा बनाम **दिल्ली प्रशासन और अन्य ।** 5

आरम्भिक (दांडिक) अधिकारिता : 2018 की ए. बी. सं. 22.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के साथ पठित धारा 438 के अधीन याचिका ।

याची की ओर से श्री एच. एल. संग्रेइसो

प्रत्यर्थियों की ओर से श्री आर. गुरंग, अपर लोक अभियोजक

मुख्य न्यायमूर्ति मोहम्मद याकूब मीर – याची ने भारतीय दंड संहिता की धारा 419 और 420 तथा सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम की धारा 66(घ) के अधीन बनवाड़ी पुलिस थाना मामला सं. 4791/2018 के संबंध में गिरफ्तारी की आशंका व्यक्त करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता (जिसे इसमें इसके पश्चात् "दंड प्रक्रिया संहिता" कहा गया है) की धारा 482 के साथ पठित धारा 438 के अधीन यह याचिका फाइल की ।

2. विद्वान् अपर लोक अभियोजक का यह निवेदन है कि घटना बनवाड़ी पुलिस थाना, पुणे शहर, महाराष्ट्र की अधिकारिता के भीतर हुई अतः इस न्यायालय को कोई अधिकारिता नहीं है ।

3. याची के विद्वान् काउंसेल की यह दलील है कि याची दनकदोपग्रे ग्राम, न्यू पूरा, वेस्ट दारोहिल्स की महिला निवासी है और इसके पास तीन अवयस्क बच्चे हैं जो तूरा में पढ़ाई कर रहे हैं, को गलत फंसाया गया है । याची गृहिणी होने के कारण स्वयं को पुणे, महाराष्ट्र जाने को समर्थ बनाने की व्यवस्था करने के लिए कुछ समय की अपेक्षा करती है और अग्रिम जमानत की मंजूरी के लिए महाराष्ट्र राज्य के सक्षम न्यायालय के समक्ष उसे आवेदन करने के लिए एक मास की अवधि के अल्पकालिक जमानत की ईप्सा करती है ।

4. विचारार्थ पहला प्रश्न यह है कि क्या यह न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 और 482 के अधीन शक्तियों का अवलंब ले सकता है जब घटना महाराष्ट्र राज्य में हुई है ।

5. याची के विद्वान् काउंसेल का यह निवेदन है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अधीन शक्तियों के अन्यथा भी अल्पकालिक जमानत का अनुरोध कर रहा है या इस न्यायालय की असाधारण अधिकारिता किसी अधिकारितागत सीमा द्वारा बाधित नहीं है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 और 482 की भाषा मेघालय राज्य से परे घटना के बारे में शक्तियों के प्रयोग को सीमित नहीं करती । अपनी

दलील के समर्थन में उन्होंने निम्नलिखित निर्णयों का अवलंब लिया :-

(1) **प्रीतम सिंह** बनाम **पंजाब राज्य**[1],

(2) **कैप्टन सतीश कुमार शर्मा** बनाम **दिल्ली प्रशासन और अन्य**[2],

(3) **शैलेश जायसवाल** बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य और अन्य**[3],

(4) **तरुण ईश्वरदास जगयासी** बनाम **गुजरात राज्य**[4],

(5) **राहुल अग्रवाल** बनाम **राजस्थान राज्य**[5],

(6) **श्रीमती शरवारी अल्लाधारु** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य**[6] ।

6. विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने इस दलील, कि इस न्यायालय को कोई अधिकारिता नहीं है, के समर्थन में मणिपुर राज्य बनाम विकास यादव वाले मामले में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के इम्फाल खंड न्यायपीठ द्वारा दिए गए निर्णय का अवलंब लिया ।

7. अवधारण के लिए प्रश्न यह है कि क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 और 482 के अधीन शक्तियों का अवलंब लेने के लिए न्यायालय की अधिकारिता का विनिश्चय घटनास्थल, अभियुक्त के निवास का स्थान या वह स्थान जहां अभियुक्त को गिरफ्तार किए जाने की आशंका है, के आधार पर किया जाए । प्रत्येक मामले में अधिकारिता का प्रश्न अपने निजी तथ्यों पर निर्भर होता है अर्थात् यह कहें कि यदि अपराध विभिन्न स्थानों में किया गया एक सतत् अपराध है किन्तु मामला एक स्थान पर दर्ज किया गया है तो ऐसी स्थिति में घटनास्थल ऐसा सभी स्थल हो सकता है जहां आंशिक घटना हुई इस प्रकार ऐसी स्थिति में न्यायालय की अधिकारिता ऐसे स्थल तक सीमित नहीं हो

---

1 आई. एल. आर. 1990 दिल्ली 203 = 1991 क्रिमिनल ला जर्नल 950 (दिल्ली).

2 1980 क्रिमिनल ला जर्नल 1174 (दिल्ली).

3 1988 (2) ए. एल. डी. क्रिमिनल 924.

4 प्रकीर्ण आवेदन सं. 9578/2008 आदेश तारीख 21.7.2008.

5 प्रकीर्ण जमानत आवेदन सं. 11470/2013 आदेश तारीख 4.12.2013.

6 दांडिक याचिका सं. 1322/2014 आदेश तारीख 3.4.2014.

सकती जहां मामला दर्ज किया गया । अतः, ऐसी स्थिति में अभियुक्त ऐसे न्यायालय की अधिकारिता के भीतर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 या 482 के अधीन शक्तियों का अवलंब ले सकता है जिसकी अधिकारिता के भीतर घटना या आंशिक घटना घटी । संक्षेप में, अधिकारिता घटना के स्थल पर निर्भर है न कि ऐसा स्थल जहां अभियुक्त रहता है या ऐसा स्थल जहां अभियुक्त को गिरफ्तार किए जाने की आशंका है ।

8. यह स्थिर है कि जमानत मंजूर करने की अधिकारिता सुपुर्द न्यायालय या विचारण न्यायालय के पास है जैसा कि यह दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 13 से स्पष्ट है । इस मामले के प्रयोजन के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 177 और 178 को उद्धृत करना सुसंगत है :-

> "177. **जांच और विचारण का मामूली स्थान** - प्रत्येक अपराध की जांच और विचारण मामूली तौर पर ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर वह अपराध किया गया है ।
>
> 178. **जांच या विचारण का स्थान** - (क) जहां यह अनिश्चित है कि कई स्थानीय क्षेत्रों में से किसमें अपराध किया गया है, अथवा
>
> (ख) जहां अपराध अंशतः एक स्थानीय क्षेत्र में और अंशतः किसी दूसरे में किया गया है, अथवा
>
> (ग) जहां अपराध चालू रहने वाला है और उसका किया जाना एक से अधिक स्थानीय क्षेत्रों में चालू रहता है, अथवा
>
> (घ) जहां वह विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में किए गए कई कार्यों से मिलकर बनता है, वहां उसकी जांच या विचारण ऐसे स्थानीय क्षेत्रों में से किसी पर अधिकारिता रखने वाले न्यायालय द्वारा किया जा सकता है ।"

9. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 और 482 के अधीन उच्च न्यायालय और धारा 438 के अधीन सेशन न्यायालय के मामले में

अधिकारिता अपने संबद्ध क्षेत्रीय अधिकारिताओं के भीतर होना चाहिए ।

10. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 में यह वर्णित है कि जब अन्वेषण चौबीस घंटे के भीतर पूरा नहीं होता है तो अभियुक्त को मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करना होगा । यदि ऐसा मजिस्ट्रेट जिसे व्यक्ति अग्रेषित किया गया है, को मामले का विचारण करने की कोई अधिकारिता नहीं है, तो वह पन्द्रह दिनों से अनधिक अवधि के लिए अभियुक्त का निरोध प्राधिकृत कर सकता है और यदि उसे मामले का विचारण करने या विचारण के लिए इसे सुपुर्द करने की कोई अधिकारिता नहीं है और आगे निरोध को अनावश्यक समझता है तो उसे अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के पास अभियुक्त को अग्रेषित करना चाहिए । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 निःसंदेह अधिकारिता न रखने वाले मजिस्ट्रेट को पन्द्रह दिनों से अनधिक अवधि के लिए अभियुक्त का निरोध प्राधिकृत करने के लिए सशक्त करती है । वहां से धागा जोड़ते हुए याची के विद्वान् काउंसेल का यह निवेदन है कि यद्यपि इस न्यायालय को कोई अधिकारिता नहीं है फिर भी वह अल्पकालिक जमानत मंजूर कर सकता है । अभिरक्षा के अभियुक्त के हित को सुरक्षित करने के लिए निवेदन सुसंगत है यदि अन्वेषण चौबीस घंटे के भीतर पूरा नहीं होता है तो उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए ।

11. दंड प्रक्रिया संहिता की धाराएं 79, 80 और 81 ऐसे न्यायालय जिसने इसे जारी किया है, की स्थानीय अधिकारिता के बाहर वारंट के निष्पादन पर अभियुक्त की गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करती हैं । धारा 80 में यह उपबंध है कि जब वारंट के निष्पादन पर व्यक्ति को अधिकारिता के बाहर गिरफ्तार किया जाता है तो उसे निकटतम मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त के समक्ष पेश किया जाना चाहिए । आगे धारा 81 यह उपबंध करती है कि इस प्रकार गिफ्तार किए गए व्यक्ति को कैसे अभिरक्षा में भेजा जाए और यह भी उपबंध करती है कि यदि अपराध जमानतीय है और अभियुक्त प्रतिभू देने के लिए तैयार है तो अधिकारिता पर ध्यान दिए बिना उसे छोड़ा जा सकता है ।

12. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 79 से 81 और धारा 167(2) को ध्यान में रखते हुए अधिकारिता न रखने वाले न्यायालय द्वारा भी अल्पकालिक जमानत मंजूर किया जा सकता है अर्थात् जिसकी अधिकारिता के भीतर घटना नहीं घटी हो । उक्त उपबंध व्यक्ति के संरक्षण/स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं । संहिता की धारा 79 से 81 सुसंगत हैं और इन्हें नीचे यहां उद्धृत किया जा रहा है :–

"धारा 79. **अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट** – (1) जब पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट का निष्पादन उसे जारी करने वाले न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के बाहर किया जाना है तब वह पुलिस अधिकारी उसे पृष्ठांकन के लिए मामूली तौर पर ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी से अनिम्न पंक्ति के पुलिस अधिकारी के पास जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर उस वारंट का निष्पादन किया जाना है, ले जाएगा ।

(2) ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी उस पर अपना नाम पृष्ठांकित करेगा और ऐसा पृष्ठांकन उस पुलिस अधिकारी के लिए, जिसको वह वारंट निर्दिष्ट किया गया है, उसका निष्पादन करने के लिए पर्याप्त प्राधिकार होगा और स्थानीय पुलिस यदि ऐसी अपेक्षा की जाती है तो ऐसे अधिकारी की ऐसे वारंट का निष्पादन करने में सहायता करेगा ।

(3) जब कभी यह विश्वास करने का कारण हो कि उस मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी का जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर वह वारंट निष्पादित किया जाना है, पृष्ठांकन प्राप्त करने में होने वाले विलंब से ऐसा निष्पादन न हो पाएगा, तब वह पुलिस अधिकारी जिसे वह निर्दिष्ट किया गया है उसका निष्पादन उस न्यायालय की जिसने उसे जारी किया है, स्थानीय अधिकारिता से परे किसी स्थान में ऐसे पृष्ठांकन के बिना कर सकता है ।

(80) **जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया गया है, उसके**

गिरफ्तार होने पर प्रक्रिया – जब गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन उस जिले से बाहर किया जाता है जिसमें वह जारी किया गया था तब गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, उस दशा के सिवाय जिसमें वह न्यायालय जिसने वह वारंट जारी किया गिरफ्तारी के स्थान से तीस किलोमीटर के अंदर है या उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त से जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर गिरफ्तारी की गई थी, अधिक निकट है, या धारा 71 के अधीन प्रतिभूति ले ली गई है, ऐसे मजिस्ट्रेट या जिला अधीक्षक या आयुक्त के समक्ष ले जाया जाएगा ।

(81) **उस मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार किया गया व्यक्ति लाया जाए** – (1) यदि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति वही व्यक्ति प्रतीत होता है जो वारंट जारी करने वाले न्यायालय द्वारा आशयित है तो ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त उस न्यायालय के पास उसे अभिरक्षा में भेजने का निदेश देगा :

परन्तु यदि अपराध जमानतीय है और ऐसा व्यक्ति ऐसी जमानत देने के लिए तैयार और रजामंद है जिससे ऐसे मजिस्ट्रेट, जिला अधीक्षक या आयुक्त का समाधान हो जाए या वारंट पर धारा 71 के अधीन निदेश पृष्ठांकित है और ऐसा व्यक्ति ऐसे निदेश द्वारा अपेक्षित प्रतिभूति देने के लिए तैयार और रजामंद है तो वह मजिस्ट्रेट, जिला अधीक्षक या आयुक्त, यथास्थिति, ऐसी जमानत या प्रतिभूति लेगा और बंधपत्र उस न्यायालय को भेज देगा जिसने वारंट जारी किया था :

परन्तु यह और कि यदि अपराध अजमानतीय है तो (धारा 437 के उपबंधों के अधीन रहते हुए) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए या उस जिले के जिसमें गिरफ्तारी की गई है सेशन न्यायाधीश के लिए धारा 78 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट जानकारी और दस्तावेजों पर विचार करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति को छोड़ देना विधिपूर्ण होगा ।

(2) इस धारा की कोई बात पुलिस अधिकारी को धारा 71 के अधीन प्रतिभूति लेने से रोकने वाली न समझी जाएगी ।"

13. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167, 79, 80 और 81 को ध्यान में रखते हुए अब प्रश्न यह है कि क्या गिरफ्तारी की प्रत्याशा में अल्पकालिक जमानत घटनास्थल से संबद्ध अधिकारिता न होते हुए भी अनुज्ञेय है ।

14. **शैलेश जायसवाल** बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य** (पूर्वोक्त) वाले मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में, कलकत्ता उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ ने इस विनिर्दिष्ट बिन्दु के संबंध में खंड न्यायपीठ के इस निर्देश पर विचार करते हुए कि क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 घटना होने के स्थल के बावजूद देश के भीतर किसी उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत मंजूर करने की शक्ति प्रदान करती है । धारा 177, 76 और 167(2) तथा विभिन्न निर्णयों को निर्दिष्ट करने के पश्चात् यह अभिनिर्धारित किया गया है जो पैरा 27 के निम्नलिखित भाग से स्पष्ट है :-

"27. ..... अधिकारिता की स्थानीय सीमा से परे किसी अन्य न्यायालय अर्थात् उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत की अधिकारिता का प्रयोग संक्रमण अवधि के लिए जमानत पर विचार करने तक सीमित है किन्तु उसे उस न्यायालय जिसके भीतर अभिकथित अपराध किया गया है, की स्थानीय अधिकारिता की सीमाओं में अतिक्रमण करने की कोई अधिकारिता नहीं है ..... ।"

15. **श्रीमती शरवारी अल्लाधारु** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य** (पूर्वोक्त) वाले मामले में 2014 की दांडिक याचिका सं. 1322 को मंजूर करते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने, यह ध्यान देते हुए कि अभिकथित अपराध अनन्यतः मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है, हैदराबाद के संबद्ध अधिकारितागत न्यायालय के समक्ष याचिका फाइल करने तक अल्पकालिक जमानत मंजूर की ; राजस्थान उच्च न्यायालय ने **राहुल अग्रवाल** बनाम **राजस्थान राज्य** (पूर्वोक्त) वाले

मामले में तारीख 4 दिसम्बर, 2013 के आदेश द्वारा इस शर्त के साथ अल्पकालिक जमानत दी कि इसमें याची नियमित जमानत की मंजूरी के लिए पन्द्रह दिनों के भीतर पश्चिमी बंगाल न्यायालय के समुचित न्यायालय में आवेदन करे ; **तरुण ईश्वरदास जगयासी** बनाम **गुजरात राज्य** (पूर्वोक्त) वाले मामले में गुजरात उच्च न्यायालय ने भी तीस दिनों की अवधि के लिए अल्पकालिक जमानत मंजूर की ; **कैप्टन सतीश कुमार शर्मा** बनाम **दिल्ली प्रशासन और अन्य** (पूर्वोक्त) वाले मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी जमानत मंजूर की अतः इस याचिका को भी इसी तरह माना जाए ।

16. **मणिपुर राज्य** बनाम **विकास यादव** (पूर्वोक्त) वाले मामले में गुवाहाटी उच्च न्यायालय की इम्फाल न्यायपीठ द्वारा दिए गए निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि केवल उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय को अग्रिम जमानत मंजूर करने की शक्ति है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर गैर-जमानतीय अपराध किया गया था । उक्त निर्णय में विधि की तलाश की गई और दंड प्रक्रिया संहिता के विभिन्न उपबंधों को निर्दिष्ट करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला गया कि केवल उच्च न्यायालय या ऐसा सेशन न्यायालय जिसकी अधिकारिता के भीतर घटना घटी, को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अधीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है । किन्तु उक्त निर्णय में गुणागुण के आधार पर यह भी निष्कर्ष निकाला गया कि याची गिरफ्तारी-पूर्व जमानत की छूट पाने का पात्र नहीं है ।

17. कलकत्ता उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ द्वारा दिए गए निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ऐसे न्यायालय जिसकी अधिकारिता के भीतर अभियुक्त को गिरफ्तार किए जाने की आशंका है, द्वारा अल्पकालिक जमानत की मंजूरी अनुज्ञेय है । किन्तु वहीं अल्पकालिक जमानत की मंजूरी के लिए मामले की योग्यता स्थिति की उपेक्षा नहीं की जा सकती ।

18. व्यक्तिगत स्वतंत्रता बहुमूल्य है । युक्तियुक्त आधार पर आपवादिक मामलों में ही इससे वंचित किया जा सकता है । **श्री गुरबख्श**

सिंह सिब्बिया बनाम **पंजाब राज्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 21 की चुनौती को पूरा करने के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता के वंचितीकरण के लिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ऋजु, उचित और युक्तियुक्त होना चाहिए । निर्णय का पैरा 26 उद्धृत किए जाने हेतु सुसंगत है :-

> "26. हमें श्री तारकुण्डे की इस दलील में बहुत ही सार दिखाई पड़ता है कि चूंकि जमानत देने से इनकार करना दैहिक स्वाधीनता से वंचित करने की कोटि में आता है, इसलिए न्यायालय को धारा 438 के विस्तार पर अनावश्यक निर्बंधनों के अधिरोपण के विरुद्ध विशेषकर तब अपना रुख रखना चाहिए, जबकि विधान-मण्डल ने उस धारा के उपबंधों पर ऐसा कोई भी निर्बंधन अधिरोपित नहीं किया है । धारा 438 ऐसा प्रक्रियात्मक उपबंध है जिसका संबंध ऐसे व्यक्ति की दैहिक स्वाधीनता से है जो कि निर्दोषिता की उपधारणा का फायदा प्राप्त करने का हकदार है, क्योंकि वह अग्रिम जमानत के लिए प्रस्तुत अपने आवेदन की तारीख को, ऐसे अपराध से दोषसिद्ध नहीं किया गया है जिसके संबंध में वह जमानत प्राप्त करने की ईप्सा कर रहा है । ऐसे निर्बंधनों और शर्तों को जो धारा 438 में मौजूद नहीं है, अत्युदार रूप से अधिरोपित करने के परिणामस्वरूप उसके उपबंध सांविधानिक रूप से आलोचना के विषय हो जाएंगे, क्योंकि दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अयुक्तियुक्त निर्बंधनों के अनुपालन पर निर्भर नहीं रखा जा सकता । धारा 438 में अन्तर्विष्ट फायदाप्रद उपबंध को अवश्य ही संरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, किन्तु उन्हें नष्ट नहीं कर दिया जाना चाहिए । मेनका गांधी [1979] 1 उम. नि. प. 243 = (1978) 1 एस. सी. सी. 248 वाले मामले में किए गए विनिश्चय के पश्चात्, इस संबंध में कोई भी संदेह नहीं रह सकता है कि संविधान के अनुच्छेद 21

---

[1] [1981] 1 उम. नि. प. 1231 = (1980) 2 एस. सी. सी. 565 = ए. आई. आर. 1980 एस. सी. 1632.

की चुनौती का मुकाबला करने की दृष्टि से किसी व्यक्ति की स्वाधीनता से उसे वंचित करने के लिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को उचित, न्यायोचित और युक्तियुक्त होना चाहिए । जिस रूप में विधान-मण्डल ने धारा 438 की कल्पना की है, उस पर इस आधार पर आपत्ति नहीं की जा सकती है कि उसमें ऐसी प्रक्रिया विहित की गई है जो कि अन्यायोचित या अनुचित है । हमें ऐसी किसी स्थिति में उसमें उन शब्दों की, जो कि उसमें मौजूद नहीं है, मौजूदगी की बात कह कर उसे सांविधानिक चुनौती का विषय नहीं बनाना चाहिए ।"

19. कथित कारणों और विधि को ध्यान में रखते हुए मैं यह अभिनिर्धारित करता हूं कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 और 482 के अधीन प्रयोग किए जाने वाली शक्ति उच्च न्यायालय या ऐसे सेशन न्यायालय के पास है जिसकी अधिकारिता के भीतर घटना या घटना का भाग घटित हुआ । तथापि, पात्र मामलों में गैर-जमानतीय अपराधों से संबंधित गिरफ्तारी पूर्व अल्पकालिक जमानत की मंजूरी के लिए उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय की शक्ति, जिसकी अधिकारिता के भीतर व्यक्ति रहता है या स्थान जहां उसके गिरफ्तार होने की आशंका है, अनुज्ञेय है क्योंकि इस प्रकार बाधित नहीं है । अतः अभियुक्त उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय जिसकी अधिकारिता के भीतर वह रहता है या स्थान जहां उसके गिरफ्तार होने की आशंका है, की अधिकारिता का अवलंब ले सकता है तथापि, गिरफ्तारी-पूर्व अल्पकालिक जमानत की मंजूरी नैमित्तिक विषय नहीं हो सकता । अपराध की जघन्यता सहित सम्पूर्ण परिस्थिति पर विचार किया जाना चाहिए ।

20. याची गारो हिल्स का निवासी होने के कारण इस न्यायालय की राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर रहता है अतः विधि और पूर्वोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए गुणागुण के अधीन रहते हुए अल्पकालिक जमानत की मंजूरी पर विचार किया जाना चाहिए जिससे कि याची दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 या 482 के अधीन अनुतोष प्राप्त करने के लिए सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में

समर्थ हो सके ।

21. याचिका में वर्णित याची का यह पक्षकथन है कि दो व्यक्तियों को याची के खाता सं. का उपयोग कर वित्तीय संव्यवहार के संबंध में पुणे में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है । याची की ननद अर्थात् श्रीमती क्रिशतना एम. मारक में मार्च, 2018 में इस वादे के साथ की उसे शीघ्र लौटा देगी, याची से ए. टी. एम. कार्ड, पासबुक और चैक एस. बी. आई., ए. सी. सं. 37052981771 लिया था जिसे वापस नहीं किया गया और यह अभिकथन है कि ननद द्वारा दुरुपयोग किया गया जिसके परिणामस्वरूप मामला पुणे में दर्ज किया गया । याची तीन अवयस्क बच्चों की माता होने के कारण अन्वेषण अधिकारी को सहयोग देने के लिए तैयार है और गिरफ्तारी-पूर्व जमानत की रियायत के लिए सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में आवेदन करने के लिए कुछ समय चाहती है ।

22. अन्वेषक अधिकारी (अपराध) बनवाड़ी पुलिस थाना, पुणे शहर, महाराष्ट्र ने मामले के दर्ज होने के बारे में याची को सूचित करते हुए और बनवाड़ी पुलिस थाने में तारीख 27 अगस्त, 2018 को प्रातः 11.00 बजे मामले में आगे अन्वेषण करने के लिए उसकी उपस्थिति की अपेक्षा करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के अधीन समन जारी किया । व्यतिक्रम की दशा में, यह माना जाएगा कि याची को कुछ नहीं कहना है और इस प्रकार विधिक कार्रवाई की जाएगी ।

23. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के अधीन जारी समन है, जिसके आधार पर याची को गिरफ्तार किए जाने की आशंका है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के निबंधनानुसार मामले का अन्वेषण कर रहा पुलिस अधिकारी ऐसे किसी व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा कर सकेगा जिसे मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित होना प्रतीत होता है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के परन्तुक में यह उल्लेख है कि किसी पुरुष से (जो पन्द्रह वर्ष से कम आयु का है या 65 वर्ष से

अधिक आयु का है या महिला या मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति) ऐसे स्थान से भिन्न किसी स्थान पर हाजिर होने की, जिसमें ऐसा पुरुष व्यक्ति या महिला रहती है, अपेक्षा नहीं की जाएगी ।

24. स्वीकार्यतः याची एक स्त्री होते हुए, से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के निबंधनानुसार अन्वेषण में पुणे हाजिर होने के लिए नहीं कहा जा सकता । अन्वेषक अधिकारी के समक्ष याची के हाजिर होने की आखिरी तारीख 27 अगस्त, 2018 थी जो बीत चुकी है । अल्पकालिक जमानत मंजूर करने का उद्देश्य व्यक्ति को सक्षम अधिकारिता वाले संबद्ध न्यायालय में आवेदन करने के लिए व्यवस्था करने हेतु समर्थ बनाना है ।

25. कथित तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, जब दो मास से अधिक अवधि तक अन्वेषण अधिकारी द्वारा कोई आगे कार्रवाई नहीं की गई है, याची (स्त्री) के पक्ष में अल्पकालिक जमानत की मंजूरी की आवश्यकता है ।

26. उपरोक्त निर्दिष्ट मामले के संबंध में गिरफ्तारी की दशा में याची को पचास हजार रुपए के प्रतिभू, बंधपत्र और इतनी ही रकम के व्यक्तिगत बंधपत्र पर गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के समाधान पर छोड़ा जाएगा ।

27. उक्त निदेश आज से एक मास की अवधि तक अल्पकालिक बना रहेगा जिससे कि याची अधिकारितागत न्यायालय की अधिकारिता का अवलंब लेने में समर्थ हो सके ।

28. आवेदन का यथा उपरोक्त निपटान किया जाता है ।

याचिका मंजूर की गई ।

पा.

नुरुध

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य

तारीख 1 जून, 2018

न्यायमूर्ति धरम चंद चौधरी

स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) – धारा 20 – अभियुक्त-अपीलार्थी से विनिषिद्ध माल चरस की बरामदगी – यदि अभियुक्त-अपीलार्थी के सचेत कब्जे से विनिषिद्ध माल चरस की बरामदगी हुई है और अभियोजन साक्ष्य में न तो विभेद और न विसंगति प्रकट हुई है तथा अभियोजन पक्षकथन को सभी तात्विक पहलुओं पर समर्थन मिलता हो तो अभियुक्त-अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया जाना न्यायसंगत है ।

स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 – धारा 50 – अननुपालन – जहां मामले में अभियुक्त-अपीलार्थी के कब्जे में विनिषिद्ध माल चरस होने के बारे में पुलिस को पूर्व में सूचना न दी गई हो जब वे गश्त लगा रहे थे तथा अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा स्वयं पुलिस द्वारा अपनी तलाशी लेने को चुना है, इसलिए वर्तमान मामला ऐसा नहीं है जहां स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 का अनुपालन किया जाना हो – अत: अभियुक्त-अपीलार्थी की दोषसिद्धि उचित है ।

मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि पुलिस दल जिसका मुखिया हैड कांस्टेबल देवानंद (अभि. सा. 9) था और उस दल में हैड कांस्टेबल शौकत अली (अभि. सा. 1) कांस्टेबल संदीप कुमार तथा एस. पी. ओ. संजीव कुमार (अभि. सा. 3) गश्त लगाने के लिए तारीख 15-16 दिसंबर, 2011 को मध्य रात्रि के दौरान पुलिस थाने से लेसुईन, कुददी, भनोता और भरादा की ओर चले थे । तारीख 16 दिसंबर, 2011 को प्रात: 5.00 बजे पूर्वाह्न के आस-पास पुलिस दल जब नागनी जंगल पर पहुंचा तो चजोत की ओर से अभियुक्त को आते हुए देखा । अभियुक्त ने पुलिस दल को देखकर

वापस लौटने की कोशिश की और उससे रुकने के लिए कहा गया परंतु उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ, इसलिए, हैड कांस्टेबल देवानंद ने अपने अन्य पुलिस पदधारियों की मदद से उसे गिरफ्तार कर लिया था । जब अभियुक्त से पूछताछ की गई तो उसने अपने पूर्ववृत्तों के बारे में बताया । चूंकि पुलिस को यह संदेह हुआ कि वह अपने थैले में कुछ स्वापक पदार्थ ले जा रहा है, इसलिए, मेमो प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ख के द्वारा इसकी सहमति प्राप्त की गई थी । पुलिस पदधारियों द्वारा उसकी तलाशी लिए जाने के लिए उससे सहमति लेकर अभि. सा. 9 को स्वयं अपनी तलाशी दी । मेमो प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/क इस बारे में अभिलिखित किया गया था । इसकी वैयक्तिक तलाशी लिए जाने के दौरान उससे सफेद रंग का एक पैकेट जिसे वह ले जा रहा था, पाया गया । जिसे उसने अपने द्वारा पहने गए स्वेटर और कमीज के अंदर छुपा रखा था और जिसने उसको अपने आमाशय के नजदीक रस्सी से बांधा हुआ था । थैला (प्रदर्श पी-2) की जांच करने पर चरस (प्रदर्श पी-3) पाई गई थी जो छड़ (बत्तीयों) के आकार में थी और जब उनका भार लिया गया तो उनका वजन 950 ग्राम पाया गया था । बरामद की गई चरस उसी पाकेट में पीछे रखी गई थी और इस पर एच. पी. 5 की छाप लगाकर उसे मुहरबंद किया गया था और उसे ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ग के माध्यम से कब्जे में लिया गया था । मुहर एच. का नमूना कपड़े के टुकड़े में लिया गया था जो प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/घ है । अन्वेषण अधिकारी हैड कांस्टेबल देवानंद ने इसके पश्चात् रुक्का प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 9/क तैयार किया और इसे प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने के लिए हैड कांस्टेबल शौकत अली (अभि. सा. 1) के माध्यम से पुलिस थाना, भेजा गया था । परिणामस्वरूप, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 7/ख पुलिस थाना, तीस्सा पर रजिस्ट्रीकृत की गई थी । अन्वेषक अधिकारी ने औपचारिकताएं पूरी की थीं जो इस प्रकार प्रारूप की तीन प्रतियों एन. सी. बी. में प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 9/क प्रविष्टि अभिलिखित करके तैयार की और घटनास्थल का नक्शा पी. डब्ल्यू. 9/ग तैयार किया और इसके पश्चात् मेमो प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 9/घ के माध्यम से गिरफ्तारी के बारे में अभियुक्त को अवगत कराया गया । तब उसे उसी दिन गिरफ्तार किया गया था । अभि. सा. 9 हैड कांस्टेबल देवानंद पुलिस थाने पर अभियुक्त और वाद संपत्ति को लाया था और उन्हें पुलिस निरीक्षक/थाना गृह अधिकारी जगदीश चंद (अभि. सा. 7)

के पास मुहर का नमूना और अभिग्रहण मेमो के साथ भी पेश किया था जिन्होंने चरस के पार्सल पर मुहर 'क' से उसे पुन: मुहरबंद किया था । पुन: मेमो प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 4/क मुहर 'क' की छाप पर एन. सी. बी. प्ररूपों की और उन्होंने मुहर की प्रतिकृति को कपड़े के टुकड़े पर रखा था जो प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 4/ख है । इसके पश्चात् अभि. सा. 7 ने मुहर्रिर हैड कांस्टेबल अमेन्द्र सिंह (अभि. सा. 4) के पास वाद संपत्ति जमा की थी जिन्होंने बदले में आर. सी. सं. 148/2011 के माध्यम से न्यायालयिक प्रयोगशाला जुंगा भेज दिया था । न्यायालयिक प्रयोगशाला प्रदर्श पी-4 के अनुसार विनिषिद्ध माल अभियुक्त के कब्जे में पाया गया था जो चरस के रूप में था । अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् विचारण न्यायालय में अभियुक्त के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अधीन रिपोर्ट फाइल की गई थी । विद्वान् विचारण न्यायालय ने रिपोर्ट उसमें संलग्न दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त के विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या निष्कर्ष निकाला और स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अधीन धारा 20 में अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित करने की कार्यवाही की गई । तथापि, उसने आरोपों पर दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया । इसलिए, अभियोजन पक्ष ने उसके विरुद्ध विरचित आरोपों को पूर्ण रूप से सिद्ध करने के लिए 9 साक्षियों की परीक्षा की । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त का कथन भी अभिलिखित किया गया था । अभियुक्त ने अपनी प्रतिरक्षा में श्री दौलत राम (प्रतिरक्षा साक्षी 1) की भी परीक्षा कराई । अभिलेख के पूरा होने पर विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने दोनों ओर के पक्षकारों को सुना तथा एकमात्र आधार पर दोषमुक्ति के निष्कर्षों को अभिलिखित किया । इस प्रकार, यह देखने में आता है कि प्रारंभ में अभियुक्त को विद्वान् विशेष न्यायाधीश द्वारा एकमात्र आधार पर तारीख 10 दिसंबर, 2012 को निर्णय पारित करके स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के अधीन आरोप से दोषमुक्त किया गया था । इस न्यायालय के खंड न्यायपीठ द्वारा अधिकथित विधि के निबंधनों में रसायन परीक्षक रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त से बरामद की गई अभिकथित विनिषिद्ध माल के बारे में चरस होना साबित नहीं किया गया था । राज्य द्वारा दोषमुक्ति के निष्कर्षों के विरुद्ध जिन्हें विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित किया गया था, फाइल की गई 2013 की

दांडिक अपील सं. 136 अपील को मंजूर किया गया था और विद्वान् विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय को अभिखंडित और अपास्त कर दिया गया तथा विद्वान् विचारण न्यायालय को इस न्यायालय के वृहत्तर पीठ द्वारा अधिकथित विधि को ध्यान में रखते हुए और विधि के अनुसरण में नए सिरे से मामले का निपटारा किए जाने के लिए उसे प्रतिप्रेषित किया गया । परिणामस्वरूप, मामले को प्रतिप्रेषित करने पर विद्वान् विशेष न्यायाधीश चंबा ने नए सिरे से मामले का विनिश्चय किया और इस अपील में चुनौतीधीन निर्णय द्वारा जिसमें उसे दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया था जैसाकि अति प्रारंभ में इंगित किया गया है । अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा अपनी दोषसिद्धि और दंडादेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील फाइल की गई । अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – आक्षेपित निर्णय की वैधता और विधिमान्यता को अन्य बातों के साथ-साथ इन आधारों पर प्रश्नगत किया गया है कि निष्कर्ष जो अभिलिखित किए गए हैं, वे काल्पनिक कारणों और अटकलबाजियों पर आधारित थे । अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का गलत और सरसरी रीति में मूल्यांकन किया गया । निस्संदेह, साक्ष्य का सही परिप्रेक्ष्य में ही नहीं मूल्यांकन किया गया परंतु उसी समय अवास्तविक मानकों का भी मूल्यांकन किया गया और अभियुक्त द्वारा अपनी प्रतिरक्षा में दिए गए साक्ष्य को विश्वसनीय और अकाट्य बताया । अभियोजन साक्षियों के कथनों में तात्विक विभेदों को विचार में नहीं लिया गया और इसके प्रतिकूल अभियोजन पक्ष द्वारा सभी युक्तियुक्त संदेह के बारे में विफल होने की बात को ध्यान में लाए बिना दोषसिद्धि का निष्कर्ष अभिलिखित किया गया । यह साक्ष्य कि पार्सल में वाद संपत्ति को रखा गया है और जब उसे न्यायालय में पेश किया गया तो उस पर यथावत मुहरें लगी हुई नहीं पाई गई थीं और इस सही परिप्रेक्ष्य में भी विचार नहीं किया गया । इस बारे में कोई स्पष्ट स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है । अभियोजन पक्ष ने अभियोजन पक्ष तलाशी और अभिग्रहण साक्षी के रूप में किसी स्वतंत्र व्यक्ति को सहबद्ध करने में बुरी तरह विफल हुआ है । स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के आज्ञापक उपबंधों का अननुपालन भी हुआ है जिस बात को भी विचार में नहीं लिया गया है । अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री आर. एस. चंदेल अधिवक्ता

ने यह दलील दी है कि स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 के अधीन अन्तर्विष्ट उपबंधों का अनुपालन नहीं किया गया है जिसके परिणामस्वरूप संपूर्ण कार्यवाहियां और विचारण भी दूषित हुआ है । दलीलों के दौरान यह भी प्रकट किया गया है कि अभियुक्त व्यक्ति से बरामद अभिकथित विनिषिद्ध वस्तु छड़ों के आकार में थी, तथापि, अभियोजन साक्ष्य में यह भी प्रकट हुआ है कि जब उन्हें खोला गया तब वे गोलाकार आकार की या टूटे हुए टुकड़ों के रूप में पाई गई थीं । अभिकथित विनिषिद्ध चरस का भार जिसे अभिग्रहण के समय पर लिया गया था, 950 ग्राम निकला था, तथापि, जब उसे प्रयोगशाला में तोला गया तो उसका भार 936 ग्राम होना पाया गया । विद्वान् काउंसेल के अनुसार भार के ऐसे विचलन के बारे में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया और यह बात अस्पष्टीकृत रूप में रही । घटना को किसी स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा नहीं देखा गया था, इसलिए, शासकीय साक्ष्यों के परिसाक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि का कोई निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया जा सकता है जैसाकि स्थलाकृति के अनुसार घटनास्थल जहां पर अभियुक्त को पकड़ा गया और जहां अभियुक्त की तलाशी और अभिग्रहण की कार्यवाही की गई, हिमवाधित क्षेत्र है । यहां यह भी उपदर्शित किया गया है कि यद्यपि घटना का स्थान नागनी जंगल है परंतु अभि. सा. 2 के वृत्तांत के अनुसार कि वे वहां नहीं रुके । दूसरी ओर, विद्वान् अपर महाधिवक्ता ने अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से दी गई दलीलों का खंडन किया और यह दलील दी कि अन्वेषक अधिकारी अभि. सा. 9 हैड कांस्टेबल देवानंद के समर्थन में अभि. सा. 1 शौकत अली अभि. सा. 2 एस. पी. ओ. संजीव कुमार का परिसाक्ष्य तर्कयुक्त साक्ष्य के रूप में अभिलेख पर लाया गया है, यह बात सभी युक्तयुक्त संदेहों के परे साबित हुई है कि अभियुक्त के सचेत कब्जे से 950 ग्राम चरस बरामद हुई थी । अभियोजन साक्ष्य न तो विभेदकारी है और न असंगत है बल्कि सभी तात्विक पहलुओं पर अभियोजन पक्षकथन का स्पष्ट रूप से समर्थन करता है । घटनास्थल एकांत में था जो बात अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य से पूर्णतया साबित हुई है तथा अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्य से भी साबित हुई है । विद्वान् अपर महाधिवक्ता ने यह भी दलील दी है कि स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 के अनुपालन का कोई आधार नहीं है । बरामद की गई चरस उस आकार में नहीं पाई गई थी जिसमें उसे बरामद किया गया था और कि

भार के विचलन के आधार को अपील के मेमो में नहीं उठाया गया है और प्रथम बार दलील देने के प्रक्रम के दौरान इस बात को उठाया गया है और साक्षियों को जब वे साक्षी कठघरे पर मौजूद थे, इस बात का कोई सुझाव नहीं दिया गया कि बरामदगी का स्थान सुनसान क्षेत्र था । इस प्रकार आक्षेपित निर्णय को कायम रखे जाने की ईप्सा की गई । यदि स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 के अननुपालन पर आते हैं जिस बात को अभियुक्त की ओर से भी उठाया गया है, हमारी विचारित राय यह है कि सभी ऋजुताओं के अन्तर्गत तथा न्याय के उद्देश्य में उस बात का इस कारण से नकारात्मक उत्तर दिया जाना चाहिए कि वर्तमान मामला ऐसा नहीं है जहां पुलिस को किसी व्यक्ति द्वारा उस स्थान पर उसके कब्जे में चरस होने की बात की सूचना दी थी जब वे पुलिस दल के लोग गश्त लगा रहे थे । किसी प्रकार वर्तमान मामले में अभियुक्त को मेमो प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ख के माध्यम से विकल्प भी दिया गया था । स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 के अधीन की परिभाषा को उसके समक्ष प्रकट किया गया । यद्यपि, अभियुक्त ने अपने हाथ से वहां पर कोई पृष्ठांकन नहीं किया क्योंकि वह अशिक्षित व्यक्ति था और वहां पर अन्वेषक अधिकारी अभि. सा. 9 हैड कांस्टेबल देवानंद ने स्वयं यह अभिलिखित किया था कि अभियुक्त अपनी तलाशी पुलिस द्वारा करवाना चुना । इसी प्रकार जैसाकि पहले ही मत व्यक्त किया गया है कि वर्तमान मामला ऐसा नहीं है जहां स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 का अननुपालन हुआ था, इसलिए, विद्वान् प्रतिरक्षा काउंसेल द्वारा दी गई प्रतिकूल दलीलों से अभियुक्त को कोई सहायता पहुंचना मुश्किल है । रपट रोजनामचा प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 3/क से यह प्रकट हुआ है कि पुलिस दल जिसका मुखिया अभि. सा. 9 हैड कांस्टेबल देवानंद था, ने लेसुईन, कुडडी, बेहनोता और बारदा आदि की ओर गश्त लगाने के लिए 11.15 बजे अपराह्न पुलिस थाने से चले थे । तारीख 16 दिसंबर, 2011 को प्रात: 5.00 बजे पूर्वाह्न अभियुक्त को ग्राम चजोत की ओर से आते हुए नागनी वन में देखा गया था । जब उसने पुलिस दल को देखा तो वह शिथिल पड़ गया और उसने भागने की कोशिश की । तथापि, उसे पुलिस दल द्वारा पकड़ लिया गया था । पूछताछ करने पर उसने अपना नाम तथा अपने अन्य पूर्ववर्ती इतिहास के बारे में अन्वेषक अधिकारी अभि.

सा. 9 हैड कांस्टेबल देवानंद को बताया । यह स्थान एकांत में था और ऐसे विलक्षण घंटों में किसी व्यक्ति को तलाशी और अभिग्रहण का साक्षी बनाना संभव नहीं था । इसलिए, उसने अभि. सा. 1 हैड कांस्टेबल शौकत अली और अभि. सा. 2 एस. पी. ओ. संजीव कुमार को साक्षियों के रूप में सहबद्ध किया । अभि. सा. 9 हैड कांस्टेबल देवानंद और साक्षी ने मेमो प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/क के माध्यम से अभियुक्त को अपनी-अपनी तलाशी दी थी । अपराध में फंसाने वाले अन्वेषक अधिकारी की किट जिसे उनसे बरामद किया गया था, के सिवाय कुछ भी नहीं है । इसके पश्चात् अभियुक्त को किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी राजपत्रित अधिकारी के समक्ष उसकी तलाशी लिए जाने के बारे में विधिक अधिकारों के संबंध में अवगत कराया गया था । वह घटनास्थल पर मौजूद पुलिस पदधारियों को अपनी तलाशी देने के लिए सहमत हुआ था । एक सफेद रंगीन थैला उसके द्वारा स्वेटर और कमीज में छुपाया हुआ पाया गया था और उसने उस समय उन कपड़ों को पहना था और अपने पेट के नजदीक उसने उन्हें लपेट रखा था । जांच करने पर थैले में काला रंग का पदार्थ पाया गया था और छड़ के रूप में उनका आकार था जिन्हें वहां से बरामद किया गया था । अभियोजन पक्षकथन के अनुसार, उक्त सामग्री की गंध के आधार पर जिसे पुलिस दल द्वारा पाया गया था, उसका चरस प्रदर्श पी-3 होना पता लगा । अन्वेषक अधिकारी की किट में रखी हुई नापने की मशीन की सहायता से उस वस्तु का भार लिया गया था जो 950 ग्राम पाया गया था । बरामद की गई चरस का भार लेने के पश्चात् उसे उसी थैले (प्रदर्श पी-2) में रख दिया गया था और इसके पश्चात् कपड़े के पार्सल में (प्रदर्श पी-1) एच मोहर की छापें लगाई गई थी और तब उसे मुहरबंद किया गया था । मोहर का नमूना प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ग को पृथक् रूप से रखा गया था । अन्वेषक अधिकारी ने एन. सी. बी. प्ररूप के सुसंगत स्तम्भों को घटनास्थल पर तीन प्रतियों में भरा गया था । मुहर का इस्तेमाल करने के पश्चात् इसे अभि. सा. 1 हैड कांस्टेबल शौकत अली के सुपूर्द कर दिया गया था । मोहर और नमूने लेने की प्रक्रिया के पश्चात् रुक्का प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 9/क तैयार किया गया था और इसे अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने के लिए पुलिस थाना तिस्सा पर ले जाने के लिए अभि. सा. 1 हैड कांस्टेबल शौकत अली को सौंप दिया गया था । रुक्का के आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श

पी. डब्ल्यू. 7/ख को अभि. सा. 4 हैड कांस्टेबल अविन्द्र सिंह द्वारा लेखबद्ध किया गया था जो एम. एच. सी. पुलिस थाना तिस्सा पर फाइल में रखी गई । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण के बाद निरीक्षक जगदीश चन्द्र अभि. सा. 7 ने केस फाइल तैयार की और इसे घटनास्थल अन्वेषक अधिकारी के पास ले जाने के लिए अभि. सा. 1 हैड कांस्टेबल शौकत अली को सौंप दिया गया था । उक्त साक्षी ने बाद में हैड कांस्टेबल देवानंद अन्वेषक अधिकारी को मामले की फाइल सौंप दी थी । अभियोजन पक्षकथन जैसाकि इसमें ऊपर चर्चा की गई है जो अभि. सा. 1 हैड कांस्टेबल शौकत अली, अभि. सा. 2 एस. पी. ओ. संजीव कुमार और अन्वेषक अधिकारी अभि. सा. 9 हैड कांस्टेबल देवानंद के परिसाक्ष्य पर समाधानप्रद रूप से साबित किया गया है । यदि उनके परिसाक्ष्य को प्रतिपरीक्षा में देखा जाए तो यह निष्कर्ष निकालना अनुचित नहीं होगा कि मुख्य परीक्षा में उनका वृत्तांत इस कारण से अविचलित नहीं रहा है कि उन सभी ने एक मत से हमें यह बताया था कि वे पैदल पुलिस चौकी नाकरोद से चले गए थे और उन्होंने पुलिस चौकी नाकरोद और ग्राम कुडडी, ग्राम कुददी से ग्राम लेसुईन, ग्राम लेसुईन से ग्राम भनोता और ग्राम भनोता से ग्राम चजोत के बीच में प्रकट दूरी के बारे में भी बताया और ऐसी दूरी को बताते वक्त उनके परस्पर कथनों में अधिक विषमताएं नहीं हैं । उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि वे घटनास्थल के रास्ते पर किसी भी स्थान पर रुके नहीं । उन्हें यह सुझाव दिया गया कि पुलिस का गश्ती दल भनोटा से नागनी जंगल की ओर अग्रसर हुआ था और उन दोनों स्थानों के बीच में कोई भी वास स्थान नहीं था जिस बात को सही होने के रूप में स्वीकार किया गया है । ऐसा होते हुए भी अभियुक्त ने यह स्वीकार किया है कि भनोटा और नागनी जंगल के बीच में कोई भी वास स्थान नहीं था और इस प्रकार, अभियोजन पक्षकथन यह है कि जहां बरामदगी की गई थी वह एकांत स्थान था, इसलिए, वहां पर किसी भी स्वतंत्र साक्षी को सम्मिलित करना संभव नहीं था जिससे कि अभियुक्त की प्रतिरक्षा की बात प्रकट हो पाती । यद्यपि अभि. सा. 2 एस. पी. ओ. संजीव कुमार ने हमें यह बताया कि ग्राम चजोत नागनी जंगल के समीप स्थित है और उस गांव में 14-15 मकान स्थित हैं, यद्यपि इस पर विश्वास किया जाए तब कोई भी व्यक्ति उन विलक्षण समय पर पुलिस को सहायता देने के लिए नहीं पहुंच सका । उन सभी ने यह बात स्पष्ट रूप से कही है कि वे लगभग 5.00 बजे

पूर्वाह्न नागनी जंगल पर पहुंचे थे और उनके द्वारा गश्त के पश्चात् नागनी जंगल से पीछे लौटते हुए अभियुक्त को देखा गया था । उन्होंने एक मत से यह भी कथन किया है कि अभियुक्त ग्राम चजोत की ओर से आ रहा था और जंगल का रास्ता काफी खुला हुआ था जहां अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था । उन्होंने एक मत से यह भी कथन किया है कि घटनास्थल पर एन. सी. बी. प्रारूप भरा गया था । यद्यपि, अभि. सा. 1 ने यह स्वीकार किया है कि लोगों के पास नागनी जंगल में पशुओं को चराने का अधिकार था । तथापि, इस बारे में उन्होंने अपनी अनभिज्ञता व्यक्त की है कि प्रातः लोग अपने जानवरों को चराने के लिए और ईंधन की लकड़ी काटने के लिए पहुंचते थे । उसने यह भी स्वीकार किया है कि किसी भी स्वतंत्र साक्षी को मामले में सहबद्ध नहीं किया गया था, तथापि, स्वैच्छिक रूप से यह भी कथन किया गया है कि बरामदगियां सामान्य रूप से रात्रि के दौरान की गई थीं और इस प्रकार, स्वतंत्र साक्षियों को सम्मिलित करने की संभावना नहीं थी । यह बात सही है कि अभि. सा. 2 एस. पी. ओ. संजीव कुमार ने साक्षी कठघरे में खड़े होकर यह कथन किया है कि नागनी जंगल में गश्त लगाने का कार्य नहीं रुका और यह भी कथन किया कि अभियुक्त को उसी दिन जंगल में गिरफ्तार किया गया था । मामले को इस तथ्य से देखते हुए पुलिस दल ने जंगल में गश्त लगाने के पश्चात् जब वे अपने रास्ते पर चल रहे थे तब अभियुक्त को उनके द्वारा पकड़ा गया था और उस समय पुलिस दल जंगल में रुका हुआ था, जब अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था और उसकी तलाशी ली गई थी तब अभि. सा. 2 एस. पी. ओ. संजीव कुमार ने अपनी प्रतिपरीक्षा की दूसरी लाइन में यह भी कथन किया है कि अभियुक्त को गिरफ्तार करने के पश्चात् लगभग दो घंटे और 45 मिनट जंगल में रहे थे इसलिए, प्रतिरक्षा पक्ष ने झूठी बात कहते हुए यह दावा किया है कि पुलिस दल नागनी जंगल पर रुका नहीं था । अभि. सा. 9 हैड कांस्टेबल देवानंद ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह स्पष्ट किया है कि जब अभियुक्त को पकड़ा गया था तब वे नागनी जंगल में गश्त लगाने के पश्चात् चजोत गांव की ओर वापस लौट रहे थे । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित अभियुक्त के कथन में कथन अभिलिखित किए जाने से पूर्व सभी अपराध में फंसाने वाली परिस्थितियां उसके समक्ष रखी गईं । उसने पूर्ण रूप से उन परिस्थितियों से इनकार किया है और इस बारे में कोई स्पष्टीकरण भी

नहीं दिया है कि ये परिस्थितियां क्यों सही नहीं थीं । यद्यपि अभियोजन पक्षकथन अपने स्वयं के आधार पर खड़ा है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित किए गए अभियुक्त के कथन से कोई समर्थन नहीं मिल सकता है तो भी अभियुक्त से कुछ स्पष्टीकरण इस बारे में प्रकट होना चाहिए कि अपराध में फंसाने वाली परिस्थितियां उसके विरुद्ध कैसे प्रकट हुई हैं जो बातें अभियोजन साक्ष्य में दर्शित हुई हैं । उसने केवल यह स्पष्टीकरण दिया है कि वह निर्दोष है और साक्षियों ने उसके विरुद्ध मिथ्या अभिसाक्ष्य दिया है जिस पर वेदवाक्य के रूप में विश्वास नहीं किया जा सकता जिससे कि उसको निर्दोष ठहराया जाए । (पैरा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16)

यह बात सही है कि पुलिस अधिकारी के एकमात्र परिसाक्ष्य पर कोई दोषसिद्धि अभिलिखित नहीं की जा सकती । तथापि, यदि उसके परिसाक्ष्य से अभिलेख पर कोई साक्ष्य प्रकट हुआ है जो विश्वसनीय और विश्वास योग्य है तब उसे विधिक रूप से ग्राह्य किया जाएगा और अभियुक्त के विरुद्ध दोषसिद्धि का निष्कर्ष अभिलिखित करने के लिए अवलंब लिया जा सकता है । यह भी उल्लेख किए जाने योग्य है कि ऐसी उपधारणा की जाती है कि कोई व्यक्ति ईमानदारी से कार्यों को करता है क्योंकि यह बात अन्य व्यक्तियों के मुकाबले पुलिस अधिकारी के पक्ष में प्रबल रूप से प्रकट होती है और तब यह उचित नहीं होगा कि बिना किसी उपर्युक्त आधार के उस पर अविश्वास या संदेह किया जाए । यद्यपि, चरस जिसे बरामद किया गया था, उस समय उसके भार में भिन्नता थी और तत्पश्चात् जब उसका भार प्रयोगशाला में लिया गया, भिन्नता थी जिस बात को अपील में किसी भी आधार के रूप में उठाया नहीं गया था, तथापि, दलीलें देने के दौरान ऐसे लोप के बारे में विद्वान् प्रतिरक्षा काउंसेल द्वारा इस न्यायालय के संज्ञान में लाया गया था । इस बारे में दी गई दलीलों में इस कारण से कोई सारभूत बात प्रकट नहीं हुई है कि मामले के इस पहलू पर जिसमें विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा समुचित रूप से भी विचार किया गया है, न केवल मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में वर्णित बातों से सहायता ली गई बल्कि ऐसी स्थिति में विधि की प्रयोज्यता के बारे में भी नहीं बताया गया । अन्वेषक अधिकारी के किट का पैमाना के बारे में निश्चित रूप से सामग्री अर्थात् बरामद की गई चरस का सही भार के बारे में भी

कुछ नहीं कहा जा सकता जबकि प्रयोगशाला में नवीनतम भार मापने वाली मशीन/उपकरण को विश्लेषण के लिए भेजे गए विशिष्ट पदार्थ के भार को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है । अतः, प्रयोगशाला में विनिषिद्ध माल अर्थात् चरस के भार के बारे में सही होने का युक्तियुक्त रूप से विश्वास नहीं किया जा सकता है क्योंकि अन्वेषक अधिकारी के किट के पैमाने के साथ भार की तुलना की गई थी । अन्यथा भी बरामद किए गए चरस के भार की भिन्नता केवल 14 ग्राम है जो ऐसी प्रकृति का नहीं है जिससे कि अभियुक्त व्यक्ति से बरामदगी की अभियोजन कहानी असंभव प्रतीत होती हो । भार में ऐसा विचलन जब से बरामद किया गया था, से पता चलता है और वह दिन जब प्रयोगशाला में इसका भार लिया गया । अतः, जब प्रयोगशाला में चरस का भार लिया गया तो तब 14 ग्राम की भिन्नता प्रकट हुई है, यह बात अभियोजन पक्षकथन के लिए घातक नहीं है । तथाकथित बरामद की गई चरस के आकार में विचलन जिस पर बरामदगी के समय मत व्यक्त किया गया और जब मुहरबंद पार्सल न्यायालय में खोला गया तब अभियोजन पक्षकथन के झूठ के बारे में अत्यधिक बल दिया गया । सम्पूर्ण अभियोजन साक्ष्य जिसमें मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य हैं, उससे यह इंगित होता है कि बरामद की गई चरस छड़/बत्तियों के आकार में थी । अभि. सा. 1 हैड कांस्टेबल शौकत अली, अभि. सा. 2 एस. पी. ओ. संजीव कुमार और अन्वेषक अधिकारी हैड कांस्टेबल देवानंद (अभि. सा. 9) द्वारा भी ऐसा ही कथन किया गया है । तथापि, जब मुहरबंद पार्सल जिसमें चरस थी, न्यायालय में खोली गई तब चरस चारों ओर से टूटे हुए आकार में थी और छोटे टुकड़े उसमें मुहरबंद पाए गए थे । अभियोजन साक्ष्य में प्रकट लोप के बारे में इस न्यायालय को राजी करने के लिए उस पर बल दिया कि जिससे एक राय प्रकट हो कि वाद संपत्ति पर हेरफेर की गई है । यदि ऐसा है तो इस प्रभाव का भी सुझाव अभि. सा. 1 हैड कांस्टेबल शौकत अली और अभि. सा. 2 एस. पी. ओ. संजीव कुमार को उनकी प्रतिपरीक्षा के दौरान दिया गया होगा कि वाद संपत्ति पर हेरफेर की गई थी । तथापि, उन्हें इस निमित्त कोई सुझाव नहीं दिया गया था । इस प्रकार, अभियोजन साक्षी के पास मामले के इस पहलू का स्पष्टीकरण देने के लिए कोई अवसर नहीं था जब वे साक्षी कठघरे में खड़े थे । अन्वेषक अधिकारी अभि. सा. 9 हैड कांस्टेबल देवानंद को भी केवल यह

सुझाव दिया गया कि अभि. सा. 1 हैड कांस्टेबल शौकत अली के कथन में यह अभिलिखित किया गया था कि बरामद की गई चरस बत्तियों (छड़) के आकार में थी । अन्वेषक अधिकारी को यह सुझाव नहीं दिया गया कि बरामद की गई चरस पर हेरफेर की गई थी या जब उसे न्यायालय में मुहरबंद पार्सल से बाहर निकाला गया तब वह उस आकार में नहीं थी जिसमें उसे बरामद किया गया था । अभि. सा. 1 हैड कांस्टेबल शौकत अली के कथन को अभिलिखित करते हुए मात्र यह मत व्यक्त किया गया कि चरस जब न्यायालय में मुहरबंद पार्सल से बाहर निकाली गई या मुहरबंद पार्सल को खोला गया तब चारों ओर टूटे हुए आकार में थी और उसके छोटे टुकड़ों से यह राय बनाना पर्याप्त नहीं है कि पार्सल में मुहरबंद चरस जिसे न्यायालय में खोला गया था, वैसी ही नहीं थी जिसे अभियुक्त से तलाशी और अभिग्रहण के दौरान बरामद किया गया था । दूसरी ओर, चरस होने की संभावना जो छड़ के आकार में थी उसे न्यायालयिक प्रयोगशाला प्रतिप्रेषित करते समय छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाना हो सकता है, इस बात की अनदेखी नहीं की जा सकती । किसी प्रकार, जब इस बारे में अभियोजन साक्षियों की कोई प्रतिपरीक्षा नहीं हुई और न आक्षेपित निर्णय को चुनौती देने का एक आधार नहीं है, ऐसे अभिवाक् को विद्वान् प्रतिरक्षा काउंसेल द्वारा मामले को मात्र खारिज करने के लिए उठाया जाना प्रतीत होता है । दलीलों के दौरान यह भी उपदर्शित किया गया कि जब न्यायालय में पार्सल को पेश किया गया था तो उस पर लगी हुई मुहर की छाप टूटी हुई पाई गई थी । इस प्रकार दी गई दलील में कोई सार नहीं है जिसका कारण यह है कि सभी जगह पर लगाई गई मुहरें टूटी हुई नहीं थीं और केवल 'ए' छाप वाली मुहर ऐसी थी जो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त थी । न्यायालयिक प्रयोगशाला की शेष मुहरें और उनकी छाप 'एच' तथा 'ए' यथावत पाई गई थीं । अतः, पार्सल पर लगे हुए कुछ मोहरों पर आई हुई दरार से अभियोजन मामला संदेहपूर्ण नहीं हो जाता है और न इस न्यायालय को इस बात के लिए राजी करना पर्याप्त नहीं है कि वह विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अपनाए मत के प्रतिकूल मामले में अपना विचार प्रकट करें । अब हम साक्ष्य प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 9/क की कड़ी पर विचार करते हैं जो रुक्का है जिसे अभि. सा. 9 हैड कांस्टेबल देवानंद द्वारा तलाशी और अभिग्रहण की कार्यवाही पूरा करने के पश्चात् घटनास्थल पर

लिखा गया । यह भी सुस्थापित है कि उसे अभि. सा. 1 हैड कांस्टेबल शौकत अली द्वारा पुलिस थाने, तिस्सा पर ले जाया गया था जिसके आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 7/ख दर्ज की गई थी । दैनिक डायरी की प्रविष्टि प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/घ से अभियोजन पक्षकथन सिद्ध होता है कि तारीख 16 दिसंबर, 2011 को 4.15 बजे अपराह्न पुलिस थाने पर पुलिस दल पहुंचा था । अन्वेषक अधिकारी अभि. सा. 9 हैड कांस्टेबल देवानंद ने पुलिस थाना तिस्सा पर अभि. सा. 7 थाना गृह अधिकारी जगदीश चंद को मुहरबंद पार्सल सौंपा था । अभि. सा. 7 थाना गृह अधिकारी जगदीश चंद ने मुहर 'ए' की पांच छाप लगाकर पार्सल को पुनः मुहरबंद किया था । मुहर 'ए' प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 4/ख की प्रतिकृति को कपड़े के टुकड़े पर भी प्राप्त किया था उसने एन. सी. बी. प्ररूप की तीन प्रतियों में सुसंगत प्रविष्टियां भी भरी थीं और उन पर मुहर 'ए' की छाप भी लगाई थी । उसने मेमो प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 4/क यह साबित करने के लिए तैयार किया कि उसके द्वारा मुहर 'ए' से पार्सल को पुनः मुहरबंद किया गया था, इसके पश्चात्, पार्सल को मालखाने में सुरक्षित अभिरक्षा में रखने के लिए अभि. सा. 4 हैड कांस्टेबल अविन्द्र सिंह को सौंप दिया गया था । इस प्रभाव की रपट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 4/छ को दैनिक डायरी में प्रविष्टि की गई थी । अभि. सा. 4 हैड कांस्टेबल अमलेन्द्र सिंह द्वारा मालखाने रजिस्टर में वाद संपत्ति के बारे में प्रविष्टियां की गई थीं जिसका सार प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 4/ग है । रुक्का प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/क की प्रति और विशेष रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/ख को अभि. सा. 2 एस. पी. ओ. संजीव कुमार के मार्फत पुलिस अधीक्षक चंबा के कार्यालय पर भेजा गया था । उन्हें तारीख 16 दिसंबर, 2011 को अभि. सा. 6 हैड कांस्टेबल सुभाष चंद द्वारा प्राप्त किया गया था जो एस. पी. चंबा का रीडर था । उसने दोनों दस्तावेजों की प्राप्ति रजिस्टर के क्रम सं. 14457/बी डी में प्रविष्टि की । अभि. सा. 5 हैड कांस्टेबल राजेश कुमार ने तारीख 17 दिसंबर, 2011 को वाद संपत्ति के साथ डोकेट आर. सी. सं. 148/2011 प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 4/ख न्यायालयिक प्रयोगशाला जुंगा भेजा था । उसने उक्त वस्तुओं को तारीख 19 दिसंबर, 2011 को न्यायालयिक प्रयोगशाला पर जमा किया और पुलिस थाना वापस लौटने पर एम. एच. सी. के समक्ष प्राप्ति रसीद पेश की । रिपोर्ट प्रदर्श पी-ए से यह प्रकट होता है कि प्रदर्शित वस्तुएं विश्लेषण के

लिए भेजी गई थीं जिसमें केनाबिस का अर्क था, इसलिए, चरस के नमूने के रूप में उसको माना गया था, अतः, अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्य की कड़ी से अपराध कारित किए जाने के संबंध में अभियुक्त को संबंधित किए जाने का साक्ष्य प्रकट होता है । इसलिए, मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य जो अकाट्य विश्वसनीय हैं उससे केवल यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियुक्त नुरुध के सचेत कब्जे से चरस बरामद हुई थी इसलिए उसे 7 वर्ष के कठोर कारावास भोगने तथा जुर्माने के रूप में 20,000/- रुपए का संदाय करने के लिए दोषसिद्ध और दंडादिष्ट करके ठीक ही किया है । ऐसा होते हुए भी अपेक्षित निर्णय के बारे में न तो परिकल्पना या अटकलबाजियों पर आधारित होना नहीं कहा जा सकता है और न शासकीय साक्षियों के परिसाक्ष्य का अवलंब लेकर मामले में कोई अवैधता या अनियमितता बरता जाना नहीं कहा जा सकता है । दूसरी ओर अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के विरुद्ध सभी युक्तियुक्त संदेह के परे अपने पक्षकथन को साबित किया है । (पैरा 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2016]	2016 क्रिमिनल ला जर्नल 154 : **बलदेव सिंह** बनाम **हरियाणा राज्य** ;	18
[2015]	जे. टी. 2015 (4) एस. सी. 222 : **माखन सिंह** बनाम **हरियाणा राज्य** ;	18
[2013]	2013 (3) हिमाचल एल. आर. (एफ. बी.) 1834 : **हिमाचल प्रदेश राज्य** बनाम **महबूब खान** ;	6
[2012]	(2012) 4 एस. सी. सी. 722 : **गोविंद राजू** उर्फ **गोविंदा** बनाम **सिरयमपुरम पुलिस थाना और एक अन्य** ;	18
[2011]	जे. टी. 2011 (2) एस. सी. 120 : **जरनैल सिंह** बनाम **पंजाब राज्य** ;	18
[2010]	ए. आई. आर. 2010 एस. सी. 3594 : **देहल सिंह** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** ;	18

[2010] (2010) 3 एस. सी. सी. 746 :
अजमेर सिंह बनाम **हरियाणा राज्य** ; 18

[2010] 2010 (3) शिमला एल. सी. 449 :
तकाशी सातो बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** ; 18

[2010] 2010 (1) शिमला एल. सी. 192 :
सुनील कुमार बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** ; 5

[2007] (2007) 15 एस. सी. सी. 760 :
टीका राम बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ; 18

[2007] (2007) 7 एस. सी. सी. 625 :
गिरीराज प्रसाद बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ; 18

[2002] 2002 (3) शिमला एल. सी. 137 :
हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम **विनोद कुमार** ; 18

[1999] 1999 क्रिमिनल ला जर्नल 2876 :
कश्मीर सिंह बनाम **पंजाब राज्य** ; 18

[1996] (1996) 3 एस. सी. सी. 338 :
ताहिर बनाम **राज्य (दिल्ली)** ; 18

[1956] ए. आई. आर. 1956 एस. सी. 217 :
अहेर खीमा बनाम **सौराष्ट्र राज्य** । 18

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2017 की दांडिक अपील सं. 272.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री आर. एस. चंदेल, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से श्री प्रमोद ठाकुर, अपर महाधिवक्ता

न्यायमूर्ति धरम चंद चौधरी – अपीलार्थी निरुध (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अभियुक्त" कहा गया है) उसे स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में "एन. डी. पी. एस. अधिनियम" कहा गया है) की धारा 20 के अधीन दंडनीय अपराध कारित

किए जाने के लिए विद्वान् विशेष न्यायाधीश, चंबा, सेशन खंड चंबा द्वारा दोषसिद्ध किया गया था और 2012 के सेशन विचारण सं. 189 में तारीख 11 मई, 2017 को निर्णय पारित करके 7 वर्ष का कठोर कारावास भोगने तथा 20,000/- रुपए जुर्माने का संदाय करने के लिए दंडादिष्ट किया गया ।

2. मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि पुलिस दल जिसका मुखिया हैड कांस्टेबल देवानंद (अभि. सा. 9) था और उस दल में हैड कांस्टेबल शौकत अली (अभि. सा. 1) कांस्टेबल संदीप कुमार तथा एस. पी. ओ. संजीव कुमार (अभि. सा. 3) गश्त लगाने के लिए तारीख 15-16 दिसंबर, 2011 को मध्य रात्रि के दौरान पुलिस थाने से लेसुईन, कुददी, भनोता और भरादा की ओर चले थे । तारीख 16 दिसंबर, 2011 को प्रातः 5.00 बजे पूर्वाह्न के आस-पास पुलिस दल जब नागनी जंगल पर पहुंचा तो चजोत की ओर से अभियुक्त को आते हुए देखा । अभियुक्त ने पुलिस दल को देखकर वापस लौटने की कोशिश की और उससे रुकने के लिए कहा गया परंतु उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ, इसलिए, हैड कांस्टेबल देवानंद ने अपने अन्य पुलिस पदधारियों की मदद से उसे गिरफ्तार कर लिया था । जब अभियुक्त से पूछताछ की गई तो उसने अपने पूर्ववृत्तों के बारे में बताया । चूंकि पुलिस को यह संदेह हुआ कि वह अपने थैले में कुछ स्वापक पदार्थ ले जा रहा है, इसलिए, मेमो प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ख के द्वारा इसकी सहमति प्राप्त की गई थी । पुलिस पदधारियों द्वारा उसकी तलाशी लिए जाने के लिए उससे सहमति लेकर अभि. सा. 9 को स्वयं अपनी तलाशी दी । मेमो प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/क इस बारे में अभिलिखित किया गया था । इसकी वैयक्तिक तलाशी लिए जाने के दौरान उससे सफेद रंग का एक पैकेट जिसे वह ले जा रहा था, पाया गया । जिसे उसने अपने द्वारा पहने गए स्वेटर और कमीज के अंदर छुपा रखा था और जिसने उसको अपने आमाशय के नजदीक रस्सी से बांधा हुआ था । थैला (प्रदर्श पी-2) की जांच करने पर चरस (प्रदर्श पी-3) पाई गई थी जो छड़ (बत्तीयों) के आकार में थी और जब उनका भार लिया गया तो उनका वजन 950 ग्राम पाया गया था । बरामद की गई चरस उसी पाकेट में पीछे रखी गई थी और इस पर एच. पी. 5 की छाप लगाकर उसे मुहरबंद किया गया था और उसे ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ग के माध्यम से कब्जे में लिया गया था । मुहर एच. का नमूना कपड़े के

टुकड़े में लिया गया था जो प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/घ है । अन्वेषण अधिकारी हैड कांस्टेबल देवानंद ने इसके पश्चात् रुक्का प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 9/क तैयार किया और इसे प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने के लिए हैड कांस्टेबल शौकत अली (अभि. सा. 1) के माध्यम से पुलिस थाना भेजा गया था । परिणामस्वरूप, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 7/ख पुलिस थाना तीस्सा पर रजिस्ट्रीकृत की गई थी । अन्वेषक अधिकारी ने औपचारिकताएं पूरी की थीं जो इस प्रकार प्रारूप की तीन प्रतियों एन. सी. बी. में प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 9/क प्रविष्टि अभिलिखित करके तैयार की और घटनास्थल का नक्शा पी. डब्ल्यू. 9/ग तैयार किया और इसके पश्चात् मेमो प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 9/घ के माध्यम से गिरफ्तारी के बारे में अभियुक्त को अवगत कराया गया । तब उसे उसी दिन गिरफ्तार किया गया था । अभि. सा. 9 हैड कांस्टेबल देवानंद पुलिस थाने पर अभियुक्त और वाद संपत्ति को लाया था और उन्हें पुलिस निरीक्षक/थाना गृह अधिकारी जगदीश चंद (अभि. सा. 7) के पास मुहर का नमूना और अभिग्रहण मेमो के साथ भी पेश किया था जिन्होंने चरस के पार्सल पर मुहर 'क' से उसे पुनः मुहरबंद किया था । पुनः मेमो प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 4/क मुहर 'क' की छाप पर एन. सी. बी. प्ररूपों की और उन्होंने मुहर की प्रतिकृति को कपड़े के टुकड़े पर रखा था जो प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 4/ख है । इसके पश्चात् अभि. सा. 7 ने मुहर्रिर हैड कांस्टेबल अमेन्द्र सिंह (अभि. सा. 4) के पास वाद संपत्ति जमा की थी जिन्होंने बदले में आर. सी. सं. 148/2011 के माध्यम से न्यायालयिक प्रयोगशाला जुंगा भेज दिया था । न्यायालयिक प्रयोगशाला प्रदर्श पी-4 के अनुसार विनिषिद्ध माल अभियुक्त के कब्जे में पाया गया था जो चरस के रूप में था ।

3. अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् विचारण न्यायालय में अभियुक्त के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अधीन रिपोर्ट फाइल की गई थी । विद्वान् विचारण न्यायालय ने रिपोर्ट उसमें संलग्न दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त के विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या निष्कर्ष निकाला और स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अधीन धारा 20 में अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित करने की कार्यवाही की गई । तथापि, उसने आरोपों पर दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया । इसलिए, अभियोजन पक्ष ने उसके विरुद्ध विरचित आरोपों को पूर्ण रूप से सिद्ध करने के लिए 9

साक्षियों की परीक्षा की ।

4. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त का कथन भी अभिलिखित किया गया था । अभियुक्त ने अपनी प्रतिरक्षा में श्री दौलत राम (प्रतिरक्षा साक्षी 1) की भी परीक्षा कराई ।

5. अभिलेख के पूरा होने पर विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने दोनों ओर के पक्षकारों को सुना तथा एकमात्र आधार पर दोषमुक्ति के निष्कर्षों को अभिलिखित किया । **सुनील कुमार** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले के निर्णय को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त से बरामद की गई अभिकथित विनिषिद्ध माल एकमात्र चरस है, उस बात को साबित नहीं किया गया है ।

6. इस प्रकार, यह देखने में आता है कि प्रारंभ में अभियुक्त को विद्वान् विशेष न्यायाधीश द्वारा एकमात्र आधार पर तारीख 10 दिसंबर, 2012 को निर्णय पारित करके स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के अधीन आरोप से दोषमुक्त किया गया था । **सुनील कुमार** (उपरोक्त) वाले मामले के इस न्यायालय के खंड न्यायपीठ द्वारा अधिकथित विधि के निबंधनों में रसायन परीक्षक रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त से बरामद की गई अभिकथित विनिषिद्ध माल के बारे में चरस होना साबित नहीं किया गया था । राज्य द्वारा दोषमुक्ति के निष्कर्षों के विरुद्ध जिन्हें विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित किया गया था, फाइल की गई 2013 की दांडिक अपील सं. 136 अपील को मंजूर किया गया था और विद्वान् विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय को अभिखंडित और अपास्त कर दिया गया तथा विद्वान् विचारण न्यायालय को इस न्यायालय के वृहत्तर पीठ द्वारा अधिकथित विधि को ध्यान में रखते हुए और विधि के अनुसरण में नए सिरे से मामले का निपटारा किए जाने के लिए उसे प्रतिप्रेषित किया गया । जैसाकि **हिमाचल प्रदेश राज्य** बनाम **महबूब खान**[2] वाले मामले में तारीख 27 अक्तूबर, 2016 को पारित निर्णय में अधिकथित किया गया है ।

---

[1] 2010 (1) शिमला एल. सी. 192.

[2] 2013 (3) हिमाचल एल. आर. (एफ. बी.) 1834.

7. परिणामस्वरूप, मामले को प्रतिप्रेषित करने पर विद्वान् विशेष न्यायाधीश चंबा ने नए सिरे से मामले का विनिश्चय किया और इस अपील में चुनौतीधीन निर्णय द्वारा जिसमें उसे दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया था जैसाकि अति प्रारंभ में इंगित किया गया है ।

8. आक्षेपित निर्णय की वैधता और विधिमान्यता को अन्य बातों के साथ-साथ इन आधारों पर प्रश्नगत किया गया है कि निष्कर्ष जो अभिलिखित किए गए हैं, वे काल्पनिक कारणों और अटकलबाजियों पर आधारित थे । अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का गलत और सरसरी रीति में मूल्यांकन किया गया । निस्संदेह साक्ष्य का सही परिप्रेक्ष्य में ही नहीं मूल्यांकन किया गया परंतु उसी समय अवास्तविक मानकों का भी मूल्यांकन किया गया और अभियुक्त द्वारा अपनी प्रतिरक्षा में दिए गए साक्ष्य को विश्वसनीय और अकाट्य बताया । अभियोजन साक्षियों के कथनों में तात्विक विभेदों को विचार में नहीं लिया गया और इसके प्रतिकूल अभियोजन पक्ष द्वारा सभी युक्तियुक्त संदेह के बारे में विफल होने की बात को ध्यान में लाए बिना दोषसिद्धि का निष्कर्ष अभिलिखित किया गया । यह साक्ष्य कि पार्सल में वाद संपत्ति को रखा गया है और जब उसे न्यायालय में पेश किया गया तो उस पर यथावत मुहरें लगी हुई नहीं पाई गई थीं और इस सही परिप्रेक्ष्य में भी विचार नहीं किया गया । इस बारे में कोई स्पष्ट स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है । अभियोजन पक्ष ने अभियोजन पक्ष तलाशी और अभिग्रहण साक्षी के रूप में किसी स्वतंत्र व्यक्ति को सहबद्ध करने में बुरी तरह विफल हुआ है । स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के आज्ञापक उपबंधों का अननुपालन भी हुआ है जिस बात को भी विचार में नहीं लिया गया है ।

9. अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री आर. एस. चंदेल अधिवक्ता ने यह दलील दी है कि स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 के अधीन अन्तर्विष्ट उपबंधों का अनुपालन नहीं किया गया है जिसके परिणामस्वरूप संपूर्ण कार्यवाहियां और विचारण भी दूषित हुआ है । दलीलों के दौरान यह भी प्रकट किया गया है कि अभियुक्त व्यक्ति से बरामद अभिकथित विनिषिद्ध वस्तुएं छड़ों के आकार में थीं, तथापि, अभियोजन साक्ष्य में यह भी प्रकट हुआ है कि जब

उन्हें खोला गया तब वे गोलाकार आकार की या टूटे हुए टुकड़ों के रूप में पाई गई थीं । अभिकथित विनिषिद्ध चरस का भार जिसे अभिग्रहण के समय पर लिया गया था, 950 ग्राम निकला था, तथापि, जब उसे प्रयोगशाला में तोला गया तो उसका भार 936 ग्राम होना पाया गया । विद्वान् काउंसेल के अनुसार भार के ऐसे विचलन के बारे में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया और यह बात अस्पष्टीकृत रूप में रही । घटना को किसी स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा नहीं देखा गया था, इसलिए शासकीय साक्ष्यों के परिसाक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि का कोई निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया जा सकता है जैसाकि स्थलाकृति के अनुसार घटनास्थल जहां पर अभियुक्त को पकड़ा गया और जहां अभियुक्त की तलाशी और अभिग्रहण की कार्यवाही की गई, हिमवाधित क्षेत्र है । यहां यह भी उपदर्शित किया गया है कि यद्यपि घटना का स्थान नागनी जंगल है परंतु अभि. सा. 2 के वृत्तांत के अनुसार कि वे वहां नहीं रुके ।

10. दूसरी ओर, विद्वान् अपर महाधिवक्ता ने अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से दी गई दलीलों का खंडन किया और यह दलील दी कि अन्वेषक अधिकारी अभि. सा. 9 हैड कांस्टेबल देवानंद के समर्थन में अभि. सा. 1 शौकत अली अभि. सा. 2 एस. पी. ओ. संजीव कुमार का परिसाक्ष्य तर्कयुक्त साक्ष्य के रूप में अभिलेख पर लाया गया है, यह बात सभी युक्तियुक्त संदेहों के परे साबित हुई है कि अभियुक्त के सचेत कब्जे से 950 ग्राम चरस बरामद हुई थी । अभियोजन साक्ष्य न तो विभेदकारी है और न असंगत है बल्कि सभी तात्विक पहलुओं पर अभियोजन पक्षकथन का स्पष्ट रूप से समर्थन करता है । घटनास्थल एकांत में था जो बात अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य से पूर्णतया साबित हुई है तथा अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्य से भी साबित हुई है । विद्वान् अपर महाधिवक्ता ने यह भी दलील दी है कि स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 के अनुपालन का कोई आधार नहीं है । बरामद की गई चरस उस आकार में नहीं पाई गई थी जिसमें उसे बरामद किया गया था और कि भार के विचलन के आधार को अपील के ज्ञापन में नहीं उठाया गया है और प्रथम बार दलील देने के प्रक्रम के दौरान इस बात को उठाया गया है और साक्षियों को जब वे साक्षी कठघरे पर मौजूद थे इस बात का कोई सुझाव

नहीं दिया गया कि बरामदगी का स्थान सुनसान क्षेत्र था । इस प्रकार आक्षेपित निर्णय को कायम रखे जाने की ईप्सा की गई ।

11. यदि स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 के अननुपालन पर आते हैं जिस बात को अभियुक्त की ओर से भी उठाया गया है, हमारी विचारित राय यह है कि सभी ऋजुताओं के अन्तर्गत तथा न्याय के उद्देश्य में उस बात का इस कारण से नकारात्मक उत्तर दिया जाना चाहिए कि वर्तमान मामला ऐसा नहीं है जहां पुलिस को किसी व्यक्ति द्वारा उस स्थान पर उसके कब्जे में चरस होने की बात की सूचना दी थी जब वे पुलिस दल के लोग गश्त लगा रहे थे । किसी प्रकार वर्तमान मामले में अभियुक्त को मेमो प्रदर्श पी. डब्ल्यू. ख के माध्यम से विकल्प भी दिया गया था । स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 के अधीन की परिभाषा को उसके समक्ष प्रकट किया गया । यद्यपि, अभियुक्त ने अपने हाथ से वहां पर कोई पृष्ठांकन नहीं किया क्योंकि वह अशिक्षित व्यक्ति था और वहां पर अन्वेषक अधिकारी अभि. सा. 9 हैड कांस्टेबल देवानंद ने स्वयं यह अभिलिखित किया था कि अभियुक्त अपनी तलाशी पुलिस द्वारा करवाना चुने । इसी प्रकार जैसाकि पहले ही मत व्यक्त किया गया है कि वर्तमान मामला ऐसा नहीं है जहां स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 का अनुपालन हुआ था, इसलिए, विद्वान् प्रतिरक्षा काउंसेल द्वारा दी गई प्रतिकूल दलीलों से अभियुक्त को कोई सहायता पहुंचना मुश्किल है ।

12. रपट रोजनामचा प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 3/क से यह प्रकट हुआ है कि पुलिस दल जिसका मुखिया अभि. सा. 9 हैड कांस्टेबल देवानंद था, ने लेसुईन, कुडडी, बेहनोता और बारदा आदि की ओर गश्त लगाने के लिए 11.15 बजे अपराह्न पुलिस थाने से चले थे । तारीख 16 दिसंबर, 2011 को प्रात: 5.00 बजे पूर्वाह्न अभियुक्त को ग्राम चजोत की ओर से आते हुए नागनी वन में देखा गया था । जब उसने पुलिस दल को देखा तो वह शिथिल पड़ गया और उसने भागने की कोशिश की । तथापि, उसे पुलिस दल द्वारा पकड़ लिया गया था । पूछताछ करने पर उसने अपना नाम तथा अपने अन्य पूर्ववर्ती इतिहास के बारे में अन्वेषक अधिकारी अभि. सा. 9 हैड कांस्टेबल देवानंद को बताया । यह स्थान एकांत में था और ऐसे विलक्षण घंटों में किसी व्यक्ति को तलाशी और अभिग्रहण का

साक्षी बनाना संभव नहीं था । इसलिए उसने अभि. सा. 1 हैड कांस्टेबल शौकत अली और अभि. सा. 2 एस. पी. ओ. संजीव कुमार को साक्षियों के रूप में सहबद्ध किया । अभि. सा. 9 हैड कांस्टेबल देवानंद और साक्षी ने मेमो प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/क के माध्यम से अभियुक्त को अपनी-अपनी तलाशी दी थी । अपराध में फंसाने वाले अन्वेषक अधिकारी की किट जिसे उनसे बरामद किया गया था, के सिवाय कुछ भी नहीं है । इसके पश्चात् अभियुक्त को किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी राजपत्रित अधिकारी के समक्ष उसकी तलाशी लिए जाने के बारे में विधिक अधिकारों के संबंध में अवगत कराया गया था । वह घटनास्थल पर मौजूद पुलिस पदधारियों को अपनी तलाशी देने के लिए सहमत हुआ था । एक सफेद रंगीन थैला उसके द्वारा स्वेटर और कमीज में छुपाया हुआ पाया गया था और उसने उस समय उन कपड़ों को पहना था और अपने पेट के नजदीक उसने उन्हें लपेट रखा था । जांच करने पर थैले में काला रंग का पदार्थ पाया गया था और छड़ के रूप में उनका आकार था जिन्हें वहां से बरामद किया गया था । अभियोजन पक्षकथन के अनुसार, उक्त सामग्री की गंध के आधार पर जिसे पुलिस दल द्वारा पाया गया था, उसका चरस प्रदर्श पी-3 होना पता लगा । अन्वेषक अधिकारी की किट में रखी हुई नापने की मशीन की सहायता से उस वस्तु का भार लिया गया था जो 950 ग्राम पाया गया था । बरामद की गई चरस का भार लेने के पश्चात् उसे उसी थैले (प्रदर्श पी-2) में रख दिया गया था और इसके पश्चात् कपड़े के पार्सल में (प्रदर्श पी-1) एच मोहर की छापें लगाई गई थीं और तब उसे मुहरबंद किया गया था । मोहर का नमूना प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ग को पृथक् रूप से रखा गया था । अन्वेषक अधिकारी ने एन. सी. बी. फार्म के सुसंगत स्तम्भों को घटनास्थल पर तीन प्रतियों में भरा गया था । मुहर का इस्तेमाल करने के पश्चात् इसे अभि. सा. 1 हैड कांस्टेबल शौकत अली के सुपुर्द कर दिया गया था ।

13. मोहर और नमूने लेने की प्रक्रिया के पश्चात् रुक्का प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 9/क तैयार किया गया था और इसे अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने के लिए पुलिस थाना तिस्सा पर ले जाने के लिए अभि. सा. 1 हैड कांस्टेबल शौकत अली को सौंप दिया गया था । रुक्का के आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 7/ख को

अभि. सा. 4 हैड कांस्टेबल अविन्द्र सिंह द्वारा लेखबद्ध किया गया था जो एम. एच. सी. पुलिस थाना तिस्सा पर फाइल में रखी गई । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण के बाद निरीक्षक जगदीश चन्द्र अभि. सा. 7 ने केस फाइल तैयार की और इसे घटनास्थल अन्वेषक अधिकारी के पास ले जाने के लिए अभि. सा. 1 हैड कांस्टेबल शौकत अली को सौंप दिया गया था । उक्त साक्षी ने बाद में हैड कांस्टेबल देवानंद अन्वेषक अधिकारी को मामले की फाइल सौंप दी थी ।

14. अभियोजन पक्षकथन जैसाकि इसमें ऊपर चर्चा की गई है जो अभि. सा. 1 हैड कांस्टेबल शौकत अली, अभि. सा. 2 एस. पी. ओ. संजीव कुमार और अन्वेषक अधिकारी अभि. सा. 9 हैड कांस्टेबल देवानंद के परिसाक्ष्य पर समाधानप्रद रूप से साबित किया गया है । यदि उनके परिसाक्ष्य को प्रतिपरीक्षा में देखा जाए तो यह निष्कर्ष निकालना अनुचित नहीं होगा कि मुख्य परीक्षा में उनका वृत्तांत इस कारण से अविचलित नहीं रहा है कि उन सभी ने एक मत से हमें यह बताया था कि वे पैदल पुलिस चौकी नाकरोद से चले गए थे और उन्होंने पुलिस चौकी नाकरोद और ग्राम कुडडी, ग्राम कुददी से ग्राम लेसुईन, ग्राम लेसुईन से ग्राम भनोता और ग्राम भनोता से ग्राम चजोत के बीच में प्रकट दूरी के बारे में भी बताया और ऐसी दूरी को बताते वक्त उनके परस्पर कथनों में अधिक विषमताएं नहीं हैं । उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि वे घटनास्थल के रास्ते पर किसी भी स्थान पर रुके नहीं । उन्हें यह सुझाव दिया गया कि पुलिस का गश्ती दल भनोटा से नागनी जंगल की ओर अग्रसर हुआ था और उन दोनों स्थानों के बीच में कोई भी वास स्थान नहीं था जिस बात को सही होने के रूप में स्वीकार किया गया है । ऐसा होते हुए भी अभियुक्त ने यह स्वीकार किया है कि भनोटा और नागनी जंगल के बीच में कोई भी वास स्थान नहीं था और इस प्रकार, अभियोजन पक्षकथन यह है कि जहां बरामदगी की गई थी वह एकांत स्थान था, इसलिए, वहां पर किसी भी स्वतंत्र साक्षी को सम्मिलित करना संभव नहीं था जिससे कि अभियुक्त की प्रतिरक्षा की बात प्रकट हो पाती । यद्यपि अभि. सा. 2 एस. पी. ओ. संजीव कुमार ने हमें यह बताया कि ग्राम चजोत नागनी जंगल के समीप स्थित है और उस गांव में 14-15 मकान स्थित हैं, यद्यपि इस पर विश्वास किया जाए तब कोई भी व्यक्ति उन विलक्षण समय पर पुलिस को सहायता देने के लिए नहीं

पहुंच सका । उन सभी ने यह बात स्पष्ट रूप से कही है कि वे लगभग 5.00 बजे पूर्वाह्न नागनी जंगल पर पहुंचे थे और उनके द्वारा गश्त के पश्चात् नागनी जंगल से पीछे लौटते हुए अभियुक्त को देखा गया था । उन्होंने एक मत से यह भी कथन किया है कि अभियुक्त ग्राम चजोत की ओर से आ रहा था और जंगल का रास्ता काफी खुला हुआ था जहां अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था । उन्होंने एक मत से यह भी कथन किया है कि घटनास्थल पर एन. सी. बी. फार्म भरा गया था । यद्यपि, अभि. सा. 1 ने यह स्वीकार किया है कि लोगों के पास नागनी जंगल में पशुओं को चराने का अधिकार था । तथापि, इस बारे में उन्होंने अपनी अनभिज्ञता व्यक्त की है कि प्रातः लोग अपने जानवरों को चराने के लिए और ईंधन की लकड़ी काटने के लिए पहुंचते थे । उसने यह भी स्वीकार किया है कि किसी भी स्वतंत्र साक्षी को मामले में सहबद्ध नहीं किया गया था, तथापि, स्वैच्छिक रूप से यह भी कथन किया गया है कि बरामदगियां सामान्य रूप से रात्रि के दौरान की गई थीं और इस प्रकार स्वतंत्र साक्षियों को सम्मिलित करने की संभावना नहीं थी ।

15. यह बात सही है कि अभि. सा. 2 एस. पी. ओ. संजीव कुमार ने साक्षी कठघरे में खड़े होकर यह कथन किया है कि नागनी जंगल में गश्त लगाने का कार्य नहीं रुका और यह भी कथन किया कि अभियुक्त को उसी दिन जंगल में गिरफ्तार किया गया था । मामले को इस तथ्य से देखते हुए पुलिस दल ने जंगल में गश्त लगाने के पश्चात् जब वे अपने रास्ते पर चल रहे थे तब अभियुक्त को उनके द्वारा पकड़ा गया था और उस समय पुलिस दल जंगल में रुका हुआ था, जब अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था और उसकी तलाशी ली गई थी तब अभि. सा. 2 एस. पी. ओ. संजीव कुमार ने अपनी प्रतिपरीक्षा की दूसरी लाइन में यह भी कथन किया है कि अभियुक्त को गिरफ्तार करने के पश्चात् लगभग दो घंटे और 45 मिनट जंगल में रहे थे इसलिए, प्रतिरक्षा पक्ष ने झूठी बात कहते हुए यह दावा किया है कि पुलिस दल नागनी जंगल पर रुका नहीं था । अभि. सा. 9 हैड कांस्टेबल देवानंद ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह स्पष्ट किया है कि जब अभियुक्त को पकड़ा गया था तब वे नागनी जंगल में गश्त लगाने के पश्चात् चजोत गांव की ओर वापस लौट रहे थे ।

16. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित

अभियुक्त के कथन में कथन अभिलिखित किए जाने से पूर्व सभी अपराध में फंसाने वाली परिस्थितियां उसके समक्ष रखी गईं । उसने पूर्ण रूप से उन परिस्थितियों से इनकार किया है और इस बारे में कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया है कि ये परिस्थितियां क्यों सही नहीं थीं । यद्यपि अभियोजन पक्षकथन अपने स्वयं के आधार पर खड़ा है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित किए गए अभियुक्त के कथन से कोई समर्थन नहीं मिल सकता है तो भी अभियुक्त से कुछ स्पष्टीकरण इस बारे में प्रकट होना चाहिए कि अपराध में फंसाने वाली परिस्थितियां उसके विरुद्ध कैसे प्रकट हुई हैं जो बातें अभियोजन साक्ष्य में दर्शित हुई हैं । उसने केवल यह स्पष्टीकरण दिया है कि वह निर्दोष है और साक्षियों ने उसके विरुद्ध मिथ्या अभिसाक्ष्य दिया है जिस पर वेदवाक्य के रूप में विश्वास नहीं किया जा सकता जिससे कि उसको निर्दोष ठहराया जाए ।

17. अभियुक्त ने अपनी प्रतिरक्षा में यह अभिवाक् किया है कि वह जीरो पांइट जासोरगढ़ पर बस से उतरा था जबकि वह बस में भसरुदु से चंबा यात्रा कर रहा था, यह बात न केवल सोच-विचार करके परंतु षड्यंत्र पूर्वक भी कही गई जैसाकि प्रतिरक्षा साक्षी-दौलत राम उसने अपनी प्रतिरक्षा में जब उसकी परीक्षा की गई, इस बारे में कथन नहीं किया है कि क्या वे प्राइवेट या एच. आर. टी. सी. बस में यात्रा कर रहे थे । उसने बस का टिकट भी पेश नहीं किया । उपरोक्त सभी बातों में पुलिस के साथ अभियुक्त का वैर भाव होने का अभाव है । चरस बड़ी मात्रा अर्थात् 950 ग्राम पाई गई थी जिसके बारे में उसे अधिरोपित किया जाना नहीं कहा जा सकता है । अभियुक्त के पास यह भी उत्तम अवसर था कि वह विद्वान् मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट दर्ज करता कि उसे मिथ्या रूप से फंसाया गया है जिसके समक्ष उसे उसकी गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर पेश किया गया था, तथापि, उसने कोई शिकायत दर्ज नहीं की । दूसरी ओर, विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने निर्णयज विधि की सहायता से सही परिप्रेक्ष्य में मामले के इस भाग में विचार किया और उसकी परीक्षा की । सुविधा की दृष्टि से निर्णय का पैरा 33 जिसे चुनौती दी गई । यह इस प्रकार है :-

> "33. दौलत राम (प्रतिरक्षा साक्षी 2) जिसकी अभियुक्त द्वारा पुलिस द्वारा मामले में मिथ्या रूप से फंसाने को प्रकट करने के लिए

परीक्षा करवाई थी । इस प्रतिरक्षा साक्षी द्वारा यह कथन किया गया है कि तारीख 15 दिसंबर, 2011 को वह अभियुक्त के साथ बंजूरा से चंबा जाने वाली अंतिम बस में यात्रा कर रहा था । वे चील्ली पर बस से नीचे उतरे थे और जब वे जीरो पांइट जासोरगढ़ पहुंचे तब पुलिस ने अभियुक्त को बस से उतारा था और उसको निरुद्ध कर दिया । तथापि, मैंने यह निष्कर्ष निकाला है कि उसका परिसाक्ष्य किसी भी कारण से अभियुक्त की कोई सहायता नहीं करता है कि वह अभियुक्त का सह गांववासी है तब दौलत राम ने बस का कोई टिकट पेश नहीं किया है जिससे कि यह दर्शित हो सके कि वह वास्तव में तारीख 15 दिसंबर, 2012 को बंजूरा से चंबा की ओर जाने वाली अंतिम बस में अभियुक्त के साथ यात्रा कर रहा था । इसके अतिरिक्त, अभिलेख पर यह दर्शित करने के लिए कुछ नहीं है कि अभियुक्त ने जब उसे गलत रूप से गिरफ्तार किया गया था तब उसने विरोध किया था । अभियुक्त को तारीख 17 दिसंबर, 2011 को विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था । उसने अपने को मिथ्या फंसाए जाने के बारे में विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई शिकायत नहीं की थी । इसलिए, मिथ्या फंसाए जाने के बारे में अभियुक्त के अभिवाक् को स्वीकार नहीं किया जा सकता । सोमनाथ **बनाम** राज्य वाले मामले में 2007 की दांडिक अपील सं. 341 जिसका विनिश्चय 13 नवंबर, 2009 को किया गया था । उसमें यह अभिवाक् किया गया था कि पुलिस पदधारियों ने कुछ साधुओं का पीछा किया था और अभियुक्त को मिथ्या रूप से फंसाया था । प्रतिरक्षा साक्षी के उस अभिवाक् को सिद्ध करने के लिए परीक्षा भी की गई थी । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अधिकथित किया गया कि प्रारंभ में किसी शिकायत के अभाव में ऐसा अभिवाक् स्वीकार योग्य नहीं है । इसी तरह, आंध्र माल **बनाम** हिमाचल प्रदेश राज्य 2010 (3) शिमला एल. सी. 131 वाले मामले में जब अभियुक्त को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर प्रतिप्रेषित करने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था तब उसके द्वारा मिथ्या फंसाए जाने के बारे में कोई शिकायत नहीं की गई थी, इसलिए ऐसे अभिवाक् को

स्वीकार नहीं किया जा सकता । अतः, माननीय उच्च न्यायालय के इन बाध्यकारी पूर्व निर्णयों को ध्यान में रखते हुए मिथ्या फंसाए जाने के अभिवाक् को संपूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता है ।"

18. यह बात सही है कि पुलिस अधिकारी के एकमात्र परिसाक्ष्य पर कोई दोषसिद्धि अभिलिखित नहीं की जा सकती । तथापि, यदि उसके परिसाक्ष्य से अभिलेख पर कोई साक्ष्य प्रकट हुआ है जो विश्वसनीय और विश्वास योग्य है तब उसे विधिक रूप से ग्राह्य किया जाएगा और अभियुक्त के विरुद्ध दोषसिद्धि का निष्कर्ष अभिलिखित करने के लिए अवलंब लिया जा सकता है । यह भी उल्लेख किए जाने योग्य है कि ऐसी उपधारणा की जाती है कि कोई व्यक्ति ईमानदारी से अपने कार्यों को करता है क्योंकि यह बात अन्य व्यक्तियों के मुकाबले पुलिस अधिकारी के पक्ष में प्रबल रूप से प्रकट होती है । और तब यह उचित नहीं होगा कि बिना किसी उपर्युक्त आधार के उस पर अविश्वास या संदेह किया जाए । विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने **गोविंद राजू** उर्फ **गोविंदा** बनाम **सिरयमपुरम पुलिस थाना और एक अन्य**[1] **टीका राम** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[2] **गिरीराज प्रसाद** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[3] **अहेर खीमा** बनाम **सौराष्ट्र राज्य**[4] **बलदेव सिंह** बनाम **हरियाणा राज्य**[5] **कश्मीर सिंह** बनाम **पंजाब राज्य**[6] **जरनैल सिंह** बनाम **पंजाब राज्य**[7] **तकाशी सातो** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य**[8] **अजमेर सिंह** बनाम **हरियाणा राज्य**[9] **हिमाचल प्रदेश राज्य** बनाम **विनोद कुमार**[10] **ताहिर** बनाम **राज्य (दिल्ली)**[11] और **माखन सिंह** बनाम **हरियाणा राज्य**[12]

---

[1] (2012) 4 एस. सी. सी. 722.

[2] (2007) 15 एस. सी. सी. 760.

[3] (2007) 7 एस. सी. सी. 625.

[4] ए. आई. आर. 1956 एस. सी. 217.

[5] 2016 क्रिमिनल ला जर्नल 154.

[6] 1999 क्रिमिनल ला जर्नल 2876.

[7] जे. टी. 2011 (2) एस. सी. 120.

[8] 2010 (3) शिमला एल. सी. 449.

[9] (2010) 3 एस. सी. सी. 746.

[10] 2002 (3) शिमला एल. सी. 137.

[11] (1996) 3 एस. सी. सी. 338.

[12] जे. टी. 2015 (4) एस. सी. 222.

वाले मामलों में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का अवलंब लेते हुए मामले के इस पहलू में सही परिप्रेक्ष्य पर विचार किया जिन पर इस न्यायालय द्वारा 2014 की दांडिक अपील सं. 305, सोहन लाल बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य जिसका विनिश्चय तारीख 2 नवंबर, 2016 किया गया, उस पर भी विचार किया गया ।

19. 2017 की दांडिक अपील सं. 374, हेतराम बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य जिस पर तारीख 26 मार्च, 2018 को विनिश्चय दिया गया, एक नवीनतम निर्णय में इस न्यायालय द्वारा इसी तरह का मत अपनाया गया था ।

20. यद्यपि, चरस जिसे बरामद किया गया था, उस समय उसके भार में भिन्नता थी और तत्पश्चात् जब उसका भार प्रयोगशाला में लिया गया, भिन्नता थी जिस बात को अपील में किसी भी आधार के रूप में उठाया नहीं गया था, तथापि, दलीलें देने के दौरान ऐसे लोप के बारे में विद्वान् प्रतिरक्षा काउंसेल द्वारा इस न्यायालय के संज्ञान में लाया गया था । इस बारे में दी गई दलीलों में इस कारण से कोई सारभूत बात प्रकट नहीं हुई है कि मामले के इस पहलू पर जिसमें विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा समुचित रूप से भी विचार किया गया है, न केवल मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में वर्णित बातों से सहायता ली गई बल्कि ऐसी स्थिति में विधि की प्रयोज्यता के बारे में भी नहीं बताया गया । अन्वेषक अधिकारी के किट का पैमाना के बारे में निश्चित रूप से सामग्री अर्थात् बरामद की गई चरस का सही भार के बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता जबकि प्रयोगशाला में नवीनतम भार मापने वाली मशीन/उपकरण को विश्लेषण के लिए भेजे गए विशिष्ट पदार्थ के भार को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है । अतः, प्रयोगशाला में विनिषिद्ध माल अर्थात् चरस के भार के बारे में सही होने का युक्तियुक्त रूप से विश्वास नहीं किया जा सकता है क्योंकि अन्वेषक अधिकारी के किट के पैमाने के साथ भार की तुलना की गई थी । अन्यथा भी बरामद किए गए चरस के भार की भिन्नता केवल 14 ग्राम है जो ऐसी प्रकृति का नहीं है जिससे कि अभियुक्त व्यक्ति से बरामदगी की अभियोजन कहानी असंभव प्रतीत होती हो । भार में ऐसा

विचलन जब से बरामद किया गया था, से पता चलता है और वह दिन जब प्रयोगशाला में इसका भार लिया गया । इस बारे में **देहल सिंह** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय से समर्थन मिल सकता है । विद्वान् विचारण न्यायालय ने संविवाद के इस भाग का विनिश्चय करते हुए उस निर्णय को भी विचार में लिया है ।

21. अतः, जब प्रयोगशाला में चरस का भार लिया गया तो तब 14 ग्राम की भिन्नता प्रकट हुई है, यह बात अभियोजन पक्षकथन के लिए घातक नहीं है ।

22. तथाकथित बरामद की गई चरस के आकार में विचलन जिस पर बरामदगी के समय मत व्यक्त किया गया और जब मुहरबंद पार्सल न्यायालय में खोला गया तब अभियोजन पक्षकथन के झूठ के बारे में अत्यधिक बल दिया गया । सम्पूर्ण अभियोजन साक्ष्य जिसमें मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य हैं, उससे यह इंगित होता है कि बरामद की गई चरस छड़/बत्तियों के आकार में थीं । अभि. सा. 1 हैड कांस्टेबल शौकत अली, अभि. सा. 2 एस. पी. ओ. संजीव कुमार और अन्वेषक अधिकारी हैड कांस्टेबल देवानंद (अभि. सा. 9) द्वारा भी ऐसा ही कथन किया गया है । तथापि, जब मुहरबंद पार्सल जिसमें चरस थी, न्यायालय में खोली गई तब चरस चारों ओर से टूटे हुए आकार में थी और छोटे टुकड़े उसमें मुहरबंद पाए गए थे । अभियोजन साक्ष्य में प्रकट लोप के बारे में इस न्यायालय को राजी करने के लिए उस पर बल दिया कि जिससे एक राय प्रकट हो कि वाद संपत्ति पर हेरफेर की गई है । यदि ऐसा है तो इस प्रभाव का भी सुझाव अभि. सा. 1 हैड कांस्टेबल शौकत अली और अभि. सा. 2 एस. पी. ओ. संजीव कुमार को उनकी प्रतिपरीक्षा के दौरान दिया गया होगा कि वाद संपत्ति पर हेरफेर की गई थी । तथापि, उन्हें इस निमित्त कोई सुझाव नहीं दिया गया था । इस प्रकार, अभियोजन साक्षी के पास मामले के इस पहलू का स्पष्टीकरण देने के लिए कोई अवसर नहीं था जब वे साक्षी कठघरे में खड़े थे । अन्वेषक अधिकारी अभि. सा. 9 हैड कांस्टेबल देवानंद

---

[1] ए. आई. आर. 2010 एस. सी. 3594.

को भी केवल यह सुझाव दिया गया कि अभि. सा. 1 हैड कांस्टेबल शौकत अली के कथन में यह अभिलिखित किया गया था कि बरामद की गई चरस बत्तियों (छड़) के आकार में थीं । अन्वेषक अधिकारी को यह सुझाव नहीं दिया गया कि बरामद की गई चरस पर हेरफेर की गई थी या जब उसे न्यायालय में मुहरबंद पार्सल से बाहर निकाला गया तब वह उस आकार में नहीं थी जिसमें उसे बरामद किया गया था । अभि. सा. 1 हैड कांस्टेबल शौकत अली के कथन को अभिलिखित करते हुए मात्र यह मत व्यक्त किया गया कि चरस जब न्यायालय में मुहरबंद पार्सल से बाहर निकाली गई या मुहरबंद पार्सल को खोला गया तब चारों ओर टूटे हुए आकार में थी और उसके छोटे टुकड़ों से यह राय बनाना पर्याप्त नहीं है कि पार्सल में मुहरबंद चरस जिसे न्यायालय में खोला गया था, वैसी ही नहीं थी जिसे अभियुक्त से तलाशी और अभिग्रहण के दौरान बरामद किया गया था । दूसरी ओर, चरस होने की संभावना जो छड़ के आकार में थी उसे न्यायालयिक प्रयोगशाला प्रतिप्रेषित करते समय छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाना हो सकता है, इस बात की अनदेखी नहीं की जा सकती । किसी प्रकार, जब इस बारे में अभियोजन साक्षियों की कोई प्रतिपरीक्षा नहीं हुई और न आक्षेपित निर्णय को चुनौती देने का एक आधार नहीं है, ऐसे अभिवाक् को विद्वान् प्रतिरक्षा काउंसेल द्वारा मामले को मात्र खारिज करने के लिए उठाया जाना प्रतीत होता है ।

23. दलीलों के दौरान यह भी उपदर्शित किया गया कि जब न्यायालय में पार्सल को पेश किया गया था तो उस पर लगी हुई मुहर की छाप टूटी हुई पाई गई थी । इस प्रकार दी गई दलील में कोई सार नहीं है जिसका कारण यह है कि सभी जगह पर लगाई गई मुहरें टूटी हुई नहीं थीं और केवल 'ए' छाप वाली मुहर ऐसी थी जो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त थी । मुहरें जो क्षतिग्रस्त पाई गई थीं इनकी छाप पार्सल पर दृष्टिगोचर हुई थी । न्यायालयिक प्रयोगशाला की शेष मुहरें और उनकी छाप 'एच' तथा 'ए' यथावत पाई गई थीं । अतः, पार्सल पर लगे हुए कुछ मोहरों पर आई हुई दरार से अभियोजन मामला संदेहपूर्ण नहीं हो जाता है और न इस न्यायालय को इस बात के लिए राजी करना पर्याप्त नहीं है कि वह विद्वान्

विचारण न्यायालय द्वारा अपनाए मत के प्रतिकूल मामले में अपना विचार प्रकट करें ।

24. अब हम साक्ष्य प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 9/क की कड़ी पर विचार करते हैं जो रुक्का है जिसे अभि. सा. 9 हैड कांस्टेबल देवानंद द्वारा तलाशी और अभिग्रहण की कार्यवाही पूरा करने के पश्चात् घटनास्थल पर लिखा गया । यह भी सुस्थापित है कि उसे अभि. सा. 1 हैड कांस्टेबल शौकत अली द्वारा पुलिस थाने, तिस्सा पर ले जाया गया था जिसके आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 7/ख दर्ज की गई थी । दैनिक डायरी की प्रविष्टि प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/घ से अभियोजन पक्षकथन सिद्ध होता है कि तारीख 16 दिसंबर, 2011 को 4.15 बजे अपराह्न पुलिस थाने पर पुलिस दल पहुंचा था । अन्वेषक अधिकारी अभि. सा. 9 हैड कांस्टेबल देवानंद ने पुलिस थाना तिस्सा पर अभि. सा. 7 थाना गृह अधिकारी जगदीश चंद को मुहरबंद पार्सल सौंपा था । अभि. सा. 7 थाना गृह अधिकारी जगदीश चंद ने मुहर 'ए' की पांच छापा लगाकर पार्सल को पुन: मुहरबंद किया था । मुहर 'ए' प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 4/ख की प्रतिकृति को कपड़े के टुकड़े पर भी प्राप्त किया था उसने एन. सी. बी. प्ररूप की तीन प्रतियों में सुसंगत प्रविष्टियां भी भरी थीं और उन पर मुहर 'ए' की छाप भी लगाई थी । उसने मेमो प्रदर्श पी. डब्ल्यू.4/क यह साबित करने के लिए तैयार किया कि उसके द्वारा मुहर 'ए' से पार्सल को पुन: मुहरबंद किया गया था, इसके पश्चात्, पार्सल को मालखाने में सुरक्षित अभिरक्षा में रखने के लिए अभि. सा. 4 हैड कांस्टेबल अविन्द्र सिंह को सौंप दिया गया था । इस प्रभाव की रपट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 4/छ को दैनिक डायरी में प्रविष्टि की गई थी । अभि. सा. 4 हैड कांस्टेबल अमलेन्द्र सिंह द्वारा मालखाने रजिस्टर में वाद संपत्ति के बारे में प्रविष्टियां की गईं थीं जिसका सार प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 4/ग है । रुक्का प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/क की प्रति और विशेष रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/ख को अभि. सा. 2 एस. पी. ओ. संजीव कुमार के मार्फत पुलिस अधीक्षक चंबा के कार्यालय पर भेजा गया था । उन्हें तारीख 16 दिसंबर, 2011 को अभि. सा. 6 हैड कांस्टेबल सुभाष चंद द्वारा प्राप्त किया गया था जो एस. पी. चंबा का रीडर था । उसने दोनों

दस्तावेजों की प्राप्ति रजिस्टर के क्रम सं. 14457/बी डी में प्रविष्टि की । अभि. सा. 5 हैड कांस्टेबल राजेश कुमार ने तारीख 17 दिसंबर, 2011 को वाद संपत्ति के साथ डोकेट आर. सी. सं. 148/2011 प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 4/ख न्यायालयिक प्रयोगशाला जुंगा भेजा था । उसने उक्त वस्तुओं को तारीख 19 दिसंबर, 2011 को न्यायालयिक प्रयोगशाला पर जमा किया और पुलिस थाना वापस लौटने पर एम. एच. सी. के समक्ष प्राप्ति रसीद पेश की । रिपोर्ट प्रदर्श पी-ए से यह प्रकट होता है कि प्रदर्शित वस्तुएं विश्लेषण के लिए भेजी गईं थीं जिसमें केनाबिस का अर्क था, इसलिए, चरस के नमूने के रूप में उसको माना गया था, अतः, अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्य की कड़ी से अपराध कारित किए जाने के संबंध में अभियुक्त को संबंधित किए जाने का साक्ष्य प्रकट होता है ।

25. इसलिए, मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य जो अकाट्य विश्वसनीय हैं उससे केवल यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियुक्त नुरुध के सचेत कब्जे से चरस बरामद हुई थी इसलिए उसे 7 वर्ष के कठोर कारावास भोगने तथा जुर्माने के रूप में 20,000/- रुपए का संदाय करने के लिए दोषसिद्ध और दंडादिष्ट करके ठीक ही किया है । ऐसा होते हुए भी अपेक्षित निर्णय के बारे में न तो परिकल्पना या अटकलबाजियों पर आधारित होना नहीं कहा जा सकता है और न शासकीय साक्षियों के परिसाक्ष्य का अवलंब लेकर मामले में कोई अवैधता या अनियमितता बरता जाना नहीं कहा जा सकता है । दूसरी ओर अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के विरुद्ध सभी युक्तियुक्त संदेह के परे अपने पक्षकथन को साबित किया है ।

26. इसमें ऊपर उल्लिखित सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए यह अपील असफल है और तद्नुसार उसे खारिज किया जाता है । आक्षेपित निर्णय की पुष्टि की जाती है ।

अपील खारिज की गई ।

आर्य

प्रकाश चंद

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य

और

भीम सिंह

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य

तारीख 1 जून, 2018

न्यायमूर्ति त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति चन्द्र भूषण बारोवालिया

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 और 201 सपठित धारा 120ख [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 और 27] – हत्या और षड्यंत्र – पारिस्थितिक साक्ष्य – डण्डे की बरामदगी – यदि मामला प्रत्यक्ष साक्ष्य पर आधारित न होकर पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है और पारिस्थितिक साक्ष्य के मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा सभी आवश्यक परिस्थितियों को साबित किया गया है तथा पारिस्थितिक साक्ष्य की कड़ी जुड़ी हुई है, जिनसे अपीलार्थी-अभियुक्तों की दोषिता प्रकट होती है तो अपीलार्थी-अभियुक्तों को दोषसिद्ध किया जाना न्यायसंगत है ।

तारीख 28 मई, 2014 को श्री महिन्द्र सिंह (शिकायतकर्ता) ने दूरभाष से पुलिस थाना, कारसोग को सूचना दी कि प्रकाश चंद और भीम सिंह (अभियुक्त व्यक्तियों) ने प्रकाश चिकन कार्नर, नयारा, कारसोग के बाहर अपने यान में गठरी लाद दी गई थी और जब उसने उनसे पूछताछ की कि गठरी में क्या है, तब अभियुक्त व्यक्ति चिकन कार्नर के अंदर गठरी को ले गए और अभियुक्त प्रकाश चंद ने दुकान का शटर बंद कर दिया । शिकायतकर्ता ने यह भी सूचना दी कि अभियुक्त भीम सिंह घटनास्थल से भाग गया, इसलिए उस पर संदेह हुआ कि गठरी के

अंदर किसी व्यक्ति का शव हो सकता है । उपरोक्त सूचना के आधार पर थाना गृह अधिकारी राजेश कुमार जो पुलिस दल के प्रधान थे, घटनास्थल की ओर गए और देखा कि प्रकाश चिकन कार्नर का शटर अंदर से बंद पाया गया था । पुलिस ने तारीख 28/29 मई, 2014 की मध्य रात्रि लगभग 12.00 बजे पूर्वाह्न अंदर से दुकान के शटर को खोला और शिकायतकर्ता ने अभियुक्त प्रकाश चंद की शनाख्त की । दुकान के तल पर गठरी पड़ी हुई थी जो पीला और लाल कपड़ा से ढका हुआ था और इसे काले कम्बल जो चाकलेट रंग में था, से बांधा गया था । जांच पड़ताल करने पर किसी महिला का शव अर्थात् नरबादा पत्नी अभियुक्त प्रकाश का शव बरामद हुआ था । थाना गृह अधिकारी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन शिकायकर्ता का कथन लेखबद्ध किया और उसे कांस्टेबल राजेश कुमार के माध्यम से पुलिस थाना कारसोग भेजा गया था जिस पर अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई थी । इसके पश्चात्, अन्वेषण की कार्यवाही की गई और पुलिस ने कम्बल और कपड़ों आदि सहित शव को कब्जे में लिया था और मुहरबंद औपचारिकताएं भी पूरी की गईं थीं । दुपट्टा (चुन्नी), रजाई कवर और रजाई को भी कब्जे में लिया गया था और पार्सल में उन्हें भी मुहरबंद किया गया था और नमूने मुहर (सील) को कपड़े के पृथक् टुकड़े में रखा गया था । दुकान का रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया था और घटनास्थल का नक्शा तैयार किया गया था । शव का शवपरीक्षण किया गया था । अन्वेषण के दौरान अभियुक्त प्रकाश चंद ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन प्रकटीकरण कथन किया और पुलिस दल को अपने चिकन कार्नर की ओर ले गया, जहां से उसने लकड़ी के आलमारी से छड़ी (डण्डा) बरामद किया जिसे कब्जे में लिया गया था । चिकित्सा राय के अनुसार, मृतका के शरीर पर क्षतियां डण्डे से संभव थीं । अभियुक्त प्रकाश चंद के दुकान से राजस्व अभिलेख भी प्राप्त किया गया था । अभियुक्त व्यक्तियों की चिकित्सा परीक्षा की गई थी और घटनास्थल की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की गई थी । साक्षियों के कथन अभिलिखित किए गए थे तथा वैज्ञानिक साक्ष्य घटनास्थल से एकत्र किया गया था और उसे आर. एफ. एस. एल. मंडी पर फारेंसिक विश्लेषण के लिए भेजा गया था । इसे

अन्वेषण में खोदकर निकाला गया था कि तारीख 28 मई, 2014 को लगभग 10.30 बजे अपराह्न अभियुक्त प्रकाश चंद का 200/- रुपए (दो सौ रुपए) भाड़े पर ग्राम नयारा (कारसोग) पर शिकायकर्ता की टैक्सी भाड़े पर लेने का आशय था । तत्पश्चात्, दोनों अभियुक्त व्यक्ति अभियुक्त प्रकाश चंद की दुकान से गठरी लाए जिसे कम्बल में लपेट दिया था, और जब शिकायतकर्ता ने यह पूछा कि गठरी के अंदर क्या है तब अभियुक्त भीम सिंह घटनास्थल से भाग गया और अभियुक्त प्रकाश चंद ने दुकान का शटर बंद कर दिया । इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला गया था कि अभियुक्त प्रकाश चंद ने अपनी पत्नी की हत्या की और अभियुक्त भीम सिंह ने अभियुक्त प्रकाश चंद को बचाने के लिए घटनास्थल से मृतका के शव को गायब करने के लिए उसके साथ षड्यंत्र रचा । अन्वेषण की समाप्ति के पश्चात् न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया था । अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए कुल मिलाकर सत्रह (17) साक्षियों की परीक्षा की । अभियुक्त व्यक्तियों के कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित किए गए थे, जिसमें उन्होंने दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया तथापि, अभियुक्त व्यक्तियों ने कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य नहीं दिया । विद्वान् विचारण न्यायालय ने तारीख 15 जून, 2016 को आक्षेपित निर्णय पारित करके अभियुक्त प्रकाश चंद को दोषसिद्ध किया और उसे दंड संहिता की धारा 302 के साथ पठित धारा 120ख के अधीन दंडनीय अपराध किए जाने के लिए अभियुक्त को कठोर कारावास भोगने का दंडादेश दिया तथा 10,000/- रुपए जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने का संदाय करने में व्यतिक्रम करने पर एक वर्ष की अवधि के लिए कठोर कारावास भोगने का भी आदेश किया गया था । अभियुक्त प्रकाश चंद को दंड संहिता की धारा 201 के साथ पठित धारा 120ख के अधीन दंडनीय अपराध किए जाने के लिए तीन वर्ष की अवधि का कठोर कारावास भोगने के लिए दोषसिद्ध व दंडादिष्ट भी किया गया था और जुर्माने का संदाय का व्यतिक्रम करने पर तीन मास की अवधि के लिए भी कठोर कारावास भोगने का भी आदेश किया गया था । अभियुक्त भीम सिंह को धारा 201 के साथ पठित धारा 120ख के अधीन दंडनीय अपराध कारित किए जाने के लिए दो वर्ष की अवधि के लिए कठोर

कारावास भोगने के लिए दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया और 5,000/- रुपए जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने का संदाय में व्यतिक्रम करने पर तीन मास की अवधि के लिए साधारण कारावास भोगने का भी दंड दिया गया । अभियुक्त प्रकाश चंद के दंडादेश समवर्ती रूप से चलने का आदेश किया गया था । अभियुक्त व्यक्तियों ने व्यथित और असंतुष्ट होकर वर्तमान अपीलें फाइल की हैं । अपीलों का निपटारा करते हुए,

अभिनिर्धारित – अब अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् काउंसेल की दलीलों का अभियोजन साक्षियों के परिसाक्ष्यों की कसौटी पर विश्लेषण किया गया । स्वीकृततः, वर्तमान मामला प्रत्यक्ष साक्ष्य का मामला नहीं है और यह पारिस्थितिक साक्ष्य का मामला है । यह सुस्थिर विधि है कि पारिस्थितिक साक्ष्य के मामले में अभियोजन पक्ष को सभी आवश्यक परिस्थितियों को साबित करना चाहिए, जो बिना काटछांट के पूरी श्रृंखला को गठित करेगी और अभियुक्त की दोषिता केवल अपराध में फंसाने वाले परिस्थितियों पर आधारित नहीं हो सकती है जब तक कि इसकी विश्वसनीय और स्पष्ट साक्ष्य द्वारा पुष्टि न की जाए । पारिस्थितिक साक्ष्य के मुकाबले विधिक स्थिति को सुस्थिर करने के लिए परिस्थितियों की श्रृंखला जैसाकि अभियोजन साक्षियों के परिसाक्ष्यों पर चर्चा करने के पश्चात् किसी निश्चायक निष्कर्ष में पहुंचने के लिए बहस किया जाना जरूरी है । अभियोजन पक्षकथन के अनुसार अभियुक्त प्रकाश चंद ने अपनी पत्नी (मृतका) की हत्या की और अभियुक्त भीम सिंह ने शव को कूड़े के ढेर में फेंकने में अभियुक्त प्रकाश चंद की सहायता करने की कोशिश की । स्वीकृततः, महिन्द्र सिंह (अभि. सा. 1) द्वारा दी गई सूचना पर, पुलिस ने अन्वेषण किया । इस प्रकार, अभि. सा. 1 का परिसाक्ष्य महत्वपूर्ण है । उसने स्पष्ट रूप से यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 28 मई, 2014 को लगभग 10.30 बजे अपराह्न जब वह अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था तब अभियुक्त प्रकाश चंद आया और उससे किसी व्यक्ति को छोड़ने के लिए सनारली पर उसकी गाड़ी को भाड़े पर लेने के लिए कहा । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्त-व्यक्ति गठरी लाए हैं और जब उसने गठरी में क्या है, पूछा तब वे गठरी को दुकान पर उठा ले गए । इसके पश्चात्, अभियुक्त भीम सिंह घटनास्थल से भाग गया और अभियुक्त प्रकाश चंद ने दुकान के

अंदर से शटर बंद कर दिया । उसने पुलिस को सूचना दी और उसकी मौजूदगी में अभियुक्त प्रकाश चंद ने दुकान का शटर खोला । उसने स्पष्ट रूप से यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्त प्रकाश चंद के दुकान के अंदर से गठरी बरामद की गई थी और उसकी जांच करने पर नरबादा (अभियुक्त प्रकाश चंद की पत्नी) का शव बरामद किया गया था । इस साक्षी के अनुसार, मृतका के शरीर पर क्षति के चिह्न हैं और नाक से रक्त टपक रहा था । इस साक्षी ने न्यायालय में दोनों अभियुक्त व्यक्तियों की शनाख्त की । इस साक्षी की मौजूदगी में डण्डा, रजाई और रजाई का खोल बरामद किया गया और उसने न्यायालय में उनकी पहचान की । इस साक्षी के परिसाक्ष्य में बिखराव नहीं रहा है जब उससे विस्तृत रूप से प्रतिपरीक्षा की गई । इस प्रकार, परिस्थितियों की श्रृंखला की मुख्य कड़ी पूर्ण रूप से सिद्ध की गई है । अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि तीन बच्चे दुकान के अंदर मौजूद थे जब पुलिस के बारे में मृतका का शव बरामद किए जाने का अभिकथन किया गया । उसने यह भी दलील दी है कि लीलाधर (अभि. सा. 2) और ठाकुर सेन (अभि. सा. 13) ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है । निर्विवादतः, उप निरीक्षक राजेश कुमार (अभि. सा. 14) ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि दुकान के अंदर दो लड़कियां और एक लड़का था । सबसे बड़ी लड़की की आयु ग्यारह वर्ष थी, लड़के की उम्र आठ वर्ष तथा छोटी लड़की की आयु दो वर्ष थी । उसने इन बच्चों से पूछताछ की, किंतु उसने उनके कथनों को लेखबद्ध नहीं किया । अब, इन बच्चों के कथनों को अभिलिखित न करना अभियोजन पक्षकथन के लिए घातक होना नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वर्तमान मामला पारिस्थितिक साक्ष्य का मामला है और न्यायालय का यह विचार है कि अभियोजन साक्ष्य के परिसाक्ष्यों से घटनाओं की पूरी श्रृंखला बनती है या नहीं । वास्तव में लीलाधर (अभि. सा. 2) और ठाकुर सेन (अभि. सा. 13) अभियोजन पक्षकथन का पूरा समर्थन नहीं करते हैं किंतु वे औपचारिक साक्षी हैं । तथापि, लीलाधर अभि. सा. 2 ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 29 मई, 2014 को जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तब उसे यह जानकारी हुई कि मृतका नरबादा की उसके पति (अभियुक्त प्रकाश चंद) द्वारा हत्या की गई ।

इस प्रकार, इस साक्षी का परिसाक्ष्य औपचारिक प्रकृति का है और अभियुक्त इसके बाहर कोई लाभ नहीं ले सकता है । अगला औपचारिक साक्षी ठाकुर सेन (अभि. सा. 13) है । इस साक्षी ने अति प्रारंभ में अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 28 मई, 2014 को अभियुक्त प्रकाश चंद की दुकान उसकी मौजूदगी में खोली गई थी और महिला का शव कम्बल में लपेटा हुआ पाया गया था । इस तरह, इस साक्षी ने भी इस प्रभाव के अभियोजन की रूपरेखा का समर्थन किया है अभियुक्त के दुकान से शव की बरामदगी प्रभावित हुई थी । अभियोजन पक्षकथन के अभियोग की मुख्य बात यह है कि तारीख 27 मई, 2014 को अभियुक्त ने मृतक की हत्या की और तत्पश्चात् दोनों अभियुक्त व्यक्तियों ने कम्बल में शव को लपेट दिया था और गठरी तैयार की गई थी । तत्पश्चात् तारीख 28 मई, 2014 को लगभग 10.30 बजे अपराह्न नयारा स्थान पर अभियुक्त व्यक्ति उसकी टैक्सी को भाड़े पर लेने के लिए शिकायतकर्ता के पास गए थे और जब वे यान में गठरी को लाद रहे थे तब अभि. सा. 1 महिन्द्र सिंह (शिकायतकर्ता) ने इस बारे में पूछताछ की कि गठरी में क्या है । दोनों अभियुक्त गठरी को दुकान के अंदर ले गए । अभियुक्त भीम सिंह घटनास्थल से भाग गया और अभियुक्त प्रकाश चंद ने अंदर से दुकान का शटर बंद कर दिया । अभि. सा. 1 ने पुलिस को सूचना दी और जब तक पुलिस घटनास्थल पर नहीं पहुंची तब तक वह घटनास्थल पर रहा । जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तब अभियुक्त प्रकाश चंद की दुकान खोल दी गई थी और गठरी पाई गई थी जिसमें मृतका का शव था । इस प्रकार, अभियुक्त प्रकाश चंद के अन्य कब्जे से शव को बरामद किया गया जिसे पूर्ण रूप से सिद्ध किया गया है । अब क्योंकि अभियुक्त प्रकाश चंद के कब्जे से शव की बरामदगी निश्चायक रूप से साबित किया गया है । अभियुक्त प्रकाश चंद पर यह सिद्ध करने का भार है कि उसने न तो डण्डे प्रदर्श पी-9 से मृतका की पिटाई की, और न उसका गला घोंटा । अभियुक्त प्रकाश चंद ने यह अभिवाक् किया है कि उसने अपनी पत्नी को किसी अन्य व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा था और उसके और उस व्यक्ति के बीच झगड़ा हुआ था । झगड़े की कार्यवाही में मृतका को दुर्घटनावश घातक क्षतियां कायम हुईं, परंतु

अभियुक्त प्रकाश चंद इस तथ्य के बावजूद भी इन तथ्यों को साबित नहीं कर सका कि स्वतंत्र साक्षी उसके बच्चों सहित घटनास्थल पर उपलब्ध थे । जब किसी व्यक्ति की जानकारी के भीतर कोई विशिष्ट तथ्य है, तब भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106 के अनुसार उस व्यक्ति को उसे साबित करना चाहिए । वर्तमान मामले में, गठरी की बरामदगी जिसमें अभियुक्त प्रकाश चंद के कब्जे से मृतका के शव की बरामदगी हुई, इस बात को पूर्ण रूप से सिद्ध किया गया है और अब अभियुक्त प्रकाश चंद पर यह भार है कि यह साबित करें कि उसने मृतका की हत्या नहीं की, किंतु वह सफलतापूर्वक ऐसा नहीं कर सका । वास्तव में अभियुक्त किसी साक्ष्य को देने में बुरी तरह विफल हुआ है कि उसने मृतका की हत्या नहीं की । इस प्रकार, इस न्यायालय के लिए यह अपरिहार्य है कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाले । अभियुक्त प्रकाश चंद द्वारा दुर्घटनावश मृत्यु का अभिवाक् साधारण स्पष्ट प्राख्यान है, जो दृढ़ नहीं है और निष्फल हो गया है । जहां तक अन्वेषण की भूमिका का संबंध है, अभि. सा. 14 उप निरीक्षक राजेश कुमार (अन्वेषक अधिकारी) का अभिसाक्ष्य महत्वपूर्ण है । इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन पक्षकथन का पूरा समर्थन किया है । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि अन्वेषण के दौरान यह प्रकट हुआ है कि जब 27 मई, 2014 को 8.30 से 9.00 बजे पूर्वाह्न के बीच, वह अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि मृतका किसी व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक स्थिति में थी, इसलिए, उसने उसे डण्डे, प्रदर्श पी.-9 से पीटा और उसका गला घोंट दिया । इस साक्षी ने विनिर्दिष्ट रूप से इस बात से इनकार किया है कि अभियुक्त प्रकाश चंद और उस व्यक्ति के बीच झगड़ा हुआ और दुर्घटनावश मृतका को ट्रंक के कोने में गिरने की वजह से क्षतियां हुईं । इसके अतिरिक्त, यह अत्यधिक असंभाव्य प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति जिसे ट्रंक के कोने में गिरने से बाहरी क्षति पहुंची है, उसकी मृत्यु हो सकती है । अभियुक्त प्रकाश चंद का व्यवहार भी स्वाभाविक नहीं था, क्योंकि उसने मृतका को चिकित्सा उपचार देने का कोई प्रयास नहीं किया है, खासतौर पर जब उसके (मृतका) के बारे में दुर्घटनावश क्षतियां होने का अभिकथन किया गया है । अभियुक्त प्रकाश चंद ने एक शब्द भी इस बारे में प्रकट नहीं

किया है कि अज्ञात व्यक्ति जिसके साथ उसने मृतका को समझौता की स्थिति में देखा है । अभियुक्त प्रकाश चंद ने स्वयं यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उनकी लड़ाई कुछ मिनट तक रही । तथापि, यह आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि साक्षी के समीप के दुकानों का कोई भी व्यक्ति झगड़े की आवाज नहीं सुन सका । इस प्रकार, विचित्र व्यक्ति से झगड़े की कहानी के दावे को त्यक्त किया जाता है । साक्ष्य का उसकी संपूर्णता में विश्लेषण करने के पश्चात् इसे पूर्ण रूप से सिद्ध किया गया है कि तारीख 27 मई, 2014 को अभियुक्त प्रकाश चंद ने मृतका के सिर पर डण्डा, प्रदर्श पी-9 से वार किया और उसने उसके मृत्यु होने तक उसका गला भी घोंटा था । इस प्रकार, उसने मृतका की हत्या की तथा इसके पश्चात् तारीख 28 मई, 2014 को लगभग 10.00 बजे अपराह्न दोनों अभियुक्त व्यक्तियों ने साक्ष्य को नष्ट करने के लिए अपराधिक षड्यंत्र रचा । उन्होंने मृतका के शव को ठिकाने लगाने के लिए टैक्सी भाड़े पर ली जिसकी रजिस्ट्रेशन सं. एच. पी. 30-3015 है जिससे कि अभियुक्त प्रकाश चंद द्वारा अपराध कारित करने का साक्ष्य गायब हो जाए । यह भी सिद्ध किया गया है कि अभियुक्त भीम सिंह साक्ष्य को गायब करने के लिए अभियुक्त प्रकाश चंद की सहायता करने के प्रयास का माध्यम बना । अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा शिकायतकर्ता, महिन्द्र सिंह के यान में मृतका के शव को गठरी में रखने का प्रयास किया, यह बात सिद्ध हुई है और अभियुक्त के दुकान से उक्त गठरी की बरामदगी भी सिद्ध की गई है । इस प्रकार, घटनाओं की श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी अच्छी तरह से जुड़ी हुई है और उस पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है । अल्प विभेद जैसा कि अभियुक्त की ओर से विद्वान् काउंसेल द्वारा बताई गई है, को अतिभार नहीं दिया जा सकता है, परिस्थितियों की श्रृंखला को दृढ़तापूर्वक सिद्ध किया गया है, क्योंकि ये केवल अल्प छोटे-मोटे विभेद हैं और उन्हें आसानी से त्यागा जा सकता है । संपूर्ण साक्ष्य की कसौटी को ध्यान में रखते हुए न्यायालय का अभियोजन पक्ष द्वारा प्रकट कहानी की सत्यता से समाधान होता है क्योंकि मामले में परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी है और इस प्रकार विद्वान् विचारण न्यायालय के निर्णय को अटकलबाजियों के आधार पर गलत शब्दावली में नहीं रखा जा सकता है । इसलिए, केवल यह निष्कर्ष निकलता है कि विद्वान् विचारण

न्यायालय ने सही परिप्रेक्ष्य में साक्ष्य का मूल्यांकन करके ठीक ही किया है और अभियुक्त व्यक्तियों को दोषसिद्ध करके ठीक ही किया है जैसाकि अभियोजन पक्ष ने निश्चायक और युक्तियुक्त संदेह के परे अभियुक्त व्यक्तियों की दोषिता को साबित किया है । न्यायालय का यह मत है कि विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षों को उलटने का कोई कारण नहीं है । अपीलों में गुणागुण नहीं है, इसलिए, खारिज किए जाने योग्य है और तद्नुसार, उन्हे खारिज किया जाता है क्योंकि अभियोजन पक्ष ने निश्चायक रूप से और युक्तियुक्त संदेह के परे अभियुक्त व्यक्तियों की दोषिता को साबित किया है । (पैरा 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 27)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2016 की दांडिक अपील संख्या 275 और 299.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री एच. एस. रांगे, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से श्री सुधीर भटनागर, अपर महाधिवक्ता साथ में श्री भूपेन्द्र ठाकुर उप महाधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति चन्द्र भूषण बारोवालिया ने दिया ।

न्या. बारोवालिया – अपीलार्थियों/दोषसिद्ध व्यक्तियों/अभियुक्तों की ओर से (इसमें इसके पश्चात् 'अभियुक्त व्यक्ति' कहा गया है) 2014 के सेशन विचारण सं. 16 में विद्वान् सेशन न्यायाधीश (1), मंडी, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश, कैम्प कारसोग द्वारा तारीख 15 जून, 2016 को पारित निर्णय को चुनौती दी गई है जिसके द्वारा अभियुक्त प्रकाश चंद को दंड संहिता, 1860 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'भा. दं. सं.' कहा गया है) की धारा 302 और 201 के साथ पठित धारा 120ख के अधीन दंडनीय अपराध किए जाने के लिए दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया था तथा अभियुक्त भीम सिंह को दंड संहिता की धारा 201 और 120ख के अधीन दंडनीय अपराध किए जाने के लिए दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया था ।

2. अभियोजन कहानी की शिकायत पर अभियुक्त व्यक्तियों को विद्वान् विचारण न्यायालय के समक्ष विचारण का सामना करने के लिए भेजा गया था, उसका सारगर्भित रीति में संक्षेप में उल्लेख किया जा सकता है ।

तारीख 28 मई, 2014 को श्री महिन्दर सिंह (शिकायतकर्ता) ने दूरभाष से पुलिस थाना, कारसोग को सूचना दी कि प्रकाश चंद और भीम सिंह (अभियुक्त) प्रकाश चिकन कार्नर, नयारा, कारसोग के बाहर अपने यान में गठरी (गठरी) लाद रहे हैं और जब उसने उनसे पूछताछ की कि गठरी में क्या है, तब अभियुक्त चिकन कार्नर के अंदर गठरी ले गए और अभियुक्त प्रकाश चंद ने दुकान का शटर बंद कर दिया । शिकायतकर्ता ने यह भी सूचना दी कि अभियुक्त भीम सिंह घटनास्थल से भाग गया, इसलिए उस पर संदेह हुआ कि गठरी के अंदर किसी व्यक्ति का शव हो सकता है । उपरोक्त सूचना के आधार पर थाना गृह अधिकारी राजेश कुमार जो पुलिस दल के प्रधान थे, घटनास्थल की ओर गए और देखा कि प्रकाश चिकन कार्नर का शटर अंदर से बंद पाया गया था । पुलिस ने तारीख 28/29 मई, 2014 की मध्य रात्रि लगभग 12.00 बजे पूर्वाह्न अंदर से दुकान के शटर को खोला और शिकायतकर्ता ने अभियुक्त प्रकाश चंद की शनाख्त की । दुकान के तल पर गठरी पड़ी हुई थी जो पीले और लाल कपड़े से ढकी हुई थी और इसे काले कम्बल जो चाकलेट रंग में था, से बांधा गया था । जांच पड़ताल करने पर किसी महिला का शव अर्थात् नरबादा पत्नी अभियुक्त प्रकाश चंद का शव बरामद हुआ था । थाना गृह अधिकारी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन शिकायकर्ता का कथन लेखबद्ध किया और उसे कांस्टेबल राजेश कुमार के माध्यम से पुलिस थाना कारसोग भेजा गया था जिस पर अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई थी । इसके पश्चात्, अन्वेषण की कार्यवाही की गई और पुलिस ने कम्बल और कपड़ों आदि सहित शव को कब्जे में लिया था और मुहरबंद करने संबंधी औपचारिकताएं भी पूरी की गईं थीं । दुपट्टा (चुन्नी), रजाई कवर और रजाई को भी कब्जे में लिया गया था और पार्सल में उन्हें भी मुहरबंद किया गया था और नमूने मुहर (सील) को कपड़े के पृथक् टुकड़े में रखा गया था । दुकान का रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया था और

घटनास्थल का नक्शा तैयार किया गया था । शव का शवपरीक्षण किया गया था । अन्वेषण के दौरान अभियुक्त प्रकाश चंद ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन प्रकटीकरण कथन किया और पुलिस दल को अपने चिकन कार्नर की ओर ले गया, जहां से उसने लकड़ी के आलमारी से छड़ी (डण्डा) बरामद किया जिसे कब्जे में लिया गया था । चिकित्सा राय के अनुसार, मृतका के शरीर पर क्षतियां डण्डे से संभव थीं । अभियुक्त प्रकाश चंद के दुकान से राजस्व अभिलेख भी प्राप्त किया गया था । अभियुक्त व्यक्तियों की चिकित्सा परीक्षा की गई थी और घटनास्थल की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की गई थी । साक्षियों के कथन अभिलिखित किए गए थे तथा वैज्ञानिक साक्ष्य घटनास्थल से एकत्र किया गया था और उसे आर. एफ. एस. एल. मंडी पर फारेंसिक विश्लेषण के लिए भेजा गया था । इसे अन्वेषण में खोदकर निकाला गया था कि तारीख 28 मई, 2014 को लगभग 10.30 बजे अपराह्न अभियुक्त प्रकाश चंद का 200/- रुपए (दो सौ रुपए) भाड़े पर ग्राम नयारा (कारसोग) पर शिकायकर्ता की टैक्सी भाड़े पर लेने का आशय था । तत्पश्चात्, दोनों अभियुक्त व्यक्ति अभियुक्त प्रकाश चंद की दुकान से गठरी लाए जिसे कम्बल में लपेट दिया था, और जब शिकायतकर्ता ने यह पूछा कि गठरी के अंदर क्या है तब अभियुक्त भीम सिंह घटनास्थल से भाग गया और अभियुक्त प्रकाश चंद ने दुकान का शटर बंद कर दिया । इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला गया था कि अभियुक्त प्रकाश चंद ने अपनी पत्नी की हत्या की और अभियुक्त भीम सिंह ने अभियुक्त प्रकाश चंद को बचाने के लिए घटनास्थल से मृतका के शव को गायब करने के लिए उसके साथ षड्यंत्र रचा । अन्वेषण की समाप्ति के पश्चात् न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया था ।

3. अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए कुल मिलाकर सत्रह (17) साक्षियों की परीक्षा की । अभियुक्त व्यक्तियों के कथन दंड प्रक्रिया संहिता धारा 313 के अधीन अभिलिखित किए गए थे, जिसमें उन्होंने दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया तथापि, अभियुक्त व्यक्तियों ने कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य नहीं दिया ।

4. विद्वान् विचारण न्यायालय ने तारीख 15 जून, 2016 को आक्षेपित निर्णय पारित करके अभियुक्त प्रकाश चंद को दोषसिद्ध किया

और उसे दंड संहिता की धारा 302 के साथ पठित धारा 120ख के अधीन दंडनीय अपराध किए जाने के लिए अभियुक्त को कठोर कारावास भोगने का दंडादेश दिया तथा 10,000/- रुपए जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने का संदाय करने में व्यतिक्रम करने पर एक वर्ष की अवधि के लिए कठोर कारावास भोगने का भी आदेश किया गया था । अभियुक्त प्रकाश चंद को दंड संहिता की धारा 201 के साथ पठित धारा 120ख के अधीन दंडनीय अपराध किए जाने के लिए तीन वर्ष की अवधि का कठोर कारावास भोगने के लिए दोषसिद्ध व दंडादिष्ट भी किया गया था और जुर्माने का संदाय का व्यतिक्रम करने पर तीन मास की अवधि के लिए भी कठोर कारावास भोगने का भी आदेश किया गया था । अभियुक्त भीम सिंह को धारा 201 के साथ पठित धारा 120ख के अधीन दंडनीय अपराध कारित किए जाने के लिए दो वर्ष की अवधि के लिए कठोर कारावास भोगने के लिए दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया और 5,000/- रुपए जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने का संदाय में व्यतिक्रम करने पर तीन मास की अवधि के लिए साधारण कारावास भोगने का भी दंड दिया गया । अभियुक्त प्रकाश चंद के दंडादेश समवर्ती रूप से चलने का आदेश किया गया था । अभियुक्त व्यक्तियों ने व्यथित और असंतुष्ट होकर वर्तमान अपीलें फाइल की हैं ।

5. अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि विद्वान् विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों को गलत रूप से दोषी ठहराया है । उन्होंने यह दलील दी है कि अभि. सा. 1, अभि. सा. 2, अभि. सा. 6, अभि. सा. 9, अभि. सा. 11, अभि. सा. 12 और अभि. सा. 14 के कथनों में बड़े विभेद हैं । उन्होंने यह दलील दी है कि अपीलार्थी सं. 1 प्रकाश चंद ने मृतका को किसी विचित्र व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाया था । इसलिए, अपीलार्थी प्रकाश चंद और विचित्र व्यक्ति के बीच झगड़ा हुआ था । झगड़े में मृतका ट्रंक के कार्नर के ऊपर गिर गई और उसे घातक क्षतियां पहुंचीं । उन्होंने यह भी दलील दी है कि घटना अभियुक्त प्रकाश चंद के बच्चों के समक्ष घटित हुई, इस तरह, मुख्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों की परीक्षा न करने से अभियोजन पक्षकथन कमजोर बना है । विद्वान् विचारण न्यायाल ने अटकलबाजियों पर ही निर्णय पारित किया है, इसलिए अपीलें मंजूर की गईं और आक्षेपित निर्णय को अपास्त करके अपीलार्थियों को दोषमुक्त किया जाता

है । इसके विपरीत, विद्वान् अपर महाधिवक्ता ने यह दलील दी है कि दोषसिद्धि का निर्णय जिसे विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, सही है और उसमें कोई अवैधानिकता नहीं है । उन्होंने यह भी दलील दी है कि साक्ष्य से पूर्णतया यह साबित होता है कि अपीलार्थी प्रकाश चंद ने मृतका की हत्या की और अपीलार्थी भीम सिंह ने शव को कूड़े के ढेर में छुपाने में सहायता की । उन्होंने यह दलील दी । इसलिए, अपीलार्थियों द्वारा विद्वान् विचारण न्यायालय के आक्षेपित निर्णय के विरुद्ध फाइल किए गए अपीलों में कोई गुणागुण नहीं है ।

6. उक्त बातों का खंडन करते हुए अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि अभियोजन साक्षियों के परिसाक्ष्यों में बहुत खामी है, इस तरह, विद्वान् विचारण न्यायालय के निर्णय को अपास्त करके अपीलें मंजूर की जाती हैं और अपीलार्थियों को दोषमुक्त किया जाता है ।

7. पक्षकारों की परस्पर दलीलों का मूल्यांकन करते हुए हमने सावधानीपूर्वक अभिलेख का परिशीलन किया है ।

8. दोषिता को सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष ने शिकायतकर्ता के परिसाक्ष्य का मुख्यतः अवलंब लिया है जिसने यह दावा किया है कि अभियुक्त व्यक्तियों ने उसके यान को भाड़े पर लिया है और उन्होंने उसके यान में गठरी को लादने की कोशिश की । संदेह होने पर कि गठरी में मानव शरीर हो सकता है, उसने अभियुक्त व्यक्तियों से पूछताछ की, इसलिए अभियुक्त व्यक्ति दुकान के अंदर गठरी उठा कर ले आए । अभियुक्त भीम सिंह घटनास्थल से भाग गया और अभियुक्त प्रकाश चंद ने अंदर से दुकान का शटर बंद कर दिया और वह दुकान के अंदर रहा । तत्पश्चात्, शिकायतकर्ता ने पुलिस को मामले की शिकायत की । इस प्रकार, शिकायतकर्ता (अभि. सा. 1) द्वारा दिए गए तथ्यों के पूरे वृत्तांत वर्तमान मामले में महत्वपूर्ण हैं ।

9. श्री महिन्द्र सिंह (शिकायतकर्ता) अभि. सा. 1 ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वह ड्राइवर है और तारीख 28 मई, 2014 को लगभग 10.30 बजे अपराह्न जब वह अपने यान में बैठा हुआ था जिसे प्रकाश चिकन कार्नर, नयारा से बाहर खड़ी की गई थी, तब अभियुक्त प्रकाश जो नेपाली है, और उसे जानता है, उसने उससे कहा कि सनारली में एक

व्यक्ति को भेजने के लिए अपना यान भाड़े पर दे और उसका भाड़ा 200/- रुपए तय किया गया । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि दोनों अभियुक्त व्यक्ति गठरी (गठरी) को लाए जिसे कम्बल में लपेटा गया था । अभियुक्त प्रकाश चंद से पूछताछ करने पर उसने यह बताया कि गठरी के अंदर सीमेंट के फटे हुए थैले रखे हुए हैं और उन्हें सनारली पर वापस किया जाना है । जब उसने उसे दिखाने के लिए कहा कि उसके अंदर क्या है तब अभियुक्त व्यक्ति उक्त गठरी को अपने दुकान के अंदर ले गए और दुकान के शटर को बंद कर दिया । इस साक्षी के परिसाक्ष्य के अनुसार, अभियुक्त भीम चंद घटनास्थल से बस स्टैंड की ओर भाग गया और अभियुक्त प्रकाश चंद ने अपनी दुकान की बिजली बुझा दी और अंदर रहा । इस तरह, उसने दूरभाष से पुलिस को सूचना दी तथा पुलिस 15-20 मिनट पश्चात् घटनास्थल पर पहुंची । पुलिस के निदेश देने पर अभियुक्त प्रकाश चंद ने लगभग 12.10 बजे पूर्वाह्न दुकान का शटर खोल दिया । गठरी की जांच की गई और मृतका नरबादा का शव कम्बल और पुष्पमय कपड़े में लपेटा हुआ मिला । शव के नाक से रक्त टपक रहा था और सिर पर क्षति थी । पुलिस द्वारा उससे कथन को अभिलिखित किया गया था जो प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/क है, पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा तैयार किया और फोटो खिचें तथा डण्डे को अपने कब्जे में लिया जो रक्त से रक्तरंजित था, और अभिग्रहण ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ख के माध्यम से रक्तरंजित कपड़े लिए गए जिन्हें कपड़े के पार्सल में मुहरबंद किया गया था । इस साक्षी ने पार्सल प्रदर्श पी-1, दुपट्टा प्रदर्श पी-2, खिन्द (रजाई) प्रदर्श पी-3, रजाई खोल, प्रदर्श पी-4 को पुलिस द्वारा घटनास्थल से तारीख 29 मई, 2014 को कब्जा में लिया गया था । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने राजू के साथ ज्ञापन में हस्ताक्षर किए । शव को ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ग के माध्यम से कब्जे में लिया गया था । तारीख 31 मई, 2014 को पुलिस ने पी. डब्ल्यू. 1/घ के माध्यम से कम्बल और रजाई खोल को कब्जे में लिया जो रक्तरंजित थे । इस साक्षी ने न्यायालय में पार्सल प्रदर्श पी-5, कम्बल, प्रदर्श पी-6 और रजाई खोल, प्रदर्श पी-7 की पहचान की । इस साक्षी के अनुसार पुलिस द्वारा प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ङ ज्ञापन के माध्यम से दुकान का रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र

कब्जे में लिया गया था । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि बाहरी भाग में दुकान है और अन्दर के भाग को अभियुक्त प्रकाश चंद निवास के रूप में इस्तेमाल करता है । उसने यह स्वीकार किया है कि तीन बच्चे कमरे को निवास के रूप में इस्तेमाल करते हैं और तारीख 28 मई, 2014 को जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तब सभी तीनों बच्चे निवास क्षेत्र के अंदर थे । इस साक्षी के अनुसार कि जमीन पर सूखा हुआ रक्त पड़ा हुआ था । अभियुक्त के दुकान के सामने वैल्डिंग दुकान है और अभियुक्त के दुकान के नजदीक 7-8 दुकानें हैं, जिसमें से एक वैल्डिंग दुकान उस समय खुली हुई थी ।

10. अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध लगाए गए आरोप को कामय रखने के लिए लीलाधर (अभि. सा. 2) के मौखिक साक्ष्य का अवलंब लिया जिसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि वह पुनीत भारद्वाज, नायर कारसोग के वैल्डिंग दुकान पर कार्य करता है और अभियुक्त प्रकाश चंद वैल्डिंग दुकान के सामने नरबादा के साथ अपनी दुकान की ओर दौड़ा । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि प्रायः अभियुक्त (प्रकाश चंद) और मृतका नरबादा अक्सर झगड़ा किया करते थे । तारीख 28 मई, 2014 को वह दुकान पर नहीं था और काम से सनारली गया हुआ था और तारीख 29 मई, 2014 को उसकी जानकारी में यह आया कि अभियुक्त प्रकाश चंद द्वारा मृतका की हत्या कर दी गई है और पुलिस घटनास्थल पर पहुंची । इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया था । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने मृतका को घटना घटने के 2-3 दिन पूर्व दुकान में नहीं देखा । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि अभियुक्त 6.00 बजे पूर्वाह्न से 1.00 बजे अपराह्न तक विशाल ट्रेडर्स के साथ काम किया करता । अभियुक्त के तीन बच्चे उसी दुकान में निवास करते थे और अभियुक्त की सबसे बड़ी पुत्री मानसिक रूप से स्वस्थ थी । इस साक्षी के अनुसार, अभियुक्त ने उसकी मौजूदगी में कभी भी मृतका की पिटाई नहीं की । पुलिस ने उसे बताया कि अभियुक्त ने अपनी पत्नी की हत्या की है ।

11. श्री डुमा राम (अभि. सा. 3) (मृतका का भाई) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि मृतका का विवाह अभियुक्त प्रकाश चंद के साथ हुआ था । तारीख 28 मई, 2014 को पुलिस उसके मकान पर पहुंची

और उसे यह सूचना दी कि उसकी बहिन की हत्या की गई है । इस साक्षी के अनुसार, मृतका और अभियुक्त प्रकाश चंद के बीच तनावपूर्ण संबंध थे । मृतका की बड़ी पुत्री विकलांग और मानसिक रूप से अशक्त है । पुलिस ने बच्चों को उसकी अभिरक्षा में रखा तथा शव को दाह संस्कार के लिए भी उसे सौंप दिया । उसकी मौजूदगी में पुलिस ने मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट तैयार की । उसने मृतका के शव पर क्षति देखी और उसके सिर से रक्त टपक रहा था । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वह और उसके माता-पिता इस विवाह से खुश नहीं थे और उन्होंने उनका बहिष्कार किया था ।

12. डा. नवीन कश्यप (अभि. सा. 4) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि पुलिस ने तारीख 29 मई, 2014 को आवेदन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 4/क के माध्यम से मृतका का शवपरीक्षण करने के लिए उससे अनुरोध किया । उसने मृतका का शव परीक्षण करने के पश्चात् रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 4/ख जारी की । इस साक्षी की राय के अनुसार मृत्यु का कारण हापोवेलेमिक (Hypovolaemic) आघात था । मृतका के सिर पर क्षति हुई थी, उदर के बाईं ओर गुमटा तथा सिर पर दो विदीर्ण घाव हुए थे । उन्होंने आगे यह अभिसाक्ष्य दिया है कि क्षति कुंद प्रकृति की थी और तीन दिन से कम अवधि में कारित हुई थी । गर्दन पर बंध का चिह्न भी देखा गया था जो चौड़ाई में 1.5 सें. मी. था । उन्होंने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि मृतका की मृत्यु होने के पश्चात् भी उसका गला घोंटने का प्रयास किया गया । सिर के अग्र और पश्च अस्थि पर अस्थिभंग हुआ था जो बात जानकारी में आई थी । अग्र मस्तिष्क पर सब ड्यूरल रक्तस्राव हुआ था । उन्होंने मृतका का विसरा न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजा और न्यायालयिक प्रयोगशाला रिपोर्ट प्रदर्श पी. एक्स. 1 का परिशीलन करके उन्होंने अपनी अंतिम राय व्यक्त की । उन्होंने मृतका के कपड़े पार्सल में भी मुहरबंद किए और मृतका का रक्त नमूना शीशी में लिया गया था जिसे सी. एच. के कारसोग की मुहर से मुहरबंद किया गया था । उन्होंने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 31 मई, 2014 को पुलिस ने उन्हें डण्डा दिखाया और आवेदन, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 4/ग के माध्यम से उसकी राय चाही गई । उनकी राय के अनुसार, मृतका के शरीर पर क्षतियां उनको दिखाए गए डण्डे से संभव हो सकती है । इस

साक्षी ने अभियुक्त व्यक्तियों की चिकित्सीय रूप से परीक्षा की और उनके चिकित्सा विधिक प्रमाणपत्र जारी किए जो प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 4/ङ और प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 4/च हैं । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि विदीर्ण घाव कुंद वस्तु के प्रहार तथा कठोर सतह पर गिरने से या यातायात दुर्घटना के तकनीकी कारण आदि से संभव थी । उन्होंने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि गर्दन की क्षति को छोड़कर क्षतियां लड़ाई-झगड़े और कठोर वस्तु के हिलने-ढुलने से संभव हो सकती हैं । यदि शव सड़ाव के अवस्था में हो और इधर-उधर ले जाने की कोशिश की जाती है तो अन्य क्षतियां भी कारित हो सकती हैं ।

13. एच. एच. सी. वीरेन्द्र कुमार (अभि. सा. 5) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 28 मई, 2014 को उसने रपट सं. 63, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 5/क अभिलिखित की जिसके आधार पर शिकायतकर्ता द्वारा सूचना दी गई थी । हैड कांस्टेबल छजु राम (अभि. सा. 6) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 29 मई, 2014 को उप निरीक्षक/थाना गृह अधिकारी राजेश कुमार ने उसके पास कपड़े के दो पार्सल जमा किए जिन्हें दस स्थानों पर मुहर 'क' से मुहरबंद किया गया था । इस साक्षी के अनुसार पार्सल में रजाई का खोल और लाल रंग की रजाई जो रक्त से रक्तरंजित थी । उसने मालखाना रजिस्ट्रर सं. 90 में क्रम सं. 50 पर उसे दर्ज किया, देखिए सार, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/क । अन्य पार्सल दस स्थानों पर मुहर 'टी' से भी मुहरबंद किए गए थे । तारीख 29 मई, 2014 को सहायक उप निरीक्षक अमर नाथ ने दो पार्सल उसके पास जमा किए जिन्हें मुहर सी. एच. के. कारसोग से तीन स्थानों पर अलग-अलग मुहरबंद किया गया था । एक पार्सल में मृतका के कपड़े रखे जाने को कहा गया है और दूसरे पार्सल में विसरा रखा जाना कहा गया है । एक शीशी में रक्त का नमूना भी रखा गया है और एक पत्र मुहर सी. एच. के. से मुहरबंद है, भी उसके पास जमा किया गया था जो मालखाना रजिस्टर सं. 90 में क्रम सं. 51 में दर्ज है, जिसका सार प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/ख है । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि उसी दिन सहायक उप निरीक्षक अमर नाथ ने पार्सल उसके पास जमा किया जिसे मुहर सी. एच. के. से मुहरबंद किया गया था जिसमें अभियुक्त प्रकाश चंद के कपड़े हैं, मुहर सी. एच. के. के साथ मुहरबंद दो शीशी में,

अभियुक्त प्रकाश चंद और भीम सिंह के रक्त नमूने रखा जाना कहा गया है और नमूना मुहर के साथ न्यायालयिक प्रयोगशाला मंडी को दो पत्र संबोधित किए गए थे जिन्हें उसने क्रम सं. 52 पर दर्ज किया गया देखिए सार, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/ग । इस साक्षी के परिसाक्ष्य के अनुसार, तारीख 2 जून, 2014 को, देखिए आर. सी. सं. 68/2014, वाद संपत्ति आर. एफ. एस. एल., मंडी कांस्टेबल राजेश कुमार के माध्यम से भेजे गए थे । तारीख 31 मई, 2014 को कांस्टेबल इंदर सिंह ने उसके पास एक पार्सल जमा किया जिसे तीन स्थानों पर मुहर सी. एच. के. से मुहरबंद किया गया था, उसमें एक डण्डा रखा हुआ था जिसे उसके द्वारा क्रम सं. 53 पर दर्ज किया गया था देखिए सार प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/ग । संतोष कुमार पटवारी (अभि. सा. 7) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि पुलिस द्वारा आवेदन, चिह्न एक्स, तहसीलदार, कारसोग को भेजा गया था और पुलिस के निदेश पर उसने ए. के. एस. तातिमा, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 7/क तैयार किया गया जिस पर दो स्थानों पर उसके हस्ताक्षर हैं । उसने जमाबंदी भी तैयार की जो प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 7/ख है जिसमें उसके हस्ताक्षर भी हैं ।

14. राजेश कुमार (अभि. सा. 8) कनिष्ठ इंजीनियर, एच. पी. पी. डब्ल्यू. डी., कारसोग ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि सहायक इंजीनियर एच. पी. पी. डब्ल्यू. डी. कारसोग के निदेश पर, उसने प्रकाश चिकन कार्नर का स्थल नक्शा, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 8/क तैयार किया जिस पर सहायक इंजीनियर द्वारा भी प्रतिहस्ताक्षर किया गया था और उस पर उसके हस्ताक्षर लाल सर्किल 'ख' से दिखाया गया है । जब पत्र, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 8/ख के माध्यम से स्थल नक्शा थाना गृह अधिकारी, पुलिस थाना, कारसोग को भेजा गया था । टेक चंद (अभि. सा. 9) प्रधान, ग्राम पंचायत, कारसोग ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 31 मई, 2014 को वह उपप्रधान, नरेन्द्र भारद्वाज के साथ पुलिस थाना कारसोग पर मौजूद था । उनकी मौजूदगी में अभियुक्त प्रकाश चंद ने घटना के बारे में बताया था । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्त प्रकाश चंद उन्हें अपने कमरे में भी ले गया और अल्मारी से एक डण्डा बरामद किया गया । इस साक्षी के अनुसार, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी बनाई गई थी । बरामद किया गया डण्डा एक पार्सल में रखा गया था

जिसे तीन स्थानों पर मुहर की छाप 'एच.' से मुहरबंद किया गया था । उसने न्यायालय में डण्डे की शनाख्त की तथा बरामदगी ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 9/क पर उसके हस्ताक्षर भी हैं । साक्षी नरेन्द्र ने बरामदगी ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किया । प्रकटीकरण कथन, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 9/ख, पुलिस थाने में तैयार किया गया था जिस पर उसके और नरेन्द्र के हस्ताक्षर किए गए थे । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि रक्त के धब्बे डण्डे पर दिखाई दिए थे जब इसे बरामद किया गया था । इस साक्षी ने अपनी अनभिज्ञता व्यक्त की है कि मुहर जिसे इस्तेमाल करने के पश्चात् उसे सौंपी गई थी या नहीं । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि पर्याप्त समय पर जो बीत चुका है, उसे कई बातों का स्मरण नहीं है । मुहर 'एच' की मुहर छाप, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 9/ग पर उसके हस्ताक्षर है । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि जब दस्तावेज उसके समक्ष पढ़ा गया तब उस पर उसने अपने हस्ताक्षर किए ।

15. सहायक उप निरीक्षक (अभि. सा. 10) सोहन लाल ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 29 मई, 2014 को महिन्दर सिंह (शिकायतकर्ता) का कथन, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/क को कांस्टेबल राजेश कुमार द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रेशन के लिए दिया गया था । प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/क पर उप निरीक्षक राजेश कुमार द्वारा पृष्ठांकन किया गया है । कथन, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/क और उसमें पृष्ठांकन के आधार पर पुलिस थाने कारसोग पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई थी जिसकी प्रति प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 10/क है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं । इस साक्षी के अनुसार, उसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पर पृष्ठांकन भी किया है जिसमें प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/क के उल्टे तरफ उसने हस्ताक्षर भी किए हैं और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के मिशल को भी उप निरीक्षक/थाना गृह अधिकारी राजेश कुमार को कांस्टेबल राजेश कुमार के माध्यम से अन्वेषण किए जाने के लिए भी भेजा गया था । सहायक उप निरीक्षक अमर सिंह (अभि. सा. 11) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 28 मई, 2014 को लगभग 11.15 बजे अपराह्न वह उप निरीक्षक/थाना गृह अधिकारी राजेश कुमार, सहायक उप निरीक्षक अमर नाथ, हैड कांस्टेबल तेज सिंह, कांस्टेबल राजेश कुमार, पवन कुमार और एच. एच. सी. नरेश कुमार सरकारी यान जिसका रजिस्ट्रेशन सं. एच. पी.

33-8179 घटनास्थल नयारा पर ले गया जिसे एच. एच. सी. देवु राम द्वारा चलाया जा रहा था । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि उस समय प्रकाश चिकन कार्नर का शटर अंदर से बंद किया गया था और उसे तारीख 29 मई, 2014 को लगभग 12.10 बजे पूर्वाह्न खोला गया था । अभियुक्त प्रकाश चंद की महिन्दर सिंह द्वारा पहचान की गई थी । इसके पश्चात् उप निरीक्षक/थाना गृह अधिकारी दुकान के अंदर गए और जमीन पर एक बेल (गठरी) रखी हुई पाई गई थी और इसे बाहर से पीला और लाल रंग के कपड़े से बांधा गया था । कपड़े के अंदर एक कम्बल था जो रंग में चॉकलेट और क्रीम रंग का था । गठरी की जांच की गई और एक उसमें महिला का शव पाया गया था । शव के कपाल पर कटा हुआ चिह्न था और नीले रंग का चिह्न गर्दन पर था । शव के नाक से रक्त की बूंद टपक रही थी । शव की पहचान महिन्दर सिंह (अभि. सा. 1/शिकायतकर्ता) द्वारा की गई जिसने प्रकाश चंद की पत्नी नरबादा होना बताया । इस साक्षी के अनुसार, महिन्दर सिंह ने यह बताया कि प्रकाश चंद और एक नेपाली अर्थात् भीम सिंह ने उक्त गठरी को अपने बाहों में उठाने की कोशिश की । इस साक्षी की मौजूदगी में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी उप निरीक्षक/थाना गृह अधिकारी द्वारा की गई थी । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि महिन्दर सिंह ने यह बताया कि अभियुक्त प्रकाश चंद और भीम सिंह ने उसकी गाड़ी में उक्त गठरी को लादने की कोशिश की और उसके द्वारा संदेह करने पर वे दुकान के अंदर गठरी को ले गए । अभियुक्त भीम सिंह घटनास्थल से भाग गया और अभियुक्त प्रकाश चंद ने अंदर से दुकान बंद कर दी । इस साक्षी के परिसाक्ष्य के अनुसार, तारीख 29 मई, 2014 को लगभग 7.40 बजे अपराह्न, उसने पार्सल जमा किया जिसमें सी. एच. के. छाप की तीन मुहर प्रकाश चंद के कपड़ों पर लगाई गई थी, एक शीशी जिसमें सी. एच. के. छाप की तीन मुहर लगाई गई थी जिसमें प्रकाश चंद के रक्त नमूना रखे जाने का कथन किया गया है, एक अन्य शीशी जो सी. एच. के. छाप की तीन मुहरों से मुहरबंद की गई थी उसमें अभियुक्त भीम सिंह के रक्त नमूना रखे जाने का कथन किया गया है और दो पत्र जो न्यायालयिक प्रयोगशाला को संबोधित किए गए थे, उनमें सी. एच. के. की मुहर थी, उन्हें मालखाना में जमा करने के लिए एम. एच. सी.

के पास है । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने जमीन पर रक्त के कोई धब्बे नहीं देखे । उसने इस बात से इनकार किया है कि इंक के कार्नर में रक्त के धब्बे लगे थे । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि अन्वेषण के दौरान उप पुलिस अधीक्षक, सुन्दर नागर अभियुक्त प्रकाश चंद के दुकान पर गया ।

16. कांस्टेबल राजेश कुमार (अभि. सा. 12) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 28 मई, 2014 को वह थाना गृह अधिकारी, सहायक उप निरीक्षक अमर सिंह, सहायक उप निरीक्षक अमर नाथ, हैड कांस्टेबल तेज सिंह, कांस्टेबल राज कुमार और प्राण कुमार और एच. एच. जी. नरेश कुमार पुलिस यान जिसे देवु राम चला रहा था, उसमें घटनास्थल पर गए । इस साक्षी के अनुसार, जब वे नयारा पर पहुंचे, तब शिकायतकर्ता, महिन्दर सिंह अभियुक्त प्रकाश चंद के बंद दुकान के बाहर खड़ा था । थाना गृह अधिकारी ने शटर खुलवाया और अभियुक्त प्रकाश चंद को अंदर पाया गया था । शिकायतकर्ता महिन्दर सिंह ने उन्हें सूचना भी दी कि अभियुक्त प्रकाश चंद दुकान के अंदर है । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि महिला का शव कम्बल में लपेटा हुआ था जो चॉकलेट के रंग में था और इसे पुनः कम्बल के भांति कपड़े में लपेटा था जो रंग में पीला और लाल था । इस साक्षी के अनुसार, शव पर क्षति के चिह्न और रक्त के थक्के पाए गए थे । अभियुक्त प्रकाश चंद ने उन्हें सूचित किया था कि अभियुक्त भीम सिंह भाग गया था । घटनास्थल के फोटोग्राफ और वीडियोग्राफ लिए गए थे । शिकायतकर्ता का कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन लेखबद्ध किया गया था जो प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/क है और घटनास्थल का नक्शा तैयार किया गया था । कथन, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/क उसको दिया गया था जिसे वह प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने के लिए पुलिस थाना कारसोग ले गया था और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् वह घटनास्थल पर वापस पहुंचा । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 2 जून, 2014 को दस पार्सल जिनमें वाद संपत्ति रखी गई थी, मुहर्रिर हैड कांस्टेबल द्वारा चार लिफाफों सहित उसे दिए गए थे । सभी पार्सल को भिन्न-भिन्न मुहर छाप 'क', 'टी' और 'सी. एच. के.' से मुहरबंद किया गया था । उसने तारीख 2 जून, 2014 को आर. सी. सं.

68/14 द्वारा आर. एफ. एस. एल. मंडी में वाद संपत्ति जमा की गई और जिसकी रसीद उसके द्वारा मुहर्रिर हैड कांस्टेबल कारसोग को सौंपी गई थी । वाद संपत्ति उसके अभिरक्षा में यथावत रही । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्त प्रकाश चंद के दुकान के समीप अन्य दुकानें हैं । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि थाना गृह अधिकारी ने बच्चों से अन्वेषण में पूछताछ की, परंतु वे भयभीत थे और चारपाई पर बैठे हुए थे । इस साक्षी के अनुसार, दुकान के अंदर के भाग में, एक चारपाई थी, रसोई की सामग्री तथा ट्रंक (संदूक) कार्नर (कोने) में पड़े हुए थे । उसने अपनी अनभिज्ञता का बहाना लिया था कि ट्रंक के कोने पर रक्त के धब्बे थे । थाना गृह अधिकारी ने अपनी उपस्थिति में ट्रंक खोला, किंतु वह इस बारे में यह कथन नहीं कर सका कि ट्रंक के अंदर क्या था । तारीख 28 मई, 2014 को वह पुनः घटनास्थल पर गया और बच्चों को दादा-दादी की अभिरक्षा में सौंप दिया किंतु दादा-दादी को घटनास्थल पर नहीं बुलाया गया था ।

17. ठाकुर सेन (अभि. सा. 13) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 28 मई, 2014 को लगभग 11.30 बजे अपराह्न अभियुक्त की दुकान का शटर पुलिस द्वारा उसकी मौजूदगी में खोला गया था और अंदर से किसी महिला का शव बरामद किया गया था जिसे कम्बल में लपेटा गया था । यह साक्षी न्यायालय में अभियुक्त की शनाख्त नहीं कर सका, जबकि वही व्यक्ति दुकान के अंदर था । इस साक्षी के अनुसार, शव पर क्षति के चिह्न थे । इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया था क्योंकि वह प्रतिपरीक्षा में अपने पूर्व कथन से ढ़ीला पड़ गया था । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि शटर को खोलने के पश्चात् दुकान के अंदर बिजली जली हुई थी । उसने अनभिज्ञता का बहाना लिया कि जब बिजली जलाई गई थी, तब अभियुक्त प्रकाश चंद दुकान के अंदर मौजूद था । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि दुकान के अंदर बच्चे थे और पुलिस ने उनसे कोई जांच-पड़ताल नहीं की । शटर खोला गया था तब दुकान के बाहर और अंदर कोई प्रकाश नहीं था । शिकायतकर्ता उस समय वहां पर मौजूद था । इस साक्षी के अनुसार, अभियुक्त के दुकान के सामने वैल्डिंग की दुकान थी ।

18. उप निरीक्षक राजेश कुमार (अभि. सा. 14) ने मामले में अन्वेषण किया, इस तरह उसका कथन अति महत्वपूर्ण है । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 28 मई, 2014 को पुलिस ने महिन्दर सिंह (शिकायतकर्ता) से दूरभाष काल प्राप्त की, जिसने यह सूचना दी कि वह नयारा पर अभियुक्त प्रकाश चंद की दुकान के बाहर खड़ा है । महिन्दर सिंह द्वारा इस तरह प्रकट की गई सूचना को रपट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 5/क में लिखा गया था । इसके पश्चात्, वह अन्य पुलिस कार्मिक के साथ पुलिस यान में घटनास्थल पर गया जिसका रजिस्ट्रेशन सं. हिं. प्र. 33-8179 है । उसके परिसाक्ष्य के अनुसार, वे लगभग 11.15 बजे अपराह्न घटनास्थल पर पहुंचे और देखा कि शिकायतकर्ता प्रकाश चंद की दुकान के बाहर खड़ा है । शिकायतकर्ता ने उन्हें पहले ही दूरभाष से सूचित किया था कि प्रकाश चंद और एक अन्य व्यक्ति ने उसके यान में गठरी को लादा था जिसे कम्बल से लपेटा गया था और संदेह होने पर जब उसने उससे पूछा कि गठरी के अंदर क्या है तब वे दुकान के अंदर उसे ले गए । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्त प्रकाश चंद की दुकान के शटर को खोला गया था और बिजली जो दुकान के अदंर थी, उसे जलाया गया था । इस साक्षी ने स्पष्ट रूप से यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्त प्रकाश चंद जो दुकान के अंदर बैठा हुआ था, ने अंदर से दुकान के शटर को खोला । उन्होंने गठरी देखा जिसे कम्बल में लपेटा गया था और कम्बल को कपड़े के खोल से ढका गया था । गठरी को खोला गया था और महिला का शव अंदर पाया गया था । उसके ललाट पर क्षति के चिह्न थे शव के नाक के चारो ओर पतले रक्त के थक्के भी जमा हुए थे । शव के गर्दन पर गलाघोंटने के चिह्न भी थे । शिकायतकर्ता ने पहचान कर बताया कि यह शव अभियुक्त प्रकाश चंद की पत्नी नरबादा का है । इस साक्षी के अनुसार, शिकायतकर्ता का कथन प्रर्दश पी. डब्ल्यू. 1/क उसके द्वारा लेखबद्ध किया गया था जिसे कांस्टेबल राजेश कुमार के माध्यम से पुलिस थाना भेजा गया था । अन्वेषण के दौरान अभियुक्त प्रकाश चंद ने भीम सिंह के रूप में दूसरे अभियुक्त का नाम बताया । तीन बच्चे जो दुकान के अंदर थे, उन्हें उनके मामा के पास सौंप दिया गया । इसके पश्चात्, वह सनारली गया क्योंकि मृतका के माता-पिता सनारली से है । शव को ज्ञापन, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ग द्वारा कब्जे में लिया गया था और कम्बल और कपड़े का

खोल ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ध के माध्यम से कब्जे में लिया गया था । इस साक्षी के अनुसार कम्बल और कपड़े का खोल पार्सल में मुहरबंद किए गए थे और 'टी' छाप की दस मुहर के साथ मुहर को भी पार्सल में मुहरबंद किया गया था । मुहर का नमूना कपड़े के एक टुकड़े पर छाप कर लिया गया जिसे ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/घ द्वारा कब्जे में लिया गया । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि कम्बल और कपड़े का खोल पार्सल में 'टी' छाप की दस मुहर से मुहरबंद किए गए थे और कपड़े के टुकड़े पर प्रतिकृति मुहर को भी लिया गया था जो प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 14/क-1 है । दुकान के अंदर एक ट्रंक था जो कपड़ों से भरा हुआ था । इस साक्षी के अनुसार, दुपट्टा, रजाई का खोल, रजाई जो ट्रंक के अंदर पाए गए थे, पार्सल में रखे हुए थे, इस मुहर से मुहरबंद किए गए थे जिनमें छाप 'क' लगी हुई थी, उन्हें ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ख के माध्यम से कब्जे में लिया गया था और उनमें रक्त के धब्बे लगे हुए थे । दुकान का रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 14/ख भी प्राप्त किया गया और घटनास्थल का नक्शा, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 14/ग तैयार किया गया था । मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 14/घ भी तैयार किया गया था । आवेदन, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 4/क के माध्यम से शव को शवपरीक्षण के लिए भेजा गया और शवपरीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 4/ख है । प्राइवेट फोटोग्राफर के माध्यम से फोटोग्राफ और वीडियोग्राफ लिया गया था । अभियुक्त भीम सिंह को गिरफ्तार किया गया था और दोनों अभियुक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि प्रकटीकरण कथन, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 9/ख के माध्यम से अभियुक्त प्रकाश चंद पुलिस दल को अपनी दुकान पर ले गया और उसने लकड़ी के अल्मारी से एक डण्डा बरामद किया । उक्त डण्डे को पार्सल में मुहरबंद किया गया था और छाप 'एच' के तीन मुहरों से मुहरबंद किया गया था और प्रतिकृति मुहर को कपड़े के पृथक् टुकड़े पर रखा गया था जो प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 14/ङ है । अभियुक्त-व्यक्तियों की चिकित्सीय रूप से परीक्षा की गई । आवेदन, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 14/च जो कार्यपालक इंजीनियर, पी. डब्ल्यू. डी. (लोक निर्माण विभाग), कारसोग को पेश किया गया था, दुकान की नाप नक्शा, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 8/क तैयार किया गया था । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि घटनास्थल का नक्शा प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 14/छ भी तैयार किया गया

था और आवेदन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 14/ज तहसीलदार, कारसोग को पेश किया गया था, जिस पर जमाबंदी, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 7/ख और तातिमा प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 7/क उपगत किए गए थे । साक्षियों के कथन, अर्थात् लीलाधर, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 14/ञ, टेक चंद, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 14/ट और ठाकुर सेन, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 14/ठ अभिलिखित किए गए थे । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्त प्रकाश चंद की दुकान के समीप 7-8 दुकाने हैं । उसके वृत्तांत के अनुसार, अभियुक्त प्रकाश चंद की दुकान का स्वामी उसी भवन में भी निवास करता है । अन्वेषण के दौरान यह निकला था कि तारीख 27 मई, 2014 को अभियुक्त प्रकाश चंद की दुकान खोली गई थी और इसका शटर बंद नहीं था । उसने यह स्वीकार किया है कि तारीख 27 मई, 2014 से 28 मई, 2014 के अवधि के दौरान कई व्यक्ति दुकान के अंदर गए, उसने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वहां पर दो लड़कियां और एक लड़का दुकान के अंदर थे और उसने उनसे पूछताछ की, परंतु उसने उनके कथन लेखबद्ध नहीं किए । अभियुक्त प्रकाश चंद की तारीख 29 मई, 2014 तक चिकित्सीय रूप से परीक्षा नहीं की जा सकीं, क्योंकि अन्य कार्य में व्यस्त था । ट्रंक के कोने में कोई रक्त के धब्बे नहीं थे । इस साक्षी के परिसाक्ष्य के अनुसार अभियुक्त प्रकाश चंद का प्रकटीकरण कथन पुलिस थाने में अभिलिखित किया गया था । अन्वेषण के दौरान यह पाया गया था कि जब तारीख 27 मई, 2014 को लगभग 8.30 बजे पूर्वाह्न से 9.00 बजे पूर्वाह्न के बीच अभियुक्त उसके घर पर पहुंचा, उसने मृतक को किसी अन्य व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा था ।

19. श्री निक्का राम (अभि. सा. 15) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 29 मई, 2014 को पुलिस द्वारा अनुरोध किए जाने पर, उसने शव के प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 15/ख-1 से प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 15/ख 14 फोटोग्राफ लिए और घटनास्थल का वीडियोग्राफ भी लिया । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने सी. डी. प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 15/क तैयार किया । हैड कांस्टेबल तेज सिंह (अभि. सा. 16) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 28 मई, 2014 को वह अन्य पुलिस पदधारियों के साथ घटनास्थल पर गया और अभियुक्त की दुकान को बंद पाया था । दुकान अंदर से बंद थी और इसे अभियुक्त प्रकाश चंद द्वारा खोला गया था ।

उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि जब वे दुकान के अंदर घुसे, तब उन्होंने लाल और पीले कपड़े में कोई वस्तु लपेटे हुए देखी जो कमरे के बाहरी ओर पड़ा हुआ था । जब लपेटी हुई वस्तु को खोला गया तब उसे चौकलेट कम्बल में लपेटा हुआ पाया था और कम्बल को हटाने पर किसी महिला का शव बरामद हुआ था । शव के ललाट पर क्षति थी, नाक से रक्त टपक रहा था और गर्दन पर गलाघोंटने के चिह्न थे । शिकायतकर्ता ने अभियुक्त प्रकाश चंद की पत्नी के रूप में शव की पहचान की । इस साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि शिकायतकर्ता ने उन्हें यह बताया कि अभियुक्त व्यक्तियों ने उसकी गाड़ी में शव को लादने की कोशिश की थी और जब, संदेह होने पर उसने उनसे पूछताछ की गठरी में क्या है तब अभियुक्त व्यक्ति दुकान के पीछे शव को ले गए । इसके पश्चात्, अभियुक्त प्रकाश चंद ने दुकान का शटर खींच कर नीचे कर दिया और अभियुक्त भीम सिंह घटनास्थल से भाग गया था । इस साक्षी के वृत्तांत के अनुसार, अभियुक्त भीम सिंह को बाद में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था । थाना गृह अधिकारी ने घटनास्थल के फोटोग्राफ और वीडियोग्राफ खींचे । तारीख 2 जून, 2014 को उसने वाद संपत्ति को भेजा जिसकी प्रविष्टि मालखाने रजिस्टर में आर. सी. सं. 68/14 के माध्यम से की गई थी, उसे कांस्टेबल राजेश कुमार के माध्यम से आर. एफ. एस. एस. मंडी भेजा गया था । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसे कमरे के अंदर पड़े हुए ट्रंक पर रक्त के धब्बे की जानकारी नहीं हुई । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि अन्वेषक अधिकारी ने लड़की से पूछताछ की, किंतु वह उत्तर नहीं दे पाई ।

20. उप निरीक्षक सुनील कुमार (अभि. सा. 17) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 2 अगस्त, 2014 को उसने राजेश कुमार और हैड कांस्टेबल छज्जु राम का कथन लिखा । उसने प्रमाणपत्र, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 17/क उपगत भी किया जिस पर फोटोग्राफर/वीडियोग्राफर निक्का राम द्वारा उसकी मौजूदगी में हस्ताक्षर किया था । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 7 अगस्त, 2014 को उसने आर. एफ. एस. एल. रिपोर्ट, प्रदर्श पी. एक्स और प्रदर्श पी. एक्स./1 प्राप्त करने के

पश्चात् शवपरीक्षण रिपोर्ट, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ख पर चिकित्सा अधिकारी की अंतिम राय उपगत की ।

21. अब अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् काउंसेल की दलीलों का अभियोजन साक्षियों के परिसाक्ष्यों की कसौटी पर विश्लेषण किया गया । स्वीकृततः, वर्तमान मामला प्रत्यक्ष साक्ष्य का मामला नहीं है और यह पारिस्थितिक साक्ष्य का मामला है । यह सुस्थिर विधि है कि पारिस्थितिक साक्ष्य के मामले में अभियोजन पक्ष को सभी आवश्यक परिस्थितियों को साबित करना चाहिए, जो बिना काटछांट के पूरी श्रृंखला को गठित करेगी और अभियुक्त की दोषिता केवल अपराध में फंसाने वाली परिस्थितियों पर आधारित नहीं हो सकती है जब तक कि इसकी विश्वसनीय और स्पष्ट साक्ष्य द्वारा पुष्टि न की जाए । पारिस्थितिक साक्ष्य के मुकाबले विधिक स्थिति को सुस्थिर करने के लिए परिस्थितियों की श्रृंखला जैसाकि अभियोजन साक्षियों के परिसाक्ष्यों पर चर्चा करने के पश्चात् किसी निश्चायक निष्कर्ष में पहुंचने के लिए बहस किया जाना जरूरी है ।

22. अभियोजन पक्षकथन के अनुसार अभियुक्त प्रकाश चंद ने अपनी पत्नी (मृतका) की हत्या की और अभियुक्त भीम सिंह ने शव को कूड़े के ढेर में फेंकने में अभियुक्त प्रकाश चंद की सहायता करने की कोशिश की । स्वीकृततः, महिन्द्र सिंह (अभि. सा. 1) द्वारा दी गई सूचना पर, पुलिस ने अन्वेषण किया । इस प्रकार, अभि. सा. 1 का परिसाक्ष्य महत्वपूर्ण है । उसने स्पष्ट रूप से यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 28 मई, 2014 को लगभग 10.30 बजे अपराह्न जब वह अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था तब अभियुक्त प्रकाश चंद आया और उससे किसी व्यक्ति को छोड़ने के लिए सनारली पर उसकी गाड़ी को भाड़े पर लेने के लिए कहा । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्त - व्यक्ति गठरी लाए हैं और जब उसने गठरी में क्या है, पूछा तब वे गठरी को दुकान पर उठा ले गए । इसके पश्चात्, अभियुक्त भीम सिंह घटनास्थल से भाग गया और अभियुक्त प्रकाश चंद ने दुकान के अंदर से शटर बंद कर दिया । उसने पुलिस को सूचना दी और उसकी मौजूदगी में

अभियुक्त प्रकाश चंद ने दुकान का शटर खोला । उसने स्पष्ट रूप से यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्त प्रकाश चंद के दुकान के अंदर से गठरी बरामद की गई थी और उसकी जांच करने पर नरबादा (अभियुक्त प्रकाश चंद की पत्नी) का शव बरामद किया गया था । इस साक्षी के अनुसार, मृतका के शरीर पर क्षति के चिह्न हैं और नाक से रक्त टपक रहा था । इस साक्षी ने न्यायालय में दोनों अभियुक्त व्यक्तियों की शनाख्त की । इस साक्षी की मौजूदगी में डण्डा, रजाई और रजाई का खोल बरामद किया गया और उसने न्यायालय में उनकी पहचान की । इस साक्षी के परिसाक्ष्य में अडिग रहा है जबकि उसकी विस्तृत रूप से प्रतिपरीक्षा की गई । इस प्रकार, परिस्थितियों की श्रृंखला की मुख्य कड़ी पूर्ण रूप से सिद्ध की गई है ।

23. अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि तीन बच्चे दुकान के अंदर मौजूद थे जब पुलिस के बारे में मृतका का शव बरामद किए जाने का अभिकथन किया गया । उसने यह भी दलील दी है कि लीलाधर (अभि. सा. 2) और ठाकुर सेन (अभि. सा. 13) ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है । निर्विवादतः, उप निरीक्षक राजेश कुमार (अभि. सा. 14) ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि दुकान के अंदर दो लड़कियां और एक लड़का था । सबसे बड़ी लड़की की आयु ग्यारह वर्ष थी, लड़के की उम्र आठ वर्ष तथा छोटी लड़की की आयु दो वर्ष थी । उसने इन बच्चों से पूछताछ की, किंतु उसने उनके कथनों को लेखबद्ध नहीं किया । अब, इन बच्चों के कथनों को अभिलिखित न करना अभियोजन पक्षकथन के लिए घातक होना नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वर्तमान मामला पारिस्थितिक साक्ष्य का मामला है और हम यह विचार करते हैं कि अभियोजन साक्ष्य के परिसाक्ष्यों से घटनाओं की पूरी श्रृंखला बनती है या नहीं । वास्तव में लीलाधर (अभि. सा. 2) और ठाकुर सेन (अभि. सा. 13) अभियोजन पक्षकथन का पूरा समर्थन नहीं करते हैं किंतु वे औपचारिक साक्षी हैं । तथापि, लीलाधर (अभि. सा. 2) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 29 मई, 2014 को जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तब उसे यह जानकारी

हुई कि मृतका नरबादा की उसके पति (अभियुक्त प्रकाश चंद) द्वारा हत्या की गई । इस प्रकार, इस साक्षी का परिसाक्ष्य औपचारिक प्रकृति का है और अभियुक्त इसके बाहर कोई लाभ नहीं ले सकता है । अगला औपचारिक साक्षी ठाकुर सेन (अभि. सा. 13) है । इस साक्षी ने अति प्रारंभ में अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 28 मई, 2014 को अभियुक्त प्रकाश चंद की दुकान उसकी मौजूदगी में खोली गई थी और महिला का शव कम्बल में लपेटा हुआ पाया गया था । इस तरह, इस साक्षी ने भी इस प्रभाव के अभियोजन की रूपरेखा का समर्थन किया है अभियुक्त की दुकान से शव की बरामदगी प्रभावित हुई थी ।

24. अभियोजन पक्षकथन के अभियोग की मुख्य बात यह है कि तारीख 27 मई, 2014 को अभियुक्त ने मृतक की हत्या की और तत्पश्चात् दोनों अभियुक्त व्यक्तियों ने कम्बल में शव को लपेट दिया और उसकी एक गठरी बना ली । तत्पश्चात् तारीख 28 मई, 2014 को लगभग 10.30 बजे अपराह्न नयारा स्थान पर अभियुक्त व्यक्ति उसकी टैक्सी को भाड़े पर लेने के लिए शिकायतकर्ता के पास गए थे और जब वे यान में गठरी को लाद रहे थे तब अभि. सा. 1 महिन्द्र सिंह (शिकायतकर्ता) ने इस बारे में पूछताछ की कि गठरी में क्या है । दोनों अभियुक्त गठरी को दुकान के अंदर ले गए । अभियुक्त भीम सिंह घटनास्थल से भाग गया और अभियुक्त प्रकाश चंद ने अंदर से दुकान का शटर बंद कर दिया । अभि. सा. 1 ने पुलिस को सूचना दी और जब तक पुलिस घटनास्थल पर नहीं पहुंची तब तक वह घटनास्थल पर रहा । जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तब अभियुक्त प्रकाश चंद की दुकान खुलवाई गई थी और गठरी पाई गई जिसमें मृतका का शव था । इस प्रकार, अभियुक्त प्रकाश चंद के अन्य कब्जे से शव को बरामद किया गया जिसे पूर्ण रूप से स्थापित किया गया है । इस प्रकार अभियुक्त प्रकाश चंद के कब्जे से शव की बरामदगी निश्चायक रूप से साबित की गई है । अभियुक्त प्रकाश चंद पर यह सिद्ध करने का भार है कि उसने न तो डण्डे प्रदर्श पी-9 से मृतका की पिटाई की, और न उसका गला

घोंटा । अभियुक्त प्रकाश चंद ने यह अभिवाक् किया है कि उसने अपनी पत्नी को किसी अन्य व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा था और उसके और उस व्यक्ति के बीच झगड़ा हुआ था । झगड़े की कार्यवाही में मृतका को दुर्घटनावश घातक क्षतियां कायम हुईं, परंतु अभियुक्त प्रकाश चंद इस तथ्य के बावजूद भी इन तथ्यों को साबित नहीं कर सका कि स्वतंत्र साक्षी उसके बच्चों सहित घटनास्थल पर उपलब्ध थे । जब किसी व्यक्ति की जानकारी के भीतर कोई विशिष्ट तथ्य है, तब भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106 के अनुसार उस व्यक्ति को उसे साबित करना चाहिए । वर्तमान मामले में, गठरी की बरामदगी जिसमें अभियुक्त प्रकाश चंद के कब्जे से मृतका के शव की बरामदगी हुई, इस बात को पूर्ण रूप से सिद्ध किया गया है और अब अभियुक्त प्रकाश चंद पर यह भार है कि यह साबित करें कि उसने मृतका की हत्या नहीं की, किंतु वह सफलतापूर्वक ऐसा नहीं कर सका । वास्तव में अभियुक्त किसी साक्ष्य को देने में बुरी तरह विफल हुआ है कि उसने मृतका की हत्या नहीं की । इस प्रकार, इस न्यायालय के लिए यह अपरिहार्य है कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाले । अभियुक्त प्रकाश चंद द्वारा दुर्घटनावश मृत्यु का अभिवाक् साधारण स्पष्ट प्राख्यान है, जो दृढ़ नहीं है और निष्फल हो गया है ।

25. जहां तक अन्वेषण की भूमिका का संबंध है, अभि. सा. 14 उप निरीक्षक राजेश कुमार (अन्वेषक अधिकारी) का अभिसाक्ष्य महत्वपूर्ण है । इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन पक्षकथन का पूरा समर्थन किया है । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि अन्वेषण के दौरान यह प्रकट हुआ है कि जब 27 मई, 2014 को 8.30 से 9.00 बजे पूर्वाह्न के बीच, वह अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि मृतका किसी व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक स्थिति में थी, इसलिए, उसने उसे डण्डे, प्रदर्श पी-9 से पीटा और उसका गलाघोंट दिया । इस साक्षी ने विनिर्दिष्ट रूप से इस बात से इनकार किया है कि अभियुक्त प्रकाश चंद और उस व्यक्ति के बीच झगड़ा हुआ और दुर्घटनावश मृतका को ट्रंक के कोने में गिरने की वजह से क्षतियां हुईं । इसके अतिरिक्त,

यह अत्यधिक असंभाव्य प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति जिसे ट्रंक के कोने में गिरने से बाहरी क्षति पहुंची है, उसकी मृत्यु हो सकती है । अभियुक्त प्रकाश चंद का व्यवहार भी स्वाभाविक नहीं था, क्योंकि उसने मृतका को चिकित्सा उपचार देने का कोई प्रयास नहीं किया है, खासतौर पर जब उसके (मृतका) के बारे में दुर्घटनावश क्षतियां होने का अभिकथन किया गया है । अभियुक्त प्रकाश चंद ने एक शब्द भी इस बारे में प्रकट नहीं किया है कि अज्ञात व्यक्ति जिसके साथ उसने मृतका को समझौता की स्थिति में देखा है । अभियुक्त प्रकाश चंद ने स्वयं यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उनकी लड़ाई कुछ मिनट तक रही । तथापि, यह आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि साक्षी के समीप के दुकानों का कोई भी व्यक्ति झगड़े की आवाज नहीं सुन सका । इस प्रकार, विचित्र व्यक्ति से झगड़े की कहानी के दावे को त्यक्त किया जाता है ।

26. साक्ष्य का उसकी संपूर्णता में विश्लेषण करने के पश्चात् इसे पूर्ण रूप से सिद्ध किया गया है कि तारीख 27 मई, 2014 को अभियुक्त प्रकाश चंद ने मृतका के सिर पर डण्डा, प्रदर्श पी. 9 से वार किया और उसने उसके मृत्यु होने तक उसका गला भी घोंटा था । इस प्रकार, उसने मृतका की हत्या की तथा इसके पश्चात् तारीख 28 मई, 2014 को लगभग 10.00 बजे अपराह्न दोनों अभियुक्त व्यक्तियों ने साक्ष्य को नष्ट करने के लिए अपराधिक षड्यंत्र रचा । उन्होंने मृतका के शव को ठिकाने लगाने के लिए टैक्सी भाड़े पर ली जिसकी रजिस्ट्रेशन सं. एच. पी. 30-3015 है जिससे कि अभियुक्त प्रकाश चंद द्वारा अपराध कारित करने का साक्ष्य गायब हो जाए । यह भी सिद्ध किया गया है कि अभियुक्त भीम सिंह साक्ष्य को गायब करने के लिए अभियुक्त प्रकाश चंद की सहायता करने के प्रयास का माध्यम बना । अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा शिकायतकर्ता, महिन्द्र सिंह के यान में मृतका के शव को गठरी में रखने का प्रयास किया, यह बात सिद्ध हुई है और अभियुक्त के दुकान से उक्त गठरी की बरामदगी भी सिद्ध की गई है । इस प्रकार, घटनाओं की श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी अच्छी तरह से जुड़ी हुई है और उस पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है । अल्प विभेद जैसा कि अभियुक्त की ओर

से विद्वान् काउंसेल द्वारा बताई गई है, को अतिभार नहीं दिया जा सकता है, परिस्थितियों की श्रृंखला को दृढ़तापूर्वक सिद्ध किया गया है, क्योंकि ये केवल अल्प छोटे-मोटे विभेद हैं और उन्हें आसानी से त्यागा जा सकता है ।

27. संपूर्ण साक्ष्य की कसौटी को ध्यान में रखते हुए हमारा अभियोजन पक्ष द्वारा प्रकट कहानी की सत्यता से समाधान होता है क्योंकि मामले में परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी है और इस प्रकार विद्वान् विचारण न्यायालय के निर्णय को न तो त्रुटिपूर्ण कहा जा सकता है और न ही यह अनुमान और अटकलों पर आधारित है इसलिए, केवल यह निष्कर्ष निकलता है कि विद्वान् विचारण न्यायालय ने सही परिप्रेक्ष्य में साक्ष्य का मूल्यांकन करके ठीक ही किया है और अभियुक्त व्यक्तियों को दोषसिद्ध करके ठीक ही किया है जैसाकि अभियोजन पक्ष ने निश्चायक और युक्तियुक्त संदेह के परे अभियुक्त व्यक्तियों की दोषिता को साबित किया है । हम विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षों को उलटने का कोई कारण नहीं पाते हैं । अपीलों में गुणता नहीं है, और खारिज किए जाने योग्य हैं, अत: तद्नुसार, उन्हें खारिज किया जाता है क्योंकि अभियोजन पक्ष ने निश्चायक रूप से और युक्तियुक्त संदेह के परे अभियुक्त व्यक्तियों की दोषिता को साबित किया है ।

28. उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, अपीलें तथा यदि कोई लंबित आवेदन है, तो उनका निपटारा किया जाता है ।

अपील का निपटारा किया गया ।

आर्य

जोगा सिंह उर्फ **मुलख राज**

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य

तारीख 25 जून, 2018

न्यायमूर्ति संदीप शर्मा

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 439 [सपठित स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 15] – जमानत याची – नियमित जमानत की ईप्सा किया जाना – न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त व्यक्ति के बारे में जो पुलिस अभिरक्षा या न्यायिक अभिरक्षा में संदेह के आधार पर प्रतिप्रेषित किया गया है – उसके आवेदन पर विचार करते हुए मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाना अपेक्षित है – ऐसे अभियुक्त व्यक्ति की प्रतिष्ठा को बनाए रखने सहित कई कारण हैं, तथापि, गरीब व्यक्ति जो संविधान के अनुच्छेद 21 की अध्यपेक्षा के अधीन आता है – न्यायालयों को कैदखानों की अत्यधिक भीड़भाड़ जिससे सामाजिक और अन्य समस्याएं प्रकट होती हैं, अभियुक्त को जमानत देते समय ध्यान देना चाहिए ।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धारा 439 [सपठित स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 15] – जमानत – जमानत का उद्देश्य विचारण में अभियुक्त की हाजिरी को निश्चित करना है और इस प्रश्न के समाधान के लिए उचित कसौटी लागू की जाती है कि क्या जमानत को मंजूर किया जाना चाहिए या इनकार किया जाना चाहिए – क्या यह संभव है कि पक्षकार अपने विचारण में हाजिर होगा – तब जमानत का सामान्य नियम लागू होगा न कि कारागार में रखने का – मामले में अभियुक्त-अपीलार्थी को जमानत मंजूर की जाती है ।

वर्तमान याचिका के माध्यम से जिसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अधीन फाइल किया गया है जिसमें स्वापक ओषधि मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 15 के अधीन जिस मामले को पुलिस थाना जिला ऊना हिमाचल प्रदेश में दर्ज किया गया था, तारीख 16 सितंबर,

2002 के प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 523/2002 के बारे में नियमित जमानत मंजूर करने के लिए जमानत याची की ओर से अनुरोध किया गया था । याचिका का निपटारा करते हुए,

अभिनिर्धारित – माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि आपराधिक विधिशास्त्र के मूलभूत आधार तत्व में निर्दोषिता की उपधारणा की जाती है, तदुपरि इससे यह अभिप्रेत है कि किसी भी व्यक्ति पर तब तक निर्दोष होने का विश्वास किया जाता है जब तक कि उसे दोषी न पाया जाए । तथापि, हमारे दांडिक विधि में ऐसे कई दृष्टांत है जहां कुछ विनिर्दिष्ट अपराधों के बारे में अभियुक्त पर साबित करने का भार रखा जाता है परन्तु यह एक दूसरा मामला है और अन्य अपराधों के बारे में मूलभूत आधार तत्व को घटाता नहीं है । तो भी हमारे दांडिक विधिशास्त्र का एक दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जमानत मंजूरी एक साधारण नियम है । किसी व्यक्ति को जेल या कैदखाने में रखना जेल या कैदखाना और सुधारगृह में रखना (जिससे इसे प्रयोग करने की इच्छा की अभिव्यक्ति प्रकट होती है) यह एक अपवाद है । दुर्भाग्यवश, इन आधारिक सिद्धांतों में से कुछ उन कारणों में दृष्टि ओझल किया जाना प्रतीत होता है कि अधिकांश व्यक्ति जो बंदी रहते हैं और लंबी अवधि तक के लिए । यह हमारे आपराधिक विधिशास्त्र या हमारे समाज के लिए कोई किसी उत्तम बात को प्रकट नहीं करता । ऐसा कोई संदेह नहीं है कि जमानती की मंजूरी या उससे इनकार करना मामले पर विचार करने के पश्चात् न्यायाधीश के विवेक में पूर्णतया प्रकट है लेकिन ऐसा भी है कि देश के न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक विवेक को प्रयोग करने से विचार को तथा दिए गए विनिश्चयों की विस्तृत संख्या के द्वारा सीमाबद्ध किया गया है । तो भी यह आत्मविश्लेषण करना आवश्यक है कि किसी अभियुक्त व्यक्ति को जमानत देने से इनकार करना मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर सही दिशा पर सोचा जाना चाहिए । इस तरह कारकों के बीच आत्मविश्लेषण करते हुए जिसमें यह विचार किया जाना आवश्यक है कि क्या अभियुक्त को अन्वेषण के दौरान गिरफ्तार किया गया था जब ऐसे व्यक्ति के पास साक्ष्य में हेरफेर करने या साक्षियों को

प्रभावित करने का उत्तम अवसर रहा था । यदि अन्वेषक अधिकारी अन्वेषण के दौरान अभियुक्त व्यक्ति को गिरफ्तार करना आवश्यक नहीं पाता है तब इस बात को प्रकट करने के लिए प्रबल मामला बनाया जाना चाहिए कि आरोप पत्र फाइल किए जाने के पश्चात् व्यक्ति न्यायिक अभिरक्षा में रह रहा है । इसी तरह यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि क्या अभियुक्त व्यक्ति ने अन्वेषक अधिकारी के समाधान के लिए अन्वेषण में भाग लिया था और वह फरार नहीं हुआ या उस वक्त हाजिर नहीं हुआ जब अन्वेषक अधिकारी द्वारा उससे अपेक्षा की गई । निश्चित रूप से, यदि कोई अभियुक्त अन्वेषक अधिकारी से छुपता नहीं है या किन्हीं वास्तविक कारणों से छुपता है और अपने शिकार होने के भय को अभिव्यक्त करता है तो यह एक कारक होगा कि न्यायाधीश को समुचित मामले में विचार करने की जरूरत होगी । न्यायाधीश के लिए यह भी आवश्यक है कि वह इस बात पर विचार करे कि क्या अभियुक्त को पहली बार अपराधी बनाया गया है या वह दूसरे अपराधों में अभियुक्त बनाया गया है और यदि ऐसा है तो ऐसे अपराधों की प्रकृति और उसका सामान्य आचरण को देखा जाना चाहिए । अभियुक्त की गरीबी या उसकी दयनीय स्थिति भी अत्यधिक महत्वपूर्ण कारक है और संसद् ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 436 के स्पष्टीकरण को निगमित करते हुए इस बारे में संज्ञान लिया है कि समान रूप से कैद में रहे ऐसे व्यक्तियों पर कोमल दृष्टिकोण अपनाने के लिए संसद् द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 436क में अन्तर्विष्ट करके मत अपनाया गया है । संक्षेप में न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त व्यक्ति के बारे में जो पुलिस अभिरक्षा या न्यायिक अभिरक्षा में संदेह के आधार पर प्रतिप्रेषित किया गया है । उसके आवेदन पर विचार करते हुए मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाना अपेक्षित है । ऐसे अभियुक्त व्यक्ति की प्रतिष्ठा को बनाए रखने सहित कई कारण हैं, तथापि, गरीब व्यक्ति जो संविधान के अनुच्छेद 21 की अध्यपेक्षा के अधीन आता है और यह तथ्य कि कैदखानों में अत्यधिक भीड़भाड़ जिससे सामाजिक और अन्य समस्याएं प्रकट होती हैं जैसाकि पुन: अमानवीय शर्तों, 1382 कैदखाना इस न्यायालय द्वारा ध्यान दिया गया है । यह कहना व्यर्थ है कि जमानत

का उद्देश्य विचारण में अभियुक्त की हाजिरी को निश्चित करना है और इस प्रश्न के समाधान के लिए उचित कसौटी यह लागू की जाती है कि क्या जमानत को मंजूर किया जाना चाहिए या इनकार किया जाना चाहिए । क्या यह संभव है कि पक्षकार अपने विचारण में हाजिर होगा । अन्यथा भी, जमानत का सामान्य नियम लागू होगा न कि कारागार में रखने का । उपरोक्त बातों के अलावा न्यायालय को अभियोग की प्रकृति पर भी विचार करना चाहिए जिसके समर्थन में साक्ष्य की प्रकृति तथा दंड तीव्रता से समर्थन लेना चाहिए और जिस कारण से अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाता है उस पर उसके चरित्र को भी देखा जाना चाहिए । परिस्थितियां जो उस अपराध में शामिल अभियुक्त की विशिष्टियों को दिखाता है । उच्चतम न्यायालय ने अपने विवेक में निम्नलिखित सिद्धांतों को रखते हुए यह अधिकथित किया है कि – (i) कि क्या यह विश्वास करने के लिए प्रथमदृष्ट्या या कोई युक्तियुक्त आधार बनता है कि अभियुक्त ने अपराध किया था ; (ii) अभियोग की प्रकृति और गंभीरता ; (iii) दोषसिद्धि की दशा में दंड की तीव्रता ; (iv) अभियुक्त को जमानत पर निर्मुक्त कर दिया जाए तो उसके फरार होने या भागने का खतरा ; (v) अभियुक्त का चरित्र, व्यवहार और उसके पास उपलब्ध साधन और उसकी स्थिति पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए ; (vi) उसके द्वारा अपराध को दोहराने की संभावना ; (vii) साक्षियों को प्रभावित करने की युक्तियुक्त आशंका ; (viii) जमानत की मंजूरी पर न्याय को खतरे में डालने या उसे निष्फल करने की स्थिति में होगा । उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, जमानत याची ने जमानत मंजूरी के लिए मामले में कष्ट भोगा है और इस प्रकार वर्तमान याचिका को मंजूर किया जाता है । (पैरा 12, 13 और 15)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2010]	(2010) 14 एस. सी. सी. 496 : **प्रशांत कुमार सरकार** बनाम **आशीष चटर्जी और एक अन्य** ।	14

प्रकीर्ण (दांडिक) अधिकारिता : 2018 की प्रकीर्ण दांडिक सं. 493.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439 के अधीन जमानत आवेदन ।

याची की ओर से श्री विवेक सिंह अत्री, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री एस. सी. शर्मा, दिनेश ठाकुर, अपर महाधिवक्ता साथ में अमित कुमार उप महाधिवक्ता सहायक और उप निरीक्षक मोहम्मद सत्तार, अन्वेषक अधिकारी, पुलिस थाना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

न्यायमूर्ति संदीप शर्मा – वर्तमान याचिका के माध्यम से जिसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अधीन फाइल किया गया है जिसमें स्वापक ओषधि मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 15 के अधीन जिस मामले को पुलिस थाना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में दर्ज किया गया था, तारीख 16 सितंबर, 2002 के प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 523/2002 के बारे में नियमित जमानत मंजूर करने के लिए जमानत याची की ओर से अनुरोध किया गया था ।

2. तारीख 24 अप्रैल, 2018, 8 मई, 2018, 14 मई, 2018 और 11 जून, 2018 को सहायक उप निरीक्षक मोहम्मद सत्तार ने, पुलिस थाना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश अभिलेख के साथ उपस्थित हुआ था । श्री दिनेश ठाकुर विद्वान् अपर महाधिवक्ता द्वारा प्रास्थिति रिपोर्ट अभिलेख पर रखी गई है जिसे अन्वेषक अभिकरण द्वारा किए गए अन्वेषण के आधार पर तैयार किया गया था । अभिलेख का परिशीलन किया गया और उन्हें वापस किया गया ।

3. इस न्यायालय ने तारीख 11 जून, 2018 के पूर्ववर्ती आदेश के माध्यम से सेशन मामला सं. 1/2008, राज्य बनाम पुष्पा देवी और अन्य के अभिलेख को मंगाने के लिए समन किया था जिन्हें प्राप्त भी किया गया था । अभिलेख/प्रास्थिति रिपोर्ट का सावधानी पूर्वक परिशीलन करने पर यह प्रकट होता है कि तारीख 15 सितंबर, 2002 को पुलिस ने अन्य सह अभियुक्त के साथ जमानती याची को गिरफ्तार किया था और पोस्ता भूसी पोपी हस्क के 7 (सात) थैले बरामद किए थे । चूंकि

जमानत याची घटनास्थल से भाग गया था, इसलिए, पुलिस ने अन्य अभियुक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और सभी औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात् अन्वेषण कार्य प्रारंभ किया । सह अभियुक्त अर्थात् श्रीमती पुष्पा देवी और ऊषा देवी के कब्जे में अलग-अलग पोस्ता भूसी की 20 किलोग्राम मात्रा पाई गई थी जबकि, अभियुक्त सं. 3 गजराज के कब्जे में पोस्ता भूसी के अलग-अलग 10 किलोग्राम दो थैले पाए गए थे । वर्तमान जमानत याची के बारे में पोस्ता भूसी के 13 किलोग्राम का थैला उसके कब्जे में पाए जाने का अभिकथन किया गया है । जमानत याची को पुलिस द्वारा तारीख 21 जनवरी, 2003 को गिरफ्तार किया गया था जिसके पश्चात् उसे निचले न्यायालय द्वारा जमानत पर छोड़ दिया गया था । अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् पुलिस ने विधि के सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया था, तथापि, यह तथ्य शेष रह जाता है कि जमानत याची विचारण न्यायालय से जमानत प्राप्त करने के पश्चात्, विचारण के दौरान हाजिर होने में विफल हुआ और इस प्रकार उसे तारीख 30 नवंबर, 2007 के आदेश द्वारा उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया था । सह-अभियुक्त जैसाकि इसमें ऊपर उल्लेख किया गया है उन्हें बाद में उनके विरुद्ध विरचित किए गए आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया । वर्तमान जमानत याची को तारीख 26 दिसंबर, 2015 को गिरफ्तार किया गया था । वह तब से सलाखों के पीछे है ।

4. श्री विवेक सिंह अत्री विद्वान् काउंसेल जो जमानत याची की ओर से हाजिर हुए, उन्होंने यह दलील दी है कि चूंकि तारीख 23 जनवरी, 2003 के आदेश को पारित करने के पश्चात् जमानत याची को किसी प्रकार भी कोई नोटिस तामील नहीं कराया गया था जब उसे जमानत छोड़े रखे जाने का आदेश किया गया तब जमानत याची के पास ऐसा कोई अवसर नहीं था कि वह विचारण के दौरान उपस्थित रहे । उसने यह भी दलील दी कि जमानत याची जो गरीब और गंवार गांववासी है, उसे विधि की कोई जानकारी नहीं है, वह इस प्रभाव के अधीन रहा कि उससे विचारण के दौरान न्यायालय में उपस्थित रहने की अपेक्षा नहीं की गई है ।

5. श्री दिनेश ठाकुर विद्वान् अपर महाधिवक्ता ने जमानत याची की ओर से हाजिर होने वाले श्री विवेक सिंह अत्री द्वारा किए गए

पूर्वोक्त दलीलों का खंडन करते हुए यह दलील दी कि जमानत याची चतुर व्यक्ति है, जिसने विचारण न्यायालय से जमानत प्राप्त करने के पश्चात् वह अभी भी स्वयं अन्वेषण में उपस्थित नहीं हुआ या इसके पश्चात् विचारण के दौरान भी उपस्थित नहीं हुआ, इस प्रकार उसके साथ कोई उदारता नहीं बरती जानी चाहिए, वस्तुतः उससे कठोरता से विचार किया जाना जरूरी है । श्री ठाकुर ने यह दलील दी कि मामले में यह तथ्य प्रकट है कि जमानत याची को उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया था और वह अधिकांशतः 14 वर्ष से विचारण के दौरान फरार रहा था, इस प्रकार इस प्रक्रम पर उसकी जमानत को बढ़ाने से विचारण में भी रुकावट आ सकती है जो अधिकांशतः पूरा हो सकता है । श्री ठाकुर ने विचारण न्यायालय द्वारा विचारण याची को नोटिस न जारी करने के बारे में तथ्य पर भी विवाद किया है जिसमें विचारण के दौरान जमानत याची के हाजिर होने की बात कही गई है ।

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों को सुना और सावधानीपूर्वक अभिलेख का परिशीलन किया ।

7. इस न्यायालय ने जमानत याची की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल द्वारा किए गए निवेदन से सत्यता की सुनिश्चित पर एकमात्र रूप से यह मत अपनाया है कि तारीख 23 जनवरी, 2003 को पारित किए गए आदेश के पश्चात् जमानत याची को कोई नोटिस कभी-भी तामील नहीं किया गया था जिस बात को निचले न्यायालय के अभिलेख को मंगाने पर प्रकट किया गया है । सेशन मामला सं. 1/2008, राज्य बनाम पुष्पा देवी और अन्य के अभिलेख का परिशीलन करते हुए श्री विवेक सिंह अत्री अधिवक्ता की दलीलों में बल प्रतीत होता है कि यद्यपि तारीख 23 जनवरी, 2003 को पारित किए गए आदेश के पश्चात्, नोटिस/गैर जमानती वांरट याची के विरुद्ध जारी किए गए थे परन्तु उनका निष्पादन नहीं किया गया था और अंतिम रूप से तारीख 30 नवंबर, 2017 को जमानत याची को उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया था । श्री दिनेश ठाकुर विद्वान् महाधिवक्ता ने श्री विवेक सिंह अत्री द्वारा दी गई पूर्वोक्त दलील को खंडित करने के विचार से इस न्यायालय का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि प्रक्रिया की सेवा देने वाला प्रक्रम रिपोर्ट दी गई थी जिससे यह संकेत मिलता है कि

जमानत याची को उसके कथनों के माध्यम से नोटिस तामील कराया गया था । तथापि, इस न्यायालय ने समन पर दी गई रिपोर्ट का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया और यह निष्कर्ष निकाला कि जमानत याची की पत्नी ने आदेशिका वाहक को यह सूचना दी कि उसका पति जम्मू गया हुआ है ।

8. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 64 में यह उपबंध किया गया है जो इस प्रकार है :-

> "64. **जब समन किए गए व्यक्ति न मिल सके तब तामील** - जहां समन किया गया व्यक्ति सम्यक् तत्परता बरतने पर भी न मिल सके वहां समन की तामील की प्रतियों में से एक को उसे कुटुंब के उसके साथ रहने वाले किसी वयस्क पुरुष सदस्य के पास उस व्यक्ति के लिए छोड़कर की जा सकती है और यदि तामील करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है तो, जिस व्यक्ति के पास समन ऐसे छोड़ा जाता है वह दूसरी प्रति के पृष्ठ भाग पर उसके लिए रसीद हस्ताक्षरित करेगा ।
>
> **स्पष्टीकारण** - सेवक, इस धारा के अर्थ में कुटुंब का सदस्य नहीं है ।"

9. धारा 64 में यह उपबंध किया गया है जहां समन किया गया व्यक्ति सम्यक् तत्परता बरतने पर भी न मिल सके वहां समन की तामील दो प्रतियों में से एक को उसके कुटुंब के साथ रहने वाले सदस्य के पास उस व्यक्ति के लिए की जा सकती है यदि तामील करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है तो जिस व्यक्ति के पास समन ऐसे छोड़ा जाता है, वह दूसरी प्रति के पृष्ठ भाग पर उसके लिए रसीद हस्ताक्षरित करेगा । सेवक इस धारा के अर्थ में कुटुंब का सदस्य नहीं है ।

10. श्री दिनेश ठाकुर विद्वान् अपर महाधिवक्ता विचारण में दूसरे अभियुक्त की दोषमुक्ति के बारे में तथ्य पर विवाद करने में असमर्थ है जिस पर उसी प्रथम इतिला रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही करना स्वीकृत किया गया था जिसमें जमानती याची का नाम अभियुक्त में से एक के रूप में दर्शाया गया है । श्री ठाकुर ने श्री विवेक सिंह अत्री द्वारा दी गई दलील का खंडन करने में भी असमर्थ रहा है, अभियोजन साक्षी

में से कोई भी विशेष रूप से शिकायतकर्ता और स्वतंत्र साक्षी ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है, बल्कि वे अपने कथनों से मुकर गए हैं ।

11. यद्यपि मामले के पूर्वोक्त पहलू पर विचार किया गया है और विचारण न्यायालय द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर मामले का विनिश्चय किया गया परन्तु इस न्यायालय ने इस तथ्य पर भी टिप्पण किया है कि जमानत याची को नोटिस/जमानती वारंट तामील नहीं किया गया था और विचारण के दौरान अनिश्चित अवधि के लिए जेल में बंदी जमानत याची को छोड़ने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है विशेष रूप से जब वह अधिकांशत: 7 मास से जेल के सलाखों के पीछे हैं यदि जमानत याची का कोई दोष है तो इसे विधि के अनुसरण में भी साबित किया जाना चाहिए । इस प्रकार, न्याय के हित में ऐसा नहीं हो सकता कि अनिश्चित अवधि के लिए उसकी स्वतंत्रता को कम कर दिया जाए ।

12. हाल ही में 2018 की दांडिक अपील सं. 227, दाताराम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा तारीख 6 फरवरी, 2018 को विनिश्चित देते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को अनिश्चित अवधि तक कम नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से तब जब उसकी दोषिता भी साबित की जानी है । पूर्वोक्त निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने आगे यह अभिनिर्धारित किया है कि किसी व्यक्ति के बारे में उसके दोषी पाए जाने तक उसके निर्दोष होने का विश्वास किया जाता है । माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धात किया है जो इस प्रकार है :-

> "2. आपराधिक विधिशास्त्र के मूलभूत आधार तत्व में निर्दोषिता की उपधारणा की जाती है, तदुपरि, इससे यह अभिप्रेत है कि किसी भी व्यक्ति पर तब तक निर्दोष होने का विश्वास किया जाता है जब तक कि उसे दोषी न पाया जाए । तथापि, हमारे दांडिक विधि में ऐसे कई दृष्टांत है जहां कुछ विनिर्दिष्ट अपराधों के बारे में अभियुक्त पर साबित करने का भार रखा जाता है परन्तु यह एक दूसरा मामला है और अन्य अपराधों के बारे में मूलभूत

आधार तत्व को घटाता नहीं है । तो भी हमारे दांडिक विधिशास्त्र का एक दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जमानत मंजूरी एक साधारण नियम है । किसी व्यक्ति को जेल या कैदखाने में रखना जेल या कैदखाना और सुधारगृह में रखना (जिससे इसे प्रयोग करने की इच्छा की अभिव्यक्ति प्रकट होती है) यह एक अपवाद है । दुर्भाग्यवश इन आधारिक सिद्धांतों में से कुछ उन कारणों में दृष्टि ओझल किया जाना प्रतीत होता है कि अधिकांश व्यक्ति जो बंदी रहते हैं और लंबी अवधि तक के लिए । यह हमारे आपराधिक विधिशास्त्र या हमारे समाज के लिए कोई किसी उत्तम बात को प्रकट नहीं करता ।

3. ऐसा कोई संदेह नहीं है कि जमानती की मंजूरी या उससे इनकार करना मामले पर विचार करने के पश्चात् न्यायाधीश के विवेक में पूर्णतया प्रकट है लेकिन ऐसा भी है कि देश के न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक विवेक को प्रयोग करने से विचार को तथा दिए गए विनिश्चयों की विस्तृत संख्या के द्वारा सीमाबद्ध किया गया है । तो भी यह आत्मविश्लेषण करना आवश्यक है कि किसी अभियुक्त व्यक्ति को जमानत देने से इनकार करना मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर सही दिशा पर सोचा जाना चाहिए ।

4. इस तरह कारकों के बीच आत्मविश्लेषण करते हुए जिसमें यह विचार किया जाना आवश्यक है कि क्या अभियुक्त को अन्वेषण के दौरान गिरफ्तार किया गया था जब ऐसे व्यक्ति के पास साक्ष्य में हेरफेर करने या साक्षियों को प्रभावित करने का उत्तम अवसर रहा था । यदि अन्वेषक अधिकारी अन्वेषण के दौरान अभियुक्त व्यक्ति को गिरफ्तार करना आवश्यक नहीं पाता है तब इस बात को प्रकट करने के लिए प्रबल मामला बनाया जाना चाहिए कि आरोप पत्र फाइल किए जाने के पश्चात् व्यक्ति न्यायिक अभिरक्षा में रह रहा है । इसी तरह यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि क्या अभियुक्त व्यक्ति ने अन्वेषक अधिकारी के समाधान के लिए अन्वेषण में भाग लिया था और वह फरार नहीं हुआ या उस वक्त हाजिर नहीं हुआ जब अन्वेषक अधिकारी द्वारा

उससे अपेक्षा की गई । निश्चित रूप से, यदि कोई अभियुक्त अन्वेषक अधिकारी से छुपता नहीं है या किन्हीं वास्तविक कारणों से छुपता है और अपने शिकार होने के भय को अभिव्यक्त करता है तो यह एक कारक होगा कि न्यायाधीश को समुचित मामले में विचार करने की जरूरत होगी । न्यायाधीश के लिए यह भी आवश्यक है कि वह इस बात पर विचार करे कि क्या अभियुक्त को पहली बार अपराधी बनाया गया है या वह दूसरे अपराधों में अभियुक्त बनाया गया है और यदि ऐसा है तो ऐसे अपराधों की प्रकृति और उसका सामान्य आचरण को देखा जाना चाहिए । अभियुक्त की गरीबी या उसकी दयनीय स्थिति भी अत्यधिक महत्वपूर्ण कारक है और संसद् ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 436 के स्पष्टीकरण को निगमित करते हुए इस बारे में संज्ञान लिया है कि समान रूप से कैद में रहे ऐसे व्यक्तियों पर कोमल दृष्टिकोण अपनाने के लिए संसद् द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 436क में अन्तर्विष्ट करके मत अपनाया गया है ।

5. संक्षेप में न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त व्यक्ति के बारे में जो पुलिस अभिरक्षा या न्यायिक अभिरक्षा में संदेह के आधार पर प्रतिप्रेषित किया गया है । उसके आवेदन पर विचार करते हुए मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाना अपेक्षित है । ऐसे अभियुक्त व्यक्ति की प्रतिष्ठा को बनाए रखने सहित कई कारण हैं, तथापि, गरीब व्यक्ति जो संविधान के अनुच्छेद 21 की अध्यपेक्षा के अधीन आता है और यह तथ्य कि कैदखानों में अत्यधिक भीड़भाड़ है और जिससे सामाजिक और अन्य समस्याएं प्रकट होती हैं जैसाकि इस न्यायालय द्वारा 1382 कैदखानों में अमानवीय व्यवहार की अवेक्षा की गई है ।"

13. यह कहना व्यर्थ है कि जमानत का उद्देश्य विचारण में अभियुक्त की हाजिरी को निश्चित करना है और इस प्रश्न के समाधान के लिए उचित कसौटी यह लागू की जाती है कि क्या जमानत को मंजूर किया जाना चाहिए या इनकार किया जाना चाहिए । क्या यह संभव है कि पक्षकार अपने विचारण में हाजिर होगा । अन्यथा भी, जमानत का सामान्य नियम लागू होगा न कि कारागार में रखने का । उपरोक्त बातों

के अलावा न्यायालय को अभियोग की प्रकृति पर भी विचार करना चाहिए जिसके समर्थन में साक्ष्य की प्रकृति तथा दंड तीव्रता से समर्थन लेना चाहिए और जिस कारण से अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाता है उस पर उसके चरित्र को भी देखा जाना चाहिए । परिस्थितियां जो उस अपराध में शामिल अभियुक्त की विशिष्टियों को दिखाता है ।

14. **प्रशांत कुमार सरकार** बनाम **आशीष चटर्जी और एक अन्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपने विवेक में निम्नलिखित सिद्धांतों को रखते हुए यह अधिकथित किया है कि :-

(i) कि क्या यह विश्वास करने के लिए प्रथमदृष्ट्या या कोई युक्तियुक्त आधार बनता है कि अभियुक्त ने अपराध किया था ;

(ii) अभियोग की प्रकृति और गंभीरता ;

(iii) दोषसिद्धि की दशा में दंड की तीव्रता ;

(iv) अभियुक्त को जमानत पर निर्मुक्त कर दिया जाए तो उसके फरार होने या भागने का खतरा ;

(v) अभियुक्त का चरित्र, व्यवहार और उसके पास उपलब्ध साधन और उसकी स्थिति पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए ;

(vi) उसके द्वारा अपराध को दोहराने की संभावना ;

(vii) साक्षियों को प्रभावित करने की युक्तियुक्त आशंका ;

(viii) जमानत की मंजूरी पर न्याय को खतरे में डालने या उसे निष्फल करने की स्थिति में होगा ।

15. उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, जमानत याची ने जमानत मंजूरी के लिए मामला साबित किया है और इस प्रकार वर्तमान याचिका को मंजूर किया जाता है । याची को इस शर्त के अध्यधीन जमानत पर निर्मुक्त किए जाने का आदेश किया जाता है कि वह 50,000/- रुपए की राशि के बंधपत्र का निष्पादन करेगा और इसके साथ ही इसी राशि का एक स्थानीय प्रतिभू भी पेश करेगा । निम्नलिखित शर्तों के अतिरिक्त विचारण न्यायालय का समाधान होना चाहिए :-

---

[1] (2010) 14 एस. सी. सी. 496.

(क) वह (याची) से जब भी अपेक्षित हो वह, पूछताछ के प्रयोजन के लिए स्वयं उपलब्ध होगा और सुनवाई के प्रत्येक दिन विचारण न्यायालय के समक्ष नियमित रूप से हाजिर होगा और यदि किसी कारण से ऐसा करने में रोका जाता है तो समुचित आवेदन फाइल करके हाजिर होने से छूट की ईप्सा कर सकता है ।

(ख) वह अभियोजन साक्ष्य में हेरफेर नहीं करेगा और न वह किसी भी रीति में किसी प्रकार मामले के अन्वेषण में रुकावट नहीं डालेगा ।

(ग) वह मामले के तथ्यों से चिर-परिचित किसी व्यक्ति को प्रलोभन या धमकी या वचन नहीं देगा जिससे कि वह न्यायालय या पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्य के प्रकट करने से रुक जाए ; और

(घ) वह न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत राज्यक्षेत्र से बाहर नहीं जाएगा ।

(ङ) वह अपने द्वारा रखे गए यदि कोई पासपोर्ट है, तो उसका अभ्यर्पण करेगा ।

16. यह स्पष्ट है कि यदि याची अपने पर अधिरोपित शर्तों या से किसी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है या उसका अतिक्रमण करता है तब अन्वेषक अभिकरण इस न्यायालय के समक्ष उसकी जमानत रद्द करने के लिए समावेदन पेश करने के लिए स्वतंत्र होगा ।

17. इसमें ऊपर उल्लिखित की गई भी मताभिव्यक्ति से मामले के गुणागुण पर परिलक्षित किसी बात का अर्थान्वयन नहीं किया जाएगा और एकमात्र रूप से इस याचिका के निपटारे तक परिबद्ध रहेगा ।

तद्नुसार याचिका का निपटारा किया जाता है ।

तद्नुसार याचिका का निपटारा किया गया ।

आर्य

संसद् के अधिनियम

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

(2007 का अधिनियम संख्यांक 2)

[29 दिसंबर, 2006]

वन में निवास करने वाली ऐसी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के, जो ऐसे वनों में पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं, किंतु उनके अधिकारों को अभिलिखित नहीं किया जा सका है, वन अधिकारों और वन भूमि में अधिभोग को मान्यता देने और निहित करने; वन भूमि में इस प्रकार निहित वन अधिकारों को अभिलिखित करने के लिए संरचना का और वन भूमि के संबंध में अधिकारों को ऐसी मान्यता देने और निहित करने के लिए अपेक्षित साक्ष्य की प्रकृति का उपबंध करने के लिए अधिनियम

वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के, मान्यताप्राप्त अधिकारों में, दीर्घकालीन उपयोग के लिए जिम्मेदारी और प्राधिकार, जैव विविधता का संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना और वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों की जीविका तथा खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करते समय वनों की संरक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करना भी सम्मिलित है ;

और औपनिवेशिक काल के दौरान तथा स्वतंत्र भारत में राज्य वनों को समेकित करते समय उनकी पैतृक भूमि पर वन अधिकारों और उनके

निवास को पर्याप्त रूप से मान्यता नहीं दी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप वन में निवास करने वाली उन अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के प्रति ऐतिहासिक अन्याय हुआ है, जो वन पारिस्थितिकी प्रणाली को बचाने और बनाए रखने के लिए अभिन्न अंग है ;

और यह आवश्यक हो गया है कि वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों की, जिसके अंतर्गत वे जनजातियां भी हैं, जिन्हें राज्य के विकास से उत्पन्न हस्तक्षेप के कारण अपने निवास दूसरी जगह बनाने के लिए मजबूर किया गया था, लंबे समय से चली आ रही भूमि संबंधी असुरक्षा तथा वनों में पहुंच के अधिकारों पर ध्यान दिया जाए ;

भारत गणराज्य के सतावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 है ।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

2. परिभाषाएं – इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "सामुदायिक वन संसाधन" से ग्राम की परंपरागत या रूढ़िगत सीमाओं के भीतर रूढ़िगत सामान्य वन भूमि या चरागाही समुदायों की दशा में भू-परिदृश्य का मौसमी उपयोग अभिप्रेत है,

जिसके अंतर्गत आरक्षित वन, संरक्षित वन और संरक्षित ऐसे क्षेत्रों की भूमि है जैसे अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान जिन पर समुदायों की परंपरागत पहुंच थी ;

(ख) "संकटपूर्ण वन्य जीव आवास" से राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के ऐसे क्षेत्र अभिप्रेत हैं, जहां वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर, मामलेवार, विनिर्दिष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से यह स्थापित किया गया है कि ऐसे क्षेत्र वन्य जीव संरक्षण के प्रयोजनों के लिए अनतिक्रांत रखे जाने के लिए अपेक्षित हैं जैसाकि केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा ऐसी विशेषज्ञ समिति से परामर्श की खुली प्रक्रिया के पश्चात् अवधारित और अधिसूचित किया जाए, जिसमें उस सरकार द्वारा नियुक्त उस परिक्षेत्र से विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे जिसमें धारा 4 की उपधारा (1) और उपधारा (2) से उद्भूत प्रकियात्मक अपेक्षाओं के अनुसार ऐसे क्षेत्रों का अवधारण करने में जनजातीय मंत्रालय का एक प्रतिनिधि भी सम्मिलित होगा ;

(ग) "वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति" से अनुसूचित जनजातियों के ऐसे सदस्य या समुदाय अभिप्रेत हैं, जो प्राथमिक रूप से वनों में निवास करते हैं और जीविका की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए वनों या वन भूमि पर निर्भर हैं और इसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति चरागाही समुदाय भी हैं ;

(घ) "वन भूमि" से किसी वन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली किसी प्रकार की भूमि अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत अवर्गीकृत वन, असीमांकित विद्यमान वन या समझे गए वन, संरक्षित वन, आरक्षित वन, अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान भी हैं ;

(ङ) "वन अधिकारों" से धारा 3 में निर्दिष्ट वन अधिकार अभिप्रेत हैं ;

(च) "वन ग्राम" से ऐसी बस्तियां अभिप्रेत हैं, जो किसी राज्य सरकार के वन विभाग द्वारा वन संबंधी संक्रियाओं के लिए वनों के

भीतर स्थापित की गई हैं या जो वन आरक्षण प्रक्रिया के माध्यम से वन ग्रामों में संपरिवर्तित की गई हैं और जिनके अंतर्गत वन बस्ती ग्राम, नियत मांग धृति, ऐसे ग्रामों के लिए सभी प्रकार की वन कृषि बस्तियां भी हैं, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों और इसके अंतर्गत सरकार द्वारा अनुज्ञात कृषि तथा अन्य उपयोगों के लिए भूमि भी है ;

(छ) "ग्राम सभा" से ऐसी ग्राम सभा अभिप्रेत है, जो ग्राम के सभी वयस्क सदस्यों से मिलकर बनेगी और ऐसे राज्यों की दशा में, जिनमें कोई ग्राम पंचायत नहीं है, पाड़ा, टोला और ऐसी अन्य परंपरागत ग्राम संस्थाएं और निर्वाचित ग्राम समितियां भी हैं जिनमें महिलाओं की पूर्ण और अनिर्बंधित भागीदारी है ;

(ज) "आवास" के अंतर्गत ऐसा क्षेत्र भी है, जिसमें आदिम जनजाति समूहों और कृषि पूर्व समुदायों और अन्य वन निवासी अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित वनों और संरक्षित वनों में परंपरागत आवास और ऐसे अन्य आवास सम्मिलित हैं ;

(झ) "गौण वन उत्पाद" के अंतर्गत पादप मूल के सभी गैर-इमारती वनोत्पाद हैं, जिनमें, बांस, झाड़ झंखाड़, ठूंठ, बैंत, तुसार, कोया, शहद, मोम, लाख, तेंदू या केंदू पत्ते, औषधीय पौधे और जड़ी बूटियां, मूल, कन्द और इसी प्रकार के उत्पाद सम्मिलित हैं ;

(ञ) "नोडल अभिकरण" से धारा 11 में विनिर्दिष्ट नोडल अभिकरण अभिप्रेत है ;

(ट) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(ठ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ड) "अनुसूचित क्षेत्र" से संविधान के अनुच्छेद 244 के खंड (1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र अभिप्रेत है ;

(ढ) "सतत उपयोग" का वही अर्थ होगा जो जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) की धारा 2 के खंड (ण) में है ;

(ण) "अन्य परंपरागत वन निवासी" से ऐसा कोई सदस्य या समुदाय अभिप्रेत है, जो 31 दिसंबर, 2005 से पूर्व कम से कम तीन पीढ़ियों तक प्राथमिक रूप से वन या वन भूमि में निवास करता रहा है और जो जीविका की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए उन पर निर्भर है ।

स्पष्टीकरण – इस खंड के प्रयोजन के लिए "पीढ़ी" से पच्चीस वर्ष की अवधि अभिप्रेत है ;

(त) "ग्राम" से निम्नलिखित अभिप्रेत है –

(i) पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (1996 का 40) की धारा 4 के खंड (ख) में निर्दिष्ट कोई ग्राम ; या

(ii) अनुसूचित क्षेत्रों से भिन्न पंचायतों से संबंधित किसी राज्य विधि में ग्राम के रूप में निर्दिष्ट कोई क्षेत्र ; या

(iii) वन ग्राम, पुरातन निवास या बस्तियां और असर्वेक्षित ग्राम, चाहे वे ग्राम के रूप में अधिसूचित हों या नहीं ; या

(iv) उन राज्यों की दशा में, जहां पंचायतें नहीं हैं, पारम्परिक ग्राम, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों ;

(थ) "वन्य पशु" से वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की अनुसूची 1 से 4 में विनिर्दिष्ट पशु की ऐसी प्रजातियां अभिप्रेत हैं, जो प्रकृति में वन्य के रूप में पाई जाती हैं ।

अध्याय 2

वन अधिकार

3. वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के वन अधिकार – (1) इस अधिनियम के

प्रयोजनों के लिए, वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के सभी वन भूमि पर निम्नलिखित वन अधिकार होंगे, जो व्यक्तिगत या सामुदायिक भू-धृति या दोनों को सुरक्षित करते हैं, अर्थात् :–

(क) वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासियों के किसी सदस्य या किन्हीं सदस्यों द्वारा निवास के लिए या जीविका के लिए स्वयं खेती करने के लिए व्यक्तिगत या सामूहिक अधिभोग के अधीन वन भूमि को धारित करने और उसमें रहने का अधिकार ;

(ख) निस्तार के रूप में सामुदायिक अधिकार, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जिनके अंतर्गत तत्कालीन राजाओं के राज्यों, जमींदारी या ऐसे अन्य मध्यवर्ती शासनों में प्रयुक्त अधिकार भी सम्मिलित हैं ;

(ग) गौण वन उत्पादों के, जिनका गांव की सीमा के भीतर या बाहर पारंपरिक रूप से संग्रह किया जाता रहा है स्वामित्व संग्रह करने के लिए पहुंच, उनका उपयोग और व्ययन का अधिकार रहा है ;

(घ) यायावरी या चरागाही समुदायों की मत्स्य और जलाशयों के अन्य उत्पाद, चरागाह (स्थापित और घुमक्कड़ दोनों) के उपयोग या उन पर हकदारी और पारम्परिक मौसमी संसाधनों तक पहुंच के अन्य सामुदायिक अधिकार ;

(ङ) वे अधिकार, जिनके अंतर्गत आदिम जनजाति समूहों और कृषि पूर्व समुदायों के लिए गृह और आवास की सामुदायिक भू-धृतियां भी हैं ;

(च) किसी ऐसे राज्य में, जहां दावे विवादग्रस्त हैं, किसी नाम पद्धति के अधीन विवादित भूमि में या उस पर के अधिकार ;

(छ) वन भूमि पर हक के लिए किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी राज्य सरकार द्वारा जारी पट्टों या धृतियों या अनुदानों के संपरिवर्तन के अधिकार ;

(ज) वनों के सभी वन ग्रामों, पुराने आवासों, असर्वेक्षित ग्रामों और अन्य ग्रामों के बसने और संपरिवर्तन के अधिकार, चाहे वे राजस्व ग्रामों में लेखबद्ध हों, अधिसूचित हों अथवा नहीं ;

(झ) ऐसे किसी सामुदायिक वन संसाधन का संरक्षण, पुनरुज्जीवित या संरक्षित या प्रबंध करने का अधिकार, जिसकी वे सतत् उपयोग के लिए परंपरागत रूप से संरक्षा और संरक्षण कर रहे हैं ;

(ञ) ऐसे अधिकार, जिनको किसी राज्य की विधि या किसी स्वशासी जिला परिषद् या स्वशासी क्षेत्रीय परिषद् की विधियों के अधीन मान्यता दी गई है या जिन्हें किसी राज्य की संबंधित जनजाति की किसी पारंपरिक या रूढ़िगत विधि के अधीन जनजातियों के अधिकारों के रूप में स्वीकार किया गया है ;

(ट) जैव विविधता तक पहुंच का अधिकार और जैव विविधता तथा सांस्कृतिक विविधता से संबंधित बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान का सामुदायिक अधिकार ;

(ठ) कोई ऐसा अन्य पारंपरिक अधिकार जिसका, यथास्थिति, वन में निवास करने वाली उन अनुसूचित जनजातियों या अन्य परंपरागत वन निवासियों द्वारा रूढ़िगत रूप से उपभोग किया जा रहा है, जो खंड (क) से खंड (ट) में वर्णित हैं, किंतु उनमें किसी प्रजाति के वन्य जीव का शिकार करने या उन्हें फंसाने या उनके शरीर का कोई भाग निकालने का परंपरागत अधिकार नहीं है ;

(ड) यथावत पुनर्वास का अधिकार, जिसके अंतर्गत उन मामलों में आनुकल्पिक भूमि भी है जहां अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों को 13 दिसंबर, 2005 के पूर्व किसी भी प्रकार की वन भूमि से पुनर्वास के उनके वैध हक प्राप्त किए बिना अवैध रूप से बेदखल या विस्थापित किया गया हो ।

(2) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, सरकार द्वारा व्यवस्थित

निम्नलिखित सुविधाओं के लिए वन भूमि के परिवर्तन का उपबंध करेगी जिसके अंतर्गत प्रति हेक्टेयर पचहत्तर से अनधिक पेड़ों का गिराया जाना भी है, अर्थात् :–

(क) विद्यालय ;

(ख) औषधालय या अस्पताल ;

(ग) आंगनबाड़ी ;

(घ) उचित कीमत की दुकानें ;

(ङ) विद्युत और दूरसंचार लाइनें ;

(च) टंकियां और अन्य लघु जलाशय ;

(छ) पेय जल की आपूर्ति और जल पाइपलाइनें ;

(ज) जल या वर्षा जल संचयन संरचनाएं ;

(झ) लघु सिंचाई नहरें ;

(ञ) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत ;

(ट) कौशल उन्नयन या व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र ;

(ठ) सड़कें ; और

(ड) सामुदायिक केन्द्र :

परंतु वन भूमि के ऐसे परिवर्तन को तभी अनुज्ञात किया जाएगा, जब –

(i) इस उपधारा में वर्णित प्रयोजनों के लिए परिवर्तित की जाने वाली वन भूमि ऐसे प्रत्येक मामले में एक हेक्टेयर से कम है ; और

(ii) ऐसी विकासशील परियोजनाओं की अनापत्ति इस शर्त के अधीन रहते हुए होगी कि उसकी सिफारिश ग्राम सभा द्वारा की गई हो ।

अध्याय 3

वन अधिकारों की मान्यता, उनका पुनःस्थापन और निहित होना तथा संबंधित विषय

4. वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य

परंपरागत वन निवासियों के वन अधिकारों की मान्यता और उनका निहित होना – (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार, –

(क) ऐसे राज्यों या राज्यों के उन क्षेत्रों में वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों के, जहां उन्हें धारा 3 में उल्लिखित सभी वन अधिकारों की बाबत अनुसूचित जनजातियों के रूप में घोषित किया गया है ;

(ख) धारा 3 में उल्लिखित सभी वन अधिकारों की बाबत अन्य परंपरागत वन निवासियों के वनाधिकारों को,

मान्यता प्रदान करती है और उनमें निहित करती है ।

(2) राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के संकटग्रस्त वन्य जीव आवासों में इस अधिनियम के अधीन मान्यताप्राप्त वन अधिकारों को, पश्चात्वर्ती रूप में उपान्तरित या पुनःस्थापित किया जा सकेगा, परंतु किसी भी वन अधिकार धारक को पुनःस्थापित नहीं किया जाएगा या किसी भी रीति में उनके अधिकारों पर वन्य जीव संरक्षण के लिए अनतिक्रांत क्षेत्रों के सृजन के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित सभी शर्तों के पूरा करने की दशा में के सिवाय प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात्, –

(क) विचाराधीन सभी क्षेत्रों में धारा 6 में यथा विनिर्दिष्ट अधिकारों की मान्यता और निहित करने की प्रक्रिया पूरी हो ;

(ख) राज्य सरकार के संबद्ध अभिकरणों द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह स्थापित किया गया है कि अधिकारों के धारकों की उपस्थिति के वन्य पशुओं पर क्रियाकलाप या प्रभाव अपरिवर्तनीय नुकसान करने के लिए पर्याप्त हैं और उक्त प्रजाति के अस्तित्व और उनके निवास के लिए खतरा है ;

(ग) राज्य सरकार यह निष्कर्ष निकाल चुकी है कि सहअस्तित्व जैसे अन्य युक्तियुक्त विकल्प उपलब्ध नहीं हैं ;

(घ) एक पुनर्व्यवस्थापन या अनुकल्पी पैकेज तैयार और संसूचित किया गया है जो प्रभावित व्यष्टियों और समुदायों के लिए सुनिश्चित जीविका का उपबंध करता है और ऐसे प्रभावित व्यष्टियों और समुदायों की केन्द्रीय सरकार की सुसंगत विधियों और नीति में दी गई अपेक्षाओं को पूरा करने की व्यवस्था करता है ;

(ङ) प्रस्तावित पुनर्व्यवस्थापन और पैकेज के लिए संबद्ध क्षेत्रों में ग्राम सभाओं की स्वतंत्र सूचित सहमति लिखित में प्राप्त कर ली गई है ;

(च) कोई पुनर्व्यवस्थापन तभी होगा जब पुनर्वास अवस्थान पर सुविधाएं और भूमि आबंटन वायदा किए गए पैकेज के अनुसार पूरी की गई हों :

परंतु संकटग्रस्त वन्य जीव आवास, जिससे अधिकार धारकों को इस प्रकार वन्य जीव संरक्षण के प्रयोजनों के लिए पुनःस्थापित किया जाता है, पश्चात्वर्ती रूप से राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी एकक द्वारा किसी अन्य उपयोगों के लिए अपरिवर्तित नहीं किया जाएगा ।

(3) वन भूमि और उसके निवासियों की बाबत किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों को, इस अधिनियम के अधीन वन अधिकारों की मान्यता देना और उनका निहित किया जाना इस शर्त के अध्यधीन होगा कि ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदायों या अन्य परंपरागत वन निवासियों ने 13 दिसंबर, 2005 से पूर्व वन भूमि अधिभोग में ले ली थी ।

(4) उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त कोई अधिकार वंशागत होगा किंतु संक्रमणीय या अन्तरणीय नहीं होगा और विवाहित व्यक्तियों की दशा में पति-पत्नी दोनों के नाम में संयुक्त रूप से और यदि किसी घर का मुखिया एकल व्यक्ति है तो एकल मुखिया के नाम में रजिस्ट्रीकृत होगा तथा सीधे वारिस की अनुपस्थिति में वंशागत अधिकार अगले निकटतम संबंधी को चला जाएगा ।

(5) जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, किसी वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति या अन्य परंपरागत वन निवासियों का कोई सदस्य उसके अधिभोगाधीन वन भूमि से तब तक बेदखल नहीं किया जाएगा या हटाया नहीं जाएगा जब तक कि मान्यता और सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है ।

(6) जहां उपधारा (1) द्वारा मान्यताप्राप्त और निहित वन अधिकार धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) में वर्णित भूमि के संबंध में हैं, वहां ऐसी भूमि इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को किसी व्यष्टि या कुटुम्ब या समुदाय के अधिभोगाधीन होगी और ऐसी भूमि वास्तविक अधिभोग के अधीन क्षेत्र तक निर्बंधित होगी और किसी भी दशा में इसका क्षेत्र चार हेक्टेयर से अधिक का नहीं होगा ।

(7) वन अधिकार, सभी विल्लंगमों और प्रक्रिया संबंधी अपेक्षाओं से मुक्त रूप में प्रदत्त किया जाएगा, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) के अधीन अनापत्ति इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट के सिवाय वन भूमि में अपयोजन के लिए "शुद्ध वर्तमान मूल्य" और प्रतिकरात्मक वन रोपण का संदाय करने की अपेक्षा सम्मिलित है ।

(8) इस अधिनियम के अधीन मान्यताप्राप्त और निहित वन अधिकारों में वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के वन भूमि अधिकार सम्मिलित होंगे जो यह साबित कर सकते हैं कि वे राज्य विकास हस्तक्षेप के कारण भूमि प्रतिकर के बिना उनके निवास और खेती से विस्थापित किए गए थे और जहां भूमि का उपयोग उक्त अर्जन से पांच वर्ष के भीतर उस प्रयोजन के लिए नहीं किया गया है, जिसके लिए वह अर्जित की गई थी ।

5. वन अधिकारों के धारकों के कर्तव्य – किसी वन्य अधिकार के धारक, उन क्षेत्रों में जहां इस अधिनियम के अधीन किन्हीं वन अधिकारों के धारक हैं, ग्राम सभा और ग्राम स्तर की संस्थाएं निम्नलिखित के लिए सशक्त हैं, –

(क) वन्य जीव, वन और जैव विविधता का संरक्षण करना ;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि लगा हुआ जलागम क्षेत्र, जल स्रोत और अन्य पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र पर्याप्त रूप से संरक्षित हैं ;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों का निवास किसी प्रकार के विनाशकारी व्यवहारों से संरक्षित हैं जो उनकी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को प्रभावित करती हैं ;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि सामुदायिक वन संसाधनों तक पहुंच को विनियमित करने और ऐसे किसी क्रियाकलाप को रोकने के लिए, जो वन्य जीव, वन और जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, ग्राम सभा में लिए गए विनिश्चयों का पालन किया जाता है ।

अध्याय 4

वन अधिकारों को निहित करने के लिए प्राधिकारी और प्रक्रिया

6. वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों में वन अधिकारों को निहित करने के लिए प्राधिकारी और उसकी प्रक्रिया – (1) ग्राम सभा को, ऐसे किसी व्यष्टिक या सामुदायिक वन्य अधिकारों या दोनों की प्रकृति और सीमा को अवधारित करने के लिए प्रक्रिया आरंभ करने का प्राधिकार होगा जो इस अधिनियम के अधीन इसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों को, दावे स्वीकार करते हुए, उनके समेकन और सत्यापन तथा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, सिफारिश किए गए प्रत्येक दावे के क्षेत्र को अंकित करते हुए, मानचित्र तैयार करके दिए जा सकेंगे और तब ग्राम सभा उस आशय का संकल्प पारित करेगी तथा उसके पश्चात् उसकी एक प्रति उपखंड स्तर की समिति को अग्रेषित करेगी ।

(2) ग्राम सभा के संकल्प से व्यथित कोई व्यक्ति उपधारा (3) के अधीन गठित उपखंड स्तर की समिति को कोई याचिका दे सकेगा और

उपखंड स्तर की समिति ऐसी याचिका पर विचार करेगी और उसका निपटारा करेगी :

परंतु प्रत्येक ऐसी याचिका ग्राम सभा द्वारा संकल्प पारित करने की तारीख से साठ दिन के भीतर दी जाएगी :

परंतु यह और कि ऐसी याचिका का, व्यथित व्यक्तियों के विरुद्ध निपटारा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उन्हें अपने मामले को प्रस्तुत करने के लिए युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया हो ।

(3) राज्य सरकार, ग्राम सभा द्वारा पारित संकल्प की परीक्षा करने के लिए एक उपखंड स्तर की समिति का गठन करेगी और वन अधिकारों का अभिलेख तैयार करेगी तथा इसे उपखंड अधिकारी के माध्यम से अंतिम विनिश्चय के लिए जिला स्तर की समिति को अग्रेषित करेगी ।

(4) उपखंड स्तर की समिति के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, उपखंड स्तर की समिति के विनिश्चय की तारीख से साठ दिन के भीतर जिला स्तर की समिति को कोई याचिका दे सकेगा और जिला स्तर की समिति ऐसी याचिका पर विचार करेगी और उसका निपटारा करेगी :

परंतु ग्राम सभा के संकल्प के विरुद्ध कोई याचिका जिला स्तर की समिति के समक्ष सीधे तब तक नहीं दी जाएगी जब तक वह पहले उपखंड स्तर की समिति के समक्ष न दी गई हो और उसके द्वारा उस पर विचार न कर लिया गया हो :

परंतु यह और कि याचिका का, व्यथित व्यक्तियों के विरुद्ध निपटारा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उन्हें अपने मामले को प्रस्तुत करने के लिए युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया हो ।

(5) राज्य सरकार, उपखंड स्तर की समिति द्वारा तैयार किए गए वन अधिकारों के अभिलेख पर विचार करने और उनका अंतिम रूप से अनुमोदन करने के लिए एक जिला स्तर की समिति का गठन करेगी ।

(6) वन अधिकारों के अभिलेख पर जिला स्तर की समिति का

विनिश्चय अंतिम और आबद्धकर होगा ।

(7) राज्य सरकार, वन अधिकारों को मान्यता देने और उन्हें निहित करने की प्रक्रिया को मानीटर करने और ऐसी विवरणियों और रिपोर्टों को, जो उस अभिकरण द्वारा मांगी जाएं, नोडल अभिकरण को प्रस्तुत करने के लिए एक राज्य स्तर की मानीटरी समिति का गठन करेगी ।

(8) उपखंड स्तर की समिति, जिला स्तर की समिति और राज्य स्तर की मानीटरी समिति में राज्य सरकार के राजस्व विभाग, वन विभाग और जनजातीय मामले विभाग के अधिकारी और समुचित स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं के तीन सदस्य होंगे, जिन्हें संबंधित पंचायती राज संस्थाओं द्वारा नियुक्त किया जाएगा, जिनमें से दो सदस्य अनुसूचित जनजातियों के होंगे और कम से कम एक महिला होगी, जैसा विहित किया जाए ।

(9) उपखंड स्तर की समिति, जिला स्तर की समिति और राज्य स्तर की मानीटरी समिति की संरचना और कृत्य तथा उनके द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया वह होगी, जो विहित की जाए ।

अध्याय 5

अपराध और शास्तियां

7. इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरणों और समितियों के सदस्यों या अधिकारियों द्वारा अपराध – जहां कोई प्राधिकरण या समिति या ऐसे प्राधिकरण या समिति का कोई अधिकारी या सदस्य इस अधिनियम या उसके अधीन वन अधिकारों की मान्यता से संबंधित बनाए गए किसी नियम के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करेगा तो वह या वे इस अधिनियम के अधीन अपराध के दोषी समझे जाएंगे और अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किए जाने के भागी होंगे :

परंतु इस उपधारा की कोई भी बात इस धारा में निर्दिष्ट प्राधिकरण या समिति के किसी सदस्य या विभागाध्यक्ष या किसी व्यक्ति को दंड

का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

8. अपराधों का संज्ञान – कोई भी न्यायालय इस अधिनियम की धारा 7 के अधीन किसी अपराध का तब तक संज्ञान नहीं लेगा जब तक कि कोई वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति, किसी ग्राम सभा के संकल्प से संबंधित किसी विवाद के मामले में या किसी उच्च प्राधिकारी के विरुद्ध किसी संकल्प के माध्यम से ग्राम सभा, राज्य स्तर की मानीटरी समिति को साठ दिन से अन्यून की सूचना नहीं दे देती है और राज्य स्तर की मानीटरी समिति ने ऐसे प्राधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही न कर ली हो ।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

9. प्राधिकरण, आदि के सदस्यों का लोक सेवक होना – अध्याय 4 में निर्दिष्ट प्राधिकारियों का प्रत्येक सदस्य और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने वाला प्रत्येक अन्य अधिकारी भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे ।

10. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण – (1) इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी ।

(2) इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात से हुए या हो सकने वाले किसी नुकसान के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या उसके किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी ।

(3) इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही अध्याय 4 में यथानिर्दिष्ट किसी प्राधिकरण, जिसके अंतर्गत उसका अध्यक्ष, उसके सदस्य, सदस्य सचिव, अधिकारी और अन्य कर्मचारी भी हैं, के विरुद्ध नहीं होगी ।

11. नोडल अभिकरण – जनजाति मामलों से संबंधित भारत सरकार का मंत्रालय या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी या प्राधिकारी इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए नोडल अभिकरण होगा ।

12. केन्द्रीय सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति – अध्याय 4 में निर्दिष्ट प्रत्येक प्राधिकारी इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने और अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में, ऐसे साधारण या विशेष निदेशों के अध्यधीन होगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर, लिखित में दे ।

13. अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना – इस अधिनियम और पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (1996 का 40) में अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में ।

14. नियम बनाने की शक्ति – (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए नियम, बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :–

(क) धारा 6 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया संबंधी ब्यौरे ;

(ख) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन दावों को प्राप्त करने,

उन्हें समेकित करने और उनका सत्यापन करने तथा वन अधिकारों के प्रयोग के लिए सिफारिश किए गए प्रत्येक दावे का क्षेत्र अंकित करते हुए मानचित्र तैयार करने की प्रक्रिया और उस धारा की उपधारा (2) के अधीन उपखंड समिति को याचिका देने की रीति ;

(ग) धारा 6 की उपधारा (8) के अधीन उपखंड स्तर की समिति, जिला स्तर की समिति और राज्य स्तर की मानीटरी समिति के सदस्यों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले राज्य सरकार के राजस्व विभाग, वन विभाग और जनजाति मामले विभाग के अधिकारियों का स्तर ;

(घ) धारा 6 की उपधारा (9) के अधीन उपखंड स्तर की समिति, जिला स्तर की समिति और राज्य स्तर की मानीटरी समिति की संरचना और उसके कृत्य तथा उनके द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ;

(ङ) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना अपेक्षित है या विहित किया जाए ।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो वह नियम ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम, यथास्थिति, केवल ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभाव हो जाएगा; तथापि, ऐसे किसी परिवर्तन या निष्प्रभाव होने से उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

Cover iii

कार्यालय आदेश तारीख 13 फरवरी, 2017 के अनुसार विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों पर छूट देने की सूची

क्रम सं.	पुस्तक का नाम, लेखक का नाम व प्रकाशन वर्ष (संस्करण)	पुस्तक की मुद्रित कीमत (रुपयों में)	7 वर्ष से पुराने संस्करण पर 35% छूट के पश्चात् कीमत (रुपयों में)	8 से 15 वर्ष पुराने संस्करण पर 50% छूट के पश्चात् कीमत (रुपयों में)	15 वर्ष से अधिक पुराने संस्करण पर 75% छूट के पश्चात् कीमत (रुपयों में)
1.	भारत का विधिक इतिहास - श्री सुरेन्द्र मधुकर - 1989	30	–	–	8
2.	माल विक्रय और परक्राम्य लिखत विधि - डा. एन. बी. परांजपे - 1990	40	–	–	10
3.	वाणिज्य विधि - डा. आर. एल. भट्ट - 1993	108	–	–	27
4.	अपकृत्य विधि के सिद्धांत - श्री शर्मन लाल अग्रवाल - 1993	40	–	–	10
5.	अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख निर्णय - डा. एस. सी. खरे - 1996	115	–	–	29
6.	श्रम विधि - श्री गोपी कृष्ण अरोड़ा - 1996	452	–	–	113
7.	संविदा विधि - डा. रामगोपाल चतुर्वेदी - 1998	275	–	–	69
8.	चिकित्सा न्यायशास्त्र और विष विज्ञान - डा. सी. के. पारिख -1999	293	–	–	74
9.	आधुनिक पारिवारिक विधि - श्री राम शरण माथुर - 2000	429	–	–	108
10.	भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम (कालजयी निर्णय) - विधि साहित्य प्रकाशन - 2000	225	–	–	57
11.	हिन्दू विधि - डा. रवीन्द्र नाथ -2001	425	–	–	106
12.	भारतीय भागीदारी अधिनियम - श्री माधव प्रसाद वशिष्ठ - 2001	165	–	–	41
13.	प्रशासनिक विधि - डा. कैलाश चन्द्र जोशी - 2001	200	–	–	50
14.	भारतीय दंड संहिता - डा. रवीन्द्र नाथ - 2002	741	–	–	185
15.	विधिक उपचार - डा. एस. के. कपूर - 2002	311	–	–	78
16.	विधि शास्त्र - डा. शिवदत्त शर्मा - 2005	580	–	290	–
17.	मानव अधिकार - डा. शिवदत्त शर्मा - 2006	120	–	60	–

विधि साहित्य प्रकाशन
(विधायी विभाग)
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार
भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

cover iv

पी एल डी (पी. डी)-2-2019
भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत रजि. सं. 47259/88

सादर

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तीन मासिक निर्णय पत्रिकाओं – **उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका** और **उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका** का प्रकाशन किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में उच्चतम न्यायालय के चयनित निर्णयों को और उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के चयनित क्रमशः सिविल और दांडिक निर्णयों को हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका को उपादेय और ज्ञानवर्द्धक बनाने के लिए प्रिवी कौंसिल के निर्णयों को भी समाविष्ट किया जा रहा है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत क्रमशः ₹ 2,100/-, ₹ 1,300/- और ₹ 1,300/- है । तीनों मासिक निर्णय पत्रिकाओं के नियमित ग्राहक बनकर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के इस महान यज्ञ के भागी बन कर अनुगृहीत करें । साथ ही यह भी अवगत कराया जाता है कि केन्द्रीय अधिनियमों, विधि शब्दावली, विधि पत्रिकाओं और अन्य विधि प्रकाशनों को आन लाइन **https://bharatkosh.gov.in/product/product** पर प्राप्त किया जा सकता है ।

विधि साहित्य प्रकाशन
(विधायी विभाग)
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार
भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001
दूरभाष : 011-23387589, 23385259, 23382105

विक्रेता : 1. प्रकाशन नियंत्रक, भारत सरकार, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054.
2. सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 । दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in